इंदिरा गांधी
राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
जेंडर एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ

,eth,l&001
tsMj ,oa fodkl % ladYiuk] nf"Vdks.k ,oa dk;Zuhfr;k¡

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

[k.M

1

tsMj dk;Z ,oa fodkl

bdkbZ 1
fodkl ds vk;ke rFkk y{; % ewyHkwr vo/kkj.kk,¡ 17

bdkbZ 2
tsMj vkSj fodkl % ewyHkwr vo/kkj.kk,¡ 79

bdkbZ 3
tsMj dk lkekftd fuekZ.k 95

bdkbZ 4
fodkl esa ukjhokn % tsMj vkSj fodkl dk lanHkZ 111

AUTHORITIES

Prof. Parvin Sinclair
Pro Vice Chancellor

Dr. Latha Pillai
Pro Vice Chancellor
IGNOU
New Delhi

E DESIGN COMMITTEI

Prof.Harsha Parekh

Prof. Jayati Ghosh

Dr. Sundari Ramakrishnan

Prof. Archana Sharma

Prof. Annu J. Thomas

Prof. M.A. Varghese
Bangalore

Prof. Vibhuti Patel
Mumbai

Prof. Maithreyi Krishnaraj
Mumbai

Dr.Nutan Jain
Jaipur

Prof. Rajni Palriwala
Delhi

Prof. Shirin Moosvi
Aligarh

Dr. Chandra Iyengar
Mumbai

Prof. Veena Mistry
Vadodara

Dr. Vanishree J.
New Delhi

Dr. G. Uma
New Delhi

ELOPMENT TEAM

Unit Transformation
Vanishree J.
G. Uma
Vanishree J.

Smita M Patil, 2. Prof. Regina Papa, 3. Anand Amrit Mahal & Amita Sahaya

E COORDINATORS

Prof. Savita Singh
Director and Programme Co-coordinator
School of Gender and Development Studies
IGNOU, New Delhi

ITORS

Prof. C.R.K. Murthy
STRIDE, IGNOU

Inhouse Editing
Prof. Annu J. Thomas
School of Gender and Development
IGNOU, New Delhi

ORDINATORS

RDINATOR

N TEAM

Mr. Jitender Sethi
Asst. Registrar (Publication)
MPDD, IGNOU, New Delhi

Mr. K.N. Mohanan
Section Officer (Publication)
MPDD, IGNOU, New Delhi

ational Open University, 2012

o part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any permission in writing from the Indira Gandhi National Open University.

n the Indira Gandhi National Open University courses may be obtained from at Maidan Garhi, New Delhi-110 068.

on behalf of the Indira Gandhi National Open University, New Delhi by the

dk;Øe :ikdu lfefr

प्रो. पूनम अग्रवाल, दिल्ली
प्रो. जया इन्द्रेसन, दिल्ली
डॉ. रीना रामचन्द्रन, गुडगांवा
प्रो. रतना सुदर्शन, दिल्ली
डॉ. किरण प्रसाद तिकपति
प्रो. छाया दत्तार, मुम्बई
प्रो. पूनम धवन, जम्मू
प्रो. ताप्तीवासु, कोलकाता
प्रो. सविता सिंह, नई दिल्ली
प्रो. मालाश्री लाल, दिल्ली
प्रो. हर्ष पारिश्व, मुम्बई
प्रो, सुधा राव, दिल्ली
प्रो. पारवती राजन, देवलाली
प्रो. जयंती घोष, दिल्ली
डॉ. शीला वीर, दिल्ली
डॉ. सुंदरी रामाकृष्णन, चेन्नई
प्रो. अर्चना शर्मा, गुवाहाटी
प्रो. अन्नू जें. थामस, नई दिल्ली
प्रो. एस.ए. वर्धीज, बैंगलोर
प्रो. विभूति पटैल, मुम्बई
प्रो. मैवेई कृष्णाराज, मुम्बई
डॉ. नूतन जैन, जयपुर
प्रो. रजनी पालरीवाला, दिल्ली
प्रो. शीरीन मूसवी, अलीगढ
डा. चन्द्रा आईनगार, मुम्बई
प्रो. वीना मिस्त्री, वडोदरा
डॉ. वानी श्री जे., नई दिल्ली
डॉ. जी.उमा, नई दिल्ली

Cykd fodkl Vhe

,dd y[kd
इकाई–1 आर. रमेश
इकाई–2 आर. रमेश
इकाई–3 आर. रमेश
इकाई–4 आर. रमेश

,dd :ikrj
जी. उमा
जी. उमा
जी. उमा
जी. उमा

dkl lg;kxh

प्रो. अन्नू जे. थामस
निदेशक और कार्यक्रम सहयोगी
जेंडर और विकास अध्ययन स्कूल
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

प्रो. सविता सिंह
कार्यक्रम सहयोगी
जेंडर और विकास अध्ययन स्कूल
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

dkl lEiknd

कोर्स चेयर और सम्पादक
रजनी के. मूर्ती

इन हाउस सम्पादन
प्रो. अन्नू जे. थामस
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

dkl lg;kxh

प्रो. अन्नू जे. थामस, और
डॉ. जी. उमा
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

Cykd lg;kxh

डॉ. जी. उमा
एस.ओ.जी.डी.एस.
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
नई दिल्ली

en.k mRiknu

मि. के. एन. मोहनन
वि. अधिकारी (प्रकाशन)
एम.पी.डी.डी
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली

जुलाई, 2015

© इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 2015

ISBN-81-

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस कार्य का कोई भी अंश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति के बिना किसी भी रूप में मिमियोग्राफ (मुद्रण) द्वारा या अन्यथा पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी विश्वविद्यालय के कार्यालय, मैदान गढ़ी,, नई दिल्ली–110 068 से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक (जेंडर एवं विकास अध्ययन विद्यापीठ) द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित।

लेजर कम्पोजिंग : राजश्री कम्प्यूटर्स, V-166A, भगवती विहार, (नजदीक सेक्टर–2, द्वारका), उत्तम नगर, नई दिल्ली–110059

ikB;Øe ifjp;

जेंडर एवं विकास अध्ययन के इस कार्यक्रम का प्रथम कोर्स जेंडर और विकास की अवधारणाओं, उपागमों और सामाजिक योजनाओं से आपका परिचय कराता है। इस कोर्स में छः खंड हैं। खंड–1 जेंडर और विकास (जेंडर एण्ड डेवलेपमेंट/गैड) की अवधारणाओं की चर्चा करता है। यह गैड उपागम का परिचय देता है और गैड की मूलभूत अवधारणाओं की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त यह छानबीन करता है कि किस प्रकार नारीवाद ने विकास के विमर्श (discourse) को प्रभावित किया। दूसरा खंड जेंडर और विकास के उपागमों (approach) पर है जहाँ जेंडर तथा विकास के मुद्दों का समाधान करने के लिए भिन्न उपागमों के उद्विकास का पता लगाया गया है। खंड–3 में गैड में सामाजिक युक्तियों की चर्चा की गई है। यह खंड जेंडर नियोजन और नीति–निर्माण, सकारात्मक, कार्रवाइयों और शासन का जेंडरिंग करने के महत्व पर ध्यान केन्द्रित करता है। खंड–4 नीति निर्माण में जेंडर को मुख्यधारा में लाने की चर्चा करता है और जेंडर को मुख्यधारा में लाने के महत्व तथा जरूरत की चर्चा करता है। अगला खंड जेंडर और बाजार के अर्थशास्त्र से संबंधित है। इस खंड में आर्थिक विकास की प्रक्रिया, उद्यम विकास और साथ ही औपचारिक एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की जेंडर परिप्रेक्ष्य से चर्चा की गई है। खंड–6 जेंडर, कार्य और स्वास्थ्य से संबंधित है। इस खंड में महिलाओं के काम की प्रस्थिति और स्वास्थ्य की चर्चा की गई है।

[kM ifjp;

यह खंड जेंडर एवं विकास में अवधारणाओं से संबंधित है। गैड रूपरेखा के बारे में आपको मूलभूत समझ प्रदान करने के लिए जेंडर और विकास (गैड) का परिचय शुरू में ही दिया गया है। इस खंड में चार इकाइयाँ हैं। इकाई 1 विकास और उसके लक्ष्णों के विभिन्न आयामों की चर्चा से संबंधित है। अगली इकाई जेंडर की सामाजिक निर्मित्ति पर है। जेंडर निर्मित्ति की प्रक्रियाओं की व्याख्या संस्कृति और समाज के श्रेणीकरण के संबंध में की गई है और विकास सूचकों जैसे कि लिंग पृथकता, श्रम विभाजन, निर्णयन और समाजीकरण के संबंध में जेंडर निर्मित्ति (या निर्माण) के फलितार्थों की जाँच की गई है। इस खंड की अंतिम इकाई यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार नारीवादों ने विकास संलापों को प्रभावित किया है और जेंडर और विकास के संदर्भ में कुछ मुख्य सरोकारों को स्पष्ट भी करती है।

eyHkwr voèkkj.kkvksa dk ifjp;

हम निम्नलिखित चार्ट में कुछ मुख्य मूलभूत अवधारणाओं से आपका परिचय करवा रहे हैं। आप इस चार्ट को तैयार संदर्भ के रूप में उपयोगी पाएंगे। हम आपको इन अवधारणाओं की ज्यादा गहराई में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो कि विकास अध्ययन संस्थान, ससेक्स विश्वविद्यालय, यू.के. की ब्रिज (BRIDGE) शृंखला के हिस्से के रूप में प्रदान की गई है।

lLdfr **(Culture)**	विचारों, विश्वासों और मानदण्डों, जो कि जीवन शैली और समाज के अन्दर समूह या समाज के संबंधों की विशेषताएं हैं, के विशिष्ट पैटर्न।
tsMj fo'ys"k.k **(Gender Analysis)**	जेंडर पर आधारित असमताओं को पहचानने, समझने और दूर करने के लिए जेंडर भिन्नताओं और सामाजिक संबंधों पर जानकारी का व्यवस्थित संकलन एवं उसकी जांच।
tsMj foHkn@ Hknokn **(Gender Discrimination)**	व्यक्तियों के जेंडर/लिंग के आधार पर उनके साथ व्यवस्थित, प्रतिकूल व्यवहार, जो कि उन्हें अवसरों या संसाधनों से वंचित करता है।
Je dk tsMj foHkktu **(Gender Division of Labors)**	सामाजिक रूप से निर्धारित विचार और प्रथाएं जो यह स्पष्ट करते हैं कि स्त्रियों और पुरुषों के लिए कौनसी भूमिकाएं और गतिविधियाँ उपयुक्त हैं।
tsMj e[;èkkjh& dj.k **(Gender Mainstreaming)**	यह जेंडर क्षमता और जवाबदेयता निर्मित करके, संस्था की नीति और गतिविधियों के सभी पहलुओं के संबंध में जेंडर परिप्रेक्ष्य को लाने की संगठनात्मक युक्ति है।
tsMj lacèkh vko';drk,a **(Gender Needs)**	महिलाओं द्वारा पहचानी साझी एवं सर्वप्राथम्य आवश्यकताएं जो सर्व सामान्य जेंडर के रूप में उनके सर्व सामान्य अनुभव से उत्पन्न होती हैं।
tsMj fu;kstu **(Gender Planning)**	जेंडर–संवेदी नीति क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक तकनीकी तथा राजनीतिक प्रक्रियाएं और क्रियाविधियाँ
tsMj lacèk	महिलाओं तथा पुरुषों के बीच शक्ति (या सत्ता) के पदानुक्रमिक संबंध जो महिलाओं के लिए हानिकर होने लगते हैं।
tsMj izf'k{k.k	जेंडर समानता के लिए वैयक्तिक या संगठनात्मक परिवर्तन लाने के लिए, जेंडर संबंधित मुद्दों पर जागरूकता एवं क्षमता विकसित करने की सूकरीकृत प्रक्रिया।
tsMj fgalk **(Gender Violence)**	पुरुषों या पुरुष प्रबल संस्थाओं द्वारा कोई भी कृत्य या धमकी, जो महिला या लड़की को उनके जेंडर के कारण शारीरिक, लैंगिक या मनोवैज्ञानिक क्षति पहुँचाए।
vkarj&ifjokj lalkèku forj.k **(Intra-household Resource Distribution)**	परिवार के अंदर सृजित या बाहर से आए भिन्न संसाधनों, उसके सदस्यों के द्वारा किस प्रकार गम्य एवं संचालित होंगे की गत्यात्मकता।

Ekfgykvksa dh fy, jk"Vªh; r= ¼lkèku½	जेंडर सरोकारों को विकास नीति और नियोजन में एकीकृत करने के लिये सरकारों के अन्दर स्थापित एजेन्सियां जिनके पास महिलाओं की उन्नति के लिये आदेश हैं।
fir`lRRkk	व्यवस्थित सामाजिक संरचनाएं जो महिलाओं के ऊपर पुरुष की शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक शक्ति का सांस्थानिकीकरण करता है।
fyax vkSj tsaMj **(Sex and Gender)**	लिंग जैविक विशेषताओं से संबंधित है जो किसी को या तो पुरुष या महिला की श्रेणी में रखती है, जबकि जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित विचारों और प्रथाओं से संबंधित है। कि महिला या पुरुष होना क्या है।
Lkkekftd U;k; **(Social Justice)**	विकास के परिणामों में, सामाजिक रूपान्तरण की प्रक्रियाओं के जरिये, सबके लिये अधिकार के रूप में औचित्य और निष्पक्षता।
foM@xSM **(WID/GAD)**	विड (या विकास में महिलाएं) उपागम विकास नीति और व्यवहार में महिलाओं पर ज्यादा वृहद ध्यान दिये जाने की मांग करता है, और उन्हें विकास की प्रक्रिया में एकीकृत करने की आवश्यकता पर जोर देता है।
blds foijhr xSM ¼;k tsaMj vkSj fodkl½	उपागम पुरुषों और स्त्रियों के बीच भेदों के सामाजिक रूप से निर्मित आधार पर फोकस करता है और मौजूदा जेंडर भूमिकाएं और संबंधों को चुनौती देने की आवश्यकता पर बल देता है।
Ekfgykvksa dk l'kfDrdj.k	जेंडर शक्ति/सत्ता संबंधों को रूपान्तरित करने की नीचे से ऊपर की प्रक्रिया, व्यक्तियों या समूहों के जरिये महिलाओं की अधीनस्थता के बारे में जागरूकता को विकसित करना और उसे चुनौती देने के लिये महिलाओं की क्षमता का निर्माण करना।
Ekfgykvksa ds ekuokfèkdkj	यह मान्यता कि महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार हैं और कि महिला सिर्फ अपने जेंडर की वजह से अन्याय को झेलती है।

Lkzksr : हैज़ल रीव्स एवं सैली बेडन, 'जेंडर एंड डेवलेपमेंट' कॉनसॅप्टस एंड डैफिनेशन्स,' http://www.bridge.ids.ac.uk/reports/55.pdf

हम आपको इस खंड के अंत में अतिरिक्त पाठन हेतु निम्नलिखित सेट प्रदान कर रहे हैं जो कि आपके ज्ञान क्षितिजों को विस्तृत करेगा।

अतिरिक्त पाठन – 1 : डॉ. स्मिता एम. पाटिल द्वारा लिखित मूलभूत अवधारणाएं

अतिरिक्त पाठन – 2 : प्रो. रेगिना पापा द्वारा लिखित निर्माणकारी नारीवाद

अतिरिक्त पाठन – 3 : डॉ. आनन्द अमृत महल एवं डॉ. अमिता सहाय द्वारा लिखित नारीवाद में प्रवृत्तियाँ

ifjp; % tsaMj dk;Z ,oa fodkl

समूचे विश्व में एक बिलियन से ज्यादा लोग गरीबी में रहते हैं, और उनमें से वृहद बहुसंख्यक संख्या महिलाओं की हैं। महिलाओं की गरीबी उनके अधिकारों का उल्लंघन है– उनके स्वास्थ्य और कल्याण, भोजन, पर्याप्त आवास सुविधा, रहन–सहन का सुरक्षित तथा स्वस्थ वातावरण, सामाजिक सुरक्षा, रोजगार तथा विकास के अधिकारों का (बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, ग्लोबल फ्रेमवर्क)। आग्रही/सतत गरीबी के साथ–साथ, महिलाएं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन में केवल उपाश्रित/निम्नपदस्य स्थितियों में रहती हैं। यही स्थिति विश्व के बहुत से भागों में बनी हुई है। मॉमसेन (2011) के अनुसार, एतिहासिक रूप से, उपनिवेशवाद का उत्तर प्रभाव, और दक्षिण के गरीब देशों और उन देशों जिनकी अर्थव्यवस्थाएं परिवर्तन काल से गुजर रही है की परिधीय स्थिति और तीव्र औद्योगिकीकरण का भी महिलाओं पर गहन प्रभाव पड़ा जिसका परिणाम जेंडर या स्त्री–पुरुष में भेदभाव का हुआ है। कृषि तथा अन्य क्षेत्रों में आधुनिकीकरण हो जाने से जीवन निर्वाह की गतिविधियां जो कि पहले महिलाओं द्वारा निष्पन्न की जाती थी उनसे ले ली गई। प्रायः नई प्रौद्योगिकी से जुड़े अधिकांश बेहतर वेतन प्रदत्त काम पुरुषों के पास चले गये हैं। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का भी महिलाओं की जीविकाओं पर उसी प्रकार का असर पड़ा है।

अफ्रीका, तथा दक्षिण एशियाई देशों में बहुत से अध्ययनों के अनुसार, पुरुष की आय का परिवार पर खर्च होना कम संभावित होता है जबकि महिलाएं अपनी आय परिवार के योगक्षेम में खर्च करती हैं। कृषि के आधुनिकीकरण ने लिंगों के बीच श्रम विभाजन को भी बदल डाला है, और महिलाओं की उपाश्रित प्रस्थिति तथा साथ ही साथ उनके कार्य भार में वृद्धि हुई है। इस्टर बोसरप ने, आधुनिकीकरण होने के पश्चात् अफ्रीकी कृषि के पैटर्न पर अपने अध्ययन द्वारा यह प्रमाणित किया है। महिलाएं प्रायः संसाधनों जैसे कि भूमि पर अपना नियन्त्रण या अधिकार खो बैठती हैं, और सामान्यत्या उन्नत कृषिगत उपकरणों की गम्यता से वंचित रह जाती हैं। 2010–2011 के कर्नाटका परिवार परिसम्पत्ति सर्वेक्षण के अनुसार, सबसे धनी 20 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में कुल सम्पदा में से केवल 16 प्रतिशत पर ही महिलाओं का स्वामित्व है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के सभी खंडों (Plots) में से 71 प्रतिशत पर पुरुषों का स्वामित्व और केवल 14 प्रतिशत पर महिलाओं का स्वामित्व है (दी हिन्दु, अगस्त 7, 2011)।

इसके दूसरी ओर, युवा महिलाओं के लिये निर्यात हेतु वस्तुओं का विनिर्माण करने वाली फैक्टरियों में नवीन निम्न वेतन प्रदत्त और निम्न कौशल के काम भी,सृजित किये गये हैं। तीव्र नगरीयकरण और कृषि की अवनति के फलस्वरूप पुरुष शहरी क्षेत्रों को प्रवसन करने लग गये हैं। इसका परिणाम ये हुआ कि ज्यादा स्त्रियां बच्चों की देखरेख के लिये अकेले छूट गई। कुछ देशों में, विशेष रूप से मध्यपूर्व, दक्षिण एशिया और लेटिन अमेरिका में, महिलाएं अपने पति या पिता की लिखित अनुमति के बिना वेतन प्रदत्त कार्य अथवा यात्रा नहीं कर सकती हैं। महिलाओं पर काम का तीन गुना भार हो गया क्योंकि उन्हें घर का काम, बच्चों का लालन–पालन तथा बुजुर्गों की देखभाल का काम करना पड़ता है और इसके अलावा वे कुछ सामुदायिक संगठनों के साथ खाद्य वस्तुओं के उत्पादन में भी कार्यरत रहती हैं। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सिर्फ कुछ ही महिलाएं वेतन प्रदत्त काम से जुड़ी हैं। महिलाएं, पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा घण्टे कार्य कर रही हैं। यह कई अध्ययनों ने प्रमाणित किया है। महिलाओं की बदलती प्रस्थिति का, और पारिवारिक स्तर पर बढ़ती हुई दरिद्रता के साथ–साथ द्रुत आर्थिक पुनर्गठन का जेंडर सम्बन्धों पर जो

दबाव पड़ता है वह विकास नीतियों की सफलता तथा विफलता के लिये बहुत अहम् है (जेनेट मॉमसेन, 2010)।

न केवल पुरुषों तथा महिलाओं के बीच प्रगति असमान हुई है परन्तु प्रगति प्रत्याशा से कम हुई है। इसके साथ ही, देशों के बीच जो अन्तर है वो पुरुषों और महिलाओं के बीच अन्तर की अपेक्षा ज्यादा वृहद है। नव सहस्राब्दि में, महिलाओं के लिये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सिंगापुर में 82 वर्ष से लेकर स्वीज़रलैण्ड में 39 तक भिन्न–भिन्न है। और जबकि, पुरुष जीवन प्रत्याशा की सीमा का विस्तार अंगोला में 41 वर्ष और जांबिया में 42 वर्ष से लेकर सिंगापुर में 78 वर्ष है, उतनी ही जितना कि स्पेन में है (संयुक्त राष्ट्र, 2008)। वैश्विक रूप से, 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में सिर्फ 69 प्रतिशत महिलाएं और 83 प्रतिशत पुरुष साक्षर हैं (पी. आर. बी. 2002)। महिला जनसंख्या में निरक्षरों का अनुपात नाइगर में 92 प्रतिशत से लेकर बारबादोस और ताजिकिस्तान में 1 प्रतिशत से भी कम हैं। परन्तु कुछ देशों में, जैसे कि लेसोथे, जमाइका, उरूग्वे, काटार और संयुक्त अरब एमिरेट्स में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का ज्यादा अनुपात साक्षर है (पी.आर.बी., 2002)। स्त्रियों की प्रारम्भ में चर्चित स्थिति, विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में शताब्दियों से प्रचलित है। परन्तु संस्कृति और अन्य सामाजिक पैटर्न (नमूनों) के आधार पर तीव्रता भिन्न–भिन्न है।

महिलाओं की स्थिति को देखकर, विभिन्न प्रकार के आन्दोलन शुरू हुए जो कि साक्षरता, जीवन प्रत्याक्षा और मातृ मृत्यु संख्या के सम्बन्ध में महिलाओं की प्रस्थिति को ऊंचा उठाने के उद्देश्य से शुरू हुए थे। फिर भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ जिससे कि वे पुरुषों के समान स्थिति पर हों, जैसा कि हमने पहले ही देखा है। इसके अतिरिक्त, जेंडर सम्बन्ध में सार्वजनिक/निजी विभाजन बनता है और परिचालित होता है। महिलाएं जीवन के निजी क्षेत्र में परिसीमित रहने के लिये विवश होती हैं और उनका अस्तित्व घरेलू भूमिकाओं तक प्रतिबंधित रहता है। परन्तु महिलाओं द्वारा आर्थिक गतिविधियों में तथा निर्णयन प्रक्रिया में अदा की जाने वाली भूमिका के महत्व को समझ लेने के बाद राज्यों ने उपर्युक्त समस्या पर काबू पाने के लिये कई कदम उठाए हैं।

18 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, समाजविज्ञानियों ने मनुष्यों के बीच सतत् बने हुए अन्तरों की व्याख्या करने के लिये विभिन्न प्रकार के सिद्धान्त विकसित किये हैं। नारीवादी मानवशास्त्री बहस करते हैं कि सामाजिक और उत्पादन सम्बन्धों के संगठन जैसे कि सामाजिक स्तरीकरण, एक विवाही परिवार, सम्पत्ति का स्वामित्व, और कार्य और उत्पादन के रूप ने विश्व भर में जेंडर सम्बन्धों को अत्याधिक प्रभावित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं की प्रारिस्थति तथा दशा को सार्वभौमिक रूप से ध्यान में लेने के लिये बड़ा योगदान दिया है और महिलाओं के मुद्दों को विकास कार्य सूचियों में समामेलित किया है। एलीनर रूज़वेल्ट ने वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में महिला के अधिकारों का मुद्दा उठाया।

19 वीं शताब्दी के दौरान, महिलाओं के मताधिकार के लिये आन्दोलन के रूप में महिला अधिकार आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। अंतः अमेरिकन महिला प्रस्थिति आयोग, जो वर्ष 1920 में स्थापित हुआ था, नव–स्थापित संयुक्त राष्ट्र के चार्टर (घोषणा पत्र) में समान अधिकार प्रावधान लाने में यंत्रीय (या सहायक) समूहों में से एक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद् तथा अंतर्राष्ट्रीय महिला सन्धि, गैर–सरकारी संगठनों के समूह से थे जिनको संयुक्त राष्ट्र, आर्थिक तथा समाजिक परिषद् (ECOSOC) के पास परामर्शदात्री दर्जा मिला हुआ था और इसलिये संयुक्त राष्ट्र महिला प्रस्थिति आयोग में सदस्यता मिली हुई थी जो कि

1947 में संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र के आदेश को पूरा करने के लिये स्थापित किया गया था।

वर्ष 1946 में, संयुक्त राष्ट्र ने महिला प्रस्थिति आयोग की स्थापना की। उसे दो मूलभूत कार्य करने थे। राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्रों में महिलाओं के अधिकारों को प्रौन्नत करने पर सुझाव और रिपोर्ट तैयार करके आर्थिक तथा समाजिक परिषद् को देना; और महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में जिन समस्याओं के लिये तुरन्त कार्रवाई की आवश्यकता है उन पर सुझाव तैयार करना' (संयुक्त राष्ट्र, 1996 : 13)। आयोग का सरोकार 1987 तक अनिवार्यतः वही का वही रहा और 1987 में उसने समानता, विकास तथा शान्ति के लिए हिमायत, और क्षेत्रीय, प्रदेशीय, राष्ट्रीय तथा वैश्विक स्तरों पर महिलाओं की उन्नति के लिये उपायों के क्रियान्वयन की निगरानी के कार्य सम्मिलित करने के लिये उसका विस्तार किया (संयुक्त राष्ट्र, 1996)।

तीन अंतर्राष्ट्रीय आन्दोलन, नामतः महिला अधिकार आन्दोलन, मानवाधिकार आन्दोलन, और उपनिवेशवाद विरूद्ध आन्दोलन और जो महिलाएं संघर्ष का हिस्सा थी उन्होंने महिलाओं के आन्दोलन के प्रारम्भ होने का मार्ग प्रशस्त किया। उनके साथ–साथ, जो स्त्रियां स्वतन्त्रता आन्दोलन का हिस्सा थी, तृतीय विश्व देशों में अपने राष्ट्रों का निर्माण करने में पुरुषों का साथ देने लगीं। इसने संयुक्त राष्ट्र को, 1975 को, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित करने की ओर प्रवृत किया। तदान्तर, संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के लिये मैक्सिको, नैरोबी, कॉपनहेगन और बीजिंग में वर्ष 1975, 1980, 1985 और 1995 में क्रमशः चार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किये। 1970 से पूर्व, जब ऐस्टर बोसरप ने महिलाएं और विकास पर अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित की, तो यह सोचा गया कि विकास प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं को एक ही तरीके से प्रभावित करती है। उत्पादकता को नकद अर्थव्यवस्था के बराबर/समतुल्य माना गया और इस कारण महिलाओं के अधिकांश काम की उपेक्षा की गई और अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान राष्ट्रीय लेखा व्यवस्था (एन.एस.ए.) का हिस्सा नहीं था। जब यह सुस्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास गरीबी को टपकन प्रभावों (trickle-down effects) के जरिये स्वचालित रूप से समाप्त नहीं करता है, तो जनसंख्या के विभिन्न खंडों में लाभों के वितरण और समानता की समस्याएं विकास सिद्धान्त में बड़ी विचारयोग्य बात बन गई।

विकासशील देशों में महिलाओं पर ने शोध अंतर्राष्ट्रीय विकास की सर्वाधिक मूलभूत मान्यताओं को चुनौती दी है, विकास प्रक्रिया के अध्ययन में जेंडर आयाम जोड़ा और नव सैद्धान्तिक उपागम की मांग की है। नेला कबीर के अनुसार, साठ के दशक से, संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक दशक को ''विकास का दशक घोषित किया, प्रत्येक घोषणा के साथ पिछले अनुभवों से सीखें पाठ और आने वाले दस वर्षों के लिये उसकी प्राथमिकताओं का संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है। जिस घोषणा ने प्रथम विकास दशक (1961–1970) की सूचना दी उसमें महिलाओं का कोई विशिष्ट उल्लेख से नहीं था। दूसरे दशक के लिये, अंतर्राष्ट्रीय विकास कूटनीति (योजना) में, कुल विकास प्रयास में महिलाओं के पूर्ण एकीकरण को प्रोत्साहित करने के महत्व का संक्षिप्त संकेत, नव चेतना की प्रथम झलक का संकेत है। 1980 के दशक की कूटनीति में यह आगे और स्पष्ट किया गया है, जिसने विकास प्रक्रिया के सभी स्तरों पर और सभी क्षेत्रों में महिला एजेन्टों तथा लाभार्थियों की घोषणा की है।

संयुक्त राष्ट्र ने यह भी घोषणा की कि 1990 के दशक में एक काम यह करना है कि महिलाओं की समस्याओं की ज्यादा अधिक समझ को बदली हुई प्राथमिकताओं में

परिणतः करें .... विकास के लिये महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रतिफल बढ़े हुए उत्पादन, वृहदतर समता तथा सामाजिक प्रगति के सम्बन्ध में मिलने चाहिए (संयुक्त राष्ट्र, 1989)। फिर भी, परिवर्तन के सुस्पष्ट अभाव के बावजूद, संयुक्त राष्ट्र महिला दशक ने इस बारे में नव जागरूकता प्राप्त की कि जब विकास हेतु योजना बनाई जाये तो महिलाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। 1970 के दशक के पूर्वार्ध का एकीकरण का उपागम, जो इस धारणा पर आधारित है कि विकास की प्रक्रिया के किसी बड़े पुनर्गठन के बगैर महिलाओं को परोपकारी विकास के मौजूदा रूपों के अन्दर लाया जा सकता है, अधिक नारीवादी आलोचना का विषय बना हुआ है। महिलाओं के साथ विकास की वैकल्पिक कल्पना अन्य किसी की रोटी का मात्र बड़ा टुकड़ा नही मांगा है, परन्तु उसे, तैयार की गई, सेकी गई तथा समान रूप से वितरित पकवान की पूरी नई थाली चाहिये। यह जल्दी ही साफ हो गया कि अकेले महिलाओं पर फोकस अपर्याप्त है और कि जेंडर विचार की आवश्यकता है (जेनट मॉमसेन, 2010)। वर्ष 1970 में, संयुक्त राष्ट्र ने 1960 के प्रथम विकास दशक का पुनरावलोकन किया। पुनरावलोकन के आधार पर, महिलाओं के विकास के विभिन्न उपागम पाए गये। पुनरावलोकन से यह निष्कर्ष निकला कि पुरुष और स्त्रियां दोनों को ही गरीबी से बाहर निकालना चाहिए और पुरुष और स्त्रियों दोनों को ही विकास से लाभान्वित होना चाहिए।

प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाने के लिये मैक्सिको शहर में आयोजित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महिला स्वैच्छिक निधि (बाद में संयुक्त राष्ट्र विकास फंड (निधि) कहलाया जाने लगा) और अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र जल्द ही संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्दर स्थापित किये गये। इसी दौरान महिलाओं के मुद्दों को सरकार की नीति, विशेष रूप से यू एस ऐड नीति में समामेलित करने के समर्थन हेतु यूनाइटेट स्टेट्स में नारीवादी इकट्ठे हुए। उनकी अनविरत कोशिशों के फलस्वरूप नया संशोधन आया जो वर्ष 1973 का पेर्सी संशोधन कहलाता है। इससे जेंडर संवेदी समाजिक प्रभाव अध्ययनों को सभी विकास परियोजनाओं में एकीकृत करने के लिये मार्ग आसान हो गया। नारीवादीयों ने एक नये पद' 'विकास में महिलाएं' (Wonen in Development/WID) जो उदार नारीवाद से उभर कर सामने आया है, का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। परन्तु महिलाएं और विकास की अवधारणा की उत्पत्ति 1950 के दशक और 1960 के दशक के दौरान हुई। 1973 का पेर्सी संशोधन सुनिश्चित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सभी परियोजनाओं में महिलाओं को विशेष रूप से समाविष्ट करना है। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ने 1980 में महिलाएं और विकास कार्यक्रम स्थापित किया जिसकी सभी सदस्य देशों द्वारा अभिपुष्टि की गई। दक्षिण के बहुत से भागों में, सामुदायिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर महिला संगठन और नेटवर्कस, विकास परियोजनाओं की शुरूआत और क्रियान्वयन में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे हैं। सबसे बढ़कर, महिला दशक ने यह बोध उत्पन्न कर दिया कि विश्व भर में महिलाओं की स्थिति को दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित करने के लिये आंकड़े का संग्रह और शोध की आवश्यकता थी। WID दृष्टिकोण पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका में महिलाओं के आन्दोलन के उद्भव पर आधारित था। 1975 संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1976–85) ने बहुत से देशों में महिला मंत्रालयों की स्थापना, और सरकारों, दाता एजेन्सियों और एन.जी ओस में, विकास में महिला (WID) नीतियों के सांस्थानिकीकरण की ओर प्रवृत किया।

WID का उद्देश्य महिलाओं के लिये आय सर्जनकारी परियोजनाओं पर फोकस करते हुए महिलाओं को आर्थिक विकास में एकीकृत करना था। उसने महिलाओं की आर्थिक

गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया। WID उपागम पर आधारित आय सर्जनकारी परियोजनाएं पूर्णत्या सफल नहीं हुई क्योंकि प्रगति समाज में प्रचलित अंतर्निहित जेंडर सम्बन्धों को सम्बोधित नहीं कर पाई। इसके अतिरिक्त WID उपागम ने मान लिया कि महिलाओं के पास काफी समय है और वे अपनी मौजूदा पारिवारिक तथा अन्य जिम्मेदारियों में कोई विघ्न डाले बगैर आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकती है। मॉमसेन (2011) के अनुसार, इसने महिलाओं को विकास की मुख्यधारा के बाहर छोड़ दिया और सभी महिलाओं के साथ एक समान व्यवहार किया। इसने विकास एजेन्सियों के अन्दर WID समूह का घैटोईकरण (ghettoised) भी कर दिया। 1980 के दशक तक आते–आते WID (विकास में महिलाएं) समर्थक महिलाओं पर विकास के नकारात्मक प्रभावों को प्रकट करने से हट कर यह प्रदर्शित करने लगे कि महिलाओं के वास्तविक अथवा संभावित योगदान की उपेक्षा कर के विकास की कोशिशें असफल हो रही हैं।

WID उपागम की आलोचना से उभरने के बाद, महिलाएं और विकास (WAD) उपागम भी मैक्सिको नगर में 1975 संयुक्त राष्ट्र महिला विश्व सम्मेलन में नारीवादियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इन नारीवादियों में मुख्य रूप से उत्तर से श्वेत नारियां ही थी। यद्यपि उनका लक्ष्य जेंडर समानता का था, उनके विचारों को दक्षिण की बहुत सी महिलाओं द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था जिनका कहना था कि विकास मॉडल स्वयं ही विकासशील देशों के परिप्रेक्ष्य से रहित है। वे गरीबी और उपनिवेशवाद के प्रभावों पर काबू पाने को समानता से ज्यादा महत्वपूर्ण समझती थीं। इससे डॉन नेटवर्क (DAWN Network) का उदय हुआ, जो दक्षिण में स्थित था, और जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के दृष्टिकोण को ज्यादा व्यापक रूप से प्रसिद्ध तथा प्रभावी बनाना था (सेन तथा ग्राऊन, 1987)।

इस शताब्दी के अन्त तक तीन संयुक्त राष्ट्र विकास दशक हुए। महिला दशक (1976–85), वर्ष 1985 में नैरोबी में सम्मेलन के साथ समाप्त हुआ। शासकीय विकास नीति के दशकों के बावजूद, 1990 के आते–आते दक्षिण में गरीबी, बीमारी, निरक्षरता और बेरोजगारी की सीमा में वृद्धि हो गई थी। 1980 के दशक के दौरान, विश्व को विकासशील देश के ऋणों में अभूतपूर्व वृद्धि देखने को मिली विशेष रूप से उत्तरी अमेरिका में और अफ्रीका में अत्यन्त गम्भीर सूखे का सामना करना पड़ा। इसी प्रकार से, महिला दशक के दौरान पितृसत्तात्मक अभिवृत्तियों और सांस्थानिकीकृत पुरुष प्रभुत्व में सिर्फ बहुत सीमित बदलाव देखने को मिले, और कुछ क्षेत्र ऐसे देखने को मिलें जहां आधुनिकीकरण का सम्बन्ध महिलाओं की अत्याधिक अधीनस्थता के उलटाव से था।

1980 के दशक के मध्य में, विकास विशेषज्ञों ने मूलभूत मानव आवश्यकताओं पर ध्यान केन्द्रित करना शुरू कर दिया। इसी दौरान, सरकारी खर्च को घटाने तथा बाजार की प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने के लिये संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (Structural Adjustment Programmeसैप) की रूपरेखा तैयार की गई। उदार नारीवादी अर्थशास्त्र के अनुसार, समृद्धता से स्वयं ही महिलाओं का स्वाचालित रूप से विकास होगा है। कई विकास सिद्धान्तों ने मान लिया है कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम पुरुष और महिलाओं दोनों को दीर्घकाल में लाभ पहुँचायेगा। परन्तु अल्पकाल में दुर्बल अथवा संवेदनशील वर्ग के लोग, विशेष रूप से स्त्रियां तथा बच्चे, प्रभावित होंगे। महिला संगठनों और पिछले तीन दशकों के समय के साथ मैक्सिको नगर, कॉपनहेगन, नैरोबी और बीजिंग में विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलनों ने जेंडर सम्बन्धित मुद्दों को दृढ़ता पूर्वक विकास कार्यसूची में डाला है परन्तु आर्थिक संवृद्धि और आधुनिकीकरण जेंडर–तटस्थ नहीं हैं। भिन्न राज्यों तथा प्रदेशों के अनुभव दर्शाते है कि आर्थिक समृद्धि एवं विकास से

जेंडर समानता में सहायता मिलती है परन्तु कुछ जेंडर भेद परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। तेज संवृद्धि, जैसे कि पूर्वी एशियाई देशों में, ने मजदूरी तथा शिक्षा में जेंडर अन्तरों के संकुचन की ओर प्रवृत किया है परन्तु राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता अभी रह गई है। अचानक आर्थिक परिवर्तन, जैसे कि संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम, अथवा पूर्वी यूरोप में शीतयुद्ध उत्तरोत्तर संक्रमण, नवीन जेंडर अन्तरों को जन्म देता है जिसमें सामान्यतया महिलाएं घाटे में रहती हैं। इस बीच, कुछ नारीवादी तथा विकास सिद्धान्तवेता मानने लगे है कि ''विकास में महिलाएं'' (WID या विड) और ''महिलाएं और विकास'' (WAD या वैड) दोनों उपागमों में जेंडर असमानताओं को सम्बोधित नहीं किया गया है। अतः उन्होंने जेंडर और विकास उपागम प्रतिपादित किया है, जिसे ''सशक्तिकरण उपागम'' अथवा ''जेंडर–जागरूक नियोजन'' का नाम दिया जाता है।

वर्ष 1985 में, तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन नैरोबी में आयोजित किया गया। महिला दशक (1975–85) ने, आर्थिक दक्षिण से महिलाओं को ज्यादा दृष्टिगत होने का अवसर प्रदान किया। नैरोबी ने आर्थिक दक्षिण से महिला आन्दोलन का नेतृत्व दर्शाने के लिये मंच प्रदान किया। तृतीय विश्व की महिलाएं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सम्मान पाने लगी थी और, अपनी खुद की पहचान की वृहद अनुभूति के साथ, अब वैश्विक भगिनीत्व (या बहिनचारा) की धारणा को महिलाओं के बीच वैश्विक एकता में पुनः परिभाषित करने को तैयार थी। उत्तर–दक्षिण विभाजन जबकि लुप्त नहीं हुआ था, दक्षिण की महिलाओं के बीच नया विश्वास था जिसने बेहतर विश्व के लिये उनके संघर्ष में साझेदारी के सृजन को सुलभ बनाया। रिकॉर्ड फोरम 85 के लिये, फोरम की अन्तिम रिपोर्ट ने, महिलाओं के लिये 'घटना' का अर्थ इस प्रकार से संक्षिप्त किया ''आज महिलाएं अपने को न सिर्फ महिलाओं के लिये परन्तु पूरे समाज के लिये परिवर्तन के लिये बल के रूप में देखती हैं। महिलाएं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ढ़ाचे को समाकलित और न्यायोचित विकास की दिशा में बदलने के लिये पुरुषों के साथ बराबर काम करने के लिये सत्ता तथा शक्ति के लिये चेष्टा करती हैं।'' विकास नीतियों में जेंडर पर फोकस सर्वप्रथम बड़ी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता (ऐड) एजेन्सियों से उदित हुआ है।

नैरोबी सम्मेलन से प्राप्त सुझावों में एक यह था कि संयुक्त राष्ट्र को, दस वर्षों के अन्दर महिलाओं पर दूसरा विश्व सम्मेलन आयोजित करना चाहिए ताकि नैरोबी में सूत्रित कार्रवाई के मंच के क्रियान्वयन का ज़ायजा लिया जा सके। यह सम्मेलन 1995 में बीजिंग में आयोजित किया गया।

आर्थिक परिवर्तन और विकास से महिलाएं और पुरुष भिन्न–भिन्न रूप से प्रभावित होते हैं और इस कारण जेंडर भेद समाप्त करने के लिये हस्तक्षेप हेतु सक्रिय लोक नीति आवश्यक है। 1995 में आयोजित बीजिंग चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन के वक्तव्य अभियान में, यह कहा गया था कि '(ए) महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता पर आधारित रूपान्तरित साझेदारी, जन–केन्द्रित संवहनीय विकास के लिये शर्त है (संयुक्त राष्ट्र 1996 : 652)।

जेंडर और विकास (गैड/GAD) उपागम, जमीनी संगठनात्मक अनुभवों और तृतीय विश्व के नारीवादियों के लेखों से उभरा है और डेवलेपमेंट ऑल्टनेविस विद वूमेन फॉर ए न्यु इरा (डॉन/DAWN) नामक समूह द्वारा इसे सर्वाधिक स्पष्टता के साथ साफ बतलाया गया है। इस नये प्रतिमान को विकसित करने की प्रक्रिया 1980 के दशक के पूर्वार्ध में शुरू हो गई थी। DAWN/डॉन 1985 के नैरोबी अंतर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ. फोरम में सार्वजनिक रूप से प्रारम्भ किया गया था। डॉन ने महिलाओं के विकास के लिए ऐसे

दृष्टिकोण की मांग की जो वैश्विक तथा जेंडर भेदभावों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। जेंडर समानता का अर्थ सभी गतिविधियों में पुरुषों और महिलाओं अथवा लड़कियों और लड़कों की अनिवार्यतः बराबर संख्या नही है, न ही इसका अर्थ उनके साथ एक समान व्यवहार करना है। इसका अर्थ अवसर की समानता से है और उस समाज से है जिसमें महिलाएं और पुरुष समान रूप से पूर्णता का जीवन व्यतीत करते हैं। जेंडर समानता का उद्देश्य यह मानता है कि पुरुषों और महिलाओं की प्रायः भिन्न–भिन्न आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं होती हैं, वो भिन्न–भिन्न प्रतिबंधों का सामना करते हैं और उनकी भिन्न महत्वाकांक्षाएं होती हैं। सबसे बड़ी बात ये हैं कि जेंडर समानता की गैर–मौजूदगी का अर्थ मानव सामर्थ्य की बड़ी हानि है और जिसकी लागत पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को और विकास को चुकानी पड़ती है।

प्रतिभागियों ने क्योंकि महिलाओं के वैकल्पिक सपने को पूरा करने में वर्तमान सरकारों की योग्यता एवं तत्परता को लेकर बहुत कम आशा व्यक्त की, उन्होंने बार–बार राजनीतिक कार्रवाई के लिये इस पर बल दिया है कि महिलाओं को स्वतन्त्र रूप से संगठित होने की ज़रूरत है ताकि वे मौजूदा नीतियों और कार्यक्रमों को चुनौती देने की जिम्मेदारी ले सकें और एकीकृत विकास का जिम्मा लेने के लिये कार्य कर सकें। यह सबसे अधिक गरीब तथा सर्वाधिक उत्पीड़ित से सरोकार रखता है। वर्ग, प्रजाति, नृजातियता, लिंग (जेंडर) और आयु को समझने के महत्व पर भी बल दिया गया है। यह न केवल सम्पूर्ण समाज के सम्बन्ध में, परन्तु खुद महिलाओं के बीच सम्बन्ध के लिए भी सामरिक नीतियों के विश्लेषण तथा रूपरेखा में अनिवार्य कारक हैं।

बीसवीं शताब्दी के अन्त तक, महिलाओं पर फोकस से जुड़े विकास के सभी उपागमों को जेंडर और विकास (गैड) उपागम में समामेलित कर लिया गया था। जेंडर (पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व के सामाजिक रूप से अर्जित विचार) और जेंडर सम्बन्धों (पुरुषों और महिलाओं के बीच सम्बन्धों का सामार्जिक रूप से निर्मित नमूना) की अवधारणा के आधार पर उन्होंने यह विश्लेषण किया है कि किस प्रकार से विकास इन सत्ता या शक्ति सम्बन्धों की पुनः रचना करता है या उन्हें आकार देता है। नारीवादी राजनीतिक सक्रियतावाद का प्रयोग करते हुए, जेंडर विश्लेषकों ने महिलाओं को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिवर्तन के एजेन्ट के रूप में देखा है। उन्होंने विड उपागम की महिलाओं के साथ समरूप वर्ग के रूप में व्यवहार करने के लिये आलोचना की है और उन्होंने वर्ग, आयु, वैवाहिक प्रस्थिति, धर्म और नृजातियता या प्रजाति के अन्तरों का विकास परिणामों पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव पर बल दिया हे।

प्रतिपादक गण व्यावहारिक जेंडर हितों (अर्थात् हस्तक्षेप जो महिलाओं के जीवन को उनकी मौजूदा भूमिकाओं के अन्दर ही सुधारेगें) को पूरा करने, और 'मार्मिक' या अति आवश्यक जेंडर हितों जो कि महिलाओं को नई भूमिकाएं ग्रहण करने की योग्यता में वृद्धि करने तथा उन्हें सशक्त करने में मदद करेंगे, के बीच भेद किया है (मॉलीनियो 1985, मोज़र 1993)। जेंडर विश्लेषणवादियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों ने जेंडर को मुख्यधारा में लाकर सत्ता के ढाँचों में परिवर्तन लाने के लिये प्रतिबद्धता की मांग की (डर्बीशीरे, 2002)। 1990 तक आते–आते विड, गैड और वैड विचारधाराएं मौटे तौर पर अभिमुख हो गई थी (रथ...1990) परन्तु जेंडर और विकास के भिन्न उपागमों का उद्विकसित होना जारी रहा।

मॉमसेन के अनुसार, जेंडर और विकास पर साहित्य से तीन मूलभूत विषयप्रसंग उभर कर आए हैं। पहला, यह बोध है कि सभी समाजों ने लिंग अनुसार बिल्कुल स्पष्ट श्रम विभाजन स्थापित कर लिया है, यद्यपि स्त्री कार्य या पुरुष कार्य किसे समझा जायेगा यह भिन्न

संस्कृतियों के अनुसार भिन्न होता है, यानि कि कोई प्राकृतिक तथा स्थायी श्रम विभाजन नहीं है। दूसरा, शोध ने दर्शाया है कि, उत्पादन में जेंडर भूमिकाओं को समझने के लिये, हमें परिवार के अन्दर भी जेंडर भूमिकाओं को समझना चाहिए। यदि हमें विकास में महिलाओं की भूमिका की गत्यात्मकता की सराहना करनी है तो, हमें घर के निजी क्षेत्र और बाहर सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन और उत्पादन कार्य पर विचार करना चाहिए। तीसरी मूलभूत जानकारी यह है कि यह दर्शा दिया गया है कि आर्थिक विकास का स्त्रियों तथा पुरुषों पर भिन्न–भिन्न प्रभाव पड़ता है और, कुछ अपवादों को छोड़कर, महिलाओं पर सामान्यतः नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जेंडर और विकास उपागम के इन तीन प्रसंगों की चर्चा आगे की इकाइयों (MGS-001) में की जाएगी।

विश्व के अधिकांश भागों में महिलाओं की तीन भूमिकाएं हैं : प्रजनन, उत्पादन तथा सामुदायिक प्रबन्धन। आज महिलाएं इन भूमिकाओं को नये तरीके से करना पसन्द करने लगी हैं, कुछ में से निकलने का चुनाव करती हैं, प्रदत्त सहायता नियोजित करने या पति से सहायता लेने या परिवार के अन्य सदस्य से सहायता लेने चुनाव करने लगी है। नियोजकों ने प्रायः जेंडर भूमिका की रूपरेखा का उपयोग किया है परन्तु समुदाय के अन्दर राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिये तथा यह कल्पना करने के लिये कि कोई भी नया संसाधन सभी महिलाओं के लिये अच्छा होगा, इसकी आलोचना की गई है (पॉर्टर एवं जड्ड, 1999)। सहभागी तथा सामुदायिक विकास मॉडल अक्सर जेंडर–अन्ध होते हैं और स्थानीय पितृसत्तात्मक एवं संभ्रान्त नियन्त्रण को पुनःबलित कर सकते हैं। वो अक्सर सामुदायिक स्तर पर जेंडर हितों की समरूपता की कल्पना भी कर लेते हैं। ऐसी पद्धतियों पर निर्भर करने का अर्थ नई परियोजना के सम्बन्ध में महिलाओं की गम्यता के अधिकारों की अधीनस्थता को शासकीय समर्थन देना होगा और सभी सामुदायिक सदस्यों के लिये बराबर लाभों की अविवेकपूर्ण कल्पना करना होगा।

फिर भी सभी समाजों के लिये जेंडर का सर्वमान्य हर स्त्री की अधीनस्थता है, यद्यपि पुरुषों और महिलाओं के बीच सत्ता के सम्बन्धों को भिन्न स्थानों में और भिन्न समयों पर काफी भिन्न तरीके से अनुभव और व्यक्त किया जा सकता है। जेंडर की रचना में स्थानिक भिन्नताओं पर विश्लेषण के कई पैमानों पर गौर किया गया है – महाद्वीपीय नमूनों से, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भिन्नताओं के माध्यम से, पारिवारिक स्तर पर पुरुषों तथा महिलाओं के बीच सत्ता/शक्ति की अंतःक्रिया तक (मॉमसेन, 2011)।

महाद्वीपीय पैमाने पर, लैटिन अमेरिका में स्त्री साक्षरता के उच्च स्तर है परन्तु औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता के स्तर निम्न हैं। सब–सहारा अफ्रीका में 2005 में 51% जनसंख्या प्रति दिन $1.25 से भी कम पर गुजर–बसर करती थी। दक्षिणी एशिया में, 39 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन $1.25 से कम पर रहती है जबकि लैटिन अमेरिका में केवल 7 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी में रह रही है और उत्तरी अफ्रीका में केवल 3 प्रतिशत गरीबी में रहती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित 2011 की एम.डी.जी. रिपोर्ट के अनुसार, कुल मिला कर, विकासशील देशों में 27 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन 1.25 डालर से कम पर गुजर बसर करती है। विकसित प्रदेशों में, जनसंख्या में रोजगार का अनुपात 2007 में 56.8 प्रतिशत से गिर कर 2009 में 55.4 हो गया, और आगे और गिर कर 2010 में 54. 8 प्रतिशत हो गया। स्पष्ट है कि बहुत सी विकसित अर्थव्यवस्थाएं, कार्यकारी आयु की जनसंख्या में वृद्धि को अवशोषित करने के लिये पर्याप्त रोजगार अवसर बिल्कुल भी नहीं सृजित कर रहीं है और, यह इस क्षेत्र में रोजगार समुत्थान तथा आर्थिक समुत्थान के बीच लगातार चलती हुई पश्चता को प्रगट करता है। यह स्थिति बहुत से विकासशील प्रदेशों

से विपरीत है जिनमें से कुछ में जनसंख्या में रोजगार अनुपात में प्रारम्भिक गिरावट देखने को मिली है परन्तु जहां, कॉकेसस और मध्य एशिया तथा पूर्वी एशिया को छोड़कर, 2010 में जनसंख्या में रोजगार का अनुमानित अनुपात 2007 के बाद से बहुत कम बदला है।

बेरोजगारी अनुपात तथा गरीबी का पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। विकासोन्मुख विश्व में, संवेदनशील रोजगार में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का काम करना ज्यादा संभावित होता है– या तो स्वयं अपनी मर्जी से या योगदायी परिवार सदस्यों के रूप में –जहां कि विशेषताएं निम्न उपार्जन और निम्न उत्पादकता और सुरक्षा तथा हितलाभ का अभाव है। जब कि अपनी मर्जी से किए जाने वाले काम में पुरुष का प्रभुत्व रहता है, और महिलाएं योगदायी परिवारिक कार्मिकों का बहुसंख्यक वर्ग बनाती है। वर्ष 2009 में, विकासशील प्रदेशों में प्रत्येक चार नियोजित महिलाओं में से एक योगदायी पारिवारिक सदस्य के रूप में कार्य करती थी, जबकि प्रत्येक नौ नियोजित पुरुषों में केवल एक ही योगदायी पारिवारिक सदस्य था।

विशेष प्रदेशों के संदर्भ – विशिष्ट मुद्दों पर विचार करते समय, हमें समय और स्थान के साथ जेंडर और विकास के सामान्यीकृत नमूनों या पैटर्नो के परे अलग इलाकों में अंतः स्थापित जिन्दगियों की वास्तविकताओं की समझ की ओर भी जाने की आवश्यकता होती है। रचनात्मक प्रत्ययीकरण के लिये व्यापक सांख्यिकीय सामान्यीकरण अपर्याप्त होते हैं परन्तु मौखिक वृतान्त और आनुभविक क्षेत्रीय आंकड़ें, हमें व्यक्तियों के बोलने के माध्यम से, स्थानीय को वैश्विक से जोड़ने देते हैं। अवस्थान तथा स्तर पर जोर देना भिन्न विशिष्टताओं के बीच सम्बन्धों को रेखांकित करता है और जेंडर और विकास के बारे में नवीन समझ को उत्पन्न करता है (मॉमसेन, 2011)। अतः जेंडर और विकास परिप्रेक्ष्य दावा करता है कि जेंडर–विभेदी सत्ता संरचनाएं और सम्बन्ध, जेंडर– असमान विकास परिणामों की ओर प्रवृत करता है और उन्हें चिरस्थायी बनाता है, जो महिलाओं की अभावग्रस्तता के मुख्य कारण हैं। महिलाओं की प्रस्थिति तथा स्तर को पुरुषों के समस्तर पर उन्नत करने के लिये, क्षेत्रीय विषमताओं तथा भिन्न समाजों में प्रचलित सत्ता सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए नीतियां और कार्यक्रम बनाने चाहिए।

संदर्भिका : 1 से 12

bdkbl 1 fodkl d: vk;ke rFkk y{; % eqyHkwr voèkkj.kk,

bdkbl dh l:jpuk

1.1 प्रस्तावना

1.2 उद्देश्य

1.3 विकास में महिलाएं (एनजेंडरिंग डेवलेपमेंट/विकास का जेंडरिंग) : जेंडर और विकास वार्तालाप

1.4 संवहनीय विकास की अवधारणा

1.5 एकीकृत विकास की अवधारणा

- 1.5.1 सामाजिक तथा आर्थिक नीति में एकीकरण
- 1.5.2 संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद् में ग्रामीण विकास का एकीकृत दृष्टिकोण (या उपागम)
- 1.5.3 गरीबी के ग्रामीण–नगरीय द्विभाजन को समझना और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उसके निहितार्थ
- 1.5.4 बहु–क्षेत्रीय एकीकरण
- 1.5.5 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यः एकीकृत विकास की रूपरेखा
- 1.5.6 एकीकृत विकास के विरोधाभास

1.6 मानव विकास सूचकांक, जेंडर सम्बन्धित विकास सूचकांक और जेंडर सशक्तिकरण माप से परिचय

1.7 मानव विकास सूचकांकों का जेंडरिंग : भारत के लिए जेंडर विकास सूचकांक और जेंडर सशक्तिकरण माप को फिर से बनाना

1.8 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी./मिलेनियम डेवलेंपमेंट गोल्स)

- 1.8.1 भारत के एम. डी. जीस की रूपरेखा : लक्ष्य, उददेश्य और सूचक
- 1.8.2 एम.डी.जी. और ग्रामीण विकास

1.9 जेंडर और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य

1.10 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की निगरानी

1.11 निष्कर्ष

1.12 शब्दावली

1.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

1.14 उपयोगी पुस्तकें

1.15 बोध प्रश्न (मनन एवं अभ्यास के लिये)

1-1 iLrkouk

हम ''विकास के एनजेंडरिंग'' की अवधारणा से आपको परिचित कराते हुए शुरूआत करते हैं। हम जेंडर और विकास संबंधित गंभीर विमर्श और उसकी उभरती प्रवृतियों की खोज करते हैं। यह इकाई दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं का परिचय देती हैः विकास के संदर्भ में एकीकरण और संवहनीयता। हम एकीकरण और संवहनीयता के जेंडर आयामों की भी छानबीन करेंगे। संवहनीय विकास का वर्णन संसाधन उपयोग की बानगी (पैटर्न) के रूप में किया गया है जो वातावरण को परिरक्षित करते हुए मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने का लक्ष्य करता है जिससे कि इन आवश्यकताओं को न केवल वर्तमान में परन्तु आने वाली पीढ़ियों के लिये भी पूरा किया जा सके। संवहनीय विकास के सभी स्तरों पर सभी जिम्मेदार पात्रों को पुरुषों के समान स्तर पर महिलाओं की सक्रिय प्रतिभागिता को समर्थन देना चाहिए। कुछ अहम् सरोकारों में समाविष्ट हैः गरीबी उन्मूलन और संवहनीय जीविकाएं; उपभोग और उत्पादन के बदलते असंवहनीय प्रतिमान; आर्थिक और सामाजिक विकास के प्राकृतिक संसाधन आधार को सरंक्षित एवं संचालित करना; वैश्वीकरणीय विश्व में संवहनीय विकास, स्वास्थ्य तथा चिरस्थायी विकास; विज्ञान तथा शिक्षा से निकाले क्रियान्वयन के साधन, जनसंख्या सम्बन्धित सरोकार, चिरस्थायी विकास हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर शासन को सुदृढ़ करना। संयुक्त राष्ट्र महिला प्रस्थिति आयोग ने विकास में जेंडर परिप्रेक्ष्य के मेनस्ट्रीमिंग और सभी कानूनों, नीतियों और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर ज़ोर दिया है ताकि जेंडर समानता को प्राप्त किया जा सके।

हमने मानव विकास सूचक (एच.डी.आई.) जेंडर सम्बन्धित विकास सूचक (जी.डी.आई.) और जेंडर सशक्तिकरण माप (जी.इ.एम.) की विमाओं की भी छानबीन की है। यू.एन.डी.पी. का मानव विकास सूचकांक, वास्तव में, शुद्ध आर्थिक सम्बन्ध में विकास के माप पर फोकस से, मानव कल्याण के सम्बन्ध में ज्यादा समग्र समझ पर फोकस के बदलाव पर ध्यान केन्द्रित करने की चेष्टा करता है।

यह इकाई आपको संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों, उनके सूचक तथा अन्तिम लक्ष्यों में अंतः दृष्टियां भी प्रदान करेगी और भारत में उनके अनुवीक्षण (या मोनटरिंग) के आंकलन और विशेष रूप से सहस्राब्दि विकास लक्ष्य–3 जो जेंडर समानता को बढ़ावा देने से सम्बन्धित है के सम्बन्ध में वैश्विक स्तर पर अनुवीक्षण के आंकलन में भी अंतःदृष्टि प्रदान करेगी।

1-2 mnn';

इस इकाई को पढ़ने के बाद, आप सक्षम होंगे :

- 'विकास के जेंडरिंग' के अर्थ की चर्चा करने में;
- एकीकृत विकास तथा संवहनीय विकास की अवधारणा को स्पष्ट करने में;
- संवहनीय विकास की जेंडर सम्बन्धी विमाओं की चर्चा करने में;
- मानव विकास सूचक, जेंडर–सम्बन्धित विकास सूचक और जेंडर सशक्तिकरण माप का वर्णन करने में;
- भारत और अन्य विकासशील देशों के लिये जेंडर सशक्तिकरण माप और जेंडर विकास सूचक को नया रूप देने के प्रयासों का वर्णन करने में;

- सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों और उनसे सम्बन्धित जेंडर सरोकारों के प्रतिबिम्बन का वर्णन करने में; और
- विशेष रूप से भारतीय संदर्भ में सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की उपलब्धि की मोनीटरिंग की चर्चा करने में।

1-3 fodkl dk tsaMfjax ¼,u tsaMfjax MsoyiesaV½ % tsaMj vkSj fodkl okrkZyki@foe'kZ (Discourse)

जेंडर और विकास (GAD) वार्तालाप, विकास की प्रक्रियाओं और परिणामों पर जेंडर सम्बन्धों के प्रभाव और जेंडर सम्बन्धों पर विकास के प्रभाव पर फोकस करता है। उन संस्थाओं/एजेन्सियों/संगठनों जो विकास में सहायक होते हैं का जेंडरिंग करना चिन्ता का अति महत्वपूर्ण, सामरिक क्षेत्र बना हुआ है। वार्तालाप को परिवार, समुदाय, राज्य, बाजार और अधिराज्य/अंतःराजकीय पारराष्ट्रीय जैसी सामाजिक संस्थाओं के सम्पूर्ण संदर्भ में रखाग या है।

हम किस प्रकार जेंडर सम्बन्धों को परिभाषित कर सकते हैं? 1980/1990 के दशक में जेंडर सम्बन्धों की प्रचलित अवधारणा की 2000 के दशक में प्रचलित अवधारणा की परिभाषाओं तथा समझ के साथ तुलना करें।

tsaMj lEcU/kksa dh ifjHkk"kk rFkk le>

1980@1990 dk n'kd	2000 dk n'kd
• जेंडर सम्बन्ध महिलाओं तथा पुरुषों के बीच सत्ता के सम्बन्ध हैं। यह विचारधारा कि पुरुषों, महिलाओं के बीच जेंडर भेद, पुरुषों द्वारा महिलाओं पर शक्ति (या सत्ता) के उपयोग द्वारा रूप ग्रहण करते हैं इस परिभाषा का आधार है।	• जेंडर सम्बन्ध पुरुषों और महिलाओं के बीच केवल सत्ता सम्बन्धों के बारे में नहीं हैं, परन्तु जहाँ, जेंडर अन्तर उत्पन्न करता है वहां महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच सत्ता सम्बन्धों के बारे में भी है।
• इन सम्बन्धों में बदलाव के लिये महिलाओं का सशक्तिकरण तथा पुरुषों को अंतःप्रेरित करना आवश्यक हो जाता है।	• इन सत्ता सम्बन्धों में बदलाव न सिर्फ परिवार में पुरुषों की तुलना में महिलाओं के सशक्तिकरण की मांग करता है, परन्तु परिवार के अन्दर और बाहर ज्यादा शक्तिशाली महिलाओं की तुलना में उपान्तीकृत महिलाओं के सशक्तिकरण की भी मांग करता है।

Lkzksr % रंजनी के. मूर्ति एवं मर्सी केप्पन (2006) जेंडर पॉवर्टी एण्ड राइट्स विस्थार, बंगलौर।

कैथी मैकवैन और कविता दत्ता (2003) ने एक रोचक लेख में तीन दशकों के समयोपरि 'स्त्रीकरण' से 'विकास एनजेंडरिंग' करने तक परिवर्तन का वर्णन किया है। ''विकास के स्त्रीकरण'' करने का क्या अर्थ है? यह उन वार्तालापों का संकेत करता है जो गैड (GAD) से पहले हुए थे : विकास में महिलाएं (WID) और महिलाएं और विकास (WAD)। WID/विड के समर्थकों ने तथा कथित 'महिलाओं के मुद्दों' को सम्बोधित करने और साथ ही महिलाएं–केवल परियोजनाओं एवं संगठनों की स्थापना के माध्यम से विद्यमान विकास परियोजनाओं में महिलाओं को एकीकृत करने का प्रयास किया है जिनमें से

अधिकांश अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के बजाय व्यवहारिक आवश्यकताओं और हितों को सम्बोधित करते थे। हम इन शब्दों के अर्थ के बारे में ज्यादा आपको इकाई–2 में बताएगें। तथापि, संक्षेप में, वे स्त्रियों की दशा (व्यवहारिक आवश्यकताएं जैसे कि उत्तरजीविता) अथवा स्त्रियों की पदस्थिति (स्त्रियों की अधीनस्थता पर नियन्त्रण पाने से सम्बीन्धत अत्यावश्यक जरूरतें) से उभरने वाली ज़रूरतों और हितों से सम्बन्धित हैं। वैड (WAD) समर्थकों ने असमान सत्ता सम्बन्धों को सम्बोधित करने के सहवर्ती उपायों के बगैर विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों में महिलाओं को सम्मिलित करने पर ज़ोर देने का कम दृढ़ता से पक्ष लिया। GAD (गैड) बहुत स्पष्ट रूप से सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर भूमिकाओं और सम्बन्धों को, विश्व भर में महिलाओं का जीवन सुधारने की दिशा में, संशोधित करने की चेष्टा करता है। इस दृष्टिकोण की अंतःशक्ति जबकि यथेष्ट है, परन्तु इसके क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने की जरूरत है और यह हमें भावी हस्तक्षेप का चित्रपट प्रदान करता है।

मैकवेन और दत्ता ने 'स्त्री' से 'जेंडर' और 'विकास के स्त्रीकरण से विकास के 'एनजेंडरिंग' तक व्यापक खिसकाव या परिवर्तन की खोजबीन की है। यह कार्य गैड वैश्वीकरणीय युग के संदर्भ में वार्तालाप के भीतर विविधता और प्रतिरूपण, मानवाधिकार से सम्बन्धित विकास के नारावादी उपागमों में परिवर्तनों और विकास कार्यसूची के अन्दर पुरुषों तथा पुरुषत्वों के निगमन पर फोकस करते हुए किया।

आइये मैकवेन तथा दत्ता के मुख्य तर्कों की जांच करें :

- वर्तमान में जेंडर को विकास कार्यसूची के अभिन्न संघटक के रूप में स्वीकार किया जाता है। विकास की विचारधारा, क्षेत्र के अन्दर क्षेत्र के अन्दर एनजेंडरिंग प्रक्रियाओं द्वारा आंशिक रूप से चालित सशक्तिकरण और प्रतिभागिता पर जोर देती है।

- विकास के स्त्रीकरण से विकास के एनजेंडरिंग तक का उद्विकास, महिलाओं, पुरुषों और विकास के बीच सम्बन्ध की खोजबीन करने में नारीवादियों द्वारा अपनाये भिन्न दृष्टिकोणों में प्रकट होता है।

- हाल ही के वर्षों में ''विकास का एनजेंडरिंग'' परिप्रेक्ष्य व्यापक करने की जरूरत व्यक्त की गई है जिससे कि मानवाधिकार, जेंडर आधारित हिंसा तथा लैंगिकताएं और जेंडरड जीव के रूप में महिलाओं तथा पुरुषों से पूछताछ करने की आवश्यकता जैसे मुद्दों को समामेलित किया जा सके।

- हम वैश्विक दक्षिण की उन स्त्रियों को जानते हैं जिन्होंने नारीवादी वार्तालाप में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दी है। अब दक्षिण की और उत्तर की महिलाओं के बीच पार–राष्ट्रीय गठबंधन हो रहा है। विविधता को जान लेने पर भी, वे जेंडर असमानताओं को बदल डालने के लिये अतिमहत्वपूर्ण कार्यसूची की साधारणताओं पर पनपती हैं।

- लेखकों ने ''गैड वार्तालाप में सिद्धान्त और व्यवहार के बीच अंतर्जात तनावों का जिक्र किया है'' यद्यपि वो स्पष्टतया संघर्ष हैं, दोनों को समायोजित करने और उनकी अंतःनिर्भरता प्रदर्शित करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश रहती है। नारीवादी शोध के अन्य क्षेत्रों में ऐसा समायोजन असाधारण बात है। वास्तव में, सिद्धान्तवेता और सक्रिय कार्यकर्त्ताओं दोनों, जेंडर अन्यायों को सम्बोधित करने की अत्यावश्यकता को पहचानते हैं जिसने विश्व भर में सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित किया है। 'स्त्री' से 'जेंडर' तक फोकस में बदलाव की आवश्यकता को लेकर नारीवादियों के बीच

बढ़ती हुई सहमति से गैड की रूपरेखा विकसित हुई है। ''गैड वार्तालाप दो मोर्चों पर महत्वपूर्ण उन्नतियों का वादा करता है।''

(i) महिलाओं के उत्पादक एवं प्रजननिक जीवन दोनों पर विकास प्रक्रिया के प्रतिकूल प्रभाव के लिये उसकी आलोचना की जाती थी (पारपार्ट एवं मारचंद 1995, यंग, 2002)। बदले में, यह विश्वास बना रह गया कि नीतियां और हस्तक्षेप अत्यावश्यक जेंडर जरूरतों और हितों यानि कि जो असमान सत्ता सम्बन्धों को चुनौति देते हैं, को सम्बोधित करने पर फोकस के साथ सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर भूमिकाओं और सम्बन्धों को संशोधित कर सकेंगे।

(ii) जेंडर (गैड दृष्टिकोण के अंतर्गत) का प्रत्ययीकरण एक गत्यात्मक सामाजिक रचना स्थापित करता है जो विविधता की ज्यादा सराहना में प्रकट हुई है।

(iii) ज्यादा हाल ही के नारीवादी शोध ने गैड रूपरेखा का तीन दिशाओं पर प्रत्ययीकरण करने की चेष्टा की है। लेखकों के अनुसार :

– महिलाओं के बीच विविधता का ज्यादा परिष्कृत सैद्धान्तीकरण;

– आवश्यकताओं से अधिकार आधारित उपागम की ओर बदलाव; और

– पुरुषों तथा पुरुषत्व का गैड में सुस्पष्ट एकीकरण।

7. लेखक गण, जेंडर और नारीवादों के स्थानीय संरूपणों की विशिष्टताओं के सम्बन्ध में अन्तर का उत्सव मनाने के महत्व की बात करते हैं और साथ ही विश्वभर में पुरुषों का जीवन सुधारने का लक्ष्य रखते हुए अति अहम् साझेदारियों, जिनमें से कुछ पुरुषों के साथ साझेदारी की आवश्यकता के महत्व की बात करते हैं।

8. महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानताओं को सम्बोधित करने और जेंडर सम्बन्धों में अंतर्निहित शक्ति को पुनःवितरित करने की सामर्थ्य को (गोयटस 1997; पोर्टर एवं वरघीस 1999) विरले ही समझा गया है। व्यवहार में, सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनाओं के सुस्पष्ट परिवर्तन या रूपान्तरण पर कम फोकस दिया गया।

इस खण्ड में हमने अतिरिक्त पठन हेतु दो इकाइयाँ प्रदान की हैं जो आपको नारीवाद एवं रचनात्मक नारीवादों में प्रवृतियों के बारे में ब्यौरे विवरण से अवगत कराती हैं।

अगले दो परिच्छेदों में हमने आपको संवहनीय विकास और एकीकृत विकास के आयामों से परिचित कराया है। संवहनीय तथा एकीकृत विकास दोनों के सन्दर्भ में हम विकास के एनजेंडरिंग को समझने की जरूरत है। हम में विकास के सिद्धान्तों के बारे में इस पाठ्यक्रम के अगले खण्डयादा जानेंगे।

1-4 laoguh; fodkl dh voèkkj.kk

संवहनीय विकास को कई रूपों में परिभाषित किया गया है, परन्तु सर्वाधिक प्रायिक उद्धत परिभाषा 'आवर कॉमन फ्यूचर', जिसे ब्रन्ड्टलैंड रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, से में है :

''संवहनीय विकास वो विकास है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं'' को पूरा करने की योग्यता के साथ किसी समझोते के बगैर वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी करता है। इसमें दो मुख्य अवधारणाएं समाविष्ट हैं :

- *आवश्यकताओं, विशेष रूप से विश्व के गरीबों की अनिवार्य आवश्यकताएं, जिन्हें अलग से अत्याधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए, की आवधारणा; और*
- *वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की वातावरण की क्षमता पर प्रौद्योगिकी की अवस्था तथा सामाजिक संगठन द्वारा आरोपित सीमितताओं का विचार।*

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने चिरस्थायी विकास को उस विकास के रूप में परिभाषित किया है ''जो न सिर्फ आर्थिक विकास को सृजित करता है परन्तु उसके लाभों को समान रूप से वितरित करता है, जो वातावरण को पुनर्सृजित करता है बजाय उसे नष्ट कर देने के, और जो लोगों को उपान्तीकृत करने के बजाय सशक्त करता है। यह विकास ही है जो गरीबों के विकल्पों और अवसरों को परिवर्धित करके और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी सहभागिता की व्यवस्था करके, उन्हें प्राथमिकता देता है।''

चिरस्थायी विकास के क्षेत्र को, प्रत्ययी रूप से, संघटकों में अलग–अलग किया जा सकता है : वातावरणीय चिरकालिकता, आर्थिक चिरस्थायित्व, और सामाजिक–राजनीतिक चिरकालिकता।

मार्च 1997 में, संयुक्त राष्ट्र महिला प्रस्थिति आयोग ने महिलाओं और वातावरण पर कई सुझाव दिये हैं जिनमें से कुछ को यहां उद्धृत किया गया है :

- अर्थ शिखर सम्मेलन+5 को, जेंडर समानता प्राप्त करने के विचार से सभी कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के विकास तथा क्रियान्वयन में जेंडर परिप्रेक्ष्य के मुख्यधारीकरण पर फोकस करना चाहिए।
- सभी उत्तरदायी पात्रों को सभी स्तरों पर संवहनीय विकास में पुरुषों के साथ समान स्तर पर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता को समर्थन देना चाहिए।
- सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यापार तथा निवेश के उदारीकरण के लिए नीतियों के पूरक के रूप में जेंडर संवेदनशील सामाजिक नीतियां और वातावरणीय नीतियां भी होनी चाहिये जिससे कि विकास के लाभ समाज के सभी क्षेत्रों के लिये सुनिश्चित हो सके और वातावरण को बिगड़ने से बचाया जा सके।
- पुरुषों तथा महिलाओं के प्रजनन सम्बन्धी स्वास्थ्य पर वातावरणीय प्रदूषकों और अन्य नुकसानदेय पदार्थों के प्रभाव पर शोध ज्यादा तेज कर देना चाहिए और परिणामों का व्यापक रूप से प्रसार किया जाना चाहिए।
- देशों को जेंडर–प्रभावी आंकलन करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों से सहायता सतत् मिलती रहनी चाहिए।
- महिलाओं के संगठनों के लिये बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय–दाताओं के समर्थन में वृद्धि होनी चाहिए ताकि वे संवहनीय विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर सकें।
- प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा परिरक्षण में महिलाओं के ज्ञान तथा विशेषज्ञता की सुरक्षा की जानी चाहिए और वातावरणीय प्रबन्ध कार्यक्रमों के डिज़ाइन तथा क्रियान्वयन में उसका पूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि भूमि पर महिलाओं की समान अभिगम्यता तथा नियन्त्रण है कानूनों को डिज़ाइन संशोधित किया जाना चाहिए और उन निर्णय लेने वाले निकायों में जो भूमि और अन्य प्रकार की सम्पत्ति, ऋण, सूचना एवं नव प्रौद्योगिकी का आबंटन करते हैं महिलाओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व हो।

Lkdkr % http://www.un.org/ecosoc dev/genin fo/ sust dev/women sus-htm

बाक्स 1.1 उत्तरी भारत में व्यापक रूप से प्रलेखित चिपको आन्दोलन का सारांश पेश करता है।

ckDl 1-1 % mÙkjh Hkkjr dk fpidk vkUnksyu

भारत के पहाड़ी वन न केवल महिलाओं, जो खाद्य पदार्थों, ईंधन और चारे के लिये उनका उपयोग करती हैं के लिये अहम् संसाधन है, परन्तु वाटरशेड के रूप में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है और नीचे घाटियों में जल प्रवाह को नियन्त्रित करते हैं। तथापि, गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में लट्ठे की वाणिज्यिक कटाई के भूस्खलन तथा विनाशपूर्ण बाढ़ों की ओर प्रवृत किया है।

1970 के दशक में, वनों के विनाश के प्रति स्थानीय प्रतिरोध ने चिपको आन्दोलन ('चिपको' का अर्थ अलिंगन करना है) के रूप में गति पकड़ी। वर्ष 1974 से शुरू होते, उत्तर प्रदेश में चमोली जिले से सैंकड़ों महिलाओं ने, यदि आवश्यक हो, अपने स्वयं के जीवन की लागत पर वृक्षों को बचाने की शपथ ली। जब लकड़हारे पहुँचे, महिलाएं वनों में गई और अपनी बाहे वृक्षों के चारों ओर डाल दीं और लकड़हारों से कहा कि वे लोग उन्हें मार–देने से पहले वृक्षों को नहीं काट सकेंगे।

ठेकेदारों ने ठेका वापस ले लिया और वन बच गये थे। चिपको आन्दोलन फैल गया और बहुत से ग्रामवासी वनों की रखवाली करने लगें, उनके लिये उपवास करने लगें और उन्हें काट कर गिराने को रोकने के लिये वृक्षों से लिपट जाते। जब वन अधिकारियों ने, महिलाओं पर बेवकूफ होने का दोष लगाया और कहा: ''क्या तुम नहीं जानती हो कि वन क्या पैदा करते हैं? ''राल, इमारती लकड़ी और विदेशी विनिमय, महिलाओं ने उत्तर दिया। वन क्या देते हैं? मृदा, जल और शृद्ध वायु! मृदा, जल और शुद्ध वायु हमारे जीवन का आधार हैं।

Lkzksr % वेबर, टी. (1989) हगिंग दी ट्रीस, पैनग्विन, हैम्मोंडसवर्थ, से रूपान्तरित।

cks/k iz'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. संवहनीय विकास का क्या अर्थ है? अपने शब्दों में स्पष्ट करें।

....

....

....

....

2. महिलाएं तथा वातावरण से सम्बन्धित संयुक्त राष्ट्र महिला प्रस्थिति आयोग के कोई चार सुझावों को सूचीबद्ध करें। क्या यह सुझाव सर्वसमावेशी है।

....

....

....

....

निम्नलिखित परिच्छेद सरकारी दस्तावेज ''सस्टेनेबल डेवलेपमेंट इन इंडियाः पर्सपेक्टिव्स'' पर आधारित है।

इतिहास ने विशाल असमानताओं की ओर प्रवृत किया है, और विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग तीन–चौथाई कम–विकसित देशों में रह गए हैं और एक–पांचवां भाग गरीबी रेखा से नीचे है। महिलाएं विश्व के गरीबों का काफी बड़ा हिस्सा बनाती हैं विशेष रूप से क्योंकि महिला प्रधान परिवार जो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। विगत औद्योगिकीकरण, शोषण ओर वातावरणीय क्षति के दीर्घकालिक प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। समस्याएं जटिल हैं और विकल्प कठिन हैं, और हमारे सर्वसामान्य सरोकारों तथा साझी जिम्मेदारियों की बेहतर समझ को निर्णायक एवं अत्यावश्यक बनाते हैं।

हम किस प्रकार से संवहनीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं? इस प्रश्न से सम्बोधित करना आसान नहीं है और इसके लिये सावधानी पूर्वक ध्यान देने की ज़रूरत है। निम्नलिखित चर्चा संवहनीय भविष्य प्राप्त करने की दिशा में मुख्य परिप्रक्ष्यों एवं उपागमों का सारांश प्रस्तुत करता है।

xjhch mUewyu vkSj lagguh; thfodk,a

- महिलाएं, अपनी पारम्परिक घरेलु भूमिकाएं निबाहते हुए, जीविका कमाने में ज्यादा से ज्यादा जुड़ गई हैं। बहुत से गरीब परिवारों में वे प्रायः मुख्य या एकमात्र पालनकर्त्ता हैं। उनके लिये समता और न्यायपूर्णता सुनिश्चित करने के लिये नीतिगत स्तर पर बड़े प्रहार की आवश्यकता है। विकास प्रयासों और बाजार अवसरों द्वारा प्रस्तुत लाभों की गम्यताहेतु गरीबों को सक्षम बनाने के लिए साक्षरता तथा मूलभूत शिक्षा अनिवार्य है। अतः मूलभूत शिक्षा संवहनीय विकास की पूर्वस्थिति है। जनसंख्या का काफी बड़ा अनुपात (कुछ अनुमानों के अनुसार करीबन 60 प्रतिशत) बाजार अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत नहीं है। उनकी जीविकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना संवहनीय विकास के लिये अत्यावश्यक है।

  प्राकृतिक व्यवस्थाओं को पुनःजीवित करना और जमीनी स्तर पर प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध प्रथाओं का सुधार गरीबी उन्मूलन की कार्यनीति के लिये मूल बात है। गरीबों की उत्तरजीविता सम्बन्धी आवश्यकताएं उन्हें पहले से ही निम्नीकृत (degraded) वातावरण को और निम्नीकृत करने के लिये विवश करती हैं। अतः गरीबी का उन्मूलन वातावरण के संरक्षण के लिये पर्वापेक्षा है।

- गरीबी भूखमरी तथा कुपोषण की समस्या को आवर्धित करती है। उपलब्ध खाद्य पदार्थों तक गरीबों की असमान गम्यता द्वारा यह समस्या आगे और कई गुना बढ़ जाती है। अतः इस असमता पर काबू पाने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है।

- सर्व सामान्य तथा उपान्त भूमियों को 'आर्थिक रूप से उपयोगी उद्देश्यों' की ओर मोड़ना गरीबों को संसाधन आधार से वंचित करता है जो कि पारम्परिक रूप से उनके आहार सम्बन्धी ज़रूरतों को पूरा करता था। बाजार शक्तियां भी उन फसलों के अंत की ओर प्रवृत करती हैं जो कि पारम्परिक रूप से गरीबों के आहार का अभिन्न भाग रही है, और इस कारण सुरक्षा तथा पोषणिक दर्जे के लिये खतरा उत्पन्न करती है।

- पारम्परिक आर्थिक विकास जबकि कई पारम्परिक व्यवसायों के उन्मूलन की ओर प्रवृत करता है, संवहनीय विकास की प्रक्रिया, वातावरण को सुरक्षित तथा संरक्षित रखने की आवश्यकता द्वारा मार्गनिर्देशित होते हुए नए कामों के सृजन तथा नये

व्यवसायों में पारम्परिक कौशलों को पुनःअभिमुखीकरण के अवसरों के सृजन की ओर प्रवृत करता है।

miHkkx rFkk mRiknu d cnyr vlogu; iVu

- बढ़ती हुई क्रय शक्ति के साथ, बाजार चालित उपभोक्तावाद से जुड़ा फिजूल उपभोग विकासशील देशों के संसाधन आधार पर बहुत दबाव डाल रहा है। शिक्षा और सार्वजनिक जागरूकता के जरिये इसके प्रभाव कसे कम करना आवश्यक है। कई क्षेत्रों में, उपभोग के लिए वांछित सीमाएं और मानकों को स्थापित करने की जरूरत है, और उन्हें शिक्षा, प्रोत्साहन तथा कानूनों समेत उपयुक्त कार्यविधियों के जरिये अनुप्रयुक्त करने की जरूरत है।

- विकासशील देशों में बहुत सी पारम्परिक प्रथाएं जो संवहनीय तथा वातावरण अनुकूल हैं लोगों के जीवन का नियमित भाग बनी हुई हैं। इसे ज्यादा 'आधुनिक' परन्तु असवंहनीय प्रथाओं एवं प्रौधोगिकियों द्वारा प्रतिस्थापित करने के बजाय प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

- विकास सम्बन्धी ऐसे ऐसे विकासात्मक निर्णय जो अतिरेक उपभोग को कम करते हुए संरचनात्मक रूप से ज्यादा संवहनीय समाज की ओर प्रवृत करें, महत्वपूर्ण हैं। उनका मूल्यांकन प्रौद्योगिकियां मौजूद हैं जिनके जरिये संसाधनों के उपभोग में पर्याप्त कमी हो सकती है। इन प्रौद्योगिकियों को पहचाानने, मूल्यांकन करने, प्रयोग करने और उपयोग करने के प्रयत्न ज़रूर करने चाहिये।

- आर्थिक सहायता प्रायः संसाधन की मूल्यविकृत करके अपव्ययी और असंवहनीय उपयोग की ओर अग्रसर करती है। समस्त कीमत यंत्रावलियों का मूल्यांकन संवहनीय विकास दृष्टिकोण से करना चाहिये।

vkfFkd vkj lkekftd fodkl d ikdfrd llkèku vkèkkj dk lj{k.k rFkk icU/ku

- पर्यावरणीय संवहनीयता और कृषि उत्पादन दोनों के लिए भूमि और जल प्रबन्ध, और परिस्थितिकी व्यवस्था संरक्षण के साथ कृषि का, एकीकरण अनिवार्य है। स्थानीय जीविकाओं में प्राकृतिक संसाधनों की भूमिका पहचानते हुए, परिस्थितिकीय परिप्रेक्ष्य को, सभी विकासात्मक परियोजनाओं के मूल्यांकन का मार्गनिर्देशन करना चाहिये। यह जानकारी संसाधन आधार में स्थानीय लोगों के हिस्से के बारे में उनकी राय तथा अवबोध की समग्र समझ द्वारा प्राप्त सूचना से आनी चाहिये।

- प्राकृतिक संसाधन आधार की संवहनीयता सुनिश्चित करने के लिये, उसमें सभी पणधारियों की पहचान और उसकी सुरक्षा तथा प्रबन्ध में उनकी भूमिकाओं की पहचान अनिवार्य है। सु–परिभाषित तथा प्रवर्तनीय अधिकार (प्रथागत अधिकार समेत) और काश्तकारी की सुरक्षा स्थापित करने की आवश्यकता है और भूमि, जल और अन्य प्राकृतिक तथा जैविक संसाधनों की बराबर गम्यता सुनिश्चित करना, आवश्यक है। यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि यह विशेष रूप से देशीय समुदायों, महिला और गरीबी से गुजर बसर कर रहे वंचित समूहों पर प्रयुक्त होता है।

- जल नियन्त्रण व्यवस्थाओं को व्यापक सीमा की पारिस्थितिकीय सेवाओं को कायम रखना चाहिए जो स्वस्थपूर्ण परिस्थितिकी प्रणालियां और जीविकाएं जो उन पर निर्भर करती हैं प्रदान करती हैं।

- जैव मास (biomass) के उपभोग को संवहनीय बनाने के लिये, संसाधन प्रबन्ध और सक्षम तथा न्यूनतम प्रदूषण करने वाली प्रौद्योगिकियों और ऐसी प्रौद्योगिकियों जो बायों मास पर दबावों को उत्तरोत्तर कम जो कि पर्यावरण की अवनति करते हैं को बढ़ावा देते हुए उपयुक्त कार्यविधियों को विकसित करना चाहिए।

o'ohdj.kh; fo'o e lioguh; fodkl

- विकास को स्थानीय रूप से उपयुक्त और संवहनीय होने के लिये, उसे स्थानीय सरोकारों, जो सांस्कृतिक विविधता और परम्पराओं में स्थित है, द्वारा मार्गनिर्देशित होना चाहिए। अतः नीतिगत स्तर पर विविधता, और उसे परिरक्षित रखने की जरूरत के महत्व को जान लेना, संवहनीय विकास के लिये महत्वपूर्ण पूर्वशर्त है।
- ज्यादा से ज्यादा वैश्वीकृत हो रही अर्थव्यवस्था में, विकासशील देश, समुचित कौशलों के अभाव के कारण, बहुपक्षीय व्यापार समझोते तय और प्रचालित करने में प्रायः हानिकर स्थिति में होते हैं। अतः बहुपक्षीय व्यापार की सभी अवस्थाओं में उनकी प्रभावपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिये, क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय सहयोग आवश्यक है।
- व्यापार तथा जीवकाओं की सुरक्षा हेतु कार्यविधियां विकसित और तय की जानी चाहिये, विशेष रूप से विकासशील देशों में, जिससे कि वैश्वीकरण को संवहनीय विकास का प्रभावी वाहन बनाया जा सके।

LokLF; vkj lioguh; fodkl

- विकासशील देशों में गरीब लोगों के बीच व्यापक रूप से फैली बहुत सी बीमारियाँ व्यवसाय से सम्बन्धित है, और ये बीमारियों देश के अन्दर और देश से बाहर दोनों जगह धनी परिवारों की उपभोग मांगों को पूरा करने के लिये किये गये काम के दौरान होती हैं। विकासशील देशों में वातावरण की स्थिति और स्वास्थ्य के बीच सुदृढ़ सम्बन्ध ज्यादा से ज्यादा सुप्रकट हो रहा है।
- विकासशील देशों में मूलभत स्वास्थ्य तथा शैक्षिक सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की भूमिका ऐसा हो कि वो उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा के रूप में निवारक स्वास्थ्य देखरेख को समान रूप से जोर दे। वातावरणीय स्वच्छता तथा साफ सफाई से सम्बन्धित निवारक स्वास्थ्य देखरेख के संचालन में सहभागिता करने के लिये लोगों को शिक्षा तथा जागरूकता के जरिये सशक्त करना चाहिये। अधिकांश विकासशील देश प्राकृतिक संसाधन–आधारित स्वास्थ्य देखरेख की समृद्ध परम्परा के भंडार हैं।
- संसाधन आधार का संरक्षण तथा पारम्परिक ज्ञान के आई.पी.आर. का प्रभावपूर्ण सुरक्षा करते हुए आधुनिक औषधि के साथ पारम्परिक औषधि को भी बढ़ावा देना चाहिये।
- विकासशील देशों को अपनी स्वास्थ्य देखरेख प्रणालियों की क्षमता मजबूत करने के लिये भी कोशिश करनी चाहिये ताकि मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की सुपुर्दगी (डिलीवरी) की जा सके और स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता और चिकित्सीय विशेषज्ञता वैश्विक रूप से साझा करके वातावरण सम्बन्धित स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।

fØ;kUo;u d lk/ku

क्रियान्वयन के साधनों की चर्चा वित्त, व्यापार, प्रौद्योगिकी विज्ञान और शिक्षा और जनसंख्या के सम्बन्ध में की गई है।

foÙk

समुद्रपार विकास सहायता में घटने की प्रवृति को देखते हुए, विकासशील देशों को इस बात की खोजबीन करनी चाहिये कि किस प्रकार वे संवहनीय विकास के अपने प्रयत्नों को वितपोषित कर सकते हैं, जैसे कि पारिस्थितिकीय कराधान की प्रणाली की शुरूआत करके। निजी निवेश विकास सम्बन्धी आर्थिक सहायता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है क्योंकि वह उन क्षेत्रों तक नही पहुँचेगा जो कि गरीबों के लिये प्रासंगिक हैं। वित्तीय सहायता से जुड़ी शर्तों का कड़ाई से सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए, और यदि सब शर्तें स्वीकार्य हों सिर्फ तभी आर्थिक सहायता स्वीकार की जाए। संहवनीय विकास कार्यक्रमों के लिये वित्तीय सहायता, सहायता के उद्देश्यों से अलग राजनीतिक सरोकारों द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होनी चाहिये।

0;kikj

व्यापार क्षेत्र, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन (डब्लु.टी.ओ.), कभी–कभी संवहनीय विकास की प्राथमिताओं के साथ टकराव में होते हैं। पर्यावरणीय और सामाजिक धाराएं, जो अव्यक्त या व्यक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय समझोतों का हिस्सा है, का उपयोग विकासशील देशों के विरूद्ध व्यापारिक प्रतिबंधों को चयनात्मक रूप से निर्मित करने के लिये नहीं किया जाना चाहिये।

यदि वैश्विक रूप से स्वीकार्य प्रक्रिया और उत्पादन विधियों (Process and predetion methods पी.पी.एम.एस) को उपयोग करने की कोशिशें सफल हो जाती हैं तो विकासशील देशों को बड़ा व्यापारिक नुकसान होगा। इसके बजाय, व्यापार क्षेत्रों और बहुपक्षीय वातावरणीय समझौतों, जैसे कि व्यापार सम्बन्धित बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार (ट्रिप्स) क्षेत्र और जैविक विविधता पर अभिसमय (सी.बी.डी.) के बीच, मौजूद असमानताओं को पूरी तरह से सम्बोधित करना चाहिए। बहुपक्षीय समझोतों के बीच ऐसे टकरावों का हल करने की क्रियाविधियों को तैयार करना चाहिये।

ik¡|kfxdh

प्रौद्योगिकी अन्तरण से पहले, प्रापक समाजों के सामाजिक आर्थिक और वातावरणीय संदर्भों में उसके प्रभावों की जानकारी प्राप्त होनी चाहिये। प्रौद्योगिकियां स्थानीय लोगों द्वारा उपयोगनीय और उनके लिये लाभकर होनी चाहियें। जहां भी संभावित हो, विद्यमान स्थानीय प्रौद्योगिकियों का स्तर उन्नत हो और उन्हें ज्यादा कुशल एवं उपयोगी बनाने के लिये उन्हें अनुकूलित करना चाहिए। ऐसे स्थानीय अनुकूलन स्थानीय तकनीकी कौशलों के उन्नयन की ओर प्रवृत होना चाहिए। स्थानीय रूप से प्रासंगिक और उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित करने और संचालित करने के लिये क्षमता निर्माण को प्रोत्साहित करना चाहिए और समर्थन देना चाहिये। अत्याधिक परिष्कृत आधुनिक प्रौद्योगिकी का पारम्परिक प्रथाओं के साथ एकीकरण कभी–कभी सांस्कृतिक रूप से सर्वाधिक–उपयुक्त और स्वीकार्य हल सृजित करता है, जो उन्हें ज्यादा व्यवहार्य भी बनाता है। इस प्रवृति को प्रोत्साहित करना चाहिए।

foKku rFkk f'k{kk

संवहनीय विकास हेतु शिक्षा के लिये पर्याप्त संसाधन तथा सहायता अनिवार्य हैं। संवहनीयता बढ़ाने, गरीबी कम करने, संवहनीय जीविकाओं के लिये लोगों को प्रशिक्षित करने और संहवनीय विकास के प्रयासों के लिये आवश्यक लोक समर्थन को उत्प्रेरित

करने के लिये, निर्णयवेताओं के बीच शिक्षा की सामर्थ्य के बारे में समझ को बढ़ाना चाहिए।

महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण को, मौलिक तथा उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तक उनकी पहुँच के सुधार की कार्यवाइयों द्वारा सहायता मिलनी चाहिये और जेंडर के मुख्यधारीकरण पर जोर दिया जाना चाहिये। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में वृहदतर क्षमता निर्मित करने की जरूरत है और यह शोध संस्थानों, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थाओं तथा सरकार के बीच उन्नत सहयोग के जरिये हो। वैज्ञानिक शोध और विकास पर वैज्ञानिकों, सरकार और सभी पण्यधारियों के बीच और आपस में सहयोग और साझेदारी और उसकी व्यापक अनुप्रयुक्ति को सुधारना होगा।

tulla[;k

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का विशेष महत्व है। जनसंख्या नियन्त्रण के फोकस में परिवर्तन यानि, जनसंख्या की केवल संख्या का लक्ष्य निर्धारित करने के बजाय सामाजिक आर्थिक मुद्‌दों जैसे कि बच्चों का स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, निरक्षरता, महिलाओं का सशक्तिकरण, और नियोजित अभिभावकता में पुरुषों की वर्द्धित सहभागिता जैसे मुद्दतें पर फोकस उसे ज्यादा बड़ी व्यापकता तथा गहराई प्रदान करता है। और इस तरह से, वो शताब्दी के मध्य तक, स्थायी जनसंख्या के अपने दीर्घकालिक उद्‌देश्य को प्राप्त करने का बेहतर वायदा बनाये रख सकती है। शासकीय समझ, कि जनसख्या सिर्फ संख्याओं के बारे में नहीं है परन्तु सामान्यतौर पर लोगों के और विशेष रूप से महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य के बारे में है, को पुनर्बलित करना चाहिये और इसे नीति निर्माण के विभिन्न स्तरों–राष्ट्रीय तत्र तथा राज्य विधान मंडल से स्थानीय सरकारी संस्थाओं तक में जनसंख्या के मुख्य मुद्‌दों को सदा पैने हो रहे परिप्रेक्ष्य में लाने के लिये अनौपचारिक चर्चा द्वारा बनाये रखा जाना चाहिए।

जनसंख्या से सम्बन्धित मामलों में महिलाओं के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पहलू, उनके देहों पर उनके अधिकारों को तथा उनके प्रजनन व्यवहार को स्पष्ट रूप से जानना और सम्मान करना है इस समझ को सामान्य तौर पर समाज और विशेष रूप से न्यायिक और विधि–प्रवर्तन संस्थाओं में, सतत् अभियान और वार्तालाप के जरिये प्रसार होना चाहिये।

LFkkuh;] jk"Vªh; rFkk varjkZ"Vªh; Lrjksa ij lrr~ fodkl gsrq 'kklu dks lqn`<+ djuk

संवहनीय विकास के लिए चिरसाध्य, व्यवहार्य प्रक्रियाओं और कार्यविधियों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनाना आवश्यक है।

LFkkuh;

स्थानीय शासन में लोगों की सहभागिता की प्रभावपूर्णता बढ़ाने के लिये, समितियाँ गठित की जानी चाहिए जिसमें स्थानीय निकायों के निर्वाचित एवं कार्यकारी सदस्यों तथा सामुदायिक समूहों के प्रतिनिधि हों। उपयुक्त क्षमता निर्माण, उन्हें सामुदायिक प्राथमिकताओं के अनुसार स्थानीय विकास गतिविधियों का भार उठाने और परियोजना क्रियान्वयन की निगरानी तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों को संचालित करने में सक्षम बनाएगा। जहां ऐसे सामुदायिक सशक्तिकरण के लिये परिस्थितियां पहले ही उत्पन्न कर दी गई हैं, जैसे कि भारत में, उसके संविधान के 73 वें और 74 वें संशोधन के जरिये, प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। समाज के सभी सदस्य संवहनीय विकास के पणधारी हैं। इस समूह का आधा महिलाएं हैं। और स्थानीय शासन में स्त्रियों का

प्रतिनिधित्व तथा उनकी सत्ता को सुनिश्चित करने हेतु सकारात्मक कार्रवाई, उपर्युक्त क्षमता निर्माण आवश्यक है जिससे कि वे, विकास प्रक्रिया में प्रभावी तथा समान साझेदार बन पाएं। जिन सामाजिक समूहों के विरूद्ध पारम्परिक रूप से भेदभाव किया जाता रहा है उनका स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व अवश्य होना चाहिए और वे विकास में प्रभावपूर्ण तथा मुख्यधारा के साथी बन जाएं यह सुनिश्चित करने के लिये उन्हें सशक्त करना चाहिए। जनसंख्या की व्यावसायिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विषमता कुल मिला कर विकास को संवहनीय बनाने में बड़ी सम्पदा है; परन्तु संकट का समय आने पर, वही विषमता संघर्ष तथा सामाजिक असुरक्षा का आधार बन सकती है। नागरिक समूहों तथा स्थानीय प्राधिकारियों को जो संघर्ष का हल करने के प्रभावी साधन प्रदान करेंगी अंतर्ग्रस्त करते हुए सहभागी क्रियाविविधियां (या यंत्रावलियां) विकसित करना अत्यावश्यक है।

jk"Vªh;

संवहनीय विकास बहुत से चरों से लाभों का इष्टतमीकरण करके प्राप्त किया जाता है बजाय एकल चर से उसे अधिकतम करके। इसके लिये आवश्यक है कि सरकारी विभाग, जो प्रथानुसार क्षेत्रीय रूप से संगठित है; इकट्ठे मिलकर कार्य करे या कुछ मामलों में एकल बहु–विषयी प्राधिकारी के रूप में कार्य करें। इस संयुक्त नियोजन के लिये, क्रियान्वयन में पारदर्शिता तथा समन्वय आवश्यक है। समाज में उपलब्ध कौशलों की समृधता को, नागरिक समाज में संस्थाओं जैसे कि एन.जी.ओस, सी.बी.ओस, कॉरपोरेट (निजी समेत) निकाय, अकादमिक एवं शोध संस्थाएं, मजदूर संघ, इत्यादि से जुड़ी साझेदारी के जरिये काम में लेना चाहिये, और संवहनीय विकास के लिये नियोजन तथा क्रियान्वयन का उसे अभिन्न अंग बना लेना चाहिए। हमें अधिनियमों का पूरा पुनरावलोकन करने, और जो पुराने है उनको समाप्त कर देने, और जो प्रासंगिक है उनको क्रियान्वित करने की कार्य प्रणाली का सरलीकरण करने की ज़रूरत है। आन्तरिक पुनरावलोकन और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीखे पाठ मौजूद अधिनियमों में छिद्रों को पहचानने तथा उन्हें भरने का आधार होना चाहिए। तथापि यह समझ लेना चाहिये कि अधिनियम स्वयं से कोई हल नहीं प्रदान करते हैं, जब तक कि उन्हें प्रभावपूर्णता से लागू करने की यंत्रावली या क्रियाविधि नहीं है। सभी भावी नीतियां संवहनीय विकास के सरोकारों द्वारा मार्गनिर्देशित होनी चाहिए। जिन क्षेत्रों में नीतियों का अभाव है उनकी पहचान की जानी चाहिए और उनसे मिलते–जुलते क्षेत्रों में नीतियों तथा प्रयासों की सफल उदाहरणों को ध्यान में रखते हुए, संवहनीय विकास की अनिवार्यताओं के अनुरूप पर्याप्त नीतियां बनाई जानी चाहिए।

vUrjk"Vªh;

सर्वसामान्य सरोकार के कुछ क्षेत्र निम्नलिखित हैं– सामुद्रिक और नदीतटीय मुद्दे, सीमापार पर्यावरणीय प्रभाव, और जैव–संसाधनों के प्रबन्ध, प्रौद्योगिकी को साझा करना और संवहनीय विकास अनुभवों को साझा करना, विशेष रूप से विकासशील देशों का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनुभवों की सहयोगिता की दिशा में कार्य करने के लिये और साझे क्षेत्रीय सरोकारों को शक्तिशाली संयुक्त मोर्चे के रूप में खड़ा करने के लिये कोशिशें अवश्य करनी चाहिए, संवहनीय विकास में घरेलु तथा वैश्विक अनुभवों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय विनिमय सुलभ बनाने के लिये प्रक्रियाएं प्रारम्भ की जानी चाहिये। विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत देशों के दायित्वों के प्रति उनकी अनुगमिता की निगरानी करने के लिये क्रियाविधियों होनी चाहिये। वर्तमान में खंडित जिम्मेदारियों की संस्थाओं की बहुतायत है। सहयोग तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये बेहतर शासन तन्त्र की आवश्यकता है।

Ckèk i:'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. संवहनीय विकास को बढ़ावा देने के लिये किन परिप्रेक्ष्यों तथा उपागमों को ध्यान में रखना चाहिये।

....

....

....

2. संवहनीय विकास को प्रौन्नत करने के लिये कार्यनीतियों के क्रियान्वयन से जुड़े सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू क्या हैं?

....

....

....

1-5 ,dhd`r fodkl dh voèkkj.kk

एकीकरण की अवधारणा बहुमुखी है और इसकी विस्तार से व्याख्या की आवश्यकता है। हम अब इस अवधारणा के छः पहलूओं की चर्चा करेंगेः

- समाजिक तथा आर्थिक नीति में एकीकरण;
- यू.एन. इकोसोक में ग्रामीण विकास सम्बन्धित वार्तालापों में एकीकृत दृष्टिकोण;
- गरीबी के ग्रामीण–शहरी द्विभाजन और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उसके निहितार्थ;
- बहुक्षेत्रीय विकास;
- सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों द्वारा अपनाई गई एकीकृत रूपरेखा और
- एकीकृत विकास के विरोधाभास।

1-5-1 lkekftd rFkk vkfFkZd uhfr esa ,dhdj.k

विकास के हाल ही के विश्लेषणों ने, ''सामाजिक पूंजी'' की अवधारणा में इस तथ्य पर ज़ोर देने का उपयोगी तरीका पाया कि किसी भी देश में आर्थिक संवृद्धि के नमूने (पैटर्न) को आन्तरिक रूप से सृजित करने तथा सामाजिक रूप से अंतःस्थापित करने की आवश्यकता है ताकि वह स्थायी बना रहे। हमे यह समझ लेना चाहिये कि आर्थिक गतिविधि मौजूदा सामाजिक मानदण्डों तथा नेटवर्क के आधार पर निर्मित होने लगती है। सामाजिक पूंजी की अवधारणा को जो लोग ''जेंडर की नजर'' से देखते हैं व्याख्या करते समय ज्यादा सावधान रहते हैं क्योंकि पितृसत्ता तथा जेंडर पूर्वाग्रह के पारम्परिक स्रोत, सामाजिक मानदंडों तथा नेटवर्क का हिस्सा होते हैं। तथापि, हम अभी भी तर्क कर सकते हैं कि इन मानदंडों को बदलने की प्रक्रिया के लिये यह अनिवार्य है कि हम उन्हें समझ लें। हम शायद महिलाओं के व्यवहार पर पारम्परिक संरचनाओं द्वारा थोपे प्रतिबंधों को स्वीकार न करें। परन्तु हम यह जरूर स्वीकार करते हैं कि वो सुरक्षा तथा संरक्षण के

उपाय की गारन्टी देते हैं। ''आधुनिकीकरण, नातेदारी का लोप और पारम्परिक सामाजिक अवलम्ब की हानि की क्षतिपूर्ति, सुरक्षा की नई प्रणालियों के साथ–साथ स्वतन्त्रता, तथा स्वाययत्तता के नव आयामों जो कि वे अपने साथ लेकर आते हैं के द्वारा होनी चाहिए। वास्तव में, हमें पुरातन तथा नूतन के बीच सहक्रिया की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है।

हमें किस प्रकार से ''विकास नीति में एकीकरण'' के पदबंध को समझना चाहिए? प्रायः यह सोचा जाता है कि आर्थिक नीति सामाजिक नीति के सरोकारों से अलग निर्मित की जाती है। समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं पर शायद पर्याप्त ध्यान शायद नही दिया जाता है। इसके दूसरी ओर, ऐसी नीति के समर्थक बहस करते हैं कि सामाजिक नीति की तुलना में समष्टि आर्थिक नीति ज्यादा कम समयावधि में परिवर्तित होती है। अतः उस अवधि के दौरान सामाजिक संदर्भ को स्थिर माना जा सकता है। उदाहरण के लिये, अर्थव्यवस्था में समष्टि आर्थिक स्थायित्व लाने के लिये अल्पकाल की अवधि के दौरान उपायों को शीघ्र क्रियान्वित करने की ज़रूरत होती है। सामाजिक नीति से सरोकार रखने वालों की कार्यसूची अनिवार्यतः ज्यादा लम्बी अवधि की होती है, क्योंकि उसके क्रियान्वयन के लिये सामान्यत्या जेंडर तथा सामाजिक सम्बन्धों में संरचनात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है (सुदर्शन, 2003)। फलस्वरूप, यह तर्क किया जाता है कि जबकि प्रत्येक के महत्व को और उनकी अंतःनिर्भरता को भी पहचानना चाहिए, नीतियों के यह दो समूह स्वतन्त्र रूप से बेहतर विकसित होते हैं।

'जेंडर' एक वर्ग या श्रेणी है जिसने नारीवादी अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विश्लेषण में स्थान पाया है, परन्तु आर्थिक नीति के निर्माण पर उसका प्रभाव कमज़ोर है। इसका क्या परिणाम हुआ? हमारे पास अर्थशास्त्र तथा जेंडर इंटरफेस (interface) पर या ज्यादा सामान्य तौर पर सामाजिक सरोकारों पर बहुत सीमित आनुभाविक जानकारी है। निस्संदेह, हमने पहचाना है कि दोनों घनिष्ट रूप से अंतःसम्बन्धित हैं। यह आर्थिक परिवर्तन के अवलोकन योग्य सामाजिक प्रभाव से या इसके बदले में आर्थिक गतिविधि के सामाजिक आधार से सुस्पष्ट होता है। सामाजिक प्रभाव स्वयं को उपभोग के पैटर्नों/प्रतिमानों, जीवनशैलियों पोशाक के रूपों, व्यवहारपरक मानकों इत्यादि में प्रदर्शित करता है। और, औद्योगिक संगठन तथा उद्यमिता व्यवहार पर सामाजिक नेटवर्कों के प्रभाव के मजबूत प्रमाण है। हम जेंडर भूमिकाओं और सम्बन्धों से यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वो आर्थिक परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करें। आइये एक उदाहरण पर विचार करते हैं। जब महिलाएं स्थायी घर के बाहर काम करना प्रारम्भ कर देती हैं तो क्या नवीन जेंडर भूमिकाएं तब सृजित होती हैं क्या आप सोचते हैं कि यदि कार्य–आरोपित मांगे विलुप्त हों जाती हैं तो इसका परिणाम मूल स्थिति में वापस जाने का नहीं होगा? स्पष्टत्या ऐसे सम्बन्धों का आंकलन करना सरल नहीं है।

तो, हमें किस प्रकार आर्थिक तथा सामाजिक नीति के एकीकरण पर विचार करना चाहिए? ऐसी नीति जो आर्थिक और सामाजिक नीति के एकीकरण का प्रयत्न करती है उसे, कार्यप्रणाली की बात पर रूकावट का सामना करना पड़ता है। 'जेंडर–संवदी आर्थिक नीति', कम से कम, ऐसी नीति है जो जेंडर भूमिकाओं और सम्बन्धों में अन्तर की जागरूकता के साथ बनाई जाती है, जिससे कि मौजूदा असमानताएं और दुर्बलताएं (वलनरेबिलिटीस) गहन न हो जाएं, और यदि संभावित हो, तो कम हो जाएं इसलिए हमें आर्थिक नीति और जेंडर भूमिकाओं तथा सम्बन्धों के 'पारेषण की रूपरेखा' को समझने की चेष्टा के साथ प्रारम्भ करना चाहिए। नीति बनाने के लिये हमें बहुत से प्रश्नों का उत्तर देना है : किसी भी दिए गए समाज में जेंडर असमानताओं के मुख्य सूचक क्या हैं? क्या हम तेज आर्थिक संवृद्धि अथवा आर्थिक नीति की रूपरेखा में परिवर्तनों के जवाब में इन

सूचकों में परिवर्तन के पैटर्न (नमूने) का पता लगा सकते हैं? क्या यह सूचक नीति–निर्माताओं को किसी प्रकार की प्रतिपुष्ठि (या फीडबैक) प्रदान कर सकते हैं? जेंडर असमानताओं की गुणात्मक समझ नीति के निर्माण में कितनी श्रेष्ठता से जानकारी दे सकती हैं।

मुखोपाध्याय (2003) के अनुसार, आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया परिवारों के बाहय आर्थिक वातावरण को बदलने में सहायक रही है। इन्होंने, बदले में, परिवार के सदस्य जिन तरीकों से परिवर्तित स्थिति के साथ समायोजन करते हैं, और जिस प्रकार से वे इन परिवर्तनों को अनुभव करते हैं, उन्हें ही बदल दिया। क्या आपको लगता है कि महिलाओं की नवीन बाजार भूमिकाएं उनका वृहदतर सशक्तिकरण करेंगी? हाँ, आप सही हैं। यह शायद न हो क्योंकि पदानुक्रम की पुरानी व्यवस्था बनी रह सकती है और अधीनस्थता के नये रूप उभर सकते हैं। बजाय इसके, हमें शायद लिंगों के बीच (या, पुरुष–स्त्री के बीच) असमान शक्ति सम्बन्धों या समीकरणों का पुनर्बलीकरण देखने को मिले। फिर भी विद्यालयी शिक्षा तथा श्रम बाजार के जरिये बाहरी प्रभावों से महिलाओं का बढ़ता हुआ सामना, पितृसत्ता के इस बुर्ज को बदल या रूपान्तरित कर सकता है। जब परिवारों के अन्दर स्त्रियों द्वारा, पारम्परिक जेंडर समीकरणों को लेकर प्रश्न उठाये जाते हैं तो जेंडर समानता की संभाविताएं उत्पन्न होती है।

1-5-2 l;Dr jk"V' vkfFkd rFkk lkekftd ifj"kn e xkeh.k fodkl foe'kk dk ,dhdr nf"Vdk.k ¼;k mikxe½

वित्तीय एवं संसाधन परिसम्पत्तियों, क्षमता, वातावरणीय प्रतिबन्धों, पारिवारिक स्थितियों और शिक्षा समेत कारकों का जटिल जाल व्यक्ति का कल्याण निश्चित करता है। पात्रों को समझना और किस प्रकार, वे अपनी जीविका निर्वाह की कार्यनीतियों को परिभाषित करते हैं यह ग्रामीण विकास के उपागमों का महत्वपूर्ण भाग है। यह विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण होता है जब ग्रामीण विकास का लाभ गरीबों में से सर्वाधिक गरीब, विशेषकर महिला–प्रधान परिवारों को पहुँचे। ग्रामीण विकास का उपागम, जो धीरे–धीरे 1990 के दशक में उभर कर आया, ने एकीकृत ग्रामीण विकास के पुराने संस्करणों को पलट कर रख दिया। एकीकृत उपागम, जिसका कि 1960 और 1970 के और 1990 के पूरे दशक में प्रचलन रहा था, ने ग्रामीण गरीबों को, सेवाओं की सुपुर्दगी ऊपर से नीचे के ढंग में की और क्रियान्वयन एजेन्सी की भूमिका के जरिये गरीबी घटाने के लिये आवश्यक बहुत सी लोक सेवाओं को एकीकृत करने की कोशिश की। यह क्रियावन्यन एजेन्सी सामान्यतौर पर कृषि मंत्रालय समाज कल्याण मंत्रालय या मंत्रीमंडल की संरचना से बाहर की एजेन्सी हो सकती है।

यह बिल्कुल स्पष्ट प्रतीत होता है कि वैश्वीकृत व्यापार और सूचना के इस युग में, विकास का एकीकृत उपागम ही मात्र संभावित मार्ग है। किसी भी सफल विकास कार्यक्रम को सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय, और भौगोलिक वास्तविकताओं, जो कि समस्त विश्व के लोगों के जीवन को आकार देती हैं को ध्यान में रखना चाहिए।

समग्र विकास का विचार कोई नया नहीं है। परन्तु 1970 के दशक और 1980 के दशक के विकासात्मक प्रयास ''एक–आकार–सबके लिये उपयुक्त'' दृष्टिकोण के कारण प्रायः सीमित तथा प्रतिबंधित थे। इसके अनुसार सुधार केन्द्रीकृत तथा व्यापक परिप्रक्ष्य से निर्धारित किये जाते हैं, बजाय दिये गये समुदाय या जनसंख्या की स्थानीय तथा विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर। और, भिन्न क्षेत्रों को पृथक रखा गया था। आइये हम एक उदाहरण लेते हैं। कृषिक विकास व्यापक सीमा के संघटकों तक फैला हुआ है, बुनियादी ढ़ांचे से प्रौद्योगिकी से कौशल वृद्धि तक। परन्तु यह अन्दर अथवा आर–पार समन्वय से

लाभान्वित नहीं हुआ, उदाहरण के लिये, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र। निस्संदेह, एकीकृत विकास के ज्यादा नवीन मॉडल, पृथक, उपविभाजित क्षेत्रों की ऐसी रूकावटों को नहीं पहचानते हैं।

''विषमचक्र'' का पदबंध, और कम दुर्भाग्य वश, कम प्रायिक रूप से, ''भला चक्र'' भिन्न संदर्भों में और भिन्न मुद्दों के सम्बन्ध में पुनःप्रकट होते हैं। वे लाभप्रद दृष्टिक प्रतिरूप हैं जो एकीकृत उपागम की आवश्यकता पर बल देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गरीबी, दुर्बल स्वास्थ्य द्वारा शाश्वत् होती है, और दुर्बल स्वास्थ्य गरीबी के द्वारा स्थिर होता है। जब लड़की को विद्यालय जाने से रोका जाता है, उसे एच.आई.वी / एड्स से अपनी सुरक्षा करने के लिए आवश्यक जीवन कौशल सीखने पड़ सकते हैं, और उसे शायद घर रूकना पड़े और रोग से ग्रस्त परिवार के सदस्य की देखभाल करनी पड़ सकती है जिसके फलस्वरूप वो विद्यालय नहीं जा पाऐगी। एक परिवार अपनी भूमि पर इस प्रकार से खेती कर सकता है जो वातावरण की दृष्टि से नुकसानदेय है क्योंकि वो परिवार उन प्रौद्योगिकी इनपुट्स (आगतों) को खरीद नहीं पाता है जिसके साथ वो संवहनीय तरीके से कार्य कर सके। परन्तु जब उनकी भूमि का अवक्षय हो जाता है, उनकी जीविका और भी ज्यादा निराधार बन जाएगी। अनुचित अथवा अनक्रियान्वित भू–नीतियां भी उन्हें संवहनीय कृषिगत प्रथाओं में निवेश करने से रोक सकती हैं जो, बदले में, उनकी आर्थिक तथा पोषणिक सुरक्षा को कमजोर बनाती है। और जो परिवार अपना पेट भरने के लिये संघर्ष कर रहा है उसका यह मांग करने की स्थिति में होना कम संभावित है कि राज्य उसके भू अधिकार की सुरक्षा करे।

ये कुछ एकपक्षीय दृश्य, विकास के समग्र उपागम के मूलभूत मूल्य को प्रदर्शित करता है। इसके बिना, एक क्षेत्र–जोखिम में अच्छी नीयत से किये सुधार और निवेश बिखर रहे हैं क्योंकि उन्हें अन्य क्षेत्रों में उपायों द्वारा समर्थन नहीं मिला।

उदाहरण के लिये, संक्रमक रोग के लिये सहायता तथा उपचार में सहवर्ती प्रयासों के बगैर, विद्यालयों में धन लगाना, घर में अकेली पड़ गई, और बीमार रोगी या भाई–बहन की देखभाल कर रही लड़की की सहायता नहीं करेगा।

1-5-3 xjhch d xkeh.k&uxjh; f}Hkktu dk le>uk vkj lgL=kfCn fodkl y{;ks dh ikfIr d fy;s mlds Qfyrrkfk

सितम्बर 2000 में न्यूयॉर्क में आयोजित सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन के दौरान 189 देशों द्वारा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य (MDGS) अपनाए गये थे। एम.डी.जी.एस का लक्ष्य जनसंख्या के दुर्बल या संवेदनशील और वंचित समूह की दशा सुधारने के लिये गरीबी उन्मूलन, भूख का निवारण, रोजगार प्रौन्नत करना, मूलभूत तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, तथा अन्य संवहनीय विकासात्मक उपाय करना है। हम सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों और उनके जेंडर सम्बन्धी आयामों के बारे में और ज्यादा इस इकाई के <u>भाग</u> 1.8 में जानेंगे।

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य– भारत कण्ट्री रिपोर्ट, 2009 (मध्य–कालिक सांख्यिकीय मूल्यांकन), जो कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निकाली गई है, में ग्रामीण–शहरी द्विभाजन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

आगे बढ़ रहे या तेजी से विकसित हो रहे राज्यों / संघराज्यों में ग्रामीण गरीबी के बजाय शहरी गरीबी में उच्च दर की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरी ओर, धीमी गति से विकसित

हो रहे राज्यों में गरीबी में कम ग्रामीण–शहरी अन्तर का श्रेय ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के बीच घनिष्ट बाजार सम्बन्ध को दिया जा सकता है बजाय तुलनात्मक रूप से नगरीय राज्य क्षेत्रों में अन्तर को। केरल राज्य इसका अपवाद है क्योंकि उसकी ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी की तुलना में काफी तेजी से कम हुई और शहरी स्तर से 2/3 सीमा से ज्यादा नीचे पड़ती है। कुल मिलाकर, आने वाले वर्षों में, ग्रामीण तथा शहरी गरीबी अनुपात एक दूसरे के समानान्तर चलेंगे और उन्हें पृथक करने वाला अन्तराल लगभग 5 प्रतिशत बिन्दु का होगा। शहरी गरीबी जबकि 2015 में लक्षित स्तर की ओर संभ्भवत्या अभिमुख होगी, ग्रामीण गरीबी 2015 के लक्षित स्तर से संभावित रूप से लगभग 5–6 प्रतिशत बिन्दु कम होगी। अतः, उपभोग गरीबी के प्रति व्यक्ति अनुपात को 10 प्रतिशत बिन्दु कम करने का ग्यारहवीं योजना का लक्ष्य (2012 तक प्राप्त करना है) एम.डी.जी. गरीबी लक्ष्य प्राप्त करने के लिये बहुत महत्वपूर्ण है।

फिलिप कोस्टोव और जॉन लिंगार्ड के अनुसार, ग्रामीण विकास पारम्परिक रूप से कृषि के साथ सम्बन्धित था। कृषि को अत्याधिक महत्व देने और बाकी अर्थव्यवस्था के साथ उसके सम्बन्ध की उपेक्षा करने का परिणाम वैश्लेषिक पूर्वाग्रह का हो सकता है। एकीकृत ग्रामीण विकास की ओर नीतिगत बदलाव समग्र ग्रामीण विकास की व्यवस्था के भीतर जटिल सम्बन्ध कड़ियों तथा अंतर्क्रियाओं को प्रकट करता है। यह बदलाव ग्रामीणता के ज्यादा समग्र दृष्टिकोण की ओर नीतिगत उद्देश्यों तथा रूपरेखाओं में मूलभूत परिवर्तन को निरूपित करता है और विश्लेषण के नवीन उपकरणों का उपयोग आवश्यक बनाता है। पारम्परिक आर्थिक मॉडल कारणवादी कार्य–प्रणालियों पर आधारित है जो अंतर्निहित संरचना में कम स्वार्थ के साथ साधनों को लक्ष्यों के साथ जोड़ती है। भारत जैसे देशों में समाधान का एक हिस्सा कृषि को सुदृढ़ करने में स्थित हो सकता है परन्तु आय तथा जीविकाओं के स्रोतों में ग्रामीण विविधीकरण पर जोर देने में भी स्थित है। कोस्टोव तथा लिंगार्ड ने ग्रामीण विकास के सहक्रिया उपागम का दृढ़ता से पक्ष लिया है। यह उपागम पारम्परिक नेटवर्क्स तथा सांस्थानिक विश्लेषण दोनों को समाविष्ट करता है और कार्यविधियों तथा कार्य प्रक्रियाओं पर फोकस करता है बजाय लक्ष्यों पर। पुराने कारणवादी तथा निश्चयवादी उपागम के लिये ग्रामीणता की समग्र कल्पना का प्रतिस्थापन, संवहनीय विकास प्राप्त करने के लिये सार्वजनिक तथा निजी पात्रों के बीच सहयोग पोषित करने की आवश्यकता को समझने की ओर प्रवृत करता है।

शहरी मुद्दों के ''एकीकृत उपागम'' की अवधारणा, वंचित क्षेत्रों के लिये शहरी नवीकरण परियोजनाओं पर फोकस करने के साथ ही 1990 के दशक के प्रारम्भ में उभर कर आई। विकासी प्रयास/पहल जो न केवल इमारतों तथा बुनियादी ढ़ांचे में भौतिक निवेशों को संयुक्त करते हैं, परन्तु आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन बढ़ाने के उपाय भी आवश्यक बनाते हैं। प्रयास यह था कि क्षेत्रों, मुद्दों और नीतियों के उपखंडित उपागम को छोड़ दिया जाए। यह समग्रवादी उपागम को बढ़ावा देता है जो कि शहरी विकास के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक आयामों को ध्यान में लेता है। सामूदायिक कार्यक्रमों की प्रगति के साथ, अवधारणा स्वयं ही उन्नत हुई और इसका उपयोग सामान्य शहरी परियोजना (बजाय सिर्फ वंचित प्रतिवेशों के नवीकरण के) और सभी शहरी मुद्दों (परिवहन, नियोजन, आर्थिक विकास इत्यादि) तक फैल गया है। उर्ध्वाकार एकीकरण (सरकार तथा क्षेत्रीय शासन से जुड़े निकायों के विभिन्न स्तरों के बीच) से क्षैतिज एकीकरण (स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, इत्यादि) दोनों ही अत्यन्त महत्वपूर्ण अनिवार्यताएं बन गए है।

हम जानते हैं कि वातावरण तथा जीवन की गुणवत्ता पर शहरी विकास का प्रभाव पड़ता है। यह आश्चर्यजनक नहीं हैं, इसलिए, संवहनीयता चिन्ता का क्षेत्र बना हुआ है। शहरी

विकास का केवल एकीकृत तथा संवहनीय उपागम ही शहरों को, इस योग्य बनासकता है कि वो वैश्वीकरण, जनांकिकीय परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तन द्वारा निरूपित चुनौतियों के प्रति अनुक्रिया कर सके है। निस्संदेह, यह समस्त मुद्दे आर्थिक संकट द्वारा गम्भीर बन गए हैं। कुछ क्षेत्र जिनमें काम किया जा रहा है निम्नलिखित को समाविष्ट कर सकते हैः सक्रिय अंतर्वेशन, सांस्कृतिक धरोहर तथा नगर का विकास, वंचित आसपड़ोस मानव पूंजी तथा उद्यमिता, नवप्रवर्तन तथा सृजनात्मकता, निम्न कार्बन नगरीय वातावरण, महानगरीय शासन और गुणवत्तापूर्ण संवहनीय जीविका।

xzkeh.k&uxjh; foHkktu@varjky dk gy fudkyuk% vkxs dh vksj ekxZ

हमने विकास में भारी ग्रामीण–नगरीय अन्तर के बारे में सुना है। हम किस प्रकार से अंतराल को बंद कर सकते हैं? इसका एक उत्तर विकेन्द्रीयकरण है। वृहद स्थानीय सत्ता और निर्णयन प्रक्रिया में स्वायत्त शासन की बढ़ौतरी के संग–संग, यह परिणामों को सुधारने के अवसर पेश कर सकता है। साक्ष्य सूचित करता है कि कई हस्तक्षेपों पर ज़ोर डालने की आवश्यकता है।

- वित्तीय अन्तरणों को स्थानीय सरकार हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने चाहिए और उन्हें पारदर्शी, पूर्वानुमेय और स्वायत्त बनाया जाए;
- सरकार के भिन्न स्तरों के बीच सम्बन्धों को उपयुक्त कानूनी रूपरेखा परिभाषित द्वारा किया जाना चाहिए, और गैर–सरकारी संस्थाओं के लिये स्पष्ट भूमिका की व्यवस्था की जानी चाहिए;
- विकेन्द्रित प्राधिकारियों के उत्तरदायित्व तथा दायित्वों को पूरा करने की सांस्थानिक क्षमता सृजित तथा पोषित की जानी चाहिए;
- ज्यादा दक्ष निवेश सम्बन्धी निर्णय–प्रक्रिया और निधि (या कोष) के दुरूपयोग को हतोत्साहित करने के लिये प्रोत्साहनों तथा दंड की स्पष्ट रूप से परिभाषित व्यवस्था में योगदान की आवश्यकता है।

विकास परियोजनाओं को किस प्रकार से क्रियान्वित किया जाए? परियोजना के डिजाइन में हाल ही का अनुभव बताता है कि नगरीय–ग्रामीण पूर्वाग्रह और अभीष्ट परिणामों की उन्नत उपलब्ध प्राप्त हो सकती है यदि निम्नलिखित पहलूओं को ध्यान में रखा जाए।

- लक्ष्य करने की क्रियाविधि सरल, सुस्पष्ट तथा स्मरणीय होनी चाहिए, और मानक पर आधारित हो संसाधन आबंटन में राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने के लिए उद्देश्य।
- परियोजनाओं तथा उप–परियोजनाओं के वित्तपोषण में सहभागिता स्वामित्व की भावना सृजित करती है और निवेशों को सत्य बनाती है, अनुभूत जरूरतें लागत बचतें सृजित करती है और जवाबदेयता को बढ़ाती है;
- सूचना अभियानों का सतर्कपूर्ण डिज़ाइन अनिवार्य होता है और तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण अभिगम्य होना चाहिए;
- क्रियान्वयन के दौरान और उसके बाद परियोजना पर्यवेक्षण को सफलता तथा संवहनीयता का निर्धारक पाया गया है; और
- आय–सृजनकारी परियोजनाओं को कड़े चयन, तैयारी और तकनीकी सहायता और पर्यवेक्षण के दौर से गुजरना चाहिये और उन्हें बड़ी संख्या में समुदाय के सदस्यों को सख्त प्रचालन मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

विस्तृत विश्लेषण ने हस्तक्षेप के अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों को प्रगट किया है :

- ग्रामीण क्षेत्रों की विविधता तथा जटिलता और गरीबी को नम्य प्रतिक्रियाशील सामरिक नियोजन में समाविष्ट किया जाना चाहिए;
- नियोजन को नगरीय–ग्रामीण सम्बन्धों की प्रकृति को ध्यान में लेना चाहिए और समग्र क्षेत्रीय विकास का लक्ष्य रखना चाहिए जहां नगरीय बस्तियां सामरिक नीति का अभिन्न अंग बनाते हैं।
- महिलाओं की भूमिका तथा जेंडर मुद्दों की अहम् स्वीकृति के साथ, कृषि की प्रोन्नति को सम्बोधित करने की आवश्यकता है; और
- अत्याधिक दुर्बल (संवेदनशील) ग्रामीण परिवारों पर पड़ने वाले प्रभावों के प्रति संक्रामक तथा लम्बी बीमारी के भार के प्रभाव प्रतिक्रिया करे इसके लिए उन्हें समेकित किया जाना चाहिए।

1-5-4 cg&{ks=h; ,dhdj.k

एकीकृत उपागम की अवधारणा न केवल अपने बहु–क्षेत्रीय प्रकृति/स्वरूप का संकेत करती है परन्तु व्यापक सीमा के जो पात्र जुड़े है उनका भी संकेत करती है। अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.एस); संयुक्त राष्ट्र और उसकी एजेन्सियां; बहु–पक्षीय वित्तिय संस्थाएं जैसे कि डब्ल्यू.टी.ओ. (विश्व व्यापार संगठन), विश्व बैंक, और आई.एम.एफ. (अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोण), क्षेत्रीय संघ, निजी क्षेत्र के दाता और निवेशकर्त्ता, स्थानीय सरकारें, समुदाय, परिवार और व्यक्ति, सभी को एकीकृत विकासात्मक प्रयासों में भूमिका निभानी है। चुनौती, निस्संदेह, इस तरह से समन्वय करने की है कि वे पूरक बनें, न कि एक दूसरे का विरोध करें।

स्थानीय लोगों (जो विकासात्मक हस्तक्षेप द्वारा प्रभावित होते हैं) को सहभागिता करनी चाहिए और परियोजनाओं के निर्देशन, क्रियान्वयन, और मूल्यांकन में अग्रणी बनना चाहिये। स्थानीय स्वामित्व लक्ष्य है जिसकी ओर अन्य सभी पात्रों को कार्य करना है। प्रत्येक विकासी प्रयास को सभी पात्रों तथा क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। व्यवहार में, निस्संदेह, यह असम्भव है। एकीकृत विकास को प्रत्ययात्मक रूपरेखा के रूप में देखा जाना चाहिए बजाय नीतिगत प्रतिबंध के।

कई विद्धान इस पर ज़ोर देते हैं कि अति व्यापक जाल डालना प्रतिउत्पादक तथा निराशाजनक हो सकता है। विकास के साझेदारों को अपनी कार्यवाहियों की जटिलताओं और उसके उसके व्यापक प्रभावों के प्रति जागरूक रहने और लक्षियत, सुनियोजित प्रसायों पर सकेन्द्रित रहने के बीच संतुलन बनाए रखना है।

1-5-5 lgL=kfCn fodkl y{; ,dhd`r fodkl dh :ijs[kk

सितम्बर 2000 में, संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों ने सहस्त्राब्दि घोषणा को अंगीकार कर लिया, जिसमें विकासशील विश्व में रह रहें लोगों के कुशलक्षेम (wellbeing) उन्नत करने के लक्ष्य के लिये आठ निर्देश चिन्ह समाविष्ट थे। यह सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एम.डी.जी.एस) इकट्ठे एकीकृत विकास की रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे सामान्य लक्ष्यों को सुव्यकत करते हैं, और सम्पूर्ण विकासशील विश्व के देश उसकी ओर बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। निस्संदेह, वैयक्तिक देश ही हैं जो अपने खुद के विकास संदर्भो के सन्दर्भ में विशिष्ट नीतिगत मार्गनिर्देशों को विकसित करेंगे।

एम.डी.जी.एस. की सरकारी सूची अनुलग्नक–I में दी गई है जो कि जनवरी 2008 से प्रभावी है।

प्रथम एम.डी.जी. अत्यन्त गरीबी तथा भूखमरी के उन्मूलन की मांग करता है, विशेषरूप से, जो लोग प्रतिदिन एक डॉलर से कम राशि पर गुजर–बसर करते हैं उनके अनुपात को और भूखमरी से ग्रस्त लोगों के अनुपात को भी कम करके आधा करना है। दूसरा, लड़कों और लड़कियों के लिये सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की मांग करता है। तीसरा शिक्षा पर जोर डालते हुए प्राथमिक तथा माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा में जेंडर भेद को समाप्त करते हुए जेंडर समानता तथा महिलाओं के सशक्तिकरण का लक्ष्य करता है। चौथा एम.डी.जी., पांच से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को दो तिहाई घटाने की आकांक्षा करता है, और पांचवा, जो चौथे से घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है, मातृ मृत्यु दर को तीन–चौथाई कम करने का लक्ष्य करता है। छठा एम.डी.जी., एच.आई.वी. / एड्स और मलेरिया एवं अन्य रोगों के प्रसार को रोकने तथा उल्टा करने की कोशिशों की मांग करता है। सातवां वातावरणीय संवहनीयता के मुद्दों को सम्बोधित करता है और सहभागी देशों से संहवनीय विकास के सिद्धान्तों को राष्ट्रीय नीतियों में एकीकृत करने और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिये कार्य करने की मांग करता है। यह एम.डी. जी. उन लोगों को जिन्हें सुरक्षित पेय जल की गम्यता का अभाव है उनके अनुपात को घटा कर आधा करने और मलिन बस्तियों में जीवन सुधारने का भी लक्ष्य करता है।

प्रथम सात एम.डी.जी. की विकास के एकीकृत उपागम के आधार पर स्पष्ट रूप से पुष्टि की गई है, क्योंकि सभी क्षेत्रों में एक साथ उन्नति से ही यह संभावित होगा कि यथार्थ एवं चिरस्थाथी प्रगति हो। आठवां एम.डी.जी. भी विकास के एकीकृत उपागम पर निर्भर करता है, इस बार परिवर्तन लाने के साधन के सम्बन्ध में। आठवां एम.डी.जी. विकास के लिए वैश्विक साझेदारियों में वृद्धि की मांग करता है। साझेदारियां विभिन्न प्रकार के खिलाड़ियों को समाविष्ट करेंगी जो विभिन्न मुद्दों को संबोधित करेंगे। आठवां एम.डी. जी. साझेदारों से खुली कारोबारी तथा वित्तीय व्यवस्था की मांग करता है जो कि नियम पर आधारित, पूर्वानुमेय और अनविभेदक है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर, अच्छा शासन इस प्रक्रिया में अपरिहार्य है।

वैश्विक साझेदारियां भिन्न–भिन्न रूप धारण करती हैं और बहुपक्षीय / द्विपक्षीय विकास एजेन्सियों, अंतःशासकीय एजेन्सियों, गैर–सरकारी संगठनों, और निजी क्षेत्र को समाविष्ट कर सकती हैं। वैश्विक साझेदारियों के उदाहरण हैं– अंतर्राष्ट्रीय कृषि शोध परामर्शी पर समूह (सी.जी.आई.ए.आर.) विश्व कृषि फोरम (डब्लू.ए.एफ.), भूखमरी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, वैश्विक जल फोरम, और वस्तु कीमत जोखिम प्रबन्ध के लिये अंतर्राष्ट्रीय टास्कफोर्स / कार्यबल।

विकास को संवहनीय होने के लिये अंतर्वेशी होना चाहिये, जो लोग सक्रिय रूपकार (designer) और सहभागी के रूप में कार्य करते हैं और जो अन्ततः लाभार्थी है दोनों के सम्बन्ध में अंतर्वेशी होना चाहिए। उसे उन प्रथाओं / परिपाटियों तथा उन बुनियादी संरचनाओं को प्रतिष्ठित करना चाहिये जो नवीकरणीय और अनुकूलनीय हैं। उपान्तीकृत ग्रामीण लोगों को राज्य तथा निजी क्षेत्र के साथ समझौता–वार्ता में सक्षम बनाने की कुंजी है, सुशासन पर फोकस इससे नवीन राजनीतिक और आर्थिक कार्यसूची स्थापित हो पायेगी। उस सम्बन्ध में विकेन्द्रित नीति–निर्माण अनिवार्य है, जैसे कि स्थानीय स्तर पर किये गए सफल प्रयासों को बढ़ाने की तत्परता अनिवार्य है।

समष्टि आर्थिक स्तर पर, ग्रामीण–पक्षधर नीतियों में विनिमय दर, राजकोषीय, और ऋण नीतियां तथा कृषि शोध और ग्रामीण बुनियादी संरचना की प्रोन्नति सभी को समाहित करना चाहिये। ग्रामीण औद्योगिकीकरण और कृषि–सेवाएं (agro-services) कृषि–इतर गतिविधियों की आवश्यकता पूरी कर सकती हैं और उन गरीब लोगों की रहन–रहन की स्थितियां सुधार सकती हैं जिनकी भू–गम्यता सीमित है। इसके अतिरिक्त, संवहनीय

ग्रामीण विकास केवल तभी सम्भव होगा जब विकासशील विश्व में राष्ट्रीय नीतियां विकसित विश्व की कृषि नीति में परिवर्तन द्वारा पूरक बनेगी। फसलों का पोषणिक मूल्य बढ़ाने, उत्पादन के उतार–चढ़ाव कम करने और छोटे पैमाने के खेतों पर उत्पादकता में पारिस्थितिकीय व्यवस्था के उपयुक्त उत्पादकत में वृद्धि करने के लिए ग्रामीण विकास कार्य नीतियों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अभिगम्यता भी सभाविष्ट की जानी चाहिये।

वातावरणीय संवहनीयता को विकास प्रयासों द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यहां भी स्थानीय लोगों का सशक्तिकरण अति आवश्यक है। बहुत सी स्थितियों में, प्राकृतिक संसाधनों का परिचारक कार्य स्थानीय प्रथाओं तथा परम्पराओं का अभिन्न भाग होता है; इन परम्पराओं को वातावरण सम्बन्धी प्रयासों में निगमित किया जाना चाहिए ताकि अधिकतम सहयोग और सफलता सुनिश्चित हो सके। स्थानीय लोग जो वास्तव में खेती कर रहे हैं उन्हें प्रत्येक सोपान पर जोड़ना चाहिए। विशेषरूप से, महिलाएं बहुत से समाजों में पारम्परिक ज्ञान की अभिरक्षक होती है।

ग्रामीण जनसंख्याओं के सशक्तिकरण की चर्चा करते समय, परिभाषा अनुसार ग्रामीण जनसंख्या बड़ी संख्या के कमज़ोर एवं संवेदनशील समूह जैसे महिलाएं, देशीय लोग, मछुआरे लोग, निम्न जाति के लोग तथा नृजातीय अल्पसंख्यक लोगों को समाविष्ट करती है। विशेष रूप से, महिलाएं बड़ी मात्रा के खाद्य उत्पादन, घर के काम और देखभाल के कार्य के लिये जिम्मेदार होती हैं, और उन्हें, उनकी जीविकाओं की सुरक्षा बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को डिजाइन करने/या उनकी रूपरेखा तैयार करने में तथा क्रियान्वित करने में सम्मिलित किया जाना चाहिए। जेंडर समानता तथा समता प्राप्त करने के लिए शिक्षा मुख्य उत्तोलक है।

विकास का एकीकृत, समग्र उपागम एकदम उपयुक्त है क्योंकि क्षेत्रों के बीच इतने सारे अधिव्यापन होते हैं। ये मुख्यतः कृषि पर ध्यान केन्द्रित करता है और इसका प्रयास छोटे भू–धारकों को हरित क्रान्ति के लाभ पहुँचवाने का रहता है। एकीकृत उपागम के नवीन संस्करण, विकेन्द्रीयकरण, सहभागिता और सामूहिक कार्रवाई, समुदायों को प्रबन्धकीय कार्य सौंपना; सामूहिक उपागम के स्थान पर स्थानीय उपागम; वातावरणीय तथा सामाजिक सेवाओं के लिये भुगतान; समष्टि तथा क्षेत्रीय नीति के साथ समन्वय क्रियाविधियां; और राज्य की कम होती भूमिका की क्षतिपर्ति हेतु ग्रामीण संस्थाओं को पुनर्निमित करने पर, ज़ोर देते हैं।

यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि आर्थिक संवृद्धि गरीबी घटाने के लिये अनिवार्य है। फिर भी, यह भी भलीभांति ज्ञात है कि ग्रामीण गरीबी पर सकल/कुल आर्थिक संवृद्धि का केवल साधारण प्रभाव ही पड़ा है। यह इसलिये क्योंकि प्रायः जिन क्षेत्रों में गरीब रहते हैं वहाँ संवृद्धि बहुधा अवसर सृजित नहीं करती है। गरीबों को संसाधन/परिसम्पत्तियां दान देना ग्रामीण गरीबी से लड़ने का कोई उपयोगी तरीका नहीं है विशेष रूप से यदि वो उस संदर्भ में स्थित नहीं है जहां संवृद्धि द्वारा लोगों को नये रोजगार तथा निवेश अवसर प्राप्त होते है। यही क्षेत्रीय विकास का उद्देश्य है। ग्रामीण पृष्ठ प्रदेशों में संवृद्धि द्वितीयक तथा तृतीयक शहरों पर केन्द्रित ग्रामीण–नगरीय सम्बन्धों पर निर्भर करती है। यह सम्बन्ध विशिष्ट आर्थिक परियोजनाओं के लिये बनाए गए क्षेत्रीय तथा नगरीय संघों को बढ़ावा देंगे, जैसे कि वाटरशेड विकास परियोजना जो नगर पालिकाओं या क्षेत्रीय विशिष्ट उत्पादों के विकास को समान रूप से प्रभावित करती है। अपने आर्थिक प्रयासों में सफल होने के लिये यह आवश्यक है कि क्षेत्र में ऐसी संस्थाएं स्थापित की जाए जो परामर्श एवं समन्वय, नियोजन एवं प्रौन्नति को संबोधित करती है। ग्रामीण विकास की कोशिशें केवल क्षेत्रीय रोजगार तथा निवेश अवसरों के साथ ही, गरीबों को, आय के नये स्रोतों से लाभ उठाने में सहायता करती है। क्षेत्रीय संवृद्धि का यह नमूना

नगरीय क्षेत्रों में केन्द्रित संवृद्धि को विभाजित या छेदन कर सकता है परन्तु आशा है कि यदि योजना का उचित तरह से अध्ययन एवं क्रियान्वयन किया जाता है तो नुकसान न्यूनतम होगा। क्षेत्रीय विकास से एक बार निवेश तथा रोजगार अवसर सृजित हो जाने पर, ग्रामीण विकास के साझेदारों को हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि ग्रामीण गरीब विद्यमान अवसरों का लाभ उठा सकें।

ग्रामीण गरीबी को कम करने का एक मात्र संवहनीय तरीका ग्रामीण गरीबों को अपने स्वयं के परिवर्तन के एजेन्ट बनने देना है। इसके लिये सामाजिक समावेशन, पूर्ण नागरिकता अधिकार, और बाजार और राजनीतिक क्षेत्रों दोनों में बेहतर सौदों की मांग करने और सौदेबाजी करने की योग्यता की आवश्यकता है। क्योंकि ग्रामीण गरीब, नागरिक समाज के सर्वाधिक मूल तथा सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाला खंड है, यह भूतकालीन प्रस्थिति से बिल्कुल अलग है। बल्कि यह गरीबों में सबसे अधिक गरीब का मामला ज्यादा है। इसके लिये, ग्रामीण गरीबों प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों, जो उनकी ही आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, और जिन पर उनमा स्वामित्व है को बढ़ावा देने की जरूरत है।

वैश्वीकरण की शक्तियां जीवन स्तर को उन्नत करने, भूखमरी तथा गरीबी को समाप्त करने की सामर्थ्य रखती हैं। परन्तु वो धनवान को ज्यादा धनवान बनने तथा गरीब को ज्यादा गरीब बनने में भी समान रूप से सहायक हो सकती हैं। वांछित परिणाम पाने के लिये आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संस्थाओं को– वैश्विक रूप से, राष्ट्रीय रूप से और स्थानीय रूप से विकसित करना अनिवार्य है, यह संस्थाएं लाभों को ज्यादा समतुल्य रूप में फैलाएंगी।

संयुक्त राष्ट्र के पास शक्तियां हैं जो कार्य के लिये अहम् हैः यह विश्व के समस्त देशों का और विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा, आर्थिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और जेंडर एवं मानव अधिकारों के मुद्दों के क्षेत्रों में समस्त मानवीय प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है। इन सभी क्षेत्रों को सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों द्वारा सम्बोधित किया गया है। चुनौती यह है कि ऐसे एकीकृत विकास को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाए है कि इन सभी क्षेत्रों को सम्बोधित करे और उन्हें समेकित करे।

1-5-6 ,dhdr fodkl dk fojksèkkHkkl

कॉन्वे ने एकीकृत विकास के तीन विरोधाभासों की पहचान की है। पहला विरोधाभास, पण्यधारियों द्वारा लक्ष्यों के संघटकों के बजाय स्वयं लक्ष्यों पर अत्याधिक ध्यान केन्द्रित करने से उभरा है। ''एक अच्छा सादृश्य चित्रखंड पहेली (figsaw puzzle) है– फोकस पहेली समाप्त करने पर है, बजाय संघटक टुकड़ों पर, जिनमें से बहुत से समय सीमा के अन्दर प्राप्त करने योग्य हैं।'' दूसरे शब्दों में, यद्यपि लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके, प्रगति काफी होती है। दूसरा विरोधाभास समग्रता बनाम मुख्य उत्तोलक है। समग्र दृष्टिकोण अपनाने का अर्थ हो सकता है कि सब कुछ एकदम प्राप्त करने का प्रयास करना। ज्यादा व्यवहारिक दृष्टिकोण परिणाम प्राप्त करने में बाधाओं और मुख्य उत्तोलक बिन्दुओं का विश्लेषण करने का हो सकता है जो उन पर काबू पा लेगें। जब समस्या के समाधानों को मुख्य हस्तक्षेपों के सम्बन्ध में परिभाषित किया जाता है, तो इनको क्रियान्वित करने में प्रगति की निगरानी की जा सकती है और पृथक–पृथक लक्ष्यों को पूरा करने पर उपलब्धि का बोध वृहद होगा। तीसरा विरोधाभास ऊपर–से–नीचे तथा नीचे–से–ऊपर सहभागिता के बीच संघर्ष है। वैश्विक लक्ष्य और समग्र दृष्टिकोणों को अंगीकृत करने के साथ–साथ, ऊपर से नीचे नियोजन को अपनाने की लालसा रहती है। कुछ मायने में यह समुचित है। वैश्विक तथा राष्ट्रीय नीतियां एकीकृत विकास प्राप्त करने की कुंजी है।

ckèk iz'u 3

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।
ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. सहस्त्राब्दि विकास के लक्ष्य कौन से है।

....
....
....
....

2. एकीकृत विकास और उसके विभिन्न आयामों की अवधारणा को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं?

....
....
....
....

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

1-6 ekuo fodkl lwpdkad] tsMj lEcfU/kr fodkl lwpdkad vkSj tsMj l'kfDrdj.k eki lwfp;

मानव विकास सूचक (एच.डी.आई.) संश्लिष्ट सांख्यिकी है जिसे मानव विकास के स्तर द्वारा देशों को क्षेणीगत करने के लिये उपयोग किया जाता है। इसे विश्व भर के देशों के लिये जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर का तुलनात्मक माप समझा जाता है। मानव कल्याण में सुधार पर इसका फोकस अमर्त्य सेन और महबूब उल हक की कृति से उभर कर आया और यह, पूर्णत्या आर्थिक प्रगतियों के सम्बन्ध में देखे जाने वाले मानव विकास से बिल्कुल अलग है। क्षमताओं पर अमर्त्य सेन की कृति द्वारा अंतर्निहित प्रत्ययात्मक रूपरेखा प्रदान की गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी.) के वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदनों का सुस्पष्ट उद्देश्य फोकस को ''राष्ट्रीय आय लेखाकरण से जन–केन्द्रित नीतियों तक खिसकाना था।''

मानव विकास रिपोर्ट 2010 में, मानव विकास सूचक (एच.डी.आई.) जो मानव विकास रिपोर्ट 2009 तक प्रचलन में थे के तीन आयामों में परिवर्तन किया गया। तालिका 1.1 में तुलना प्रस्तुत की गई है।

Rkkfydk 1-1 % 2010 cuke 2009 esa ,p-Mh-vkbZ- ds rhu vk;keksa esa rqyuk

,p-Mh-vkbZ- ¼,p-Mh-vkj- 2010 vkSj igys dh½ vk;ke	,p-Mh-vkbZ- ¼,p-Mh-vkj- 2009½ ds vk;ke
1) दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन : जन के समय पर जीवन प्रत्याशा	1) जनसंख्या स्वास्थ्य एवं दीर्घायुता के सूचक के रूप में जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा
2) ज्ञान की गम्यता : विद्यालयी शिक्षा के औसत वर्ष और	2) प्रौढ़ साक्षरता दर (2/3 भार के साथ) और मिश्रित प्राथमिक, माध्यमिक तथा

विद्यालयी शिक्षा के प्रत्याशित वर्ष	तृतीयक कुल नामांकन दर (1/3 भार के साथ) के रूप में ज्ञान और शिक्षा
3) जीवन का शालीन स्तर : सकल राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति क्रय शक्ति समता या यू.एस. डॉलरस् में पी.पी.पी)	3) क्रय शक्ति समता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलु उत्पाद के स्वाभाविक लघुगणक द्वारा इंगित जीवन स्तर।

Lkzksr % यू.एन.डी.पी.

पूर्ववर्ती रिपोर्टों ने देशों को ''बहुत उच्च मानव विकास'' ''उच्च मानव विकास'' ''मध्यम मानव विकास'' और ''निम्न मानव विकास'' देशों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। एच. डी.आर. 2010 से, अद्यतन की गई प्रभाव सीमा, ने राष्ट्रों के मात्र तीन वर्गों–निम्न, मध्यम और उच्च मानव विकास देशों में वर्गीकरण की ओर प्रवृत किया है। अंतर्निहित सांख्यिकी में आंकड़े से सम्बन्धित त्रुटि पर उठी चिन्ता के जवाब में, यू.एन.डी.पी. अब जब कभी सूत्र अथवा आंकड़ा संशोधन किया जाता है तो मानव विकास वर्गों के सतत् अद्यतन की प्रणाली सृजित करता है।

मानव विकास रिपोर्ट 1995 ने जेंडर–सम्बन्धित विकास सूचक (जी.डी.आई.) और जेंडर सशक्तिकरण माप (जी.ई.एम.) प्रारम्भ किए। जी.डी.आई. जबकि महिलाओं और पुरुषों के बीच मूलभूत क्षमताओं के संदर्भ में उपलब्धि में असमानता का जायज़ा लेता है, जी.ई.एम. एजेन्सी का माप है। यह राजनीतिक सहभागिता और निर्णयन शक्ति, आर्थिक सहभागिता और संसाधनों पर नियन्त्रण के मापों के आधार पर परिकलित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एच.डी.आई. क्षमताओं के विस्तार पर फोकस करता परन्तु जी.ई.एम. जीवन के अवसरों का लाभ उठाने के लिये उन क्षमताओं के उपयोग के साथ सरोकार रखता है।

यू.एन.डी.पी. के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय ने जी.डी.आई. और जी.ई.एम. परियोजना का 2006 में पुनरावलोकन किया। पुनरावलोकन ने घोषित किया कि सूचकांको की गलत व्याख्या की गई है, विशेष रूप से जी.डी.आई. की। यू.एन.डी.पी., सरल शब्दों में, जी.डी. आई. को जेंडर असमानता के लिये, अधोमुखी समायोजित अथवा अवमूल्यित एच.डी.आई. के रूप में परिभाषित करता है। वास्तव में जैसा कि यू.एन.डी.पी. बताता है, एच.डी.आई. और जी.डी.आई. का अंतर या उन का अनुपात जेंडर असमानता का बेहतर सूचक प्रदान करता है।

1-7 ekuo fodkl lwpdkadksa dks tsMj % Hkkjr ds fy, tsMj fodkl lwpdkad vkSj tsMj l'kfDrdj.k ekidks iqu% LFkkfir djuk

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2009 में रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने इस पर ज़ोर दिया कि विकासशील देशों में विकास और सशक्तिकरण में जेंडर भेदों को सजीवतापूर्वक पकड़ने के लिये यू.एन.डी.पी. द्वारा विकसित जी.डी.आई. और जी. ई.एम को, पुनः स्थापित करना चाहिए। यह महसूस किया गया कि यह सूचक उत्तरी परिप्रेक्ष्य से विकसित किए गए है और दक्षिण परिप्रेक्ष्य को समामेलित नहीं करते है। रिपोर्ट ने ऐसे मुद्दों को सम्बोधित करने की चेष्टा की जैसे किः किस प्रकार हम जी.डी. आई. जी.ई.एम. को भारत के लिये ज्यादा अर्थपूर्ण बनाने के लिये आंकड़ें की उपलब्धता की सीमाओं के अन्दर उसे पुनः स्थापित कर सकते हैं? क्या जी.डी.आई. और जी.ई.एम. जेंडर समता निर्मित करने के लिये प्रभावपूर्ण उपकरण बन सकते हैं।

इसे उद्देश्य के रूप में लेते हुए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने भारत के लिये और राज्यों/संघ राज्यों के लिये जी.डी.आई. और जी.ई.एम. को पुनः स्थापित करने का फैसला किया। यू.एन.डी.पी., भी इस प्रयास को, एम.डब्लु.सी.डी.–यू.एन.डी.पी. परियोजनाः ''जेंडर समानता को बढ़ावा देना'' के जरिये तकनीकी तथा वित्तीय सहायता के साथ समर्थन करने भी आगे आया। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आई.आई.पी.ए.), नई दिल्ली को इस कार्यभार के लिये तकनीकी सहयोगी संस्थान के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है।

उपयोग किये गये सूचकों की अन्तिम सूची भारत के लिये तथा अधिकांश राज्यों तथा संघ राज्यों के लिये आंकड़े की उपलब्धता द्वारा प्रतिबंधित थी। अन्तिम रूप से चयनित सूचकों के लिये भी आंकड़ों का अन्तर विद्यमान है और इस कारण से औसतों की मान्यताएं/अनुप्रयुक्तियाँ अनिवार्य हो गई। जी.डी.आई. और जी.ई.एम. के अलावा, एच.डी.आई. को भी वर्ष 1996 और वर्ष 2006 के लिये परिकलित किया गया था और यह जी.डी.आई. के लिये अभिनिर्धारित सूचकों तथा आयामों पर आधारित था। एच.डी.आई., जी.डी.आई. और जी.ई.एम. के परिकलन के लिए अभिनिर्धारित आयाम तथा सूचक निम्नलिखित हैं :

एच.डी.आई. और जी.डी.आई. आयाम

i) एच.डी.आई. और जी.डी.आई. आयाम 1 : 'दीर्घ एवं स्वाथ्यपूर्ण जीवन'

   सूचक : (i) शिशु मृत्यु दर और (ii) 1 वर्ष की आयु पर जीवन प्रत्याशा।

   शिशु मृत्यु दर के नकारात्मक सूचक को, 1 से मूल्य को घटा कर, सकारात्मक सूचक में तबदील किया गया था।

ii) एच.डी.आई. और जी.डी.आई. आयाम 2 : 'ज्ञान'

   सूचक : (i) 7+ की साक्षरता दर और (ii) 15+ आयु वर्ग की शिक्षा के औसत वर्ष

iii) HDI और GDI आयाम 3 : 'रहन–सहन का शालीन स्तर'

   सूचक : (i) प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति महिला/पुरुष अनुमानित उपार्जित आय भाग।

जी.ई.एम. आयाम

जी.ई.एम. आयाम–1 : 'राजनीतिक सहभागिता और निर्णयन शक्ति'

सूचक : (i) संसदीय सीटो (निर्वाचित) का % हिस्सा; (ii) विधान मंडल (निर्वाचित) में सीटों का % हिस्सा; (iii) जिला परिषदों (निर्वाचित) में सीटों का % हिस्सा; (iv) ग्राम पंचायतों (निर्वाचित) में सीटों का % हिस्सा; (v) संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय दलों में निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रिया में % उम्मीदवार और (vi) संसदीय चुनाव में मत देने के अधिकार का उपयोग करने वाले % मतदाता।

जी.ई.एम. आयाम–2 : 'आर्थिक सहभागिता और निर्णयन शक्ति'

सूचक : (i) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारत वन सेवा में कार्यरत अधिकारियो का % हिस्सा; और (ii) मेडीकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन का % हिस्सा।

जी.ई.एम. आयाम–3 : 'आर्थिक संसाधनों पर अधिकार'

सूचक : (i) प्रचालनात्मक भूमि जोतों के साथ % महिलाएं/पुरुष (ii) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में बैंक खातों के साथ % महिलाएं/पुरुष (रूपये 2 लाख से अधिक की

ऋण सीमा के साथ); (iii) प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति महिला/पुरुष आनुमानित उपार्जित आय % हिस्सा।

भारत के लिये आनुमानित कुल एच.डी.आई. तथा जी.डी.आई. प्राप्तांक (Scores) वर्ष 1996 में क्रमशः 0.530 और 0.514 थे और वर्ष 2006 में क्रमशः 0.605 और 0.590 थे। एक दशक के समय के साथ,, मानव विकास सूचक का मूल्य 0.075 बिन्दु बढ़ गया और जेंडर विकास सूचक 0.076 बिन्दु बढ़ गया था। जेंडर विकास सूचक, महिला तथा पुरुषों के बीच अन्तरों के लिये समायोजित एच.डी.आई. है और भारत के लिये आनुमानित जी.डी.आई. प्राप्तांक (स्कोर) दोनों समय बिन्दुओं पर एच.डी.आई. प्राप्तांक से निम्न था। इसका कारण तीनों आयामों में जेंडर–आधारित विषमताओं की मौजूदगी है। तीनों में से प्रत्येक आयाम सूचक जो एच.डी.आई. और जी.डी.आई. बनाते हैं एक दशक के समय के साथ भी वृद्धि प्रकट करते हैं, और इस तरह से संकेत करते हैं कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति हुई है।

35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्राप्त एच.डी.आई. जी.डी.आई. और जी.ई.एम. प्राप्तांक मानव एवं जेंडर विकास सूचकों के सम्बन्ध में उनका निष्पादन प्रकट करते हैं (परिशिष्ट–2)। समय के साथ प्राप्तांकों तथा श्रेणियों में परिवर्तन यह चरित्रांकित करते है कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपनी संवृद्धि को किस सीमा तक अपने लोगों के लिये जीवन की बेहतर गुणवत्ता में बदलने में प्रगति की है। परिणामों और संसाधनों की गम्यता में विषमताएं दंडित ठहराई जाती हैं और जी.डी.आई. तथा जी.ई.एम. के सम्बन्ध में प्राप्ति के निम्न स्तरों में परिणित होती हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को दो समय बिन्दुओं पर HDI और GDI और GEM प्राप्तांकों और उनमें उन्नति के आधार पर, श्रेणीगत किया जा सकता है। तथापि, यह दोहराया जा सकता है कि प्राप्त किये गये प्राप्तांक तथा श्रेणियां सूचकों के विकल्प (उपलब्ध जेंडर वियोजित आंकड़ों द्वारा प्रतिबंधित), लक्ष्य पदों के विकल्प और उपयोग किये गये भार के विकल्पों इत्यादि के प्रति संवेदी हैं।

राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों द्वारा एच.डी.आई., जी.डी.आई. और जी.ई.एम. और इन सूचकों के आयामों के लिये प्राप्त स्कोर तथा रैंक (श्रेणियाँ) जेंडर–आधारित विषमताएं प्रकट करते हैं जिन्हें नीति निर्माताओं तथा विश्लेषकों द्वारा अर्थपूर्णता से उपयोग किया जा सकते हैं। उदाहरण के लिये, आन्ध्र प्रदेश जबकि स्वास्थ्य तथा आय सूचकों के सम्बन्ध में तुलनात्मक रूप से अच्छा निष्पादन करता है, महिला साक्षरता दर और शिक्षा के औसत वर्ष कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जहाँ उच्च स्तर की आय निर्धनता है के लिये अनुमानों से निम्न हैं। सूचक इस ओर ध्यान खींचते हैं और सुधार कार्य की मांग करते हैं। इसी प्रकार से, राष्ट्र भर में 'आर्थिक संसाधनों पर नियन्त्रण' आयाम पर प्राप्त निम्न प्राप्तांक गम्भीर जेंडर भेंदों की ओर ध्यान खींचते हैं जो कि संसाधनों तथा परिसम्पतियों की गम्यता और, जो महिलाओं द्वारा भूमि, पशुधन ऋण तथा उत्पादक संसाधनों की गम्यता में एतिहासिक भेदभाव का सामना किया जा रहा है, के सम्बन्ध में मौजूद है, यह सब भेदभाव बावजूद कृषि और खेत और खेती इतर परिवार आधारित आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं के अप्रदत्त और अमान्य योगदान के बावजूद मौजद है। इस पर विशेष ध्यान दिया जाना अनिवार्य है क्योंकि संसाधनों की गम्यता अवसरों को बढ़ा सकती है और क्षमताओं में वृद्ध की ओर अग्रसर कर सकती है, और इस तरह से जेंडर सशक्तिकरण तथा विकास के उच्च स्तरों की प्राप्ति हो सकेगी।

मानव तथा जेंडर विकास सूचकों को, निम्नलिखित के लिये बनाए गये कार्यक्रमों और स्कीमों के लिये संसाधनों का पुनः आबटन करने में उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है–

शासन के सभी स्तरों पर जेंडर भेदों को, निगरानी तथा नियमित रूप से प्रगति का लक्ष्यानुसरण और क्रियान्वयन सुनिश्चित करके ठीक करना;

महिलाओं को परिसम्पत्ति और आर्य अर्जनकारी अवसरों की गम्यता प्रदान करना जैसे कि सभी नागरिकों को काम करने का अधिकार प्रदान किया जाता है;

मर्यादित (या उचित) मजदूरी पर काम की गम्यता प्रदान करना ताकि गरीबी से छुटकारा हो सके और इस तरह से कार्य और रहन सहन के स्तर में जेंडर विषमता को कम कर सकें; और

रोग के भार को कम करने के लिये सुरक्षित पेय जल की गम्यता प्रदान करना; और स्वास्थ्य सुविधा की गम्यता एवं अस्वस्थता एवं मृत्यु संख्या घटाने के लिये चिकित्सा देखभाल की समय पर गम्यता प्रदान करना।

जेंडर बजटन के साथ मिल कर, एच.डी.आई. और जी.ई.एम., उपकरण बन जाते हैं जिन्हें गहरी जेंडर आधारित असमताओं को पहचानने के लिये उपयोग किया जा सकता है और, जेंडर–न्यायोचित तथा समतुल्य विकास परिणाम प्राप्त करने के लिये सुधारक नीतियों, कार्यक्रमों और स्कीमों को क्रियान्वित करने की आवश्यकता व्यक्त करने के लिये उपयोग किया जा सकता है। आंकड़ा सम्बन्धी अंतराल उपयुक्त सूचकों के निर्माण में अभी भी बाधा डालते हैं विशेष रूप से भू गम्यता, उत्पादक परिसम्पत्तियों, ऋण, आय इत्यादि की गम्यता के संदर्भ में। यह उचित समय है कि जेंडर–वियोजित आंकड़े में आंकड़ा अन्तराल को बंद करने को उचित प्राथमिकता दी जाए ताकि जेंडर भेदों को अच्छी तरह से मापा जा सके और नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के जरिये उन्हें सही किया जा सके।

1-8 lgL=kfCn fodkl y{; ¼,e-Mh-th-½

क्या आपको उप–खंड 1.5.5 में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों पर हमारी चर्चा स्मरण है? हमने आपको एम.डी.जी.एस का परिचय दिया था और किस प्रकार वे एकीकृत विकास की रूपरेखा प्रदान करते है यह बताया था। जो देश गरीबी उन्मूलन की, और लोगों का कुशलक्षेम उन्नत करने की चेष्टा कर रहे हैं उनके लिए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य मार्गदर्शी सिद्धान्त माने जाते हैं। आठ लक्ष्य हैं और सम्बन्धित लक्ष्य है जिन्हें वर्ष 1990 के मूल्य को आधार मानते हुए 2015 तक प्राप्त करना है और प्रगति की निगरानी करने के लिये 60 सूचक है। आठ विशिष्ट लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

गरीबी और भूखमरी का उन्मूलन;

सार्वभौगिक प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि;

जेंडर समानता को बढ़ावा देना तथा महिलाओं का सशक्तिकरण;

बाल मृत्यु दर को घटाना;

मातृ स्वास्थ्य सुधारना;

एच.आई.वी / एड्स, मलेरिया एवं अन्य रोगों के साथ संघर्ष / मुकाबला;

वातावरणीय चिरस्थायित्व सुनिश्चित करना; और

विकास हेतु वैश्विक साझेदरी विकसित करना।

सदस्य राज्यों ने वर्ष 2015 तक एम.डी.जी.एस को पूरा करने की शपथ ली है। दुर्भाग्यवश, अधिकांश देश, इस वायदे को पूरा करने के लिये जितनी प्रगति की आवश्यकता थी उससे

fodkl dk vk;ke rFkk y{; % ewyHkwr voèkkj.kk,a

खतरनाक ढंग से कम दर्ज कर रहे हैं। कुछ कार्रवाई द्वारा विकासशील विश्व को आपस में मिल कर अपनी प्रगति की दर को चार गुना बढ़ाना पड़ेगा ताकि लक्ष्यों तक पहुँचा जा सके। अभी भी, कुछ देश कुछ लक्ष्यों को पूरा करने के मार्ग में हैं – वैश्विक समुदाय को अपनी ऊर्जा को फिर से फोकस करना चाहिये और सफल कहानियों से सीखना चाहिये।

आइये अब भारतीय संदर्भ में एम.डी.जी.एस की चर्चा करते हैं

1-8-1 Hkkjr ds ,e-Mh-th-,l dh :ijs[kk % y{;] mnns'; vkSj lwpd

इस उपखंड में हम 'भारतीय संदर्भ में उद्‌विकसित सूचकों, लक्ष्य बिन्दु को संक्षिप्त करेंगे।

आइये सर्वप्रथम प्रत्येक एम.डी.जी. के सूचकों की जांच करते हैं।

y{; 1 % vR;Ur xjhch vkSj Hkq[kejh dk mUewyu

सूचक 1 : गरीबी प्रतिव्यक्ति अनुपात (राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत)

सूचक 2 : गरीबी अन्तराल/अन्तर अनुपात

सूचक 3 : राष्ट्रीय उपभोग में सर्वाधिक (दशमक) गरीब का हिस्सा

सूचक 4 : तीन वर्ष से कम आयू के बच्चों में कम वजन की व्यापकता

y{; 2 % lkoZHkkSfed izkFkfed f'k{kk dh miyfCèk

सूचक 6 : प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन अनुपात

सूचक 7 : श्रेणी–1 से प्रारम्भ करके श्रेणी–5 तक पहुँचने वाले छात्रों का अनुपात

सूचक 8 : 15–24 वर्ष की आयु के लोगों में साक्षरता दर

y{; 3 % tsaMj lekurk dks c<kok nsuk vkSj efgykvksa dk l'kfDrdj.k djuk

सूचक 9 : प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीय शिक्षा में बालिकाओं तथा बालकों का अनुपात

सूचक 10 : 15–24 वर्ष के आयु वर्ग में पुरुषों पर साक्षर महिलाओं का अनुपात

सूचक 11 : कृषि इतर क्षेत्र में मजदूरी रोजगार में महिलाओं का भाग

सूचक 12 : राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की सीटों का अनुपात

y{; 4 % cky eR;q nj de djuk

सूचक 13 : पांच से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर

सूचक 14 : शिशु मृत्यु दर

सूचक 15 : खसरा के विरूद्ध टीका लगवाने वाले एक वर्ष की आयु के बच्चों का अनुपात

y{; 5 % ekr` LokLF; lq/kkjuk

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

सूचक 16 : मातृ मृत्यु दर

सूचक 17 : कौशल युक्त / प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में प्रसवों का अनुपात

y{; 6 % ,p-vkbZ-oh-@,M~l] eysfj;k ,oa vU; jksxksa dk lkFk l?k"kZ

सूचक 18 : 15–24 वर्ष की आयु की गर्भवती महिलाओं में एच.आई.वी. की व्यापकता

सूचक 19 : गर्भ निरोधक की कोण्डोम उपयोग की दर की व्यापकता दर

सूचक 19ए : अन्तिम अधिक जोखिम पूर्ण सैक्स की स्थिति में कोण्डोम का उपयोग

सूचक 19बी : एच.आई.वी. / एड्स की सही जानकारी रखने वाली 15–24 वर्ष की आयु की जनसंख्या का प्रतिशत

सूचक 19सी : गर्भ निरोधक प्रचलन दर

सूचक 21 : मलेरिया सम्बन्धित मृत्यु दरें तथा व्यापकता

सूचक 22 : मलेरिया जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में जनसंख्या जो मलेरिया निवारण एवं उपचार उपायों का उपयोग करती है का अनुपात

सूचक 23 : टी.बी. से जुड़ी मृत्यु दरों की व्यापकता

सूचक 24 : डॉट्स के अन्तर्गत पता लगाये टी.बी. के मामले और जो रोग मुक्त हुए का अनुपात

y{; 6 % okrkoj.kh; fpjdkfydrk	
सूचक 25:	वन आच्छादित भू क्षेत्र का अनुपात
सूचक 26:	जैव विविधता बनाए रखने के लिये परिरक्षित क्षेत्र का भूतल क्षेत्र से अनुपात
सूचक 27:	प्रति इकाई जी.डी.पी. (रूपये) ऊर्जा उपयोग (के.जी. तेल समतुल्य)
सूचक 28:	प्रति व्यक्ति कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन और ओज़ोन कम करने वाली क्लोरोफ्लूरो कार्बन्स (ओ.डी.पी. टन्स) का उपभोग
सूचक 29:	ठोस इंधन का उपयोग करने वाली जनसंख्या का अनुपात, 2015
सूचक 30:	उन्नत जल स्रोत की चिरस्थायी गम्यता प्राप्त वाली जनसंख्या, नगरीय एवं ग्रामीण का अनुपात
सूचक 31:	उन्नत स्वच्छता की गम्यता के साथ जनसंख्या, नगरीय एवं ग्रामीण का अनुपात
सूचक 32:	सुरक्षित काश्तकारी अवधि की गम्यता युक्त परिवारों का अनुपात

भारत में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य आधारित सूचक किसी जिला एवं निम्न स्तरों पर परिकलित करने का सुझाव दिया गया है श्रीनिवासन (2010) द्वारा बताये गये हैं। तालिका– 1.2 लक्ष्य तथा लक्ष्य बिन्दुओं (सहस्त्राब्दि घोषणा से) को संक्षिप्त करती है और प्रगति की निगरानी के लिये सूचक बताती है।

Rkfydk 1-2 % ,e-Mh-th-,l % y{; ,oa y{; fcUnq rFkk lwpd

Yk{; vkSj y{; fcUnq ¼lgL=kfCn ?kks"k.kk ls½	izxfr ekiu ds fy;s lwpd
Yk{;&1 % vR;Ur xjhch ,oa	• (प्रतिदिन) ... से नीचे जनसंख्या का अनुपात • गरीबी रेखा से नीचे वालों का अनुपात • जनसंख्या में रोजगार का अनुपात • एन.आर.ई.जी.ए. लाभ प्राप्त कर रहे श्रमबल का अनुपात • कुल रोजगार में स्वयं अपने से योगदान दे रहे परिवार के सदस्यों का अनुपात • पांच से कम वर्ष के बच्चों में कम वजन की व्यापकता। • आहारीय ऊर्जा उपभोग के न्यूनतम स्तर से नीचे की जनसंख्या का अनुपात • प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन अनुपात • श्रेणी–1 से शुरू करके प्राथमिक की अन्तिम श्रेणी तक पहुंचने वाले बच्चों का अनुपात • 15–24 वर्ष की आयु के स्त्री एवं पुरुषों की साक्षरता दर

Hk[kejh dk mUewyu djuk लक्ष्यबिन्दु–1ए : 1990 और 2015 के बीच प्रतिदिन एक डॉलर से कम की आय वाले लोगों के अनुपात को आधा करना है। लक्ष्यबिन्दु–1बी : महिलाएं और युवा समेत सभी लोगों के लिये पूर्ण और उत्पादक रोज़गार और शालीन कार्य	• प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में बालिकाओं और बालकों का अनुपात • कृषि इतर क्षेत्र में मजदूरी रोजगार में महिलाओं का हिस्सा • राष्ट्रीय संसद में महिलाओं की सीटों का अनुपात
उपलब्ध कराना है। लक्ष्यबिन्दु–1सी : 1990 और 2015 के बीच भूख का कष्ट भोगने वाले लोगों के अनुपात को आधा करो।	• पांच वर्ष से कम आयु वर्ग में मृत्यु दर • बाल मृत्यु दर • खसरे का टीका लगवाने वाले एक वर्षीय बच्चों का अनुपात
Yk{;&2 % lkoZHkkSfed ikFkfed f'k{kk dh ikfIr लक्ष्यबिन्दु–2ए : 2015 तक यह सुनिश्चित करना कि सब जगह, बालिकाएं और बालक समान रूप से प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम समाप्त कर पाएंगे। Yk{;& 3 % tsMj lekurk dks c<kok nsuk vkSj efgykvksa dk l'kfDrdj.k	• मातृ मृत्यु अनुपात • प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में प्रसवों का अनुपात • गर्भनिरोधक की व्यापकता की दर • किशोर • प्रसवपूर्व देखभाल कवरेज (कम से कम एक दौरा और कम से कम 4 दौरे) • परिवार नियोजन के लिये न पूरी हुई आवश्यकता

लक्ष्यबिन्दु– 3ए : प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जेंडर भेद को समाप्त करना, 2005 तक बेहतर है, और 2015 तक शिक्षा के सभी स्तरों में कृषि क्षेत्र

Yk{;& 4 % f'k'kq e`R;q nj ?kVkuk

लक्ष्यबिन्दु– 4ए : 1990 और 2015 की बीच, पांच से कम वर्ष की आयु वर्ग में मृत्यु दर का दो–तिहाई कम करना।

Yk{;& 5 % ekr` LokLF; lq/kkjuk

लक्ष्यबिन्दु– 5ए : 1990 और 2015 के बीच, मातृ मृत्यु दर को तीन–चौथाई कम करना

लक्ष्यबिन्दु– 5बी : 2015 तक प्रजननीय स्वास्थ्य तक सार्वत्रिक गम्यता

course of primary schooling	• Literacy rate of 15... women and men
Goal 3: Promote Gender Equality and Empower Women Target 3.A: Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015 agricultural sector	• Ratios of girls to bo... secondary and tert... • Share of women ... employment in th... agricultural sector • Proportion of sea... women in nationa...
Goal 4: Reduce Child Mortality Target 4.A: Reduce by two-thirds, between 1990 and 2015, the under five mortality rate	• Under-five mortal... • Infant mortality ra... • Proportion of 1 y... receiving measles
Goal 5: Improve Maternal Health Target 5.A: Reduce by three quarters, between 1990 and 2015, the maternal mortality rate Target 5.B: Achieve, by 2015, universal access to reproductive health	• Maternal mortality... • Proportion of birth... skilled health pers... • Contraceptive pre... • Adolescent birth ... • Antenatal care cov... one visit and at lea...

स्रोत : के. श्रीनिवासन (2010) 'डेमोग्राफिक टेकनीक्स फॉर सब–नेशनल एस्टीमेशन : ए प्रीलिमिनेयरी अप्रेज़ल' से रूपान्तरित, में के.एस. शर्मा, अरविंद पांडे, धनंजय डब्लु बांसोद एवं लेखा सुबाया (सम्पादक) 'पोपुलेशन, जेंडर एण्ड हैल्थ इन इंडिया : मैथड्स, प्रौसिसस एण्ड पोलिसिस, न्यू दिल्ली : अकेडेमिक फाउन्डेशन।

1-8-2 ,e-Mh-th- vkj xkeh.k fodkl

एम.डी.जी.एस. विशेष देशों या जनसंख्याओं का संकेत नहीं करते हैं परन्तु निरी संख्या के लिये अनिवार्य है कि विकास प्रयास कुछ क्षेत्रों में फोकस करें। वे लोग जो अत्यन्त गरीबी में रहते हैं, प्रति दिन एक डॉलर से कम पर गुजर बसर करते हैं, विकासशील विश्व में अनुमानितः 75% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। अतः, एम.डी.जी.एस. प्राप्त करने के लिये ग्रामीण विकास बिल्कुल अनिवार्य है।

1990 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय विकास समुदाय का ध्यान कई कारणों से ग्रामीण क्षेत्र से दूर हटा दिया गया है। पारम्परिक रूप से, कुछ नीतियों को प्रगति की विशेष कल्पना के इर्द–गिर्दही निर्मित किया गया है, जिसमें ग्रामीण कृषिक समाज को आधुनिक, औद्योगिक विकास की ओर सोपान के रूप में देखा गया है। इस मॉडल के अनुसार, लघुधारक काश्तकार जीवन मजदूरी श्रम की ओर के मार्ग में अन्तरवर्ती मॉडल है। परन्तु यह मॉडल अधिकांश विकासशील दुनियां की वास्तविकता को अनिवार्य रूप से प्रकट नहीं करता है। यह सत्य है कि सम्पूर्ण प्रवृति नगरीयकरण की ओर बढ़ने की है, परन्तु गति धीमी है, और आने वाले कई वर्षों तक अत्यन्त गरीब लोगों का बहुसंख्यक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता रहेगा। इसलिये कृषिगत विकास, किसी भी एकीकृत विकास प्रयासों की नींव का पत्थर है।

कुछ मायने में, नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की सहायता करना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वे लोग इतने ज्यादा अधिक छितरे हुए फैले हैं। उदाहरण के लिये, ग्रामीण परिवृत क्षेत्र में स्कूल शायद कुछ दर्जन बच्चों को पढ़ाएगा, जबकि शहरी स्कूल सैंकड़ों या हजारों बच्चों को पढ़ा सकता है। शहरी क्षेत्रों में सरकारें अव्यवस्थित होने लगती हैं और पदाधिकारी द्वारा अपने स्थानीय मतदाताओं की ज़रूरतों को पूरा करना ज्यादा संभावित होता है विशेष रूप से उनके लिए जिनके सीमित संसाधन है। परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहें लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना जरूरी होता है, और इसलिये आज वैश्विक साझेदारी का समय है– संयुक्त राष्ट्र एजेन्सियों से लेकर गांवो में रह रहें माता–पिता की लाभबंदी करना आवश्यक है, सृजनात्मक ढंग से उन्हें इकट्ठा किया जाए जिससे कि ग्रामीण लोगों का जीवन सुधर पाए।

ग्रामीण जनसंख्याओं के प्रति उपेक्षा की प्रवृति उलटना प्रारम्भ हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता को प्रभावपूर्ण बनाने की कुंजी आर्थिक सहायता के प्रापकों को एजेंन्सी सौपना है। इसे प्राप्त करने में सहायता के लिये, विकास प्रयासों को सामान्य तौर पर विकेन्द्रित मॉडल को अपनाना चाहिए। ऐसा मॉडल जो बड़े संगठनों के अनुभवों तथा सहायता का उपयोग तो करें परन्तु वैयक्तिक स्थानीय लोगों के साथ बंधा रहे। सफल विकास प्रयास मांग–चालित होंगे; इसे सूकर बनाने के लिये एक तरीका पूर्व विद्यमान स्थानीय संगठनों जैसे खेत सहकारी संघ, जल उपयोक्ता समूह, और धार्मिक तथा सामूदायिक संघ को समामेलित करना चाहिए।

1-9 tsaMj vkSj lgL=kfCn fodkl y{;

यह परिच्छेद निकोला जोन्स, रिबेका होल्मस और जैसिका एसपे द्वारा सितम्बर 2008 में ओवरसीज़ डेवलेपमेंट इंस्टीट्यूट के लिये तैयार कि, विवरण लेख–42 से लिया गया है।

जेंडर असमानता गरीबी और दुर्बलता या संवेदनशीलता को उत्पन्न करती है। परन्तु वृहदतर जेंडर समानता गरीबी और संवेदनशीलता (आर्थिक+सामाजिक संवेदनशीलता) के मूल कारणों को घटाने मे सहायता कर सकती है और चिरस्थायी गरीब–पक्षी संवृद्धि के प्रति योगदान कर सकती है। यह मान लेने पर कि सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य मुख्य विकास चुनौतियों को सम्बोधित करते हैं, समस्त लक्ष्यों में जेंडर फोकस की अपेक्षा की जाऐगी। तथ्य यह है कि गरीबी के अनुभव, लिंग, आयु, नृजातीयता और स्थान के अनुसार भिन्न–भिन्न होते है। तथापि, सिर्फ एम.डी.जी. 3 और 5 में ही जेंडर सुस्पष्ट है। एम.डी.जी. 3 शिक्षा में जेंडर समता का; मजदूरी या वेतनिक रोजगार में महिलाओं के हिस्से का; राष्ट्रीय विधायिकाओं में महिलाओं द्वारा प्राप्त सीटों के अनुपात का माप करता है एम.डी.जी. 5 मातृ मृत्यु संख्या और, 2005 से, प्रजनन स्वास्थ्य की सार्वभौमिक गम्यता पर फोकस करता है। मात्र दो एम.डी. लक्ष्यों में यह सुस्पष्ट समावेशन अति सकीर्ण है, और अन्य जेंडर–विशिष्ट जोखिमों तथा संवेदनशीलताओं, भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों, और सत्ता सम्बन्धों को एक ओर किनारे पर कर देता है। यह असम्भावित है कि यह जेंडर समानता और लड़कियों एवं स्त्रियों के सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करे, या उन विकास चुनौतियों का मुकाबला करे जिस पर गरीबी में चिरस्थायी ह्रास के लिये काबू पा लेना चाहिये। अन्य सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य सूचकों की जेंडर–अंधता द्वारा इन सीमाओं में वृद्धि होती है, और यह तथ्य कि जेंडर गत्यात्मकताएं, जो लक्ष्यों की सीमा से बाहर जाती हैं नीतिगत वार्तालापों में तुलनात्मक रूप से अदृश्य होती हैं। निकोला जोन्स व अन्य द्वारा तैयार किया गया विवरण लेख इस बात की परिचर्चा करता है कि किस प्रकार जेंडर सम्बन्ध चार गुच्छों के लक्ष्यों को मजबूत करते हैं– गरीबी और चिरस्थायी विकास को; सेवा की गम्यता, देखभाल तथा देखभाल करना, और वॉयस (voice) एवं एजेन्सी। यह एम.डी.जी. की प्राप्ति के अंतः सम्बन्धित जेंडर–संवेदी उपागम को बढ़ावा देने के तरीकों पर विचार करता है, और एम.डी.जी. लक्ष्यों के बीच सहक्रिया अधिकतम करने और एम. डी.जी.एस. और जेंडर संवेदी सामाजिक सुरक्षा के बीच अंतराफलक पर भी विचार करता है।

xjhch vkSj fpjLFkk;h fodkl

लगभग 443 मि. लोग अत्यन्त गरीबी (सी.पी.आर.सी. 2008) में रहते हैं। तथापि, एम.डी. लक्ष्य–1 (अत्यन्त गरीबी और भूखमरी उन्मूलन) और एम.डी. लक्ष्य–7 (वातावरणीय चिरस्थायित्व) के सम्बन्ध में प्रगति पीछे रह गई है, कुछ अन्य लक्ष्यों में अच्छी प्रगति हुई। लिंग विखंडित आंकड़े का अभाव, गरीबी तथा खाद्य असुरक्षा की जेंडर–गत्यात्मकता पर मुखोटा डाल देता है, और लिंगों के बीच की असमानताओं को छुपाता है, और सत्ता तथा जिम्मेदारी के सम्बन्धों की उपेक्षा करता है।

जीविकाएं परिवार तथा अंतःपरिवार क्षमताओं और संसाधनों से प्रभावित होती हैं जो, बदले में, बाह्य अवसरों या खतरों के प्रति परिवार की प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। विश्व के बहुत से भागों में, कृषि कार्मिकों का बड़ा और बढ़ता हुआ अनुपात स्त्रियां हैं। बहुत से देशों में, महिलाएं पारिवारिक खाद्य उत्पादन तथा उपभोग के लिये भी जिम्मेदार होती है। बदलते विकास सन्दर्भ में, वैश्वीकरण तथा जलवायु परिवर्तन समेत, महिलाओं का सशक्तिकरण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा के बीच सम्बन्ध अति महत्वपूर्ण

है, फिर भी प्रायः इनकी उपेक्षा की जाती है।

जब संसाधनों पर महिलाओं का स्वामित्व तथा नियन्त्रण होता है और उन्हें उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त होती है, तो यह वृहदतर उत्पादकता की ओर प्रवृत करता है (विश्व बैंक 2001, 2007)। फिर भी, प्रचलित दृष्टिकोणों और भेदमूलक नियमों तथा संस्थाओं के परिणामस्वरूप कइयों को स्वामित्व तथा शिक्षा की प्राप्ति के रास्ते में रूकावटों का सामना करना पड़ता है। जबकि वैश्वीकरण का अर्थ स्त्रियों के लिये नवीन श्रम अवसरों का हुआ है वे अब भी पुरुषों से कम आय अर्जन कर रही हैं, एक समान कामों में भी (ibid/पूर्वोक्त)। इसके अतिरिक्त, उनका रोजगार अक्सर अनौपचारिक होता है, और सामाजिक सुरक्षा तथा पूर्वानुमेय आय तक गम्यता का अभाव होता है। जेंडर समता सूचक (जी.ई.आई.) जेंडर अन्तरों में से कुछ को पकड़ने की कोशिश करता है। सोशल वाच द्वारा उत्पन्न किया गया जी.ई.आई, तीन क्षेत्रों की जांच पड़ताल करता हैः आर्थिक गतिविधि, सशक्तिकरण तथा शिक्षा। स्कोर जितना उच्च होगा उतना ही जेंडर समता का स्तर ऊंचा होगा।

lsokvks dh vfHkxE;rk

लगभग 64% सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य सेवा सम्बन्धित लक्ष्यों (2,3,6 और 7) को निशाना बनाते हैं, वे रास्ते से हट गये हैं। इन्हें जेंडर के चश्में से देखना बहुत भिन्न चुनौतियों को समझने के महत्व को रेखांकित करता है जिन्हें कि पुरुष और महिलाओं, लड़कियों और लड़कों को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को गम्य करने में सामना करना पड़ता है। कुछ तो जैविक अन्तरों (अपसारी रोगभार) से सम्बन्धित हैं जिन्हें नीति डिज़ाइन करने में अति कम ध्यान दिया जाता है, जैसे कि गर्भवती महिला को मलेरिया के वृहदतर खतरे की संभावना होती है। अन्य जैविक तथा सामाजिक कारकों के संयोजन से सम्बन्धित हैं जिनकी, सेवा सुपुर्दगी के संकीर्ण क्षेत्रीय उपागमों के कारण उपेक्षा की जा सकती है। प्रभावी उदाहरण एच.आई.वी./एड्स का बढ़ता हुआ 'स्त्रीकरण' है– संक्रमण के प्रति स्त्रियों की ज्यादा अधिक जैविक संवेदनशीलता और उनमें शक्ति का तुलनात्मक अभाव होने का परिणाम, विशेष रूप से युवा स्त्रियों की सुरक्षित यौन सम्बन्ध की क्षमता को प्रतिबंधित करता है।

अतिरिक्त चुनौतियां सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर भूमिकाओं, देखभाल तथा उत्पादन की दोहरी भूमिकाओं जिनका भार स्त्रियां उठाती है से सम्बन्धित हैं। कालिक गरीबी महत्वपूर्ण चर है, जो महिलाओं को आनुपातिक रूप से प्रभावित करता है। ब्राज़ील में 90% महिलाएं सप्ताह में औसतन् 20 घंटे अप्रदत्त घरेलू कामों में खर्च करती है, इसके विपरीत, 45% पुरुष सप्ताह में औसतन् 7 घंटे ही ऐसे कामों में लगाते हैं (जोन्स एवं बेकर, 2008) यह महिलाओं पर सामाजिक रूप से आरोपित कार्यभार को और उन तरीकों को रेखांकित करता है जिन तरीकों से सामाजिक–सांस्कृतिक गत्यात्मकता महिला की शिक्षा और अवसरों को सीमित करती है। कालिक गरीबी एम.डी.लक्ष्य–6 (हत्यारे रोग से संघर्ष), और एम.डी. लक्ष्य–7 (वातावरणीय चिरस्थायित्व) दोनों का प्रभावित करती है। यदि औषधालय दूर हैं, और वहन–करने–योग्य बाल देखभाल अनोपलब्ध/उपलब्ध है। यह महिलाओं को स्वास्थ्य देखरेख संबंधी सेवा गम्य करने से रोक सकती है। इसी तरह से, वातावरणीय अवनति कालिक गरीबी को बद्तर बना सकती है यदि, महिलाएं और लड़कियां इंधन लकड़ी और जल की आपूर्ति खोजने लम्बी दूरी का रास्ता तय करती है।

समतुल्य सेवा सुपुर्दगी में दूसरी रूकावट जेंडर–संवेदी सूचकों का सीमित दस्तूरी उपयोग है। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा (एम.डी.जी.–2) के लक्ष्य को अन्य लक्ष्यों की तुलना में जबकि अत्याधिक प्राप्य घोषित किया गया है, प्रगति को मापने के सूचक जेंडर और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच सम्बन्ध की स्वीकृति नहीं देते हैं? यानि कि, नामांकन अनिवार्यतः सतत् उपस्थिति या समाप्ति प्रकट नहीं करता है। यह शिक्षा (एम.डी.जी.–3) लैंगिक

समता के आंकलन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। लड़कियों–विशेष रूप से किशोरियों को स्कूल उपस्थिति के रास्ते में जेंडर–विशिष्ट बाधाओं का प्रायः सामना करना पड़ता है। इनमें समाविष्ट है– पारिवारिक छुटपुट कामों की मांग और छोटे भाई–बहनों की देखभाल; पुत्र की शिक्षा के लिये माता–पिता की वरीयता; और स्कूल जाने के मार्ग में यौन हिंसा का भय।

n[kHkky rFkk n[kHkky djuk ¼Care and Care-giving½

नारीवीद चिंतन तथा वार्तालाप ने विकास में देखभाल तथा देखभाल करने की दृश्यता (या प्रत्यक्षता) और मूल्य को बढ़ा दिया है। इसके लिये सोच में बदलाव आवश्यक है, पूरे जीवन चक्र के दौरान देखभाल को समाज और राज्य के संयुक्त उत्तरदायित्व के रूप में देखा जाए बजाय केवल महिलाओं के। एम.ड़ी.जी.–4 (बाल मृत्यु संख्या) और 5 (मातृ मृत्यु संख्या) की धीमी प्रगति के बावजूद, एम.डी.जी.एस को देखभाल की जेंडर संवेदी व्यवस्थाओं से संबंधित करने की चर्चा सीमित रहीं। तथापि, जेंडर तथा देखभाल परिप्रेक्ष्य अपनाना, हमें प्रौद्योगिकी (जैसे कि टीका) और बुनियादी ढ़ाचे (जैसे नवीन स्वास्थ्य औषधालय) पर एकमात्र निर्भरता से परे, नीतियों तथा कार्यक्रमों की ओर ले जाता है, जो कि जेंडर समेत, अंतर्निहित सामाजिक निर्धारकों के स्पष्ट विश्लेषण द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। गेवी (GAVI) एलायंस के विशेष आदेश से, हाल ही के शोध ने, पाया कि बचपन की बिमारियों के लिए टीकाकरण सेवाओं की जेंडर तटस्थता के बारे में पूर्ववर्ती मान्यताओं के विपरीत, कवरेज़ में जेंडर भेद होते हैं। दक्षिण एशिया में, पुत्र के लिये वरीयता के कारण, बहुत सी लड़कियों का टीकाकरण जबकि नहीं हो पाता है, अफ्रीका के कुछ भागों में बन्ध्याकरण के भय से कुछ लड़कों का टीकाकरण नहीं किया जाता है। विशेष रूप से, सर्वाधिक गरीब बच्चों तक पहुँचना, जेंडर सम्बन्धित बाधाओं पर सुदृढ़ फोकस आवश्यक बना देता है, क्योंकि ये संसाधन प्रतिबंध, निम्न शिक्षा स्तरों और स्थानिक गरीबी (जोन्स एवं अन्य, 2008) द्वारा प्रायः बद्वतर हो जाती हैं।

गुणवत्तापूर्ण मातृ एवं प्रजननीय स्वास्थ्य देखभाल की समतुल्य गम्यता को, जेंडरड सत्ता सम्बन्धों और संसाधन प्रतिबंधों को सम्बोधित करने के उपायों समेत स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के व्यापक उपागम की आवश्यकता है। शोध बताता है कि बाल मृत्यु संख्या को सुधारने के लिये भी व्यापक बदलाव चाहिए। हाल ही की डब्लु.टी.ओ. की समीक्षा ने प्रदर्शित किया है कि पुरुषों को अपने बच्चों की सहायता एवं देखभाल में सक्रिय भूमिका निभाने के लिये प्रोत्साहित करने वाले कार्यक्रमों ने काफी बेहतर बाल एवं मातृ स्वास्थ्य परिणामों की ओर प्रवृत किया है। तथापि, ऐसे प्रयत्नों के लिए पुरुषत्व की प्रचलित धारणाओं के लिये अत्याधिक संवेदनशीलता की आवश्यकता है जो कि देखभाल की भूमिकाओं के साथ प्रायः असंगत होती हैं (डब्लु.एच.ओ., 2007)। समष्टि स्तर पर, देखभाल सेवाओं और देखभालकर्ताओं के पक्ष समर्थन में प्रगति के लिये, सरकारों और विकास साझेदारों को जवाबदेय ठहराना, अत्यन्त महत्वपूर्ण परन्तु उपेक्षित क्षेत्र है। लिंग विखंडित (disaggregated) आंकड़े एकत्रित करने, उसका विश्लेषण करने और उस पर नियमित रूप से सूचना देना अनिवार्य है, जैसे कि गरीब–पक्षीय तथा जेंडर प्रतिक्रियाशील बजट विश्लेषण और निगरानी (मोनीटरिंग) के उपागमों को उच्चस्तर पर लाना और उनका सांस्थानिकीकरण करना भी अनिवार्य है।

ifjorZu dk ,tsUV dk :Ik esa efgyk,a

अपने विचारों को अर्थपूर्ण ढंग से स्पष्ट करने (आवाज) और अपने स्वयं के सशक्तिकरण का एजेन्ट बनने (एजेन्सी) की महिलाओं की क्षमता को प्रौन्नत करना, मन में गहरे स्थापित सामाजिक–सांस्कृतिक अनुबन्धन और श्रम के जेंडरड (लिंगीय) विभाजन पर

काबू पाने के लिये अत्यन्त आवश्यक है। एम.डी.जी. 3 सशक्तिकरण के दो पहलुओं से सम्बन्ध रखता है– शिक्षा और राष्ट्रीय राजनीतिक प्रतिनिधित्व। तथापि, जैसाकि लैटिन अमेरिका में अनुभव दर्शाता है, महिलाओं के लिये विधान मंडलों में व्यापक कोटा और महिलाओं के लिये उच्च शिक्षा की दरों का अक्सर पुरुषों के लिये जो दरें हैं उन्हें लांघ जाने के साथ ही, सशक्तिकरण के लिये ज्यादा व्यापक या समग्र उपागम की आवश्यकता है। यह, महिलाओं की संसाधन गम्यता (अर्थात् ऋण, प्रशिक्षण, उत्तराधिकार तथा भूमि अधिकार) और उन संसाधनों का उपयोग करने की उनकी क्षमता (अर्थात् भेदभाव–विरोधी और जेंडर–आधारित हिंसा कानून, जेंडर–जागरूक न्याय प्रणालियां, और जेंडर असमानता को सुधारने की सरकारी क्रियाविधियों के जरिये) को सुधारने के प्रयासों को समाविष्ट करता है।

एम.डी.जी. 8, जो उन्नत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहायता और सहयोग पर फोकस करता है, अंतर्राष्ट्रीय वातावरणीय, जो महिलाओं की आवाज (voice) और एजेन्सी का ज्यादा सहायक है, सृजित करने का महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है। जबकि एम.डी.जी. 8 की, एम.डी. लक्ष्यों के प्रति नॉर्थ के योगदान के माप के लिये कुछ ही सूचक निश्चित करने, और जेंडर परिप्रेक्ष्य की अनुपस्थिति के लिये अलोचना की जाती है, सिर्फ उन तरीकों का जिससे वैश्विक समष्टि–आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का लैंगिकीकरण किया जाता है पहचानने से ही लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रभावी एवं चिरस्थायी तरीके ज्ञात कर पाना। उदाहरण के लिये, लैटिन अमेरिका में हाल ही के स्वतन्त्र व्यापार समझौतों में, जेंडर मुद्दों के प्रति प्रतिबद्धताओं को समाविष्ट किया गया है, परन्तु उन्हें व्यवहार में लाने के लिये नॉर्थ और साऊथ में सरकारी और गैर–सरकारी कर्त्ताओं द्वारा संगठित कार्रवाई की आवश्यकता है। आर्थिक सहायता पर, पैरिस घोषणा पत्र में, परस्पर टकराव वाले मुद्दे के रूप में जेंडर समानता की स्वीकृति, और जेंडर समानता के लक्ष्यों के लिये समुद्रपार विकास सहायता के योगदान के मूल्यांकन हेतु, विकास सहायता समिति द्वारा जेंडर मार्कर (संकेतक) का सृजन, महत्वपूर्ण प्रथम सोपन हैं। तथापि, जनरल बजट सपोर्ट (सामान्य बजट पक्षसमर्थन) के प्रति क्रिया के संदर्भ में, सर्वसम्मति में वृद्धि हो रही है कि नीतिगत वाष्पीकरण–नीति क्रियान्वयन के दौरान जेंडर समानता प्रतिबद्धताओं का हल्का पड़ने–के साथ मुकाबला करने के लिये, और यह सुनिश्चित करने के लिये कि सभी क्षेत्रों के कार्यकारी समूहों द्वारा जेंडर चश्मा उपयोग किया जा रहा है, ज्यादा अग्रसक्रिय उपायों की आवश्यकता है। जेंडर समानता पर कार्य कर रहे नागरिक समाज समूहों को पर्याप्त संसाधन प्रदान करने तथा नीतिगत वार्तालापों में उनके प्रतिनिधित्व को सूकर बनाने के लिए क्षमता सुदृढीकरण समर्थन देने के लिये नवीन प्रकारताएं (modalities) भी आवश्यक हैं। बढ़ती हुई सार्वजनिक–निजी साझेदारियों, जैसे ग्लोबल फंड टूफाइट एड्स, टी.बी. एण्ड मलेरिया, अंतर्राष्ट्रीय विकास 'वस्तुओं की सुपुर्दगी के साथ, जेंडर सम्बन्धी मुद्दों पर निजी क्षेत्र की जागरूकता बढ़ाने के लिये नवप्रवर्तनीय उपागमों की आवश्यकता है।

lHkh lgL=kfCn fodkl y{;ksa dh vkilh lgfØ;k dk vfèkdre djuk

इस बात की समझ कि किस प्रकार से जेंडर समानता में उन्नतियां, गरीबी में कमी तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबन्ध के साथ जुड़ी हैं समस्त लक्ष्यों के बीच अनुनादित होनी चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय विकास में सुदृढ़ वैश्विक साझेदारी के लिये मांग, मौजूदा जेंडर–सम्बन्धित रूपरेखाओं के प्रति नवीकृत प्रतिबद्धताओं के द्वारा पूरक होनी चाहिए। जेंडर–सम्बन्धित रूपरेखा में महिला विरूद्ध सर्वरूपी भेदभाव उन्मूलन अभिसमय (सीडॉ) और कार्रवाई हेतु बीजिंग मंच भी समविष्ट हैं। यह पुंजद्वीप जेंडर विशिष्ट मुद्दे जो सहस्त्राब्दि लक्ष्यों में सामान्यत्या अदृश्य रहते हैं परन्तु अपनी उपलब्धि में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि

fodkl dk vk;ke rFkk y{; % ewyHkwr voèkkj.kk,a

जेंडर–आधारित हिंसा, हानिकर पारम्परिक प्रथाएं (अर्थात् स्त्री जननांग विकृतिकरण और बाल विवाह), और वो चुनौतियां जिनका युवा महिलाओं को शालीन काम खोजने में सामना करना पड़ता हैं। महिलाएं, जेंडर–आधारित अधिकारों का प्राप्त करने के लिये, संसाधनों तथा सांस्थानिक क्रियाविधियों को ठीक स्थान पर स्थापित करने में राष्ट्रीय सरकारों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की जवाबदेयता को रेखांकित करती हैं।

,e-Mh-th-,l vkSj tsaMj&laosnh lkekftd lqj{kk

सामाजिक संरक्षण नीतियां, सहस्त्राब्दि वि. लक्ष्यों को सहकारी तथा जेंडर–संवेदी तरीके से प्राप्त करने में सहायता कर सकती है। परिवार की दुर्बलता (या संवेदनशीलता) तथा दीर्घकालिक वंचन को घटाने के उद्देश्य से, सामाजिक संरक्षण नीतियों को विश्व भर में, आघात के प्रभाव से बचाने तथा गरीब परिवारों को वैश्वीकरण एवं आर्थिक संवृद्धि द्वारा प्रस्तुत अवसरों का लाभ उठाने में सहायता करने के लिये समाविष्ट की गई है। सामाजिक संरक्षण, सभी सहस्त्राब्दि वि. लक्ष्यों की सहक्रिया को निम्नलिखित के द्वारा अधिकतम कर सकता है :

गुणवत्तापूर्ण मूलभूत तथा सामाजिक सेवाओं के लिये मांग तथा गम्यता को सुदृढ़ करके गरीबी तथा असमानता को कम करके; आर्थिक उत्पादकता को समर्थन देकर; और देखभाल करने तथा उत्पादक कार्य जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन सुलभ करके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान आकर्षित करने वाले बहुत से सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम, जेंडर सम्बन्धित मुद्दों को समामेलित करते हैं। उदाहरण के लिये, ब्राज़ील तथा मैक्सिको में, नकद अन्तरण योजनाओं का परिणाम लाखों अत्यन्त गरीब परिवारों के लिए उन्नत शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषाहार का हुआ। इस योजना का लक्ष्यबिन्दु देखभाल कर्त्ता (ठेठ रूप से माँ) को नकद भुगतान करना था। मूल्यांकन बताते हैं कि यह कार्यक्रम परिवार में संसाधनों तथा निर्णयों पर महिलाओं के नियन्त्रण को बढ़ा कर उनके सशक्तिकरण में सहायता करते हैं। तथापि, कुछ जेंडर विश्लेषक, सतर्क करते हैं कि वर्तमान कार्यक्रम महिलाओं की देखभाल कर्त्ता की पारम्परिक भूमिका को पुनर्बलित करते हैं और उनके समय प्रतिबंधों का अल्प मूल्यांकन करते हैं, और जबकि जेंडर सम्बन्धी ऐसे महत्वपूर्ण उपागमों के प्रति सिर्फ सीमित योगदान किया जैसे कि पुरुषों और स्त्रियों के बीच समतावादी श्रम विभाजन। आज की तिथि तक कुछ कार्यक्रमों ने ही रूपान्तरीय सामाजिक संरक्षण की मांग का उत्तर दिया है, जो कि भेदभाव और सामाजिक अलगाव, हिंसा और कालिक गरीबी समेत जेंडर–विशिष्ट जोखिमों और संवेदनशीलताओं को सम्बोधित करेगा। सामाजिक संरक्षण के जेंडर–संवेदी उपागम का अर्थ है कि जीविका प्रौन्नति और संरक्षण, मूलभूत एवं सामाजिक सेवा, और भेदभाव विरोधी कानून के प्रवर्तन के लिये उत्तरदायी एजेन्सियों को प्रोत्साहित करने और कार्यक्रम की रूपरेखा पर पुनः फोकस किया जाए। जिससे कि जेंडर समानता और सहस्त्राब्दि वि. लक्ष्यों को प्राप्त के लिये इकट्ठे मिल कर काम करें। इसके लिये, उजरती उपागम के बजाय सांस्थानिक उपागम अनिवार्य है और साथ ही स्थानीय संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण, प्रतिबद्ध दीर्घकालिक निधियन, और समता सरोकारों को सम्बोधित करने के लिये हस्तक्षेपों का स्तर उठाने की नीति भी बनाई जाए। पुनः संकेन्द्रित सामाजिक संरक्षण कार्यसूची को, अंतरा–परिवार असमानओं, विशेष रूप से : निर्णय लेने की शक्ति और संसाधनों का स्वामित्व, सामाजिक पुनरूत्पादन का महत्व, अप्रदत्त देखभाल कार्य और परिवार का प्रबन्धन; परिवार व्यवस्था की विविधता; और श्रम बाजार में पुरुषों तथा महिलाओं के अलग अनुभवों को – पहचानना होगा।

LFkkuh@Li"V uhfr vkSj dk;ZØe dks mik;ksa esa fuEufyf[kr lekfo"V gks

l dx %

- महिलाओं को आय सृजन तक समान गम्यता प्रदान करने के लिये सामूदायिक बाल देखभाल, और लड़कियों को अतिरिक्त घरेलु जिम्मेदारियों से मुक्त करना;
- देखभाल कर्त्ता भत्ता जो कि देखभाल कार्य की लागत को ज़ाने (अर्थात् दक्षिण अफ्रीका बाल/अपंगता अनुदान);
- लड़कियों/बालिकाओं के लिये शिक्षा बजीफा (अर्थात् बंगलादेश की बालिका शिक्षा वजीफा योजना);
- अपशब्दपूर्ण वातावरण से छूटे महिलाएं एवं बच्चों को वित्तीय सहायता समेत, जेंडर–आधारित हिंसा और अन्य निवारक एवं संरक्षणकारी उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के कार्यक्रम अर्थात् घाना में एन.जी.ओ. मार्गदर्शी प्रयास।
- कार्यक्रम के प्रतिभागियों (महिला एवं पुरुष) के लिये सामाजिक संरक्षण कार्यक्रमों को डिज़ाइन करने तथा मूल्यांकन करने के कार्यक्रम के अवसर;
- कार्यक्रम के कर्मचारीगण के लिये जेंडर–जागरूकता तथा विश्लेषण प्रशिक्षण जिससे कि उन्हें जेंडर–विशिष्ट जोखिमों और संवेदनशीलताओं जिसका समाधान उनके कार्यक्रम द्वारा होगा को पहचानने में मदद मिल सकें;
- केन्द्रीयकृत डेटाबेस जो कार्यक्रम प्रतिभागियों के लिये समन्वित देखभाल और सेवा की गम्यता सूकर बनाएं (अर्थात् महिलाओं के लिये लघु ऋण उद्यमिता प्रशिक्षण की गम्यता); और
- कड़ी निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली, जो बेसलाइन पर लिंग–खंडित आंकड़े के साथ कीलित हो।

cksk iz'u 4

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।
ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. जेंडर असमानता के सरोकारों को सम्बोधित करने में उनकी सफलता के सम्बन्ध में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों का किस प्रकार से वर्णन करेंगे।

....

....

....

....

1-10 lgL=kfCn fodkl y{;ksa dh fuxjkuh

संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2009 ने निम्नलिखित प्राप्त सफलताएं प्रक्षेपित की हैं :

- विकासशील क्षेत्रों में अत्यन्त गरीबी में जो लोग रह रहें हैं वे विकासशील विश्व की जनसंख्या का वर्ष 2005 में एक चौथाई से थोड़ा ज्यादा दर्ज किये गये थे। जबकि वर्ष 1990 में इनकी संख्या लगभग आधी थी।

- शिक्षा में मुख्य उपलब्धियां भी हुई थीं सम्पूर्ण विकासशील विश्व में, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन 2007 में 88 प्रतिशत हो गया था, और 2000 में यह 83 प्रतिशत था। और अधिकांश प्रगति उन क्षेत्रों में हुई थी जो सबसे पीछे रह गये थे। सब–सहारा अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया में, नामांकन वर्ष 2000 से 2007 तक क्रमशः 15 प्रतिशत बिन्दु तथा 11 प्रतिशत बिन्दु बढ़ा।

- जनसंख्या में वृद्धि के बावजूद, सम्पूर्ण विश्व में पांच से कम वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु नियमित रूप से कम हो गई– 2007 में लगभग 9 मिलियन थी, जबकि 1990 में यह 12.6 मि. थी। यद्यपि सब–सहारा अफ्रीका में बाल मृत्यु दरे उच्चतम् रहीं, हाल ही का सर्वेक्षण आंकड़े मुख्य हस्तक्षेपों में असाधारण उन्नति दर्शाते हैं, यह आने वाले वर्षों में उस क्षेत्र में बच्चों के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो सकती है। इन हस्तक्षेपों में, मलेरिया–बच्चों का बड़ा हत्यारा, से मृत्यु को कम करने के लिये कीटनाशक–उपचारित क्यारी जालों का वितरण है। 'द्वितीय अवसर' के टीकाकरणों के फलस्वरूप, खसरे के विरुद्ध लड़ाई में नाटकीय प्रगति भी हो रही है।

- वैश्विक स्तर पर, उन पदार्थों जो पृथ्वी की संरक्षात्मक ओज़ोन परत का अवक्षय करते हैं के उपभोग में 97 प्रतिशत की कमी उपलब्ध करने के लिये विश्व इकट्ठा हो गया है, और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का नवीन पूर्वोदाहरण स्थापित किया है।

रिपोर्ट ने निम्नलिखित क्षेत्रों को त्वरित विकास के लिये अलग किया हैः

- महिलाएं और युवा लोगों समेत, सभी के लिये शालीन और उत्पादक रोजगार प्रदान करने के प्रयत्नों को पुनः सजीव करना चाहिए। कृषि क्षेत्र से बाहर प्रदत्त रोजगार में महिलाओं का हिस्सा समयोपरि केवल बहुत थोड़ा सा ही बढ़ा है। दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में, महिलाओं के लिए रोजगार अवसर अत्यन्त निम्न बने हुए हैं।

- भूख के विरूद्ध युद्ध को नवीकृत उत्साह के साथ करना चाहिए, विशेष रूप से हमारे सबसे छोटे नागरिकों के हित में। उन देशों में जो खाद्य कीमतों में हाल ही की वृद्धि से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, हमें वहाँ खाद्य की उपलब्धता में वृद्धि करने, और सामाजिक नीतियों जो गरीबों पर नकारात्मक प्रभाव को सम्बोधित करती हैं को सुदृढ़ करने के लिये उपायों को क्रियान्वित करना चाहिए।

- समस्त बच्चों को विशेष रूप से वे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं, स्कूल भेजने के लिये काम तेज कर देना चाहिये, और जेंडर तथा नृजातियता के आधार पर शिक्षा में असमानताओं को समाप्त करना चाहिये, और भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के बच्चों को 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जेंडर विषमताओं को समाप्त करने का लक्ष्य पहले ही अपूर्ण रह गया है।

- मातृ मृत्यु संख्या को कम करने के लिये वृहदतर राजनीतिक इच्छा शक्ति को जुटाना चाहिये, विशेष–रूप से सब–सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में, जहां अब तक सिर्फ नगण्य प्रगति हुई है।

- 1.4 बिलियन लोगों उन्नत स्वच्छता पहुँचाने के लिए अत्याधिक तीव्र गति से प्रगति की आवश्यकता है। यह लोग 2006 तक इसके बिना काम चला रहे थे। संख्या को कम करने के लिये वृहदतर राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसका स्वास्थ्य एवं वातावरण पर बुरा प्रभाव पड़ा। प्रगति की वर्तमान दर पर, स्वच्छता का 2015 का लक्ष्य बिन्दु अधूरा रह जाएगा।

- शहरी गरीबों की रहन–सहन की स्थितियों को सुधारने के प्रयासों को तेज करना है और आगे ओर विस्तरित करना है। इस क्षेत्र में, यद्यपि एक प्रदेश को छोड़ कर अन्य सब में प्रगति हुई है, मलिन बस्तियों का सुधार विकासशील देशों के नगरों की तीव्र वृद्धि के साथ मुश्किल से चल पा रहा है।
- अन्तिम परन्तु किसी भी तरह से कम नहीं, हमारे प्राकृतिक संसाधन आधार को परिरक्षित रखने को वृहद प्राथमिकता अवश्य दी जानी चाहिए, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिये हमने बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की है; हमारा मछली उद्योग खतरे में पड़ गया है; हमारे वन, विशेष रूप से पूराने वर्धित वन पीछे हट रहे है; और कई शुष्क प्रदेशों में जल की कमी वास्तविकता बन गई है।

लक्ष्यों की प्रगति को अब खतरा है – मंद या नकारात्मक आर्थिक संवृद्धि, कम हो गये संसाधन, विकासशील देशों के लिये कम व्यापार अवसर, और दाता राष्ट्रों से आर्थिक सहायता मिलने में संभावित कमियों, द्वारा इसके साथ ही, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ज्यादा से ज्यादा सुस्पष्ट होते जा रहे हैं, और समृद्ध तथा गरीब देशों पर इसका संभावित प्रभाव सर्वनाशी हो सकता है। आज, किसी समय से भी ज्यादा, सहस्त्राब्दि घोषणा में व्यक्त वैश्विक साझेदारी निर्मित करने की प्रतिबद्धता को, हमारे सामूहिक चेष्टाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए।

निगरानी द्वारा कुछ विशिष्ट ब्यौरा प्रकट हुआ है और वह शिक्षा, कार्य और रोजगार और संसद में प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित है।

f'k{kk

विश्व शिक्षा में जेंडर समता की ओर सतत् प्रगति कर रहा है जैसा कि लड़कों के कुल नामांकन में लड़कियों के अनुपात से मापा गया। सम्पूर्ण विकासशील क्षेत्रों में, वर्ष 2007 में प्रत्येक 100 लड़कों पर प्राथमिक स्कूल में 95 लड़कियां नामांकित थी जब कि वर्ष 1999 में 91 लड़कियां नामांकित थी। तथापि, 2005 तक प्राथमिक माध्यमिक शिक्षा में जेंडर भेदों को समाप्त करने का लक्ष्य चूक गया है। यह सुनिश्चित करते हुए कि अवसर हाथ से अभी निकला नहीं है फिर से 2015 में नवीकृत आग्रह और प्रतिबद्धता अनिवार्य होगी।

वर्ष 2007 में, उपलब्ध आंकड़े के अनुसार कुल 171 देशों में से केवल 53 देशों ने प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा दोनों में जेंडर समता प्राप्त की थी (यूनेस्को इंस्टट्यिूट फॉर स्टैटिसटिक्स द्वारा 97 और 103 के बीच में लड़कों से लड़कियों की नामांकन दर के रूप में परिभाषित किया गया)। अर्थात् 1999 की तुलना में 14 और देश। अभी भी, यह तथ्य कि 100 से ज्यादा देशों ने अभी लक्ष्य को पूरा करना है चिन्ता का स्रोत था।

स्कूल नामांकन में जेंडर अंतराल माध्यमिक शिक्षा में ज्यादा सुव्यक्त है, जहां बहुत से और देश पीछे रह गये हैं। विशेष रूप से उन देशों में अंतराल चौड़ा है जिसमें कुल नामांकन निम्न है, क्योंकि माध्यमिक स्कूल नामांकन में वृद्धियां जेंडर भेदों में कमियों के साथ–साथ चलने लगती है। बहुत से कारकों ने इस प्रगति में योगदान दिया है जैसे लड़कियों के लिये वर्धित प्राथमिक स्कूल नामांकन और प्राथमिक कक्षाएं पूरी करना और गिरती हुई गरीबी की दरें। बहुत से देशों में, लोक नीति ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

सामान्यत् सुधरती स्थिति के उल्लेखनीय अपवाद सब–सहारा अफ्रीका है, जहां माध्यमिक शिक्षा में लड़कों के नामांकन में लड़कियों का अनुपात 1999 में 82 से गिर कर 2007 में 79 हो गया; ओशनिया, जहां अनुपात 89 से 87 तक गिर गया; और सी.आई.एस, जहां यह इसी काल के दौरान 101 से 98 तक गिरा।

शिक्षा के उच्च स्तरों पर बहुत ही भिन्न स्थिति उभरी है। विश्वभर में, तृतीय शिक्षा में नामांकित पुरुषों से ज्यादा युवा महिलाएं हैं। तृतीय स्तर पर वैश्विक रूप से लड़कों के नामांकन में लड़कियों का अनुपात 1999 में 96 से बढ़ कर 2007 में 101 हो गया। परन्तु क्षेत्रों के बीच विषमताएं नाटकीय है। विकसित क्षेत्रों, सी.आई.एस. देशों, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन और दक्षिण–पूर्वी एशिया में लड़कियों के पक्ष में बड़ा अंतराल मौजूद है। सब–सहारा अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और ओशनिया में पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम महिला विद्यार्थी तृतीय शिक्षा की ओर बढ़े हैं।

उपलब्ध आंकड़े दर्शाते हैं कि 60 प्रतिशत देशों ने प्राथमिक शिक्षा में जेंडर समता प्राप्त की है, 30 प्रतिशत ने माध्यमिक शिक्षा में और केवल 6 प्रतिशत ने तृतीय शिक्षा में। वैश्विक रूप से, विद्यालयी शिक्षा के उच्च स्तर पर लड़कियों के पक्ष में विषमताएं काफी बढ़ जाती हैं। तथापि, यह स्थिति अधिकांशत्या ज्यादा विकसित देशों में प्रकट होती है, जहां कुल नामांकन–और तृतीय नामांकन– अधिक है। उन व्यवस्थाओं में, लड़के स्कूल में कम अच्छा निष्पादन करते हैं। गरीब देशों में, और उन देशों में जहां कुल नामांकन निम्न होता है, शिक्षा के उच्च स्तरों पर लड़कियों के लिये नुकसान बना रहता है और प्रायः ज्यादा सुस्पष्ट होता है।

दरिद्र या कंगाल परिवारों में जन्मी या ग्रामीण समुदायों में रह रही लड़कियां शिक्षा के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रतिकूल अवस्था में है। 108 विकासशील देशों में, आवासीय अवस्थिति तथा पारिवारिक सम्पदा के अनुसार प्राथमिक स्कूल में उपस्थिति के आंकड़े का विश्लेषण बताता है कि शहरी क्षेत्रों में और 40 प्रतिशत सबसे धनवान परिवारों में जेंडर समता प्राप्त हो गई है। इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों का प्राथमिक शिक्षा से बाहर होना ज्यादा संभावित होता है विशेषरूप से जब लड़कियां अत्यन्त गरीब परिवारों में रहती हैं। गरीबी और ग्रामीण आवास के साथ जुड़ी जेंडर असमानताएं माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर और भी ज्यादा निश्चित होती हैं। सांस्कृतिक दृष्टिकोण तथा प्रथाएं जो छोटी आयु में विवाह को बढ़ावा देती हैं, युवा लड़कियों के अलग रहने को उत्साहित करते हैं अथवा लड़कियों की तुलना में लड़कों की शिक्षा पर अधिक महत्व देते हैं, और इस प्रकार जेंडर समता के मार्ग में विकट अवरोध उत्पन्न करते हैं। फिर भी लोक नीति तथा शासकीय पहल/प्रयास जेंडर असमानताओं पर विजय पाने में सहायता कर सकते हैं। उदाहरण के लिये, स्कूल फीस को समाप्त करना और लड़कियों को स्कूल जाने के लिये प्रोत्साहन देना परिवारों के वित्तीय भार को हल्का कर सकता है। दूरस्थ समुदायों के नज़दीक स्कूलों का निर्माण कराना और स्थानीय शिक्षकों को भर्ती करने से भी ग्रामीण क्षेत्रों में जेंडर भेद संकुचित हो सकता है।

dk;Z vkSj jkstxkj

वैश्विक रूप से, कृषिगत क्षेत्र से बाहर प्रदत्त रोजगार में महिलाओं का हिस्सा समयोपरि सतत् उपान्त रूप से बढ़ रहा है। परन्तु दक्षिणी एशिया, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में, महिलाओं के लिये रोजगार अवसर अत्यन्त निम्न हैं। सब–सहारा अफ्रीका में कृषि स्तर के रोजगार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम होता है। तथापि, इन क्षेत्रों में, महिलाओं की स्थिति, व्यापक रूप से भिन्न–भिन्न है। सब–सहारा अफ्रीका में, महिलाओं के रोजगार का 64 प्रतिशत कृषि में होता है, और श्रम बल में कुल मिलाकर महिलाओं का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से उच्च हैः कार्यकारी उम्र की महिलाओं का 55 प्रतिशत उस क्षेत्र में नियोजित है, यद्यपि अधिकांश रूप से संवेदनशील कामों में। उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया में, जहां उद्योग और सेवाएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, कार्यकारी उम्र की महिलाओं का केवल 23 प्रतिशत और 21 प्रतिशत ही क्रमशः नियोजित है।

यद्यपि ज्यादा महिलाएं कृषि क्षेत्र से बाहर प्रदत्त काम पा सकी हैं, वे सामान्यत्या शालीन काम गम्य करने में असफल रही हैं। नियोजित महिलाओं का लगभग दो–तिहाई भाग संवेदनशील कामों में हैं, या तो परिवार में योगदान कर रही कार्मिक के रूप में और या अपनी मर्जी से। महिलाओं के रोजगार की स्थिति विशेष रूप से ओशनिया तथा दक्षिणी एशिया में निराशाजनक है। यहां महिला रोजगार का बड़ा हिस्सा परिवार योगदान कर्त्ता कार्मिक के रूप में है– क्रमशः 64 प्रतिशत और 46 प्रतिशत। यह मजदूर जो अप्रदत्त परिवार कार्मिक भी कहलाते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं जो परिवार के व्यवसाय में निशुल्क अपना समय देती हैं। अप्रदत्त कामों का बड़ा हिस्सा, सभी क्षेत्रों में परिवारों में महिलाओं के द्वारा किये जाने वाले अप्रदत्त काम के पहले से ही भारी बोझ को और भी बढ़ा देता है, और यह सरकारी श्रम बल सांख्यिकी में प्रकट नहीं होता है।

2008 के वित्तीय संकट तथा प्राथमिक वस्तुओं की उच्च कीमतों ने विश्व भर में श्रम बाजारों का क्षय किया है। आई.एल.ओ. ने बताया कि वैश्विक बेरोजगारी की दर वर्ष 2009 में 6.3 प्रतिशत तथा 7.1 प्रतिशत के बीच पहुँच सकती है, महिलाओं के लिये सहवर्ती बेरोजगारी की दर 6.5 से 7.4 प्रतिशत हो सकती है (जब कि पुरुषों के लिये यह 6.1 से 7.0 प्रतिशत)। इसका अर्थ है कि विश्व भर में 52 मिलियन लोगों में 24 मिलियन और बेरोजगार जुड़ेगें, जिसमें से 10 से 22 मिलियन महिलाएं होगी।

आई.एल.ओ. का अनुमान है कि, दिसम्बर 2007 की तुलना में दिसम्बर 2008 में, विश्व में 12.8 प्रतिशत ज्यादा बेरोजगार पुरुष थे और 6.7 प्रतिशत ज्यादा बेरोजगार महिलाएं थी। बेरोजगार पुरुषों की संख्या में, बेरोजगार महिलाओं की तेज गति से वृद्धि हुई थी, विशेष रूप से 2008 के उत्तरार्ध में। तथापि, ज्यादा हाल ही के आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं की बेरोजगारी में तीव्र गति से वृद्धि होते रहना संभावित है जबकि पुरुषों की बेरोजगारी की वृद्धि की दर धीमी होगी। यह बताता है कि पुरुष–प्रभुत्व उद्योगों में प्रारम्भिक आघात के पश्चात् वित्तीय संकट अब महिला–प्रभुत्व उद्योगों और सेवाओं पर प्रहार कर रहा है और दीर्घकाल में महिलाओं को गम्भीर रूप से प्रभावित कर सकता है।

Lkkln e ifrfufèkRo

संसद में महिलाओं को प्राप्त सीटों का अनुपात धीमी गति से बढ़ रहा है और यह जनवरी 2009 को संसद के सब सदनों में औसतन् 18 प्रतिशत था। महिलाओं ने 24 देशों में एकल या अवर सदन में सीटों का 30 प्रतिशत या ज्यादा रखा और 15 देशों में प्रवर सदन की 30 प्रतिशत या ज्यादा सीटें रखी। यह अग्रगामी देश विविध हैं: विकसित देशों के अतिरिक्त, इनमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और केरिबिएन में संघर्ष–उत्तरोत्तर तथा विकासशील राज्य समाविष्ट करते हैं। बिम्ब के दूसरे छोर पर, सभी संसदीय सदनों के एक चौथाई में अभी भी 10 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। नौ सदनों में, मुख्यतः पैसिफिक आयरलैंड और अरब खाड़ी राज्यों में – संसद में कोई महिला सदस्य नहीं है।

वर्ष 2008 में संसदीय चुनावों और पुनर्स्थापनों के बाद, लैटिन अमेरिका और कैरिबिएन में कुछ प्रभावशाली लाभ दर्ज किये गये थे, जहां महिलाओं के पास कुल सीटों का 22 प्रतिशत, उच्चतम प्रादेशिक औसत था। इस क्षेत्र में 2008 के दौरान, क्यूबा ने महिला सदस्यों का उच्चतम् अनुपात (43 प्रतिशत) दर्ज किया। सब–सहारा अफ्रीका सतत् प्रगति कर रहा है, रवांडा सबसे आगे है : उसने सितम्बर 2008 में इतिहास बनाया जब उसके अवर सदन ने महिला सदस्यों के बहुसंख्यक अनुपात (56 प्रतिशत) को निर्वाचित किया। पश्चिमी एशिया में, चार महिलाएं पहली बार मई 2009 में कुवैत के संसद में चुनी गई थी, उन्होंने चार वर्ष पूर्व ही चुनाव लड़ने का अधिकार पाया था, जो कि देश में महिलाओं के लिये आगे की ओर बड़ा कदम था। महिलाएं अभी भी ओशनिया, उत्तरी अफ्रीका और

पश्चिमी एशिया में संसदीय सीटो के 10 प्रतिशत से भी कम पर अधिकार रखती हैं। काटर में, वर्ष 2008 में 35 सदस्य की काटारी परामर्शदात्री परिशद् में कोई महिला नियुक्त नहीं की गई थी और, माइक्रोनेशिया के संघीयकृत राज्यों तथा सऊदी अरब में संसद में महिला सदस्या कभी नहीं थी। इसी तरह से, 2008 में, नाउरू, पलाऊ (अवर सदन) और टौंगा में संसदीय चुनावों में, किसी महिला ने सीट नहीं जीती। कैरिबिएन में, वर्ष 2008 में बेलिज अवर सदन में कोई महिला चुनाव नहीं जीती थी।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणालियां ज्यादा संख्या की महिलाओं को निर्वाचित होने में समर्थ बनाती हैं बजाय बहुसंख्यक निर्वाचन प्रणालियों के। अस्थायी विशेष उपाय अथवा कोटा (quota) की प्रथा भी ज्यादा महिलाओं को राजनीति में लाने में प्रभावपूर्ण सिद्ध हुई है। वर्ष 2008 के दौरान, ऐसे उपायों का उपयोग करने वाले देशों में महिलाओं ने औसतन् 24% संसदीय सीटों पर अधिकार रखा जब कि न उपयोग करने वाले देशों में यह संख्या 18 प्रतिशत थी। कोटा/नियतांशों के अतिरिक्त, अन्य तरीके जो महिलाओं को चुनाव लड़ने के लिये सहायता करते हैं उनमें नेतृत्व प्रशिक्षण और अभियान निधियन समाविष्ट हैं।

विश्व भर में, महिलाएं ज्यादा से ज्यादा विभिन्न प्रकार के राजनीतिक नेतृत्व पदस्थितियों में प्रवेश कर रही हैं। जनवरी 2009 तक, महिलाएं उच्चतम् सदनों में उच्चतम् संसदीय पद–अध्यक्षता अधिकारी तक पहुँच गई थी। यह संख्या पिछले दशक से तकरीबन स्थिर बनी हुई है। वर्ष 2008 के दौरान, महिला ने पहली बार पाकिस्तान, रोमानिया, रवांडा, सर्बिया और उज़बेकिस्तान में वक्ता का पद ग्रहण किया। मार्च 2009 में 15 महिलाएं राज्य की या सरकार की प्रधान के रूप में कार्य कर रही थी जबकि 2000 में नौ और 1995 में बारह थी।

,e-Mh-th- 3 iklr djus dh vksj izxfr dh fuxjkuh

क्या आप एम.डी.जी. 3 का स्मरण कर सकते हैं? हां, आप सही हैं। लक्ष्य–3 का सम्बन्ध जेंडर समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण से हैं। एम.डी.जी. 3 प्राप्त करने की दिशा में प्रगति की निगरानी ने दर्शाया है कि :

193 देश जो 2005 की लक्ष्यित तिथि तक प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में जेंडर समता प्राप्त करने में असफल रहें हैं, उनमें सिर्फ 18 ही का 2015 तक लक्ष्य प्राप्त करना संभावित है।

स्कूल–से–बाहर जनसंख्या में 55 प्रतिशत लड़कियां है।

वर्ष 2000 से, केवल संसदों में महिलाओं की सीटों का अनुपात 13.5 से 17.9 तक बढ़ा। 20 देशों में महिलाएं संसदीय सीटों के कम से कम 30 प्रतिशत् पर अधिकार जमाए हैं, यद्यपि इन देशों में से कोई भी एशिया में नहीं है।

भारत में एम.डी. लक्ष्य–3 प्राप्त करने में हुई प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। निवल नामांकन अनुपात (एन.ई.आर.) का विश्लेषण निम्नांकित तरह से किया गया है :

प्राथमिक श्रेणी के लिये निवल नामांकन अनुपात, जो कि 6–11 वर्षों के आयु वर्ग के बच्चों की जनसंख्या में श्रेणी I-V में शासकीय स्कूल में नामांकित छात्रों का अनुपात है, प्राथमिक नामांकन के लिये एम.डी. लक्ष्य 2 सूचक है। पुरुषों और महिलाओं के लिये प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा निवल नामांकन अनुपात पैटर्न (या नमूना) भिन्न होता है। पुरुष एन.ई.आर., महिलाओं के एन.ई.आर. की तुलना में ज्यादा सपाट होता है। इस कारण, यह संभावित है कि लड़कियां, लड़कों से बहुत पहले ही 100% निवल नामांकन अनुपात प्राप्त

कर लें। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.) 2007–08, के अनुसार, 2005–06 और 2007–08 के बीच राष्ट्रीय निवल नामांकन अनुपात में 13.5% वृद्धि हुई : 2005–06 में 84.53% से 2007–08 में 95.92%। तथापि, प्राथमिक कक्षाओं में कुल नामांकन 2005–06 में 124, 625, 546 से 2007–08 में 134, 132, 183 तक बढ़ा (केवल 7.6% तक)। प्राथमिक कक्षाओं में लड़कियों का नामांकन 2007–08 में 48.22% था जबकि 2005–06 में 47.79 था।

इकट्ठे मिला कर सभी सरकारी विद्यालयों का, 2007–08 में प्रारम्भिक श्रेणी (श्रेणी–I से VII/VIII तक) का नामांकन प्रतिशत 72–23 तक था जबकि इसकी तुलना में निजी विद्यालयों का केवल 27.61 था। कुछ राज्यों में, कुल नामांकन में सरकारी विद्यालयों में प्रारम्भिक नामांकन का प्रतिशत 90% से भी अधिक था। झारखंड (91.07%), त्रिपुरा (92.23%), ओड़ीसा (91.46%), और लक्षदीप (90.59%) सरकारी विद्यालयों में प्रारम्भिक श्रेणी के नामांकन में अग्रणी राज्य हैं। इसके दूसरी ओर, सरकारी विद्यालयों में नामांकन का अनुपात उल्लेखनीय रूप से इन राज्यों में निम्न था– केरल (53.20%), महाराष्ट्र (49.47), मेघालय (36.20), नागालैंड (43.84%), तमिलनाडु (49.78%)।

ग्रामीण भारत की वार्षिक शिक्षा प्रस्थिति रिपोर्ट (ए.एस.ई.आर.), 2008, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली के आंकड़े द्वारा सूचित प्रस्थिति का करीब–करीब समर्थन करती है। यह दर्शाती है कि 6–14 वर्ष की आयु वर्ग के 95.7% बच्चे विद्यालयों में नामांकित हैं और 4.3% बच्चे ग्रामीण भारत में विद्यालयों से बाहर हैं और 11–14 वर्ष के आयु वर्ग में, 5.5% लड़के और 7.2% लड़कियां विद्यालय से बाहर दर्ज किए गए और इस आयु वर्ग में विद्यालय से बाहर कुल बच्चों का प्रतिशत 6.3% था। भारतीय सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय की प्रशासनिक सांख्यिकी के अनुसार, भारत में श्रेणी I-V का सकल नामांकन अनुपात पहले ही 100 प्रतिशत बिन्दु को पार कर गया है और 2006–07 में 111.24 पर था जहां लड़कियों के लिये 107.84 और लड़कों के लिये 114.42 था। श्रेणी I-V के लिये स्कूल नामांकन अनुपात, निवल नामांकन अनुपात के विपरीत 100% से अधिक होने लगता है क्योंकि प्राथमिक स्तर की शिक्षा में 6–11 वर्ष के आयु वर्ग से ऊपर के बच्चों का नामांकन होता है। 2004–05 में लड़कों और लड़कियों के लिये सफल नामांकन अनुपात के स्थानिक प्रस्तुतिकरण से, यह बात बिल्कुल स्पष्ट होती है कि भारत के अधिकांश राज्यों/संघीय प्रदेशों में प्राथमिक श्रेणियों में सफल नामांकन अनुपात बहुत उच्च होता है। वर्ष 2004–05 में, प्राथमिक श्रेणियों में सफल नामांकन अनुपात लड़कियों के लिये 25 राज्यों/संघक्षेत्रों में और लड़कों के लिये 26 राज्यों/संघक्षेत्रों में 90% से अधिक था। केवल कुछ ही राज्यों में लड़कों या लड़कियों के लिये सकल नामांकन दर 70% से कम है और यह तुलनात्मक रूप से छोटे राज्य हैं।

अतः, यह मानने के लिये वैध कारण है कि प्राथमिक श्रेणियों के लिये भी निवल नामांकन अनुपात लड़कों और लड़कियों दोनों के लिये लगभग 100% के स्तर तक पहुँच गया है। 2007–8 के दौरान, श्रेणी I-V में नामांकित बच्चों में से लगभग 9.36% बच्चे प्राथमिक श्रेणी पूरी करने से पहले ही विद्यालयी तन्त्र को छोड़ दिया। 2005–06 और 2004–05 के दौरान सहवर्ती प्रतिशत क्रमशः 8.61% और 9.96% थे (ड़ी.आई.एस.ई. 2007–08)। विद्यालय में प्राथमिक स्तर पर श्रेणी V तक उत्तरजीविता दर (अर्थात् श्रेणी–I में प्रारम्भ करने वालों में जो प्राथमिक स्तर की अन्तिम श्रेणी तक पहुँचते हैं उनका अनुपात) 1999 में 62% से बढ़कर 2002 तक 81% हो गई थी और उसके बाद 2004 में गिर कर 73% हो गई। ड़ी.आई.एस.ई. 2007–08 के अनुसार, यह 2007–08 में आगे और गिर कर 72% हो गई थी।

एम.ड़ी.जी.एस. 2015 की निगरानी के लिये यू.एन.फैक्ट शीट (तथ्य पत्तर) (2008) ने

वर्तमान स्थिति का ब्यौरा प्रस्तुत किया है, कुछ सफलता की कहानियां और विशेष रूप से एम.ड़ी.जी. 3 के संदर्भ में आगे और कार्यों का ब्यौरा पेश किया है।

orZeku fLFkfr

हम वर्तमान स्थिति का श्रेणीकरण किस प्रकार करेंगे? लड़कियों के शिक्षा के मामले में हमने कितनी प्रगति की है? करीबन सभी क्षेत्रों में विद्यालय के दरवाज़े लड़कियों के लिये खुल गये हैं। और कई देशों ने सम्पूर्ण नामांकन को बढ़ाने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में लड़कियों की शिक्षा को सफलतापूर्वक प्रौन्नत किया है। सभी विकासशील देशों में, 2000 और 2006 के बीच लड़कों की तुलना में लड़कियों के प्राथमिक नामांकन में वृद्धि हुई है। फलस्वरूप, तीन में से दो देशों ने प्राथमिक स्तर पर जेंडर समता प्राप्त कर ली है।

जबकि कुछ सफलता का प्रमाण है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर नामांकन में, कुछ क्षेत्रों में शिक्षा में जेंडर विषमताएं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती हैं। सब–सहारा अफ्रीका, ओशनिया और पश्चिमी एशिया में प्राथमिक नामांकन में सबसे बड़े जेंडर भेद है। प्रगति की वर्तमान दर पर, अधिमानी रूप से 2005 तक प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में, और निश्चित रूप से 2015 से पहले ही शिक्षा के समस्त स्तरों पर जेंडर असमानता उन्मूलन प्राप्त करना दूर की बात लगती है।

जल तथा स्वच्छता (sanitation) की गम्यता के अभाव का महिलाओं और लड़कियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विश्व के बहुत से भागों में महिलाओं और लड़कियों को अपने दिन का बड़ा हिस्सा जल लाने में खर्च करने के लिये विवश होना पड़ता है। बच्चे, विशेष रूप से लड़कियां प्रायः स्कूल नहीं जाती हैं क्योंकि उनके स्कूलों में निजी तथा शालीन स्वच्छता सुविधाओं का अभाव होता है।

महिलाओं को आज ज्यादा आय–अर्जनकारी अवसर प्राप्त हैं जो पहले कभी प्राप्त न थे। कुल मिला कर, कृषि से बाहर सभी प्रदत्त कामों के लगभग 40% पर महिलाओं का अधिकार हैं, वर्ष 1990 में यह प्रतिशत 35 था। परन्तु विकासशील विश्व में, लगभग दो–तिहाई महिलाएं, स्व–नियोजित व्यक्ति या अप्रदत्त पारिवारिक कार्मिकों के रूप में संवेदनशील कामों में लगी हैं। दक्षिणी एशिया और सब–सहारा अफ्रीका में, इस प्रकार का काम महिलाओं के सब कामों का 80 प्रतिशत से भी ज्यादा है।

पांच सांसदों में कम से कम 40 प्रतिशत सीटें महिलाओं के पास हैं: रवांडा (43.2 प्रतिशत), फिनलैंड (41.5 प्रतिशत) और अर्जनटीना (40 प्रतिशत)। समस्त देशों में से एक तिहाई में संसद के सदस्यों में 10 प्रतिशत से कम महिलाएं हैं। वृहदतर संसदीय सहभागिता के बावजूद, महिलाएं शासन के उच्चतम स्तरों पर सामान्य तौर पर अनुपस्थित रहती हैं। जनवरी 2008 में, राज्यों के निर्वाचित प्रधानों में से 7 महिलाएं थीं और संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों की सरकारों के 192 प्रधानों में से 8 महिलाएं थीं।

कुल लाभों के बावजूद, सहस्त्राब्दि लक्ष्यों की प्राप्ति में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा रूकावट बनी हुई है। अध्ययन दर्शाते हैं कि जेंडर हिंसा की घटनाओं का परिणाम पारिवारिक आय की हानि का हो सकता है जो कि गरीब परिवारों में मासिक आय का 25–30 प्रतिशत के समतुल्य हो सकता है।

lQyrk dh dgkfu;k

सफलता की कहानियों का अध्ययन लाभकर है क्योंकि वो अन्य देशों एवं संदर्भों के लिये अनुकूलन के संकेतक के रूप में कार्य कर सकती हैं।

1. रवांडा का संविधान, जो वर्ष 2003 में अपनाया गया था, महिलाओं के कम से कम 30 प्रतिशत संसदीय सीटों और अन्य नेतृत्व सम्बन्धी पद की गारन्टी देता है। वर्तमान में, रवांडा में विश्व की महिला सांसदों का उच्चतम् अनुपात है, चैम्बर ऑफ डिप्टीस में निर्वाचित अधिकारियों में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं और सीनेट में 35 प्रतिशत महिलाएं हैं। सरकार के मंत्री मंडल में, 36 प्रतिशत पदों पर महिलाएं आसीन हैं। रवांडा में, 2005 में प्राथमिक शिक्षा में जेंडर भेद शून्य के अपने लक्ष्य पर पहुँच गया था, और साक्षरता में जेंडर भेद शून्य के समीप ही है। अलजीरिया अन्य देश है जहां लिंगों के बीच समता प्राथमिक विद्यालय स्तर पर प्राप्त कर ली गई है, और जहां माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के स्तरों पर लड़कियों का अनुपात लड़कों के अनुपात से अधिक हो गया है।

2. हाल ही में, बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाऊंडेशन ने यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त परियोजना को 19 मिलियन डालर का पुरस्कार दिया। यह परियोजना अफ्रीका में तीन सबसे कम विकसित देशों – बुरकीना फेसो, माली एवं सेनिगल में महिला काश्तकारों की उत्पादकता तथा आय बढ़ाने के लिये निम्न–लागत प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना की मुख्य चीज बहु–कार्यात्मक मंच है जिसके अंतर्गत स्टील के फ्रेम पर चढ़ाया विभिन्न प्रकार के प्रोससिंग उपकरण इसमें लगाए गये है, जिसमें समाविष्ट हैं– अनाज मिल, भूसी निकालने वाला हस्कर, बैटरी चार्जर, और संयोजक या जोड़ने वाले औजार और बढ़ईगिरी के औजार। ऐसे मंच प्रकाश व्यवस्था और प्रशीतन (रिफरीजरेशन) के लिये बिजली प्रदान करते हैं, साथ ही यह एग्रोप्रोससिंग तथा पम्प से स्वच्छ जल निकालने के लिये यान्त्रिक शक्ति प्रदान करता है। यह सोरघम, बाजरा, मक्का एवं अन्य अनाजों की पिसाई या कुटाई तथा भूसा अलग करने का कार्य करते है जो कि बहुत ही नीरस एवं समय की खपत करने वाला काम है और जो महिलाओं तथा लड़कियों के द्वारा खरल व मुसली या सिलपत्थर के साथ किया जाता था। और यह कार्य, जल लाने एवं ईंधन लकड़ी एकत्रित करने पर जो समय लगाया जाता था, उसके अतिरिक्त हुआ करता है। मंच या प्लेटफॉर्म प्रौद्योगिकी को धन्यवाद। महिलाओं को प्रतिदिन जो समय बचता वे उसका उपयोग साक्षरता कक्षाओं, आय–सृजनकारी गतिविधियों में करने लगी, जैसे कि लघु कृषि व्यवसाय उद्यम स्थापित करना। कुछ वर्षों के बाद, मंच–प्रतिश्ठित गांवों में सर्वेक्षित महिलाओं में से अधिकांश ने आय को तीन गुना कर लिया है। लगभग 94 प्रतिशत साक्षर हो गई है जबकि मंच बगैर गांवों में रह रहीं महिलाओं का केवल 64 प्रतिशत ही साक्षर हुआ।

3. वर्ष 1991 से, एक सौ से ज्यादा देशों से ज्यादा से ज्यादा महिला समूहों और नागरिक समाज संगठनों ने अभियान ''जेंडर हिंसा विरूद्ध 16 दिनों का सक्रियतावाद'' में भाग लिया है, और महिलाओं पर सभी प्रकार की हिंसा का समाधान निकाला है, जैसे घरेलु हिंसा, सशस्त्र संघर्ष के दिनों में यौन हिंसा, और स्त्री जननांगीय विकृतिकरण/काटना। यह '16 दिवसीय'' अभियान 25 नवम्बर, जो महिला विरूद्ध हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, से शुरू हो कर 10 दिसम्बर, मानवाधिकार दिवस, तक चलता है। महिला सक्रिय कार्यकर्त्ताओं (activist) द्वारा दशकों के कार्य के आधार पर, संयुक्त राष्ट्र सैक्रेटरी जनरल बन कि–मून ने फरवरी 2008 में बहु–वर्षीय अभियान प्रारम्भ किया जिसका उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिये कार्रवाई को तेज करना, और यह सुनिश्चित करना है कि उच्चतम स्तर पर नीति निर्माता महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के निवारण तथा उन्मूलन हेतु कार्य करें।

vkxs dk dke

कुछ अति महत्वपूर्ण कार्य जो भविष्य में करने होंगे निम्नलिखित हैं:

कार्रवाइयों को ऊचे स्तर पर ले जाना, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि करना और सरकारों को एम.डी.जी. लक्ष्य बिन्दुओं जो महिलाओं और लड़कियों को समान रूप से लाभ पहुँचाते हैं और सशक्त करते है की प्राप्ति को त्वरित करने के लिये समर्थन देना, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं, पूर्ण तथा शालीन रोजगार, और सभी क्षेत्रों में समान राजनीतिक सहभागिता और निर्णयन तक महिलाओं एवं लड़कियों की गम्यता सुनिश्चित करना;

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सम्पत्ति और आर्थिक परिसम्पतियों, लघुवित्त, कृषिक आगतों (इनपुट्स) जैसे बीज और उर्वरक, प्रशिक्षण और बाजार आदि की उन्नत गम्यता के जरिये उद्यमिता में महिलाओं की सहभागिता को समर्थन देना;

कानूनी सुधारों के जरिये महिलाओं के भूमि तथा सम्पत्ति अधिकारों की गारन्टी करना;

लड़कियों की घरेलु जिम्मेदारियों को घटाने तथा छोटी उम्र में विवाह और गर्भधारण को रोकने के लिये जन जागरूकता बढ़ाना;

महिलाओं के विरूद्ध सर्वरूपी हिंसा पर व्यापक कानूनों को अपनाना और महिलाओं तथा लड़कियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिये जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों का समर्थन देना;

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के पीड़ितों को हरजाना तथा न्याय की पर्याप्त गम्यता तथा सेवाएं प्रदान करने के लिये निधियन बढ़ाना। स्कूलों में लड़कियों को प्रोत्साहन देने के लिये सहायक वातावरण सुनिश्चित करना और अनुपस्थित रहने की परिपाटी और ड्राप–आऊट (या स्कूल बीच में छोड़ने) की दरों को घटाना;

रोल मॉडल के रूप में कार्य करने के लिये ज्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति और विद्यालयों में लड़कियों की उपस्थिति को बढ़ावा देना;

जेंडर–संवेदी पाठ्यक्रम को बढ़ावा देना तथा शिक्षकगण एवं स्कूल अधिकारी गण हेतु जेंडर संवेदीकरण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

सुनिश्चित करें कि लड़कियों को स्कूल जाने और आने के लिये परिवहन की व्यवस्था है;

लड़कियों तथा लड़कों के लिये पृथक स्कूल स्वच्छता (sanitation) सुविधाएं प्रदान करें;

लड़कियों तथा महिलाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा, जैसे कि व्यावसायिक या कौशल प्रशिक्षण और साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ाया जाये;

महिला विरूद्ध सर्वरूपी भेदभाव उन्मूलन अभिसमय और समान मेहनताना/पारिश्रमिक, भेदभाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कार्मिकों, और मातृ सुरक्षा पर आई.एल. ओ. अभिसमयों की अभिपुष्ठि और क्रियान्वित करना;

शालीन कार्य नियम जैसे कि सामाजिक सुरक्षा एवं छेड़छाड़ से मुक्ति, को क्रियान्वित करने के प्रयासों में वद्धि करना; और

सरकार के सब स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता बढ़ाना और न्यायाधिकरण, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और मीडिया में अन्य निर्णयन पदस्थितियों में उनकी भूमिका

को बढ़ाना।

ckèk iz'u 5

uksV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. एम.डी.जी.एस. 2015 की प्रगति की निगरानी के लिये यू.एन. फैक्टशीट (तथ्य पत्रक) ने मुख्य कामों की पहचान की है जो कि लक्ष्य बिन्दु की प्राप्ति की बढ़ौतरी के लिये किये जाने चाहिये। ऐसे पांच कामों को सूचीबद्ध करें।

....

....

....

....

2. एम.डी.जी. 3 प्राप्त करने में प्रगति का मूल्यांकन करने हेतु उपयोग किये गये सूचकों को सूचीबद्ध करें। क्या आप सोचते हैं कि यह वैध सूचक हैं? क्यों?

....

....

....

....

ckDl 1-2 % lgL=kfCn fodkl y{; 3 % Hkkjr esa izxfr dh fuxjkuh

प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में जेंडर असमता को गायब कर देने का निश्चय किया गया। प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में जेंडर समता प्राप्त करने के 2005 के लक्ष्य से चूक जाने के बाद, वर्ष 1990–91 में भारत 0.76 और 0.60 क्रमशः लाभ फिर से बनाने के लिये तैयार है। वृद्धि की यह दरें नामांकन में 2015 तक जेंडर समता प्राप्त करने में तेज प्रगति सूचित करते हैं, शायद प्राथमिक नामांकन में और भी पहले। महिलाओं का सशक्तिकरण अभी भी अत्याधिक धीमा है कि अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इस ओर प्रगति पुरुषों की अपेक्षा बहुत कम बनी हुई है और असमता 2015 तक संभवत्या समाप्त नहीं होगी। इसके बारे में एकमात्र उत्साहवर्धक संकेत युवाओं के साक्षरता जेंडर समता सूचक (जी.पी.आई.) में चालू प्रगति है, जो 2015 तक 1 से आगे निकल जाएगी। इसका अभिप्राय 1991 में लगभग 0.64 से 2001 में 0.81 तक और 2015 तक युवा साक्षरता में जेंडर समता की प्राप्ति है, यह सूचक में समता की ओर वांछित दर के परिवर्तन का संकेत करता है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में जेंडर समता की प्राप्ति के साथ–साथ यह प्राप्ति महिलाओं के लिये, ज्ञान की व्यापक दुनिया अर्जित करने, और कौशलों, आर्थिक, स्वतन्त्रता, निर्णय लेने और स्व–निश्चय करने में प्राधिकार या प्रभुत्व के विकास तक गम्यता अर्जित करने में बड़ा लाभकर है। परन्तु तृतीयक शिक्षा में जी.पी. आई. मंद रहा, और 1990–91 में 0.61 से 2006–07 तक 0.69 ही बढ़ा। इस दर पर तो, और 0.04 बिन्दु की बढ़ौतरी की 2007–2015 के काल के दौरान ही

अपेक्षा की जा सकती है। इसके दूसरी ओर, देश में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में जिस डिग्री से स्त्रियों के लिये श्रम बाजार खुल रहा है, जैसा कि कृषिइत्तर क्षेत्र में मजदूरी रोजगार में महिलाओं के भाग से मापा गया, वह 1990–91 और 2004–05 के बीच सिर्फ 6 प्रतिशत बिन्दु तक ही बढ़ी है, 13% से 18% तक। प्रगति की इस दर पर, कृषिइत्तर क्षेत्र में मजदूरी रोजगार में महिलाओं का हिस्सा 2015 तक ज्यादा से ज्यादा 24% के स्तर तक पहुँचने की अपेक्षा है, जो समता की स्थिति से काफी कम है। इस बात के बावजूद कि भारत का संविधान महिलाओं को अपनी स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय से सार्वभौम प्रौढ़ मताधिकार समेत न केवल समानता प्रदान करता है, और यह कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में, सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने का अधिकार भी प्रदान करता है, महिला सांसदों का प्रतिशत 1991 में 9.7% से गिर कर 2007 में 9.1% हो गया। अप्रेल–मई 2009 में हुए, 15वें सामान्य चुनाव के बाद 2009 में यह प्रतिशत 10.3% था। यद्यपि थोड़ी से ही वृद्धि है, यह ज्यादा अच्छे के लिये महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। राष्ट्रीय संसद के निर्वाचित सदस्यों को मिला कर राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों को लेने पर, महिला सदस्यों के प्रतिनिधित्व का हिस्सा 1990 में 3.28% से 2002 में 6.04% तक बढ़ गया है।

स्रोत : सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य–इंडिया कंट्री रिपोर्ट 2009 (मध्यकालिक सांख्यिकी मूल्यांकन, द्वारा : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन, भारत सरकार)

1-11 lkjka'k

हमने इस इकाई को विकास के जेंडरिंग के अर्थ और गैड वार्तालाप में अन्वेषित मुख्य तत्वों तथा प्रवृतियों के परिचय द्वारा किया। इस इकाई में चिरस्थायी (sustainable) विकास और एकीकृत विकास की अवधारणाओं का अन्वेषण किया गया। इन अवधारणाओं के जेंडर आयामों की व्याख्या की गई, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र में वार्तालापों पर फोकस के साथ। एकीकृत तथा चिरस्थायी विकास की रूपरेखा के रूप में सहस्त्राब्दि लक्ष्यों को, वैश्विक तथा राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लक्ष्यों की प्राप्ति की चर्चा के साथ, विस्तरित किया गया। एम.डी.जी. 3 पर विशेष ध्यान दिया गया है, यह जेंडर समानता की प्राप्ति और महिलाओं के सशक्तिकरण को प्रौन्नत करने पर फोकस करता है।

1-12 'kCnkoyh

fodsUnzh;dj.k ¼**decentralisation**½ % केन्द्रीय सरकार से सत्ता को सरकार की उप–राष्ट्रीय इकाइयों तक हस्तांतरित करना गरीबी को ज्यादा दक्षता पूर्वक से घटाने का तरीका हो सकता है (नॉरेड)। विकेन्द्रीयकरण देश में शासन के ढ़ांचे को बदलने का तरीका है। ज्यादा स्पष्ट रूप से, यह राजनीतिक, राजकोषीय और प्रशासनिक शक्तियां सरकार उप–राष्ट्रीय इकाइयों, जैसे राज्य, प्रान्त, जिला या नगरपालिकाएं, को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कई रूप धारण कर सकती है। विकेन्द्रीयकरण के तीन मुख्य रूपों के बारे में आमतौर पर बात की जाती हैः विसंकेन्द्रण (*Deconcentration*) (जो केन्द्रीय सरकार की सोपानिकी के अन्दर चयनित कार्यों का, केन्द्रीय मन्त्रालयों से कार्यभार को क्षेत्रीय कर्मचारी गण तथा कार्यालयों को सौंपने के जरिये हस्तान्तरण का संकेत करता है); प्रत्यायोजन/अपने अधिकार देना (delegation) यह क्षेत्रीय कर्तव्यों (या जिम्मेदारियों) को कायम रखने या क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी को क्षेत्रीय एवं स्थानीय

प्राधिकारियों को हस्तांतरित करने से सम्बन्धित है;) सुपुर्दगी (devolution) जो स्वनिर्णयगत प्राधिकारों को कानूनी रूप से गठित स्थानीय सरकारों को सौंपना/या हस्तांतरण।

fo[kfMr vkdM% जनसंख्या या समष्टि के खंडों में विभक्त आंकड़े का प्रस्तुतिकरण। उदाहरण के लिये, जेंडर विखंड़ित आंकड़ा सहवर्ती आमतौर पर जनसंख्या में पुरुष और महिलाओं के उप–समूह (या जेंडर के अन्य वर्ग जहां प्रासंगिक हो) से सम्बन्धित होगा। ऐसा विखंडित आंकड़ा इस प्रकार का पैटर्न प्रगट करता है जो कि उस आंकड़े में सुव्यक्त नहीं होता है जो कि विखंडित नहीं है।

l'kfDrdj.k ¼**empowerment**½% यूनिफेम ने महिलाओं के सशक्तिकरण की अपनी परिभाषा में निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया है : जेंडर सम्बन्धों की और जिस तरीके से यह सम्बन्ध बदले जा सकते है उन तरीकों की समझ अर्जित करना; स्वयोग्यता, वांछित परिवर्तन लाने में अपनी क्षमता और अपने जीवन पर नियन्त्रण के अधिकार में विश्वास का बोध विकसित करना; विकल्प उत्पन्न करने और सौदेबाजी की शक्ति का इस्तेमाल करने की योग्यता प्राप्त करना; राष्ट्रीय रूप से ओर अंतर्राष्ट्रीय रूप से ज्यादा न्यायपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सृजित करने के लिये सामाजिक परिवर्तन की दिशा को संगठित एवं प्रभावित करने की योग्यता विकसित करना।

bdklkd ¼**ECOSOC**½% आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् 54 सदस्य सरकारों से बनी है, यह तीन वर्षीय अवधि के लिये महासभा द्वारा मनोनीत की जाती है। चौदह सीटें अफ्रीका राज्यों को नियत की जाती है, ग्यारह एशियाई राज्यों को, दस लैटिन अमेरिकन और कैरिबियन राज्यों को, और तेरह पश्चिमी यूरोपाई एवं अन्य राज्यों को। इकोसोक 14 यू.एन. विशिष्टीकृत एजेन्सियों, 10 कार्यात्मक आयोगों, और 5 क्षेत्रीय आयोगों के कार्य का समन्वय करता है; यह 11 यू.एन. निधियों और कार्यक्रमों की रिपोर्ट प्राप्त करता है; और यू.एन. व्यवस्था तथा सदस्य राज्यों को नीतिगत सुझाव जारी करता है। यू.एन. घोषणा पत्र (चार्टर) के अंतर्गत, इकोसोक रहन–सहन के ज्यादा उच्च स्तरों, पूर्ण रोजगार, आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति को प्रौन्नत करने; अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं के समाधान ज्ञात करने; अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग का सूकरीकरण करने; और मानवाधिकारों तथा मौलिक स्वतन्त्रताओं के लिये सार्वभौम सम्मान को प्रोत्साहित करने के लिये जिम्मेदार है। इकोसोक, अपना अभियान पूरा करने में बुद्धिजीवियों, व्यवसाय क्षेत्र के प्रतिनिधियों, और 2100 से ज्यादा पंजीकृत गैर–सरकारी संस्थाओं के साथ परामर्श करता है।

समस्त विकास साझेदारों के साथ यही सम्बन्ध है जो इकोसोक को, एकीकृत ग्रामीण विकास के विषय को सम्बोधित करने के लिये असाधारण रूप से योग्य बनाता है। इकोसोक स्वायत्त सत्र, जो प्रत्येक जुलाई में आयोजित होता है, भिन्न–भिन्न विकास स्पेक्ट्रम से प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय मंत्रीमंडल मंत्रियों से लेकर प्रौफेसरों और व्यावसायिक नेताओं से एन.जी.ओ प्रतिनिधियों तक को इकट्ठा करता है। विभिन्न यू.एन. एजेन्सियों से प्रधान तथा प्रतिनिधि भी कार्यवाहियों में अग्रभूमिका अदा करते हैं।

tsMj ctVu% जेंडर बजट प्रयास भारत में व्यापक रूप से भिन्न–भिन्न नामों से जाना जाता है। जेंडर–प्रतिक्रियाशील बजट वो बजट है जो समाज में जेंडर पैटर्नों को स्वीकार करता है और उन नीतियों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये धन नियत करता है जो इन नमूनों को इस तरीके से परिवर्तित करेंगे जो ज्यादा जेंडर–समान समाज की ओर बढ़ाते हैं। जेंडर–बजट प्रयास ऐसे प्रयोग हैं जो देश को जेंडर–प्रतिक्रियाशील बजट की दिशा में बढ़ाने का लक्ष्य करते हैं।

tMj lekurk (**Gender Equality**) इसका अर्थ है कि महिलाओं को समान अधिकार मिलने चाहिए और मानव सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का अधिकार होना चाहिए, और नागरिक तथा राजनीतिक जीवन (डी.एफ.आई.डी.) में समान रूप से बोलने का अधिकार होना चाहिए। इसे अवसर की समानता के सम्बन्ध में देखा जाता है।

tMj e[; èkkjhdj.k (**Gender Mainstreaming**) ''जेंडर परिप्रेक्ष्य मुख्यधारीकरण, किसी भी क्षेत्र में और सभी स्तरों पर कानून, नीतियां या कार्यक्रम समेत, किसी भी नियोजित कार्रवाई की महिलाएं और पुरुषों के लिये प्रभावों का आंकलन करने की प्रक्रिया है। यह महिलाओं तथा पुरुषों के सरोकारों और अनुभवों को, सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में, नीतियों तथा कार्यक्रमों के डिज़ाइन, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन का अभिन्न अंग बनाने की कूट नीति है, ताकि महिलाएं और पुरुष समान रूप से लाभान्वित हों, और असमानता स्थायी न बनी रहे। मुख्यधारीकरण का अन्तिम लक्ष्य जेंडर समानता प्राप्त करना है।'' (यू.एन.इकोसोक)

tMj lonhdj.k (**Gender Sensitisation**) यह जेंडर सम्बन्धित मुद्दों को पहचान लेने की योग्यता विशेष रूप से महिलाओं के भिन्न सामाजिक अवस्थिति (location) और भिन्न जेंडर भमिकाओं से उत्पन्न प्रतिबोधनों और हितों को जानने की योग्यता से सम्बन्धित है। जेंडर संवेदनशीलता का प्रायः उपयोग जेंडर जागरूकता के अर्थ में किया जाता है यद्यपि जेंडर जागरूकता का अर्थ उन जेंडर मुद्दों को जान लेने की अतिरिक्त क्षमता भी हो सकता है जो कि ज्यादा पारम्परिक दृष्टिकोण रखने वाले मुद्दों से ''छिपे'' रहते हैं। परन्तु यहां हम जेंडर संवेदनशीलता की व्याख्या जेंडर जागरूकता की शुरूआत के रूप में करते हैं, जहाँ बाद वाला (या दूसरा) जेंडर विषमताओं का ज्यादा वैश्लेषिक, ज्यादा क्रान्तिक (या आलोचनात्मक) और ज्यादा ''पूछताछ'' करने वाला है। (http : / www3.online.com.kh/users/gad/index.htm)

Lkekf"V vFk'kkL= अर्थशास्त्र की एक शाखा जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की निष्पन्नता, संरचना, व्यवहार और निर्णयन से सम्बन्ध रखती है। यह राष्ट्रीय, वैश्विक या क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को समाविष्ट करती है। (Wikipedia)

lgfØ;k (**Synergy**) दो या ज्यादा चीजों का फल पाने के लिये इकट्ठे कार्य करना जो स्वतन्त्र रूप से कार्य करते हुए प्राप्य नहीं है। (Wikipedia)

HkkjkoVu@Hkkj nuk (**Weighting**) चीजों के समूहों के औसत की गुणना करने में, समूह में उप–घटकों या व्यक्तिगत चीजों को तुलनात्मक महत्व और प्राथमिकता निर्दिष्ट करने के लिये भारण घटकों का उपयोग किया जा सकता है। (Wikipedia)

1-13 ckèk i'uk d mÙkj

Ckkèk i'u&1

1. दी गई परिभाषाओं के आधार पर अपने शब्दों में उत्तर लिखें। ''चिरस्थायी विकास वो विकास है जो, अपनी खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भावी पीढ़ियों की योग्यता के साथ कोई समझोता किये बगैर वर्तमान की आवश्यकताएं पूरा करता है।'' संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने चिरस्थायी विकास को उस विकास के रूप में परिभाषित किया है जो न केवल आर्थिक संवृद्धि को सृजित करता है परन्तु उसके लाभों को समान रूप से वितरित करता है, जो वातावरण को नष्ट करने

के बजाय उसे पुनरूज्जीवित करता है, और जो लोगों का सशक्तिकरण करता है बजाय उनका उपान्तीकरण करने के यह विकास ही है। जो गरीबों को प्राथमिकता देता है, और उनके विकल्पों और अवसरों को विस्तारित करता है निर्णयों और जो उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी सहभागिता की व्यवस्था करता है।

2. संयुक्त राष्ट्र महिला प्रस्थिति आयोग ने महिलाओं और वातावरण के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं वो इस प्रकार से है :

अर्थ शिखर +5 सम्मेलन का फोकस जेंडर परिप्रेक्ष्य को विकास की मुख्यधारा में लाने और जेंडर समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से सभी अधिनियमों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर होना चाहिए।

सभी जिम्मेदार पात्रों को सभी स्तरों पर चिरस्थायी विकास की प्रक्रिया में पुरुषों के समान स्तर पर महिलाओं की सक्रिय सहभागिता का समर्थन देना चाहिए।

सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए सामाजिक नीतियाँ जेंडर–संवेदी सामाजिक नीतियों एवं वातावरण सम्बन्धी नीतियों द्वारा संपूरक हों जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वृद्धि के लाभ समाज के सभी क्षेत्रों में बांटे जाए और वातावरण की अवनति से बचा जा सके।

वातावरणीय प्रदूषक और अन्य हानिकारक पदार्थों का पुरुषों तथा स्त्रियों के प्रजनन स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव पर शोध को तेज कर दिया जाना चाहिये, और शोध के परिणामों को व्यापक रूप से प्रसारित किया जाना चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों को, जेंडर–प्रभाव का मूल्यांकन करने में देशों को सहायता देते रहना चाहिये।

बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय दाताओं को महिलाओं के संगठनों के लिये सहायता में वृद्धि करना चाहिये ताकि वो चिरस्थायी विकास में सक्रिय भूमिका अदा कर सकें।

प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और परिरक्षण में महिलाओं के ज्ञान तथा विशेषज्ञता की सुरक्षा की जाए और वातावरणीय प्रबन्धन कार्यक्रमों के डिजाइन तथा क्रियान्वयन में उसका पूर्ण उपयोग किया जाए।

यह सुनिश्चित करने के लिये कि भूमि पर पुरुषों के समान महिलाओं की गम्यता तथा नियन्त्रण है, कानूनों को डिज़ाइन और संशोंधित किया जाना चाहिए और निर्णयन निकायों जो भूमि तथा अन्य प्रकार की सम्पत्ति, ऋण, सूचना तथा नवीन प्रौद्योगिकियों का बंटन करते हैं, में महिलाओं का पूर्णत्या प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

यह सुझाव अत्यन्त व्यापक हैं क्योंकि सरकार के प्रतिनिधियों तथा पूरे विश्व से विशेषज्ञों के विचार विमर्श से निकले विचार इनमें समाविष्ट हैं।

Ckkèk i'u&2

1. कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सरोकारों में समाविष्ट हैं : गरीबी उन्मूलन और चिरस्थायी जीविकाएं, उपभोग तथा उत्पादन के बदलते अचिरस्थायी पैटर्न/नमूने, आर्थिक तथा सामाजिक विकास के प्राकृतिक संसाधन आधार की सुरक्षा तथा प्रबन्धन, वैश्वीकृत

हो रहे विश्व में चिरस्थायी विकास, क्रियान्वयन के साधन, विज्ञान तथा शिक्षा, जनसंख्या, चिरस्थायी विकास हेतु स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर शासन को सुदृढ़ करना।

2.. वित्त, व्यापार, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और शिक्षा और जनसंख्या के सम्बन्ध में क्रियान्वयन के साधनों की चर्चा की जानी चाहिए। इस सूची में से आप जिन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते है उन्हें चुन लें। अपने विकल्प के लिये संक्षेप में कारण बताइये।

Ckkèk i'u&3

1. विशिष्ट लक्ष्य हैं :

   गरीबी और भूखमरी समाप्त करो;

   सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति;

   जेंडर समानता को प्रोन्नत करें तथा महिलाओं को सशक्त करे;

   बाल मृत्यु दर घटाइये;

   मातृ स्वास्थ्य का सुधार करें;

   एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया तथा अन्य रोगों के साथ संघर्ष करें;

   वातावरणीय चिरस्थायित्व सुनिश्चित करें।

   विकास हेतु वैश्विक साझेदारी विकसित करें।

2. एकीकरण की अवधारणा बहुमुखी है और विस्तार से इसका स्पष्टीकरण अनिवार्य है। आपको अपने उत्तर में अवधारणा के छः पक्षों की संक्षेप में चर्चा करनी चाहिये :

   सामाजिक तथा आर्थिक नीति में एकीकरण;

   यू.एन. इकोसोक में ग्रामीण विकास पर वार्तालापों का एकीकृत उपागम;

   गरीबी का ग्रामीण–शहरी द्विभाजन और सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये इसके निहितार्थ;

   बहु–क्षेत्रीय विकास;

   सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों द्वारा अपनाये गये एकीकृत ढांचे की रूपरेखा; और

   एकीकृत विकास के विरोधाभास।

Ckkèk i'u&4

1. अन्य एम.डी.जीस. में अंतर्निहित जेंडर आयामों के अतिरिक्त जहां कहीं भी प्रासंगिक हो, विशेष रूप से एम.डी.जी. 3 को सम्बोधित करने में सफलता का वर्णन किया जाना चाहिए। वैश्विक तथा भारतीय दोनों स्थितियों की विस्तृत व्याख्या की जानी आवश्यक है। कुछ ऐसे पहलु जिनकी चर्चा की जानी चाहिए निम्नलिखित है : परिवर्तन के एजेन्ट के रूप में महिलाएं; सभी एम.डी.जीस. के बीच सहक्रियाओं को अधिकतम करना; एम.डी.जीस. और जेंडर–संवेदी सामाजिक सुरक्षा।

Ckkèk i'u&5

1. निम्नलिखित में से कोई भी पांच कार्य :

   कार्रवाइयों को उच्च स्तर तक ले जाना, वित्तीय संसाधनों में बढ़ोतरी और एम. डी.जी. लक्ष्य बिन्दुओं जो स्त्रियों तथा लड़कियों को समान रूप से लाभ

पहुँचाते हैं और सशक्त करते हैं, की उपलब्धि को त्वरित करना; और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी गम्यता सुनिश्चित करना, पूर्ण तथा शालीन रोजगार, और समस्त क्षेत्रों में एक समान राजनीतिक सहभागिता तथा निर्णयन;

विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाओं की उद्यमिता को सम्पत्ति एवं आर्थिक परिसम्पतियों, लद्युवित्त, कृषिक आगतें जैसे बीज, उर्वरक, प्रशिक्षण और बाजारों के जरिये उन्नत गम्यता;

कानूनी संशोधनों के जरिये महिलाओं के भूमि तथा सम्पत्ति अधिकारों की गारन्टी करें;

लड़कियों की घरेलु जिम्मेदारियों को घटाने के लिये जन जागरूकता बढ़ाना और छोटी आयु में विवाह तथा गर्भधारण को रोकना;

महिलाओं के विरूद्ध सर्वरूपी हिंसा पर व्यापक कानूनों को अपनाना और महिला तथा लड़कियों के विरूद्ध हिंसा को रोकने के लिये जागरूकता बढ़ाने वाले अभियानों को समर्थन देना;

महिलाओं के विरूद्ध हिंसा के पीड़ितों ाके उपचार और न्याय गम्यता तथा पर्याप्त सेवाएं प्रदान करने के लिये निधियन बढ़ाया जाए। स्कूलों में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिये सहायी वातावरण सुनिश्चित करें और अनुपस्थिति और ड्रॉप–आऊट की दरों को कम करें।

लड़कियों के लिये रोल–मॉडल के रूप में कार्य करने तथा लड़कियों की स्कूल उपस्थिति को बढ़ाने के लिये ज्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति करना;

जेंडर–संवदी पाठ्यक्रम को प्रौन्नत करें तथा अध्यापक गण और स्कूल अधिकारियों के लिये जेंडर–संवेदीकरण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना;

सुनिश्चित करें कि लड़कियों को स्कूल आने तथा स्कूल से जाने के लिये परिवहन सुविधा उपलब्ध है;

लड़कियों तथा लड़कों के लिये पृथक स्कूल स्वच्छता प्रबन्ध (sanitation) सुविधाएं प्रदान करना;

लड़कियों तथा महिलाओं के लिये अनौपचारिक शिक्षा जैसे व्यावसायिक या कौशल प्रशिक्षण और साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ाना ;

महिला विरूद्ध सर्वरूपी भेदभाव उन्मूलन अभिसमय और समान पारितोषिक, भेदभाव, पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ कार्मिक, और मातृ सुरक्षा पर आई. एल.ओ. के अभिसमयों की अभिपुष्टि करना तथा उन्हें क्रियान्वित करना;

शालीन कार्य नियमों के क्रियान्वयन के लिये प्रयासों को बढ़ाना, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा और छेड़छाड़ से स्वतन्त्रता; और

शासन के सभी स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता और न्यायपालिका, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और मीडिया में निर्णयन पदस्थितियों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना।

एम.डी.जी. 3 सूचकों में समाविष्ट है :

सूचक 9 : प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक शिक्षा में लड़कों में लड़कियों का अनुपात।

सूचक 10 : 15–24 वर्षीय आयु की महिलाओं का पुरुषों में अनुपात।

सूचक 11 : कृषि इतर क्षेत्र में मजदूरी पर रोजगार में महिलाओं का हिस्सा।

सूचक 12 : राष्ट्रीय संसद में महिलाओं द्वारा ली गई सीटों का अनुपात।

1-14 mi;ksxh iLrd

Bhasin, Kamala (2001) Gender training with men: experiences and reflections from South Asia, in: Caroline Sweetman (Ed.) *Male Involvement in Gender and Development Policy and Practice: beyond rhetoric*, pp. 20-34 (Oxford, Oxfam Working Paper Series)

Burton and Pollack (2002) 'Gender Mainstreaming and Global Governance' *Feminist Legal Studies*, Volume 10, No. 3 and 4

Chant, Sylvia & Gutmann, Mathew (2002) 'Men-streaming' gender? Questions for gender and development policy in the twenty first century, *Progress in Development Studies*, 2, pp. 269-282.

Committing to action: Achieving the MDGs, Background note by the Secretary-General for the High-level Event on the Millennium Development Goals, United Nations, New York, 25 September 2008.

Cornwall, Andrea (2000) *'Making a difference? Gender and Participatory Development'*, Discussion Paper, Brighton, UK: Institute of Development Studies.

CPRC (2008) The Chronic Poverty Report 2008-9: Escaping Poverty Traps. Chronic Poverty Research Centre.

Datta, Kavita (2004) A coming of age? From WID to GAD to 'add-men-and-stir' in Urban Botswana, *Journal of Southern African Studies*, 30(2)

Department of Women and Child Development (2001) *National Policy on Empowerment of Women*, New Delhi: Government of India.

Goetz, Anne-Marie(1997) *Getting Institutions Right for Women in Development* (London: Zed Books)

Government of India, Sustainable Development in India: Perspectives, http://envfor.nic.in/divisions/ic/wssd/doc4/consul_book_persp.pdf

http://www.un.org/ecosocdev/geninfo/sustdev/womensus.htm

Jones, N. and H. Baker (2008) 'Untangling links between trade, poverty and gender'. ODI Briefing Paper. ODI: London.

Jones, N., C. Walsh and K. Buse (2008) 'Gender and Immunisation: A Knowledge Stocktaking Report'. Report for the GAVI Alliance Secretariat. ODI: London.

Kabeer, Naila (1994) 'Gender Aware Policy and Planning: A Social Relations

Perspective' in Macdonald, M. (ed) *Gender Planning in Development Agencies: Meeting the Challenge,* UK :Oxfam

MDG Monitor Website http://www.mdgmonitor.org/, UNDP.

MDG monitor website, as of 18 August 2008.

Moghadam, Valentine M.(1998) Feminisms and development, *Gender and History*, 10, pp. 590-597.

Moser, Caroline O.N. (1993) Gender Planning and Development: theory, practice and training (London: Routledge)

Mukhopadhyay, Swapna (2003) Status of women under economic reforms: the Indian case, in: Swapna Mukhopadhyay & Ratna M. Sudarshan (Eds.) Tracking gender equity under economic reforms: continuity and change in South Asia, Kali for Women and IDRC (New Delhi: Kali for Women)

Murthy, R.K. and Rao, N. (1997) *Addressing Poverty: Indian NGOs and their Capacity Enhancement in the 1990s*, New Delhi: Friedrich Ebert Stiftung (India Office)

Murthy, Ranjani K. and Kappen, Mercy (2006) Gender, Poverty and Rights, Visthar, Bangalore.

Parpart, Jane & Marchand, Marianne(1995) Exploding the canon: an introduction/ conclusion, in: Marianne Marchand & Jane Parpart (Eds) *Feminism/ Postmodernism / Development*, pp. 1-22 (London: Routledge)

Pearson, Ruth (2000) Rethinking gender matters in development, in: Tim Allen & Alan Thomas (Eds) *Poverty and Development into the 21st Century*, pp 383-402 (Oxford, Open University in association with Oxford University Press).

Ranjani K. Murthy and Mercy Kappen (2007) *Institutionalizing Gender Within Organisations and Programmes: A Trainer's Manual* (Bangalore: Visthar).

Rao and Kelleher (2003) 'Institutions, Organisations and Gender Equality in an Era of Globalization' *Gender and Development*, Volume 11, No. 1

Sudarshan, Ratna M.(2003) Towards integration? Gender and economic policy, in: Swapna Mukhopadhyay & Ratna M. Sudarshan (Eds) Tracking gender equity under economic reforms: continuity and change in South Asia, Kali for Women and IDRC (New Delhi: Kali for Women)

Sweetman, Caroline (1997) Editorial, in: Caroline Sweetman (Ed) *Men and Masculinity,* pp. 2-7 (Oxford, Oxfam)

The Millennium Development Goals Report 2008, United Nations.

UNDP Annual Report 2008.

UNite to End Violence Against Women http://endviolence.un.org/; and UNFPA http://www.unfpa.org/endingviolence).

Whitehead, Ann (1979) 'Some Preliminary Notes on Subordination of Women' *IDS Bulletin* , No. 3

Women in National Parliaments Webpage http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm, Inter-Parliamentary Union.

UNIFEM, http://www.unifem.org/campaigns/vaw/16days.php.

World Bank (2001) *Engendering development through gender equality in rights, resources, and voice*.World Bank.

World Bank (2007) *World Development Report 2008: Agriculture for Development*. World Bank.

World Commission on Environment and Development (WCED).*Our common future.* Oxford: Oxford University Press, 1987 p. 43.

World Health Organization (2007) *Engaging men and boys in changing gender-based inequity in health: Evidence from programme interventions*. Geneva: WHO.

www.mdgmonitor.org

Young, Kate (2002) WID, GAD and WAD, in: Vandana Desai & Robert B. Potter (Eds) *The Companion to Development Studies*, pp. 321-325 (London: Arnold)

1-15 ckèk iz'u ¼vH;kl ,oa euu gsrq½

1) चिरस्थायी विकास तथा एकीकृत विकास की अवधारणाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं?

2) सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य क्या हैं? क्या वे जेंडर–संवेदनशील हैं?

3) एम.डी.जी.3 का उपयोग करते हुए, आप जेंडर समानता की दिशा में प्रगति की किस प्रकार से समीक्षा करेंगे?

4) एच.डी.आई., जी.ई.एम. और जी.डी.आई. क्या हैं? क्या एच.डी.आई. और जी.डी.आई. सम्बन्धित हैं?

5) हमें क्यों चिरस्थायी विकास प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिये?

6) मानव विकास सूचकों का जेंडरिंग करने में भारतीय अनुभव क्या हैं? विस्तार से बताइये।

Ikfjf'k"V 1

,e-Mh-th- lwpdkas dh ljdkjh lwph
lHkh lwpdkas dks tgka rd lEHko gks] fyax vkj 'kgjh@xzkeh.k vuqlkj fo[kafMr fd;k tkuk pkfg;sA

izHkkoh & 15 tuojh 2008

lgL=kfCn fodkl y{;	
Yk{; vkj y{; fcUnq	
¼lgL=kfCn ?kks"k.kk i= ls½	Ikzxfr dh fuxjkuh ds fy;s lwpd
Yk{; % 1 vR;Ur xjhch rFkk Hkq[kejh dks lekIr djuk	
लक्ष्य बिन्दु 1ए : 1990 और 2015 के बीच, जिन लोगों की आय प्रतिदिन एक डॉलर से कम है उनके अनुपात को आधा करना	• प्रतिदिन 1 डॉलर (पी.पी.पी.) से कम पर गुजर–बसर करने वाली जनसंख्या का अनुपात • गरीबी अंतराल अनुपात • राष्ट्रीय उपभोग में सबसे गरीब क्विनटाइल का हिस्सा
लक्ष्य बिन्दु 1बी : महिलाएं एवं युवा लोग समेत, सबके लिए पूर्ण एवं उत्पादक रोजगार और शालीन कार्य प्राप्त करें। लक्ष्य बिन्दु 1सी : 1990 और 2015 के बीच, जो लोग भूखमरी से कष्ट भोगते हैं उनके अनुपात को आधा करें	• प्रति नियोजित व्यक्ति जी.डी.पी. की वृद्धि दर • जनसंख्या में रोजगार अनुपात • प्रतिदिन 1 डॉलर से कम पर गुजर बसर करने वाले नियोजित लोगों का अनुपात • कुल रोजगार में ओन–अकाऊंट और योगदान कर रहे परिवार कार्मिकों का अनुपात • पाँच वर्ष से कम आयु के अल्प या कम वजन के बच्चों की प्रबलता • आहारीय ऊर्जा उपभोग के न्यूनतम स्तर से नीचे जनसंख्या का अनुपात
Yk{; 2 % lkoZHkkSfed izkFkfed f'k{kk dh izkfIr	
लक्ष्य बिन्दु 2 : सुनिश्चित करें कि, 2015 तक सभी जगहों पर, लड़के और लड़कियां समान रूप से, प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा का पूरा पाठ्यक्रम पूरा कर पाएंगे।	• प्राथमिक शिक्षा में निवल नामांकन अनुपात • श्रेणी – 1 से प्रारम्भ करने वालों में से प्राथमिक शिक्षा की अन्तिम श्रेणी में पहुँचने वाले छात्रों का अनुपात • 15–24 वर्षीय आयु के पुरुष एवं महिलाओं की साक्षरता की दर

Yk{; 3% tsMj lekurk dk ikUur djuk vkj efgykvk dk l'kDr djuk	
लक्ष्य बिन्दु 3ए : प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा में, अधिमानतः 2005 तक और शिक्षा के सब स्तरों पर 2015 तक, जेंडर विषमता को समाप्त करना।	• प्राथमिक, माध्यमिक तथा तृतीयक शिक्षा में लड़कों में लड़कियों का अनुपात • कृषि इतर क्षेत्र में मजदूरी रोजगार में महिलाओं का हिस्सा • राष्ट्रीय संसद में महिलाओं द्वारा ग्रहण की गई सीटों का अनुपात
Yk{; 4 % cky eR;q la[;k dk ?kVkuk	
लक्ष्य 4ए : 1990 और 2015 के बीच पांच से कम वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर को दो–तिहाई घटाना	• पांच से कम वर्ष की आयु के बच्चों की मृत्यु दर • बाल मृत्यु दर • खसरे के विरुद्ध टीका लगवाने वाले 1 वर्ष की आयु के बच्चों का अनुपात
Yk{; 5 % ekrr LokLFFk lèkkjuk	
लक्ष्य बिन्दु 5ए : 1990 और 2015 के बीच, मातृ मृत्यु अनुपात को तीन–चौथाई घटाना लक्ष्य बिन्दु 5बी : 2015 तक, प्रजनन स्वास्थ्य की सार्वभौम गम्यता प्राप्त करना	• मातृ मृत्यु अनुपात • कौशल युक्त या प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मी की देखरेख में प्रसवों का अनुपात • गर्भ निरोधक की व्यापकता की दर • किशोरावस्था में जन्म दर • प्रसवपूर्व देखरेख कवरेज (कम से कम एक दौरा और अधिक से अधिक चार दौरे) • परिवार नियोजन के लिए पूरी न होने वाली आवश्यकता
Yk{; 6 % ,p-vkbZ-oh-@,M~l] eysfj;k ;k vU; jksxksa dk lkFk la?k"kZ	
लक्ष्य बिन्दु 6ए : 2015 तक एच.आई.वी. / एड्स का फैलाव रोक दिया जाए और उल्टा रुख शुरू हो जाए	• 15–24 वर्ष की उम्र की जनसंख्या में एच.आई.वी. की व्यापकता। • अन्तिम उच्च–जोखिम पूर्ण यौन संबंध के समय कॉण्डोम का प्रयोग • 15–24 वर्ष की आयु की जनसंख्या में एच.आई.वी. / एड्स की सही जानकारी रखने वालों का अनुपात

	• 10–14 वर्षीय अनाथ इतर बच्चों की स्कूल उपस्थिति में अनाथ बच्चों की स्कूल उपस्थिति का अनुपात
लक्ष्य बिन्दु 6बी : 2010 तक उन सब लोगों को जिन्हें जरूरत है एच.आई.वी./एड्स के उपचार की सार्वभौम गम्यता प्राप्त हो।	• एच.आई.वी. से संक्रमित लोग जिन्हें एंटीरेटरोवायरल औषधि की गम्यता प्राप्त है का अनुपात
लक्ष्य बिन्दु 6सी : 2015 तक मलेरिया एवं अन्य रोगों की घटना को रोक देना है और उसका उल्टा रुख शुरू हो जाना चाहिए।	• मलेरिया से जुड़ी घटनाएं और मृत्यु दरें • जो कीटनाशक उपचारित बिस्तर जाली के अन्दर सोने वाले 5 वर्ष से कम आयु के बच्चो का अनुपात • बुखार से ग्रस्त पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों, जो उपयुक्त मलेरिया रोधी, औषधि से उपचारित किये गये, का अनुपात • तपेदिक से जुड़ी घटनाएं, व्यापकता और मृत्यु दरें • तपेदिक के शिनाख्त किए और उपचारित मामले जो सीधे अल्पकालिक प्रेक्षित उपचार के अंतर्गत ठीक किये गये, का अनुपात
Yk{; 7 % okrkoj.kh; fpjdkfydrk lfuf'pr dj%	
लक्ष्य बिन्दु 7ए : चिरस्थायी विकास के नियमों को देश की नीति तथा कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करें और वातावरणीय संसाधनों की हानि का उल्टा रुख करें लक्ष्य बिन्दु 7बी : जैव विविधता की हानि को कम करें और 2010 तक हानि की दर में काफी कमी हो	• वनों द्वारा आच्छादित भू–क्षेत्र का अनुपात • कुल एवं प्रति इकाई और प्रति 1 डॉलर जी.डी.पी. (पी.पी.पी.) कार्बनडाईआक्साईड उत्सर्जन • ओजोन क्षीण हो रहे पदार्थों का उपभोग • सुरक्षित जैव सीमाओं के अंदर मछली भंडार का अनुपात • उपयोग किए कुल जल संसाधनों का अनुपात • सुरक्षित स्थलज तथा समुद्रीय क्षेत्रों का अनुपात • उन जीवों का अनुपात जिनके लुप्तप्राय होने की आशंका है

लक्ष्य बिन्दु 7सी : 2015 तक सुरक्षित पेय जल तथा मूलभूत स्वच्छता प्रबंन्ध की चिरस्थायी गम्यता के बगैर लोगों के अनुपात को आधा करें।	• उन्नत पेय जल स्रोत का उपयोग करने वाली जनसंख्या का अनुपात • उन्नत स्वच्छता प्रबंध सुविधा का उपयोग करने वाली जनसंख्या का अनुपात
लक्ष्य बिन्दु 7डी : 2020 तक, कम से कम 100 मि. मलिन बस्तीवासियों के जीवन में काफी उन्नति हो	• मलिन बस्तियों में रहने वाली शहरी जनसंख्या का अनुपात

Yk{; 8 % fodkl dk fy, oSf'od lk>snkjh fodflr djuk

लक्ष्य बिन्दु 8ए : खुली, नियम आधारित, पूर्वानुमेय, गैर–विभेदमूलक कारोबारी और वित्तीय व्यवस्था आगे और विकसित करें। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूप से, अच्छे शासन, विकास तथा गरीबी में कमी के लिए प्रतिबद्धता समाविष्ट करता है।	• नीचे दिए गए सूचीबद्ध सूचकों में से कुछ की अत्यन्त कम विकसित देशों के लिए पृथक रूप से निगरानी की जाती है जैसे अफ्रीका, भू–बद्ध विकासशील देश और छोटे द्वीप विकासशील देश
लक्ष्य बिन्दु 8बी : अत्यन्त कम विकसित देशों की विशेष आवश्यकताओं को संबोधित करना, इसमें समाविष्ट हैं – बिल्कुल कम विकसित देशों के निर्यातों के लिए टैरिफ और कोटा मुक्त गम्यता, अत्यन्त ऋणग्रस्त गरीब देशों के लिए ऋण राहत के वर्द्धित कार्यक्रम, और शासकीय द्विपक्षीय ऋण को रद्द करना, और गरीबी घटाने के लिए प्रतिबद्ध देशों के लिए ज्यादा उदार ओ.डी.ए.।	*शासकीय विकास सहायता (ओ.डी.ए.)* • निवल ओ.डी.ए. कुल तथा बिलकुल कम विकसित देशों को, ओ.ई.सी.डी./डी.ए.सी. दाताओं की सकल राष्ट्रीय आय के प्रतिशत के रूप में • मूलभूत सामाजिक सेवाओं (मौलिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख, पोषण, सुरक्षित जल एवं स्वच्छता) को ओइसीडी/डीएसी दाताओं का कुल द्विपक्षीय क्षेत्र – आवंटनीय ओ.डी.ए. का अनुपात • ओईसीडी/डीएसी दाताओं की द्विपक्षीय शासकीय विकास सहायता का अनुपात जो अनाबद्ध है। • उनके सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में भू–बद्ध विकासशील देशों में प्राप्त ओडीए • छोटे द्विपीय विकासशील राज्यों में उनकी सकल राष्ट्रीय आय के अनुपात के रूप में प्राप्त ओडीए

लक्ष्य बिन्दु 8सी : भू–बद्ध विकासशील देशों और छोटे द्विपीय विकासशील देशों की विशेष आवश्यकताओं को सम्बोधित करना (छोटे द्विपक्षीय विकासशील राज्यों के चिरस्थायी विकास के लिए कार्रवाई कार्यक्रम और जनरल असेम्बली के बाईसवें विशेष सत्र के परिणाम के जरिये)	Ckkt kj xE; rk • विकासशील देशों और शुल्क स्वतंत्र प्रवेश प्राप्त बिल्कुल कम विकसित देशों से, कुल विकसित देश आयातों (मूल्य से एवं सशस्त्रों को छोड़कर) का अनुपात • विकासशील देशों से कृषि उत्पादों, वस्त्र और कपड़ों पर विकसित देशों द्वारा लगाए औसत प्रशुल्क • ओईसीडी देशों के सकल घरेलु उत्पाद के प्रतिशत के रूप में उनका कृषिक सहायता अनुमान • व्यापार क्षमता निर्मित करने के लिए प्रदान किया जाने वाले ओडीए/ODA का अनुपात
लक्ष्य बिन्दु 8डी : विकासशील देशों की ऋण समस्याओं के साथ राष्ट्रीय तथा अंतरर्राष्ट्रीय उपायों के जरिये व्यापक रूप से निबटना ताकि ऋण को दीर्घकाल में चिरस्थायी बनाया जा सके।	_.k fpjLFkkf;Ro • देशों की कुल संख्या जो अपने एच.आई.पी.सी. निर्णय बिन्दु तक पहुँच गए हैं और वो संख्या जो अपने एच.आई.पी.सी. समापन बिन्दु (संचयी) तक पहुँच गए हैं • एच.आई.पी.सी. और एम.डी.आर. आई. प्रयासों के तहत प्रतिबद्ध ऋण राहत • वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के प्रतिशत के रूप में ऋण सेवा
लक्ष्य बिन्दु 8ई : औषध निर्माण कम्पनियों के साथ सहयोग से, विकासशील देशों में अनिवार्य औषधियों की गम्यता प्रदान करना	• अनिवार्य औषधियों की चिरस्थायी आधार पर गम्यता प्राप्त जनसंख्या का अनुपात
लक्ष्य बिन्दु 8एफ : निजी क्षेत्र के साथ सहयोग से नवीन प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, के लाभों को उपलब्ध कराना	• प्रति 100 जनसंख्या पर टेलीफोन लाइन • प्रति 100 जनसंख्या पर सेल्युलर योगदाता • प्रति 100 जनसंख्या पर इंटरनेट उपयोक्ता

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य और लक्ष्यबिन्दु, सितम्बर 2000 को, राज्यों तथा सरकार के 147 प्रधानों समेत, 189 देशों द्वारा हस्ताक्षर किये गए, सहस्त्राब्दि घोषणा पत्र से, (http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm) और 2005 के विश्व शिखर सम्मेलन में सदस्य राज्यों द्वारा आगे और समझौते से निकाले गए हैं (महासभा द्वारा अपनाया प्रस्ताव – http://www.un.org/Docs/journal/asp /ws.asp?m=A/RES/60/1) लक्ष्य और लक्ष्यबिन्दु परस्पर सम्बन्धित हैं और उन्हें एक सम्पूर्ण के रूप में देखा जाना चाहिए। वे विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच साझेदारी निरूपित करते हैं जिससे कि, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर समान रूप से ''वातावरण उत्पन्न किया जाये – जो कि विकास और गरीबी के उन्मूलन के लिए सहायक है।''

bdkbZ 2 tsMj vkSj fodkl % egRoiw.kZ vo/kkj.kk,a

bdkbZ dh lajpuk

2.1 प्रस्तावना

2.2 उद्देश्य

2.3 सत्ता

2.4 अधीनस्थता

2.5 सशक्तिकरण

2.6 भेदभाव (विभेदीकरण)

2.7 हकदारी

2.8 आवश्यकताएं और अधिकार

2.9 विकास में महिलाएं (WID/विड)

2.10 जेंडर मुख्यधारीकरण

2.11 साक्षरता जेंडर समता सूचक (जी.वी.आई.)

2.12 जेंडर और विकास (GAD/गैड)

2.13 जेंडर नियोजन

2.14 जेंडर बजटन

2.15 जेंडर लेखांकन

2.16 जी.ड़ी.आई. और जी.ई.एम.

2.17 जेंडर–अंध उपागम

2.18 अधिकार–आधारित उपागम

2.19 अति महत्वपूर्ण जेंडर आवश्यकताएं

2.20 व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताएं

2.21 जेंडर विश्लेषण

2.22 जेंडर भेद सूचक

2.23 जेंडर नीति

2.24 जी.आई.आई.

2.25 सारांश

2.26 बोध प्रश्नों के उत्तर

2.27 उपयोगी पुस्तकें

2.28 बोध प्रश्न (अभ्यास एवं मनन हेतु)

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

2-1 izLrkouk

यह इकाई आपको जेंडर और विकास अध्ययनों से सम्बन्धित मूलभूत अवधारणाओं से परिचित कराती है। इस इकाई में अवधारणाओं से आपको सुपरिचित कराने के लिये व्यापक परास की अवधारणाओं की चर्चा गई है। इस कार्यक्रम की परवर्ती इकाइयों तथा पाठ्यक्रमों में इनका उपयोग किया जायेगा।

2-2 mn~ns';

इस इकाई को पढ़ने के बाद आपः

जेंडर और विकास के सम्बन्ध में मूलभूत अवधारणाओं की व्याख्या कर पाएंगे;

सम्बन्धित मूलभूत अवधारणाओं के बीच अन्तरों को स्पष्ट कर सकेंगे; और

जेंडर और विकास के उद्विकास में प्रवृतियों का विश्लेषण कर पाएंगे।

2-3 lÙkk

सत्ता/शक्ति को कुछ लोगों/ संस्थाओं/संगठनों द्वारा भौतिक, मानवीय, बौद्धिक तथा वित्तीय संसाधनों पर नियन्त्रण की कोटि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन संसाधनों पर नियन्त्रण शक्ति/सत्ता का स्रोत बन जाता है। यह गत्यात्मक और सम्बन्धात्मक होता है और व्यक्तियों तथा समूहों के बीच सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक सम्बन्धों में प्रयोग किया जाता है। यह असमान रूप से बंटा होता है जहां कुछ व्यक्तियों तथा समूहों का संसाधनों पर वृहदतर नियन्त्रण होता है और दूसरों का नियन्त्रण थोड़ा या बिल्कुल नहीं होता है। संसाधनों की गम्यता या उस पर नियन्त्रण ही व्यक्ति की शक्ति/सत्ता की सीमा को निर्धारित करते हैं। भिन्न–भिन्न कोटि की सत्ता (या शक्ति) सामाजिक स्तरीकरण जैसे कि जेंडर, वर्ग, जाति इत्यादि के जरिये अपना अस्तित्व बनाए रखती है और अपने को शाश्वत् बनाती है। सत्ता/शक्ति को भिन्न क्रियाकारी तरीकों से समझा जा सकता हैः

– ij lÙkk ¼**powerover**½ % यह सत्ता या तो प्रभुत्व, अधीनस्थता के सम्बन्ध से जुड़ी है। यह अन्ततः सामाजिक रूप से स्वीकृत हिंसा की आशंकाओं तथा धमकी पर आधारित होती है, इसे कायम रखने के लिये निरन्तर सतर्कता अनिवार्य है; और यह सक्रिय एवं निष्क्रिय विरोध को आमन्त्रित करती है;

& dks lÙkk ¼**power to**½ % यह सत्ता निर्णय लेने का प्राधिकार होने, समस्याओं को हल करने की शक्ति होने से सम्बन्ध रखती है और यह रचनात्मक तथा सम्भव बनाने योग्य हो सकती है;

& ds lkFk lÙkk ¼**power with**½ % यह सत्ता सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये सर्वनिष्ठ उद्देश्य या सर्वनिष्ठ समझ के साथ संगठित करने वाले लोगों से जुड़ी है;

& vUnj 'kfDr ¼**power within**½ % यह शक्ति आत्मविश्वास, स्व–जागरूकता तथा आग्रहिता से सम्बन्धित है। किस प्रकार से व्यक्ति अपने अनुभव का विश्लेषण करके, समझ लेता है कि किस प्रकार शक्ति उनके जीवन में चालित होती है और इसे प्रभावित करने तथा बदलने के लिये कार्रवाई करने का विश्वास अर्जित करता है।

2-4 vèkhuLFkrk

वैबस्टर के शब्दकोश के अनुसार, अधीनस्थता का अर्थ है:

1) वो व्यक्ति जो दूसरे के क्रम या कोटि से नीचे है– प्रधान से अलग।

2) क्रम, स्वभाव, प्रतिष्ठा, शक्ति/सत्ता, महत्व इत्यादि में निम्न होना।

3) एक व्यक्ति को दूसरे से निम्नक्रम या वर्ग में रखना; कम मूल्य या महत्व का बनाना या समझना।

4) पराधीन बनाना; अधीन करना या वश में लाना; जैसे कि मनोवेगों या मनोभावों को बुद्धि/विवेक के अधीनस्य करना।

5) निम्न क्रम, वर्ग या श्रेणी में स्थान निर्धारित करना; निम्न अथवा निकृष्ट पदस्थिति धारण करना।

महिलाओं की अधीनस्थता सामाजिक मानदण्डों, संस्कृति और प्रथाओं जो पुरुष को मुख्य, श्रेष्ठ और सर्वोपरि और महिलाओं को पुरुषों से गौण और अवर या अप्रधान मानते हैं के द्वारा निर्धारित होती है। यह महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश करने, अपने आप निर्णय लेने, और पदों पर अधिकार करने इत्यादि से वर्जित एवं प्रतिबंधित करती हैं। जिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में कहा गया है कि आकाश के नीचे ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है, जहां महिलाओं को अधीनस्थ नहीं किया जाता है। अतः, महिलाओं की अधीनस्थता वैश्विक परिघटना है जो कि पितृसत्ता के प्रगटीकरण का परिणाम समझा जाता है।

2-5 l'kfDrdj.k

मरियम वैबस्टर शब्दकोष, सशक्तिकरण को, स्व–प्रत्यक्षीकरण को प्रौन्नत करने हेतु शक्तिहीन को शासकीय अथवा कानूनी शक्ति देने के रूप में परिभाषित करता है। इसका अर्थ है लोगों को अपनी अधीनस्थता, वंचन की स्थिति से बाहर निकल आने और अपनी हकदारी का तलाशने के अवसर प्रदान करना है। श्रीलता बाटली वाला ने सशक्तिकरण को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के रूप में परिभाषित किया है, वैयक्तिक स्व–दावे से लेकर सामूहिक प्रतिरोध, असहमति (या विरोध) और लामबंदी (mobilisation) तक जो मूलभूत शक्ति के सम्बन्धों को चुनौती देती हैं। व्यक्तियों और समूहों के लिए, जहां वर्ग, जाति, नृजातियता और जेंडर संसाधनों तथा सत्ता की उनकी गम्यता निर्धारित करते हैं, उनका सशक्तिकरण शुरू हो जाता है जब वे न सिर्फ शक्तियों को पहचान लेती हैं जो कि उन्हें उत्पीड़ित करती है परन्तु मौजूदा सत्ता सम्बन्धों को बदलने के लिये कार्रवाई करती हैं। अतः, शक्तिकरण एक प्रक्रिया है जो व्यवस्थापरक बलों जो महिलाओं तथा अन्य वंचित क्षेत्रों का उपान्तीकरण करते हैं की दिशा और प्रकृति को बदलने का लक्ष्य करती है।

एशियाई सक्रिय कार्यकर्त्ता महिलाओं के सशक्तिकरण को निम्नलिखित की प्रक्रिया तथा प्रक्रिया के परिणाम के रूप में परिभाषित करते हैं:

– पुरुषों के प्रभुत्व तथा महिलाओं की अधीनस्थता की विचारधारा को चुनौती देना;

– महिलाओं को संसाधनों (भौतिक, मानवीय, बौद्धिक, वित्तीय) पर नियन्त्रण तथा उनकी समान गम्यता अर्जित करने में सक्षम बनना; और व्यवस्थाओं, संस्थाओं (परिवार, शिक्षा, धर्म, मीडिया, इत्यादि) और संरचनाओं (कानूनी, राजनीतिक,

सामाजिक) जिनके जरिये अधीनस्थता की विचारधारा तथा प्रथा पुनर्बलित और पुनः उत्पन्न होती है को रूपान्तरित करना।

स्रोत : श्रीलता बाटलीवाला, ''दी मीनिंग ऑफ वूमेनेस एम पावरमेंटः न्यू कॉनसेप्टस फ्रॉम एक्शन'' में पोपुलेशन पॉलिसीस, पुनः सम्पादित, सेन।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

ckèk iz'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. किस प्रकार से सत्ता या शक्ति भिन्न–भिन्न तरीकों से प्रचालित होती है?

....

....

....

2. अधीनस्थता को परिभाषित करें।

....

....

....

2-6 HkanHkko ¼foHkanhdj.k½

शब्द भेदभाव, व्यक्ति/समूह के विरूद्ध विभेदीय व्यवहार किये जाने का संकेत करता है क्योंकि वो एक विशेष वर्ग, जाति, लिंग इत्यादि जो कि समाज में गौण या अधीनस्थ अथवा निम्न समझा जाता है से सम्बन्ध रखता है। विभेदीकरण अन्य समूह की ओर विभेदीय व्यवहार है। इसमें एक समूह के सदस्यों को उन अवसरों की गम्यता से अलग या प्रतिबंधित करना समाविष्ट है जो कि अन्य समूहों को उपलब्ध हैं। विभेदीय व्यवहार कई रूप ले सकता है और सामाजिक राजनीतिक तथा आर्थिक वर्जन से जुड़ा है। यह अलाभ अथवा नुकसान भिन्न प्रकारों के विभेद एवं अन्याय की ओर प्रवृत करता है। आर्थिक नुकसान को विभेद का एक मूल कारण माना जा सकता है। आय का असमान वितरण दूसरों की अपेक्षा कार्मिक वर्गों को लाभ पहुँचाता है। आर्थिक कारणों के अलावा, सामाजिक रूप से घृणित लैंगिकताएं (sexualities) और साथ–ही–साथ भिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोगों के साथ भी भेद किया जाता है। इस परिवेश में जेंडर विभेद ज्यादा प्रबल (अभिभावी) है। जेंडर अन्याय के तत्वों जो कि समाज के प्रभुत्वशाली मूल्यों से उत्पन्न होते हैं को अंतर्निहित करता है। समाज में स्त्रियों का अवमूल्यन उन्हें विभेद अथवा भेदभाव का पीड़ित बनने की ओर अग्रसर करता है। यह विभेद दहेज, पुत्र वरीयता, देह के अवैध व्यापार, अप्रदत्त श्रम, दुर्व्यवहार, पौषणिक वंचन, शिक्षा के अभाव, श्रम बाजार में अवसरों के अभाव, घरेलु हिंसा, अन्य आर्थिक तथा राजनीतिक हानियों के रूप में प्रकट होता है।

यह विभेद भिन्न संदर्भों में भिन्न रूप ग्रहण करता है। यू.एस. में प्रजाति की संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। प्रतिकूल या हानिकर अवस्था में स्थित प्रजाति की महिलाओं को निम्न मजदूरी/वेतन दिया जाता है, उनकी निम्न प्रस्थिति या दर्जा होता

है, वे निम्न कोटि का काम करती हैं और वे अधिकांश रूप से घरेलु व्यवसाय से जुड़ी होती है। भारतीय संदर्भ में, इस विभेद के साथ जाति भी सम्बन्धित होती है। निम्न जाति की महिला को तिगुना भार उठाना पड़ता है– स्त्री होने का, निम्न जाति से होने का और गरीब होने का सांस्थानिक रूप से उच्च जातियों और निम्न जातियों के बीच स्पर्श करने, यौन सम्बन्ध बनाने, साथ में भोजन करने, और एक ही कुएं से जल पीने के माध्यम से किसी भी प्रकार का सम्पर्क सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होता है। अर्जन दि हान के अनुसार, यह विभेद तथा वंचन बहु–आयामी होते हैं। उदाहरण के लिये, अनुसूचित जाति की भूमिहीन महिला दिहाड़ी मजदूरन बहुत संभावित रूप से गरीब, निरक्षर, निर्बल स्वास्थ्य प्रस्थिति की होगी, उसके पास थोड़ी ही सामाजिक पूंजी होगी और वो अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना कठिन पाती है। उसके जीवन की गुणवत्ता विभेदीकरण के कारण घटिया होगी। निम्न जातियां स्थान के आधार पर अलग कर दी जाती हैं और वे लोग गांव की उपान्त सीमाओं पर परिसीमित कर दी जाती हैं। यह दूरी और सामाजिक अलाभ उन्हें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से अहितकर (या प्रतिकूल) अवस्था में ले आते हैं। उन्हें इस अहितकर अवस्था में लाकर, उच्च जाति ने अपने मांगें सूत्रित की और अपने हितों को पूरा किया है। और महिलाएं इस असमानता के कारण अधिकांश रूप से वंचित होती हैं।

भारत का संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समानता (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नहीं (अनुच्छेद 15 (1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिये समान वेतन (अनुच्छेद 39(2)) की गारन्टी करता है। इसके अतिरिक्त, यह राज्यों को महिलाओं तथा बच्चों के पक्ष में कुछ विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15 (3)), महिलाओं की प्रतिष्ठा के लिये अनादर सूचक प्रथाओं या परिपाटियों का परित्याग करता है (अनुच्छद 51 (a)(e)), और काम के लिये न्यायोचित एवं मानवीय स्थितियां प्राप्त करने के लिये और मातृ प्रासुविधा हेतु राज्यों को प्रावधानों की व्यवस्था भी करने देता है (अनुच्छेद 42)। इन उपायों के बावजूद, भारत में महिलाओं के साथ विभेदीकरण की प्रथा का उन्मूलन नहीं हुआ है। महिलाओं के विरूद्ध विभेदीय प्रथाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने में सामाजिक प्रतिबद्धता और राजनीतिक इच्छाशक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

2-7 gdnkjh ¼ENTITLEMENT½

हकदारी का अर्थ अधिकारों और दावों को अपने उपयोग के लिये, विशेषतः गैर कानूनी ढंग से लेना है। यह संविधि द्वारा गारन्टी प्राप्त अधिकार है और वंचित तथा अल्प विशेषधिकार प्राप्त समूहों को कुछ लाभ प्रदान करता है। जेंडर के संदर्भ में, महिलाओं को स्पर्शनीय/वास्तविक और अस्पर्शनीय/अवास्तविक संसाधनों की गम्यता प्राप्त नहीं होता है। और नियन्त्रण पितृसत्तात्मक मानदंडों के कारण वे पुरुषों के समान अधिकारों से वंचित रहती है। अतः महिलाओं की निम्न प्रस्थिति हकदारी विफलता का परिणाम है। परिवार और अन्य सामाजिक संस्थाएं महिलाओं की क्षमता को परिसीर्मित करते हैं, उनकी स्वतन्त्र गतिविधि को प्रतिबंधित करते हैं और उन्हें अपनी खुद की जरूरतों को दूसरों की जरूरतों से पीछे रखने को विवश कर देते हैं।

अर्थशास्त्र में हकदारी प्रायः सम्पत्ति के अधिकार के साथ सम्बन्धित होती है। बहुत से मानते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है यदि, संसाधनों तथा सम्पत्तियों पर उनका नियन्त्रण तथा गम्यता है। इस परिप्रेक्ष्य से स्थिति को देखने पर, यह कहा जा सकता है कि संसाधन तथा सम्पत्तियां अभी भी पुरुष क्षेत्र में हैं और उन पर महिलाओं को नियन्त्रण और गम्यता प्राप्त नहीं है। महिलाओं को सम्पत्ति अधिकारों पर उत्तराधिकार

भी नहीं प्राप्त है। इस पर गौर करते हुए, भारत में 1975 में महिला प्रस्थिति आयोग ने महिलाओं की हकदारी के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिये हैं: उनमें से कुछ में निम्नांकित समाविष्ट है:

– वैवाहिक सम्पत्ति का स्वामित्व निर्धारित करने के लिये गृह कार्य के जरिये पत्नी के योगदान के आर्थिक मूल्य को कानूनी तौर पर मान्यता दी जानी चाहिए बजाय वास्तविक वित्तीय योगदान के पुरातन परीक्षण को चालू रखने के।

– तलाक या पृथक होने पर, पत्नी को, विवाह के समय पर और वैवाहिक जीवन के दौरान अर्जित परिसम्पत्तियों में एक–तिहाई पर हकदारी मिलनी चाहिए।

– भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 15 और 16 को संशोधित किया जाना चाहिए और पति के साथ पत्नी के अधिवास की आदेशात्मक कड़ी को समाप्त कर देना चाहिये।

– मृत पुरुष के न सिर्फ पृथक या स्व–अर्जित सम्पत्तियों का, परन्तु सह–पट्टेदारी की सम्पत्ति में अविभाजित हिस्सों का भी समान वितरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

महिलाओं की हकदारी सुनिश्चित करने के लिये कानूनी सुधार अनिवार्य हैं। और जब कानून मौजूद भी है तो महिलाओं द्वारा अधिकारों को पाना सुनिश्चित करने के लिये भी कानून अनिवार्य होते हैं, क्योंकि सामाजिक परम्पराएं और प्रथाएं महिलाओं को अपने अधिकारों का प्रयोग करने से रोकती हैं। समाज में अभिवृतीय बदलाव लाने की आवश्यकता है। लोंगों की मानसप्रवृत्ति को बदलने और उनमें जागरूकता उत्पन्न करने के लिये समाज सुधार आन्दोलन आवश्यक है। डॉ. सरला गोपालन, भारत सरकार में पूर्व सचिव, ने महिलाओं की हकदारी सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये हैं।

- शैक्षिक संस्थाओं, सामान्य जागरूकता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के जरिये कानूनों की जागरूकता बढ़ाई जाए;
- साहित्य और विचारों में कानूनों के क्रियान्वयन के बारे में न्यायाधिकरण, प्रशासकों और विद्यायकों का संवेदीकरण किया जाए;
- उत्तराधिकारों पर कानूनी प्रावधानों के संशोधन के लिये लम्बे समय से विचाराधीन सुझावों पर विचार करें; और
- विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण प्रारम्भ करें और इस उद्देश्य के लिये प्रशासनिक तन्त्र को सुदृढ़ किया जाए।

2-8 vko';drk,i vkj vfèkdkj

इस खंड में, हम आवश्यकताओं और अधिकारों के बीच अन्तर करेंगे।

vko';drk,i

1970 से महिलाओं की निम्न प्रस्थिति और दशा फोकस में लाई जा रही है। उनकी प्रस्थिति और दशा में सुधार हेतु जेंडर नियोजन महत्वपूर्ण औजार है। जेंडर नियोजन में इस तथ्य पर विचार किया जाता है कि महिलाएं और पुरुष समाज में न केवल भिन्न भूमिकाएं अदा करते हैं परन्तु उनकी अत्यन्त अनिवार्य और व्यावहारिक आवश्यकताएं भिन्न होती है। जब हितों की पहचान करें तो मैक्सिन मोलीनियों द्वारा किये गये तीन गुना प्रत्ययीकरण के अनुसरण में ''महिलाओं के हितों'', अत्यन्त महत्वपूर्ण जेंडर सम्बंधी हितों

और व्यवहारिक जेंडर हितों के बीच अन्तर करना उपयोगी होता है (कैरोलिन ओ.एन., जेंडर प्लैनिंग एण्ड डेवलेपमैंट : थ्योरी, प्रैक्टिस एण्ड ट्रेनिंग, रूटलेज, लण्डन, 1999)। महिलाओं के भिन्न हितों की पहचान करने के बाद, इन्हें नियोजन आवश्यकताओं में तबदील किया जा सकता है और उनके सरोकारों को संतुष्ट किया जा सकता है। महिलाओं की आवश्यकताओं को अति आवश्यक जेंडर आवश्यकताओं तथा व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताओं में विभाजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, अतिआवश्यक आवश्यकताएं समाज में समानता के साथ ज्यादा सरोकार रखती हैं। इसके दूसरी ओर, व्यवहारिक आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन की जरूरतें जैसे पेय जल, ईंधन, चारा इत्यादि के साथ सम्बन्ध रखती हैं।

अति आवश्यक जेंडर आवश्यकताएं (SGNs) वो आवश्यकताएं हैं जिनके साथ महिलाएं, समाज में पुरुषों से अपनी गौण या अधीनस्थ स्थिति के कारण, तादात्म्य स्थापित करती है। एस.जी.एन.एस. विशेष संदर्भ के अनुसार भिन्न–भिन्न होती हैं। वे श्रम के जेंडर विभाजन, सत्ता और नियन्त्रण के साथ सम्बन्धित हैं और उनमें, कानूनी अधिकारों, घरेलु हिंसा, समान मजदूरी और महिलाओं का अपनी देह पर नियन्त्रण जैसे मुद्दों को समाविष्ट किया जा सकता है। SGNs को पूरा करने से वृहदतर समानता प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यह मौजूदा भूमिकाओं को भी बदलती हैं और इसलिये महिलाओं की अधीनस्थ श्रेणी को चूनौती देती है। इसके दूसरी ओर, व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताएं (Practical Gender Needs/PGNs) वो आवश्यकताएं हैं जिनके साथ महिलाएं समाज में सामाजिक रूप से स्वीकृत अपनी भूमिकाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करती हैं। पी.जी. एन.एस. श्रम के जेंडर विभाजन अथवा समाज में महिलाओं की अप्रधान/अधीनस्थ अवस्था को चूनौती नहीं देती हैं, यद्यपि वो उत्पन्न उन्हीं में से होती हैं। PGNs विशिष्ट संदर्भ के अन्दर पहचानी गई, तत्कालिक महसूस की जाने वाली ज़रूरत के प्रति अनुक्रियाएं हैं। वो व्यवहारिक प्रकृति की होती हैं और प्रायः रहन सहन की स्थितियों जैसे कि जल की व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार में अपर्याप्ताओं के साथ सरोकार रखती हैं।

vfèkdkj

'महिलाओं के अधिकार', यह पद सभी आयु की महिलाओं और लड़कियों की स्वतन्त्रता और हकदारी का सकेंत करता है। यह अधिकार एक विशेष समाज में कानून, स्थानीय रिवाजों और व्यवहार द्वारा उपेक्षित या दमित, सांस्थानिक हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। इन स्वतन्त्रताओं का इकट्ठे एक समूह बना कर मानवाधिकारों की व्यापक धारणाओं से अन्तर किया जाता हैं क्योंकि वो प्रायः उन स्वतन्त्रताओं से अलग होती हैं जो कि अंतर्जात रूप से पुरुषों और लड़कों के अधिकार में होती हैं या उनके लिये मानी जाती हैं, और क्योंकि इस मुद्दे के सक्रिय कार्यकर्त्ता, महिलाओं और लड़कियों द्वारा अधिकारों के प्रयोग के विरूद्ध अंतर्जात ऐतिहासिक एवं पारम्परिक पूर्वाग्रह का दावा करते हैं।

महिलाओं के अधिकारों से आमतौर पर जुड़े मुद्दों में सम्मिलित हैं, यद्यपि वो उन तक सीमित नही हैं– देहिक/कायिक अखंडता और स्वायत्तता का अधिकार; मतदान देना (मताधिकार); सार्वजनिक कार्य के पद का अधिकार, काम का अधिकार; न्यायोचित मजदूरी या समान वेतन का अधिकार; सम्पति पर स्वामित्व का अधिकार; शिक्षा का अधिकार; सेना में कार्य करना या अनिवार्य रूप से सेना में भर्त्ती होने का अधिकार; कानूनी संविदाओं का और वैवाहिक, अभिभावकीय तथा धार्मिक अधिकार। महिला और उनके समर्थकों ने पुरुषों के समान अधिकारों के लिये अभियान चलाया था और कुछ स्थानों में अभी भी अभियान जारी हैं।

2-9 fodkl esa efgyk,a ¼WID@foM½

विड (WID) वूमेन इन डेवलेपमैंट/ उपागम महिलाओं को मौजूदा विकास प्रक्रिया में, प्रायः महिला–विशिष्ट गतिविधियों में समामेलित करने का लक्ष्य करता हैं। सामान्यत्या महिलाएं विड परियोजनाओं में निष्क्रिय प्रापक होती हैं जो प्रायः महिलाओं को ज्यादा दक्ष उत्पादक बनाने और उनकी आय में वृद्धि पर ज़ोर देती हैं। यद्यपि बहुत सी विड परियोजनाओं ने अल्पकाल के दौरान स्वास्थ्य, आय अथवा संसाधनों में सुधार किया है उन्होंने असमान सम्बन्धों को बदला नहीं हैं। अतः, उनमें से काफी संख्या चिरस्थायी या वहनीय नहीं थी। विड परियोजनाओं की सर्वसामान्य कमी यह है कि वो महिलाओं की बहुमुखी भूमिकाओं पर ध्यान नहीं देती हैं अथवा वो महिलाओं के समय और श्रम के सम्बन्ध में गलत अनुमान लगाती है। दूसरा यह है कि ऐसी परियोजनाएं महिलाओं के (वि) सशक्तिकरण में पुरुषों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के प्रति विवेकहीन या बेपरवाह हो जाती हैं।

विड (WID) तथा गैड (GAD) के बीच सबसे बड़ा अन्तर यह है कि विड परियोजनाएं पारम्परिक रूप से व्यापक जेंडर विश्लेषण में आधारित नहीं की गई थी। गैड उपागम जेंडर–विश्लेषण चालित है।

समय–समय पर महिला–विशिष्ट तथा पुरुष–विशिष्ट हस्ताक्षेपों की निश्चित रूप से आवश्यकता होती है। वे जेंडर पहलों को पूरकता प्रदान करते हैं। शोध दर्शाता है कि यौन–विशिष्ट और जेंडर गतिविधियां सीधे जेंडर विश्लेषण की गहनता के साथ सम्बन्धित होती हैं जो कि उन्हें जानकारी प्रदान करता है।

2-10 tMj e[;èkkjhdj.k

जेंडर मुख्यधारीकरण, महिलाओं और पुरुषों के लिये, सभी क्षेत्रों और स्तरों पर, कानून तथा कार्यक्रमों समेत किसी भी नियोजित नीतिगत कार्रवाई के भिन्न प्रभावों का मूल्यांकन करने की लोक नीतिक अवधारणा है।

जेंडर मुख्यधारीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में तृतीय विश्व महिला सम्मेलन में प्रस्तावित की गई थी। इस का विचार संयुक्त राष्ट्र विकास समुदाय में विकसित किया गया है। यह विचार सर्वप्रथम वर्ष 1995 में बीजिंग में आयोजित चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था।

अधिकांश परिभाषाएं यू.एन. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (यू.एन.इकोसोक) द्वारा विस्तार से स्पष्ट की गई परिभाषा के अनुरूप हैं।

जेंडर परिप्रेक्ष्य का मुख्यधारीकरण, कानून नीतियों या कार्यक्रमों समेत, सभी क्षेत्रों में और सभी स्तरों पर किसी भी नियोजित कार्रवाई का महिलाओं और पुरुषों के लिये निहितार्थों या प्रभावों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया है। यह महिलाओं तथा पुरुषों के सरोकारों और अनुभवों को, सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में, नीतियों और कार्यक्रमों के डिज़ाइन या रूपरेखा तैयार करने, क्रियान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन का अभिन्न आयाम बनाने की योजना है। ताकि महिलाएं और पुरुष समान रूप से लाभान्वित हो और असमानता सतत् बनी न रहे। अन्तिम लक्ष्य जेंडर समानता प्राप्त करना है।

संयुक्त राष्ट्र ने जेंडर मुख्यधारीकरण को इसी प्रकार से परिभाषित किया है। जेंडर मुख्यधारीकरण न केवल सामाजिक न्याय का प्रश्न है, परन्तु सर्वाधिक प्रभावी तथा कुशल साधनों के द्वारा समतुल्य चिरस्थायी मानव विकास सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

2-11 lk{kjrk tSaMj lerk lwpd ¼th-ih-vkbZ-½

जी.पी.आई. पुरुष प्रौढ़ साक्षरता दरों में महिला साक्षरता का अनुपात है जो साक्षरता में जेंडर समता की ओर प्रगति का माप करता है और पुरुषों को उपलब्ध अधिगम अवसरों की तुलना में महिलाओं को उपलब्ध अवसरों के स्तर का माप करता है। यह समाज में महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण सूचक के रूप में कार्य करता है।

2-12 tSaMj vkSj fodkl ¼GAD@xSM½

गैड, जो कि सशक्तिकरण उपागम के साथ तत्वों को साझा करता है, ने 1980 के दशक में लोकप्रियता हासिल की, और विड (WID) के छिद्रों को सम्बोधित करने की चेष्टा की। यह उत्तर विकास सिद्धान्त और नारीवाद में बद्धमूल उत्तर संरचनावादी आलोचनाओं में बद्धमूल है।

गैड महिलाओं को एक समरूप समूह नहीं समझता है। उसका मानना है कि महिलाओं की स्थिति को सामाजिक–आर्थिक, प्रजातीय और अन्य कारकों, जो एक विशेष समाज को गढ़ते या आकार देते है, के संदर्भ में समझना चाहिये। यह महिलाओं और पुरुषों के बीच सम्बन्ध को तथा किस प्रकार समाज उनकी अपनी–अपनी भूमिकाओं को प्रभावित करता है, को समझने के, महत्व की ओर ध्यान खींचता है। विकास को अर्थपूर्ण होने के लिये इन सब कारकों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

यह उपागम सार्वजनिक और निजी के बीच द्विभाजन को अस्वीकार करता है। यह परिवार में, घर के निजी क्षेत्र के अन्दर महिलाओं के उत्पीड़न पर ध्यान केन्द्रित करता है। यह महिलाओं की मुक्ति को बढ़ावा देने के लिये समाज सेवाएं प्रदान करने में राज्य की भूमिका पर ज़ोर देता है। महिलाओं को विकास के निष्क्रिय प्रापक के बजाय परिवर्तन के एजेन्ट के रूप में देखा जाना चाहिये।

इसका फोकस महिलाओं के कानूनी अधिकारों को सुदृढ़ करने पर रहता है। यह समाज में मौजूद सत्ता सम्बन्धों को उलट देने के सम्बन्ध में बात करता है। जेंडर एक ऐसा मुद्दा है जो सभी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं की सीमाओं के परे जाता हैं। गैड उपागम महिलाओं की व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताओं तथा अति आवश्यक जेंडर आवश्यकताओं जो कि घनिष्ट रूप से सम्बन्धित है को पहचानने की चेष्टा करता है।

गैड के साथ समस्या यह है कि इसमें जेंडर के नाम पर, महिलाओं को प्रभावित करने वाले वास्तविक मुद्दों को छिपा देना या उन्हें एक तरफ कर देना आसान होता है। जेंडर व्यक्तिगत से ऊपर उठ सकता है जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत, उन सभी कोशिशों के बावजूद जो जेंडर के सामाजिक निर्माण के विश्लेषण के लिये की जाती है, पर्दे के पीछे रह सकता है।

तथापि, अधिकांशतया, गैड को महिलाओं के उन्हीं पुराने कार्यक्रमों के लिये मात्र नए लेबल के रूप में देखा जाता है। पुराने कार्यक्रम समाज में सत्ता सम्बन्धों या महिलाओं के उत्पीड़न को सम्बोधित नहीं करते हैं। यद्यपि निधियन एजेन्सियों, और एन.जी.ओ. के बीच यह लोकप्रिय है और इसमें भिन्न होने की सामर्थ्य है, यह विड की भान्ति सांस्थानिकीकृत हो गया है।

2-13 tsMj fu;kstu

जेंडर नियोजन समाज में विद्यमान जेंडर असमानताओं की स्वीकृति है, यह उन्हें कम करने के लिये नीतियां निर्मित करने में सहायता करता है। यह उपयुक्त नीतियां और कार्यक्रम सूत्रित करके महिलाओं की प्रस्थिति और दशा सुधारने का लक्ष्य करता है। मौजूदा नियोजन उपागम सब को एक समान समझ कर चलता है और यह समाज में विद्यमान असमानताओं पर ध्यान दिये बगैर सबके लिये योजना बनाएगा। जेंडर नियोजन, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, कानूनी और पारिवारिक संरचनाओं में विद्यमान असमानताओं से रूबरू कराने, उनका विश्लेषण और समाधान करने में सहायता करता है और यह ऐसी ही संरचनाओं और प्रक्रियाओं में असमानताओं को सम्बोधित करने के लिये परिवर्तन की प्रक्रियाओं को प्रारम्भ करने का कार्य करता है।

2-14 tsMj ctV

बजट जो सरकार की आर्थिक नीति प्रकट करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण औजार है, अर्थव्यवस्था को राज्य, जिला गांव के तृणमूल स्तर के भिन्न स्तरों पर रूपान्तरित करने का शक्तिशाली औजार भी हो सकता है। सरकार आर्थिक और विकासात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये जिन विकल्पों का चयन करती है यह उन्हें प्रकट करते हैं। काफी समय से, जेंडर बजटन एक नई प्रक्रिया के रूप में उभर कर सामने आया है। यह कुल बजट में महिलाओं की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के लिये आवंटन सुनिश्चित करता है। जेंडर समता लाने में यह प्रभावपूर्ण क्रियाविधि बन गया है। जेंडर प्रतिक्रियाशील बजट वो बजट है जो समाज में जेंडर प्रतिरूपों (या पैटर्न) की स्वीकृति देता है और उन नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये धन आवंटित करता है जो इन पैटर्नों को इस प्रकार से बदलते हैं कि वे ज्यादा जेंडर–समान समाज की ओर बढ़ते हैं। जेंडर बजट के लिये पहल का लक्ष्य देश को जेंडर–प्रतिक्रियाशील बजट की दिशा में ले जाने का है।

2-15 tsMj ys[kkadu

जेंडर लेखांकन सरकार के वित्त की व्यवस्था एवं प्रक्रिया का विश्लेषण है। जेंडर लेखांकन का अभिप्राय है कि सरकारों के आय और व्यय का जेंडर परिप्रेक्ष्य से लेखांकन करना और, कानूनी प्रक्रिया, दिशानिर्देश, कर तथा सामाजिक विकास परियोजनाओं के समेत, विकास प्रक्रिया का विश्लेषण करना भी है। उसके अनुसार समाज में पुरुषों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों को जानते हुए और जेंडर लेखांकन का आधार बनाते हुए वो समझता है कि पुरुषों और महिलाओं पर नीतियों का भिन्न प्रभाव पड़ता है। जेंडर लेखांकन सामाजिक लेखांकन का एक पहलू है।

2-16 th-Mh-vkbZ- vkSj th-bZ-,e-

महिलाओं के सशक्तिकरण के अन्तर–जिला, अंतर–राज्य और विभिन्न देशों के बीच तुलनाएं जेंडर सम्बन्धित विकास सूचक (जी.डी.आई.) से प्राप्त की जाती हैं। जी.डी.आई. की उत्पत्ति का श्रेय उसके एच.डी.आई. (मानव विकास सूचक) को जाता है जिसके तीन मुख्य संघटक प्रति व्यक्ति आय, शैक्षिक उपलब्धि और जीवन प्रत्याशा जो स्वास्थ्य जिसके लिये मुख्य है। इन तीन संघटकों को ध्यान में रखते हुए जेंडर विषमताओं को मापा जाता है। महिलाओं द्वारा निर्णयन तथा आर्थिक सहभागिता से सम्बन्धित पहलुओं को ध्यान में

रखने के लिये ''एक अतिरिक्त माप, जेंडर सशक्तिकरण माप (जी.ई.एम.) सूत्रित किया गया है। जैम (GEM) या इस माप में उपयोग किये जाने वाले सूचक हैं– ''आय में हिस्सा, संसदीय सीटों का हिस्सा और सूचक जो प्रशासनिक और प्रबन्धकीय कामों में हिस्सा और व्यावसायिक और तकनीकी पदों में हिस्सा समाविष्ट करते हैं।''

वर्ष 1995 में ही यू.एन.डी.पी. ने जेंडर असमानता का आंकलन करने के लिये पद्धति के रूप में जेंडर–सम्बन्धित विकास सूचक को ईजाद किया। जी.डी.आई. में उपयोग किये जाने वाले चर वही हैं जो मानव विकास सूचक के लिये उपयोग किये गये हैं: यह हैं– शिक्षा, स्वास्थ्य और आय।

एच.डी.आई. जबकि औसत उपलब्धि का माप करता है, जी.डी.आई. पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानताओं को, निम्नलिखित आयामों में औसत उपलब्धि को समायोजित करता है :

- दीर्घ और स्वस्थ जीवन, जैसा कि जन्म के समय पर जीवन प्रत्याशा द्वारा मापा जाता है।
- ज्ञान, जैसा कि प्रौढ़ साक्षरता दर और प्राथमिक, तृतीयक तथा सकल नामांकन की मिश्रित दर द्वारा मापा जाता है।
- रहन–सहन का स्तर, जैसा कि अनुमानित उपार्जित आय (पी.पी.पी.यू.एन.) द्वारा मापा जाता है।

महिलाओं की क्षमताओं के बजाय उनके अवसरों पर फोकस करते हुए, जी.ई.एम. ने इन तीन मुख्य क्षेत्रों में जेंडर असमानता को पाया है :

- महिलाओं और पुरुषों की संसदीय सीटों के प्रतिशत हिस्से द्वारा मापी राजनीतिक सहभागिता और निर्णयन शक्ति।
- दो सूचकों– विधिवेत्ता, वरिष्ठ अधिकारी और प्रबन्धकों पदों का महिलाओं और पुरुषों के हिस्से और व्यावसायिक एवं तकनीकी पदों के महिलाओं और पुरुषों के प्रतिशत हिस्सों द्वारा मापी आर्थिक सहभागिमा तथा निर्णयन शक्ति।
- महिलाओं और पुरुषों की अनुमानित उपार्जित आय (पी.पी.पी.यू.एन.) द्वारा मापी आर्थिक संसाधनों पर सत्ता।

ckèk i'u 2

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. विड (WID) और गैड (GAD) के बीच बड़ा अन्तर क्या हैं?

....

....

....

....

....

....

2-17 t:Mj&vèk mikxe

जेंडर–अंध उपागम पुरुषों और महिलाओं के बीच इन अन्तरों को विद्यमान नहीं समझता है; बल्कि वह पुरुषों और महिलाओं को एक ही वर्ग का समझता है। जेंडर–अंधापन जेंडर के आधार पर जहां कहीं भी अन्तर है यह काफी है को पहचानने या स्वीकारने में विफलता का संकेत करता है। यह उपागम जेंडर को अनिवार्य घटक, जो कि समाज में पुरुषों और महिलाओं के विकल्पों को निर्धारित करता है नही मानता है। इस उपागम पर आधारित व्यक्ति या संस्थाएं या नीतियां पुरुषों और महिलाओं दोनों को समरूप वर्ग का समझते है और वो उनकी विभेदीय (या भिन्न) आवश्यकताओं के प्रति अंधे बन जाते हैं। यह उपागम मौजूदा मानदंडों और मूल्यों जो महिलाओं के साथ भेद करते हैं अन्तर है और सामान्य तौर पर सिर्फ समुदायों, परिवारों और कृषि क्षेत्र के विकास पर फोकस करता है। इसके अतिरिक्त, जेंडर–अंध नीतियां, भूमिकाओं और संसाधनों के आवंटन में जेंडर भेदों के बारे में मानते हैं कि प्रदर्शित करती हैं और समाज के सार्वभौमिक मानदंडों को ऐसे ही स्वीकार करते हैं और समाज पितृसत्तात्मक प्रकृति का है। अतः, जेंडर नीतियां यद्यपि विकास के लिये बनाई जाती है फलदायी नहीं हो सकती हैं क्योंकि वे संसाधनों, हकदारी, अवसरों, पुरुषों और महिलाओं के बीच प्रभाव में अन्तरों की उपेक्षा करती हैं। अतः महिलाएं पीछे छोड़ दी जाती हैं और वे कोई लाभ नही पाती हैं।

2-18 vfèkdkj&vkèkkfjr mikxe

अधिकार–आधारित उपागम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों पर आधारित मानवाधिकारों को प्रौन्नत करने और सुरक्षा करने का लक्ष्य करता है। यह मानव विकास की प्रक्रिया में प्रत्ययात्मक रूपरेखा के रूप में कार्य करता है। विभेदीय प्रथाएं, असमानताएं, सत्ता/शक्ति का अन्यायोचित वितरण इत्यादि कुछ घटक हैं जो समग्र एवं समावेशी विकास प्रक्रिया में अवरोधों का काम करते हैं। अधिकार–आधारित उपागम उन समस्याओं का विश्लेषण करने की चेष्टा करता है जो विकास की प्रगति को अवरूद्ध करती है। मानवाधिकार–आधारित उपागम के अन्तर्गत, विकास की योजनाएं, नीतियां और प्रक्रियाएं, अधिकारों मानवाधिकार में आधारित है और समवर्ती दायित्व अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा स्थापित किये जाते हैं। इससे विकास कार्य की वहनीयता (या चिरस्थायित्व) का बढ़ावा देने में मदद मिलती है, यह सब कुछ स्वयं लोगों का–विशेष रूप से सर्वाधिक उपन्तिक–नीति निर्माण में सहभागिता करने और उन लोगों को जिनका कार्रवाई करने का कर्तव्य है, जवाबदेय ठहराने के लिये, सशक्तिकरण करके संभावित होता है। अधिकार–आधारित उपागम के लिये जबकि सार्वभौमिक नुस्खा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अधिकार–आधारित संगठन, वंचित तथा उपान्तीकृत समुदायों के अधिकारों के लिये लड़ने के लिये एकजुट हो गये हैं।

2-19 vfr egRoi.kZ t:Mj vko';drk,a

''अत्यन्त आवश्यक जेंडर आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं'' हैं जिनके साथ, महिलाएं समाज में पुरुषों की तुलना में अधीनस्थ स्थिति के कारण, तादात्म्य स्थापित करती हैं। अति आवश्यक जेंडर आवश्यकताएं विशेष संदर्भ के अनुसार परिवर्तित होती है। वे श्रम के जेंडर विभाजन, सत्ता (या शक्ति) और नियन्त्रण को सम्बन्धित करते हैं और कानूनी अधिकार, घरेलु हिंसा, समान मज़दूरी और महिलाओं को अपनी देह पर नियन्त्रण जैसे मुद्दों को समामेलित कर सकते हैं। अत्यन्त आवश्यक जेंडर आवश्यकताओं को पूरा करने से महिलाओं को वृहदतर जेंडर समानता प्राप्त होने में मदद मिलती हैं। यह मौजूदा

जेंडर भूमिकाओं को भी परिवर्तित करता है और इसलिये महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को चुनौती देता है। ''अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं हैं जो महिलाओं की पुरुषों की अधीनस्थता के विश्लेषण से होती है। अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताएं सूत्रित करते समय, समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच सम्बन्धों की प्रकृति तथा संरचनाओं का विश्लेषण किया जाता है। यह सामाजिक–राजनीतिक सांस्कृतिक संन्दर्भ पर भी विचार करता है। इन विश्लेषणों अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताएं समाज में समानता प्रदान करते है। इस पर, मानवाधिकारों को संपूरित करने के लिये नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करने के लिये पैरवी की जा रही है।

2-20 0;ogkfjd t:Mj vko';drk,a

व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताएं वो आवश्यकताएं हैं जिनके साथ महिलाएं, समाज में अपनी सामाजिक रूप से स्वीकृत भूमिकाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करती है। व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताएं, श्रम के जेंडर विभाजन या समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को चुनौती नहीं देती हैं यद्यपि वे उनमें से ही उद्विकसित होती हैं। व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताएं विशिष्ट संदर्भ के अन्दर पहचानी तत्कालिक अनुभूत के प्रति जवाबी प्रतिक्रिया है। वो व्यवहारिक प्रकृति की होती हैं और प्रायः रहन–सहन की स्थितियों, जैसे कि जल व्यवस्था, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार, में अपर्याप्ताओं से सरोकार रखती हैं।'' अत्यन्त आवश्यक जेंडर आवश्यकताओं के विपरीत, व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताएं महिलाओं के अनुभवों से सूत्रित होती हैं। व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताओं को जमीनी स्तर पर महिलाओं के साथ जा सकता है यदि, स्थानीय सरकारें और समाज के समीपस्थ निर्णयन संरचनाएं महिलाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील हैं। जैसा कि मोलिनियों ने लिखा है, वे सामान्य तौर पर अत्यन्त आवश्यक लक्ष्य जैसे कि महिलाओं की स्वतन्त्रता या जेंडर समानता, से सम्बन्ध नहीं रखती हैं न ही वे अधीनस्थता के प्रचलित रूपों को चुनौती देती हैं यद्यपि वे सीधे उनसे ही, उद्भूत होती हैं। महिलाओं के रूप में उनकी दोहरी भूमिकाएं होती हैं– घर के छुटपुट कामों को संभालना और साथ ही उपार्जन। जब नियोजक व्यवहारिक जेंडर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये नीतियां बनाते हैं तो उन्हें क्षेत्र और उपार्जनकारी गतिविधियों दोनों के सम्बन्ध में महिलाओं की आवश्यकताओं और सामुदायिक जरूरतें जैसे कि स्वास्थ्य और स्वच्छता सुविधाओं की गम्यता, शिक्षा की गम्यता, मूलभूत सेवाओं की उचित सम्बद्धता, सामुदायिक जीवन में सहभागिता के अवसर, इत्यादि पर ध्यान में रखना चाहिये। यह ज़रूरतें न केवल महिलाओं के साथ सरोकार रखती परन्तु यह सम्पूर्ण सामुदायिक जीवन से भी सम्बन्धित होती हैं। फिर भी, श्रम के जेंडर विभाजन के कारण, समाज इन गतिविधियों को महिलाओं पर आरोपती है। अतः नियोजक इन मुद्दें को ध्यान में रखते हैं और जमीनी स्तर पर, व्यवहारिक जेंडर ज़रूरतों को पूरा करने के लिये योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं।

2-21 t:Mj fo'y"k.k

जेंडर विश्लेषण, महिलाओं और पुरुषों, लड़कियों और लड़कों के जीवन में अन्तरों को और उनके बीच एवं आपस में सम्बन्धों को, और निम्नलिखित– संसाधनों और अवसरों तक उनकी गम्यता उनकी गतिविधियों, और प्रतिबन्धों जिनका कि उन्हें एक दूसरे के संदर्भ में सामना करना पड़ता है, को समझने एवं उसका आंकलन करने के लिये उपयोग किये जाने वाले उपागमों और पद्धतियों से सम्बन्धित है। यह एक प्रक्रिया है जो परिवार, समुदाय और आर्थिक, कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में विविध एवं भिन्न

भूमिकाओं और उत्तरादायित्वों की पहचान करती है। जेंडर विश्लेषण सम्पूर्ण वैश्लेषिक प्रक्रिया का अनिवार्य संघटक है जो कि सामाजिक परिवर्तन के सफल विकास कार्यक्रम के लिये अनिवार्य है। यह वास्तव में सरल समीकरण है। यदि हम उन प्रवृतियों और गत्यात्मकताओं को पूरी तरह से नहीं समझते हैं जो जेंडर असमानता को परिभाषित करते हैं और स्थायी बनाये रखती हैं श्रम की शोषण के साथ ही हम महिलाओं के अधिकारों और जेंडर समानता को प्रौन्नत करने के लिये सफल कूटनीति नहीं तैयार कर पाएंगे। मुख्य तथ्यों को जानना, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में श्रम बाजार प्रवृतियां, परिवार, संस्थाओं और समाज और समाज के अन्दर सत्ता की गत्यात्मकता, इत्यादि वास्तविकता में विकास कार्यक्रम तैयार करने और जेंडर समानता के वैश्लेषिक तथा अति महत्वपूर्ण कार्य के आधार हैं। यह उस वास्तविकता का आशुचित्र बनाने में भी सहायता करता है जिसके कार्य आधार पर विकास कार्यक्रम के प्रभाव को मापा जा सकता है।

जेंडर विश्लेषण जेंडर सम्बन्धों की जागरूकता के साथ और जेंडर सम्बन्धित मुद्दों को पहचान पाने हेतु समस्याओं, स्थितियों और समाधानों को समझने/विश्लेषण करने का तरीका है। जेंडर विश्लेषण के मुख्य तत्वों में पुरुषों और महिलाओं के बीच तथा महिलाओं में आपस में समानताओं और अन्तरों की पहचान को भी सम्मिलित करना चाहिये।

2-22 t:Mj Hkn lwpd

जेंडर भेद सूचक, इस आधार पर कि देश अपने संसाधनों और अवसरों को अपनी महिला जनसंख्या तथा पुरुष जनसंख्या के बीच कितने अच्छे से विभाजित कर रहे हैं और इन संसाधनों तथा अवसरों के समग्र स्तरों पर कोई ध्यान दिये बगैर कर रहे हैं। वैश्विक जेंडर भेदों का आंकलन एवं तुलना करने के लिये समावेश्य रूपरेखा प्रदान करके और जो देश इन संसाधनों को महिलाओं और पुरुषों के बीच साम्यिक रूप से बांटने में रोल मॉडल हैं उन्हें प्रकट करके, यह सूचक वृहदतर जागरूकता और नीति निर्माताओं के बीच वृहदतर लेनदेन के लिये उत्प्रेरक का काम करता है। यह पुरुषों और महिलाओं के बीच के चार महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जांच करता है:

1. आर्थिक सहभागिता और अवसर– वेतन के परिणाम, सहभागिता की दरें और उच्च–कौशल युक्त रोजगार;
2. शैक्षिक उपलब्धि– मूलभूत एवं उच्च स्तर की शिक्षा के परिणाम;
3. राजनीतिक सशक्तिकरण– निर्णयन संरचनाओं में प्रतिनिधित्व के परिणाम; और
4. स्वास्थ्य तथा उत्तरजीविता– जीवन प्रत्याशा तथा लिंग अनुपात के परिणाम।

2-23 t:Mj uhfr

जेंडर नीति अपनी सभी संगठनात्मक नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं की अभिन्न अंग है और ऐसी संस्कृति निर्मित करने से जुड़ी है जिसे विविधता तथा जेंडर सम्बन्धित नीतियों के सम्बन्ध में मुद्दों और नीतियों की समझ है। नीति और उद्देश्यों का मात्र कथन या विवरण यह सुनिश्चित नहीं करता हैं कि जेंडर से जुड़े सरोकारों को सम्बोधित किया गया है। इन उद्देश्यों की उपलब्धि के लिये, स्पष्ट सूचकों की व्याख्या करनी चाहिये ताकि जेंडर समता के प्रति संगठन की प्रतिबद्धता का अधिक आधार पर मूल्यांकन किया जा सके। पूरे संगठन में जेंडर सिद्धान्तों, नीतियों तथा परिपाटियों की अधिक संगत्ता सुनिश्चित करने की नीति चेष्टा करती है और जेंडर के सम्बन्ध में जवाबदेयता की रूपरेखा प्रदान करती है, जिसके आधार पर पूरा स्टाफ (कर्मचारी गण) जवाबदेय हो सकता है और संगठन अपना लेखा परीक्षा कर सकता है।

2-24 th-vkbZ-vkbZ-

वर्ष 1995 में जेंडर– सम्बन्धित विकास सूचक (GDI) और जेंडर सशक्तिकरण माप (GEM) का सुप्रारम्भ, जीवन के सभी पहलुओं में जेंडर भेदों को समाप्त करने में प्रगति की निगरानी करने के महत्व का बढ़ते हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्वीकरण के समय ही पड़ा जी. डी.आई. और जी.ई.एम. जेंडर पर बहस में अत्याधिक योगदान दिया है, उनकी प्रत्ययात्मक तथा क्रमबद्ध सीमितताएं हैं। 'मानव विकास रिपोर्ट के 20वीं जयन्ती संस्करण में, जेंडर असमानता सूचक को प्रयोगात्मक सूचक के रूप में प्रारम्भ किया गया। यह पूर्ण माप नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे एच.डी.आई. सतत् रूप से उद्विकसित हो रहा है, जेंडर असमानता सूचक को प्रयोगात्मक सूचक के रूप में प्रारम्भ किया गया। यह पूर्ण माप नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे एच.डी.आई सतत् रूप से उद्विकसित हो रहा है, जेंडर असमानता सूचक भी परिष्कृत होगा।

जेंडर असमानता सूचक (Gender Inequality Index (GII)) एक प्रकार का माप है जो, प्रजनन स्वास्थ्य, सशक्तिरण और श्रम बल सहभागिता के आयामों में जेंडर विषमताओं के कारण उपलब्धियों में घाटा होता है सूचित करता है। मूल्य की परास 0 (पूर्ण समानता) से लेकर 1 (पूरी असमानता) तक है। जी.आई.आई. जो एक अन्य प्रयोगात्मक श्रृंखला के रूप में प्रारम्भ किया गया है, अनोखा है। शैक्षिक उपलब्धि, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता और महिला–विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों और राष्ट्रीय स्तर पर अधिव्याप्त असमानताओं के लिये हिसाब देने में अनोखा है। अतः यह जेंडर समता के मौजूद वैश्विक मापों यह महत्वपूर्ण उन्नति है।

2-25 lkjka'k

इस इकाई में जेंडर और विकास अध्ययनों में विभिन्न अवधारणाओं से आपको परिचित कराया गया है। अनुवर्ती पाठ्यक्रमों में, उपयुक्त सैद्धान्तिक रूपरेखा तथा उदाहरणों के साथ इन अवधारणाओं की विस्तार से चर्चा की गई है।

2-26 cksèk iz'uksa ds mÙkj

Ckksèk iz'u 1

1. – पर सत्ता/शक्ति (power over) : यह सत्ता या तो प्रभुत्व या अधीनस्थता से सम्बन्ध रखती है। अन्तता, यह हिंसा और डराने की सामाजिक रूप से स्वीकृत धमकियों पर आधारित है, इसके कायम रहने के लिये निरन्तर चौकसी अनिवार्य है, और यह सक्रियता निष्क्रिय विरोध को आमन्त्रित करती है।

   – को शक्ति/सत्ता (power to): यह सत्ता/शक्ति निर्णय लेने के प्राधिकार, और समस्याओं का हल करने की शक्ति से सम्बन्धित है, और यह रचनात्मक तथा सामर्थ्यदेय हो सकती है।

   – के साथ शक्ति/सत्ता (power with): यह सत्ता/शक्ति सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये सर्वनिष्ठ उद्देश्य या सर्वनिष्ठ समझ रखने वाले लोगों को संगठित करने से सम्बन्धित है।

   – अन्दर शक्ति (power with in) : यह शक्ति आत्म–विश्वास, स्व–जागरूकता और आग्रहिता से सम्बन्धित है। किस प्रकार व्यक्ति अपने अनुभवों का

विश्लेषण करके जान सकते हैं, किस प्रकार उनके जीवन शक्ति का प्रचालन होता है और वे विश्वास प्राप्त करते हैं और इसे बदल डालने एवं प्रभावित करने के लिये कार्रवाई करते हैं– इसी से यह सम्बन्धित है।

2. वो व्यक्ति जो दूसरे के क्रम या श्रेणी से नीचे खड़ा होता है– प्रधान से किस प्रकार भिन्न है:

   क्रम में, प्रकृति, प्रतिष्ठा, शक्ति, महत्व इत्यादि में निम्न है।

निचले क्रम या वर्ग में रखना; या कम मूल्य या महत्व का बनाना या समझाना; जैसे एक व्यक्ति को दूसरे के उपाश्रित बनाना।

आश्रित बनाना; पराधीन या दमन करना; जैसे कि मनोवेगों को विवेक के अधीनस्थ करना।

ckèk iz'u 2

1. विड और गैड में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि विड परियोजनाएं पारम्परिक रूप से व्यापक जेंडर विश्लेषण आधार नहीं बनाती है। गैड उपागम जेंडर–विश्लेषण चालित है।

2-27 mi;ksxh iqLrdsa

Moser, Caroline O.N. (1993) Gender Planning and Development: Theory, practice and training (London: Routledge)

Murthy, Ranjani K. and Kappen, Mercy (2006) Gender, Poverty and Rights, Visthar, Bangalore.

Ranjani K. Murthy and Mercy Kappen (2007) Institutionalizing Gender Within Organizations and Programmes: A Trainer’s Manual (Bangalore: Visthar)

World Bank (2001) Engendering development through gender equality in rights, resources and voice.World Bank.

Young, Kate (2002) WID, GAD and WAD, in: Vandana Desai & Robert B. Potter (Eds.) The Companion to Development Studies, pp. 321-325 (London: Arnold)

2-28 ckèk iz'u ¼vH;kl ,oa euu gsrq½

1. किस प्रकार जी.आई.आई., जी.डी.आई. और जैम या जी.ई.एम. से भिन्न है? व्याख्या करें।

2. जेंडर भेद सूचक में किन सूचकों का उपयोग किया जाता है? संक्षेप में स्पष्ट करें।

3. महिलाओं की हकदारी सुनिश्चित करने के लिये कुछ तरीकों और साधनों का सुझाव दें।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

bdkbZ 3 tsaMj dk lkekftd fuekZ.k

bdkbZ dh lajpuk

3.1 प्रस्तावना

3.2 उद्देश्य

3.3 सामाजिक निर्माण क्या हैं?

3.4 सामाजिक निर्माण और जेंडर

3.5 कन्या का निर्माण

3.6 लिंग पृथक्करण

3.7 श्रम का विभाजन और कार्य का क्षेत्र

3.8 निष्कर्ष

3.9 शब्दावली

3.10 बोध प्रश्नों के उत्तर

3.11 उपयोगी पुस्तकें

3.12 बोध प्रश्न (अभ्यास एवं मनन हेतु)

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY

3-1 izLrkouk

जैसा कि इकाई का शीर्षक इंगित करता है, हमारा मुख्य उद्देश्य जेंडर के सामाजिक निर्माण (या सामाजिक रचना या निर्मित्ति) के अर्थ और विभिन्न आयामों के साथ, वृत अध्ययनों (या केस स्ट्डी) और उदाहरणों के जरिये, सुविज्ञता या घनिष्टता विकसित करना है। जेंडर की सामाजिक निर्मित्ति विभिन्न संस्थाओं जैसे कि जाति, नातेदारी, विवाह इत्यादि के साथ जेंडर के सम्बन्ध की बात करता है। जेंडर और विकास के परिप्रेक्ष्य से, जेंडर निर्मिति की प्रक्रिया की महिलाओं के जीवन के पहलुओं जैसे काम, निर्णय लेना, प्रतिष्ठा वध, और स्वायत्ता की धारणा के सम्बन्ध में व्याख्या की जा सकती है। जेंडर निर्माण व्यष्टि और समष्टि दोनों स्तर पर प्रचालित है और समाज के सांस्थानिक व्यवस्थाओं में अंतःस्थापित है। इस पाठ्यक्रम में, जेंडर निर्मित्ति को सामाजिक तथा विकास परिप्रेक्ष्यों से स्पष्ट किया जायेगा। जिससे कि महिलाओं को अपने लिंग और सामाजिक रूप से निर्मित जेंडर की वजह से जिस भेदभाव एवं असमानता का सामना करना पड़ता है उस जटिल परिदृश्य को समझा जा सके।

इस इकाई में जेंडर के सामाजिक निर्माण के अर्थ की चर्चा की गई है। इस इकाई की शुरूआत सामाजिक निर्माण के अर्थ को स्पष्ट करने और जेंडर को, संस्कृत, लिंग पृथक्करण, कार्य–बल प्रतिभागिता, निर्णयन, प्रतिष्ठा हेतु वध, और स्वायता एवं स्वतन्त्रता को समझने के साथ होती है। प्रारम्भ में, जेंडर निर्माण पर खंडन मौटे तौर पर संस्कृति और विभिन्न संरचनाओं जैसे कि कार्य, लिंग पृथक्करण और श्रम विभाजन, जो लिंग भेद के आधार पर मौजूद जेंडर भेदों को स्थायी बना रहे हैं, पर फोकस करता है। इसी प्रकार से, कार्य और श्रम के जेंडर विभाजन के खंड में, हमने असमानताओं जो कार्यभारों के श्रेणीकरण, संसाधनों के असमान वितरण, कृषि और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में

महिलाओं के काम की अदृश्ता, और परिवार में काम के क्षेत्र में लिंग पृथक्करण के तरीकों में प्रकट होती हैं, को समझने के लिये हमने जेंडर की विश्लेषिक औजार की रूप में चर्चा की है।

3-2 mn~ns';

इस इकाई को पढ़ने के बाद आप सक्षम होने चाहियेः

- संस्कृति और समाज के क्रमीकरण के सम्बन्ध में जेंडर निर्माण की प्रक्रिया की व्याख्या करने में;
- विकास सूचकों जैसे लिंग पृथक्करण, श्रम विभाजन, निर्णयन एवं सामाजिकरण के विकास के सम्बन्ध में जेंडर निर्माण के प्रभावों की जांच करने में;
- जेंडर और समाज के संरचनात्मक व्यवस्थापन के बीच सम्बन्ध की जांच करने में; और
- जेंडर निर्माण की सार्वभौमिक स्थिति की आवश्यक विशेषताओं का विश्लेषण करने में।

3-3 lkekftd fuekZ.k D;k gS\

प्रायः यह कहा जाता है कि सामाजिक वास्तविकता जैसी कोई चीज नहीं होती है। और, यह प्रश्न किया जाता हैः सामाजिक विनिर्माण या रचनाएं क्या हैं? 'अच्छे' या 'बुरें' वर्गों को सहजता से अस्वीकार करते हुए, इन्हें सामाजिक विनिर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है। दूसरे शब्दों में, नैतिकता समाज की अर्जित कल्पना शक्ति है। समाज की कल्पना या उसकी सामाजिक रचना किस प्रकार आकार लेती हैं, क्या यह स्वचालित रूप से आकार ग्रहण करती है, क्या यह संस्कृति–विशिष्ट हैं? आइये हम सामाजिक विनिर्माण की इस प्रक्रिया की जांच करें। प्रत्येक दिन हम विभिन्न वस्तुओं का अवलोकन करते हैं, बहुत सी घटनाओं को अनुभव करते हैं और उन्हें विभिन्न सामाजिक अंतः क्रियाओं के साथ सम्बन्धित करते हैं। यह सम्पूर्ण दृश्यघटना जो व्यक्तिगत रूप से अनुभव की जाती हैं समाज या विश्व की छवि विकसित करने में सहायता करती है। निश्चय से, प्रतिदिन हमारे साथ जो घटित होता है हम उसे, हमारी दुनिया के बारे में हमारी समझ या ज्ञान के लेन्स या स्क्रीन के जरिये छानते हैं। दुनिया के बारे में प्रतिदिन का यह बोध सामाजिक वास्तविकता या सामाजिक वास्तविकता के विनिर्माण का आधार बनाती है।

समाजिक विनिर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा अन्य सामाजिक दोनों प्रक्रियाएं तात्विक रूप से सम्बन्धित होती हैं। विश्व की प्रत्येक रचना या विनिर्माण अथवा छवि समाज के बारे में व्यक्ति के अनुभव और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ उसकी अंतः क्रियाओं द्वारा प्रभावित होती है। अतः, प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक रचना स्वयं ही व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह धारण किये रहती है क्योंकि वह व्यक्तिगत अनुभव द्वारा आकार ग्रहण करती है। सामाजिक रचना एक विशेष समूह या लोगों के वर्ग के हितों द्वारा भी प्रभावित होती है और अधिकार में रखी जाती है। उदाहरण के लिये, कुछ विकासशील देशों में, सत्ता और शिक्षा कुछ संभ्रान्त व्यक्तियों के हाथ में होती है जो बहुसंख्यकों के मानव संसाधनों के विकास में रूचि नहीं लेते हैं। इस अर्थ में, प्रभुत्वशाली समूह की संस्कृति, मानदण्डों, विचारधारा और मूल्यों को एक विशेष रूप की सामाजिक रचना (या विनिर्माण) को न्यायोचित ठहराने एवं पोषित करने के लिये

उपयोग किया जाता है। अतः वो सामाजिक रचनाएं, जिसके जरिये हम प्रतिदिन के जीवन को समझते हैं, लोगों को जाति, वर्ग, धर्म, समुदाय, नातेदारी, जेंडर, इत्यादि के आधार पर वर्गीकृत करने की कोशिश करती हैं। लोगों का वर्गीकरण सामाजिक रचना का परिणाम होता है और सामाजिक प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग भी होता है। सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे प्राथमिक सामाजिकरण और सामाजिक संस्थाओं की उपस्थिति स्वीकृत प्रकार की सामाजिक रचना उत्पन्न करने में सहायता करती हैं। अतः जेंडर ऐसी ही सामाजिक रचना का उत्पाद है।

ckèk i:'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. सामाजिक रचना क्या है?

.....

.....

.....

.....

.....

3-4 lkekftd fuek.k ;k fufeZfr vkj t:Mj

जब हम जेंडर की सामाजिक रचना (या विनिर्माण) की छानबीन करते हैं, तो हम इन पहलुओं जैसे कि लिंग (sex) और जेंडर और साथ ही जेंडर की सांस्कृतिक रचना पर फोकस करते हैं।

lSDl vkj t:Mj

जेंडर की सामाजिक निर्मित रचना को समझने की शुरूआत दो अवधारणाओं, यानि कि जेंडर और सैक्स, की व्याख्या के साथ होती है। इन दो शब्दों को प्रायः अन्तर्बदल रूप से उपयोग किया जाता है; तथापि, अवधारणाओं के रूप में उनके अर्थ भिन्न होते हैं। जेंडर, दो लिंगों (sex) के बीच मौजूद अन्तरों, पदानुक्रमों, श्रेणीकरण से सम्बन्धित है। जेंडर, महिलाओं और पुरुषों द्वारा समाज में अदा की जाने वाली विभिन्न भूमिकाओं की सांस्कृतिक रचनाओं की व्याख्या करता है। इसके अतिरिक्त, जेंडर, महिलाओं के व्यवहार को समाज की नियामक/मानकी व्यवस्था के अनुसार गढ़ने के पहलु का विश्लेषण करता है। एक प्रत्ययात्मक औजार के रूप में जेंडर का उपयोग, महिलाओं और पुरुषों के बीच विद्यमान असमानता के संरचात्मक सम्बन्धों के विश्लेषण हेतु किया जाता है, जैसा कि जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे परिवार, श्रम बाजार, शिक्षा और राजनीतिक संस्थाओं, में प्रकट होता है। इसके दूसरी ओर, सैक्स स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अन्तरों से सम्बन्धित है जो सभी समय एवं स्थान में एक ही रहता है। अतः जेंडर को धारणा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो रूपरेखाओं का समुच्चय प्रस्तुत करती है जिसके अन्दर लिंगों के बीच भेदों की सामाजिक और वैचारिक रचना तथा प्रतिरूपण को स्पष्ट किया जाता है (कान्नाबिरन, 7)। उदाहरण के लिये, जेंडर, समाज में स्त्रियों और पुरुषों के बीच संरचित सम्बन्धों की व्याख्या करता है। जेंडर का समाजिकरण एक प्रक्रिया है

जिसके जरिये बच्चे, निश्चित जेंडर भूमिकाओं के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करके सामाजिक जीव का पद अर्जित कर लेते हैं और स्त्रियों तथा पुरुषों के लिये सामाजिक रूप से समुचित और सुस्पष्ट व्यवहारों तथा गुणों के गुच्छ प्रदर्शित करके भी यह स्थिति अर्जित कर लेते हैं (स्टेन्ले एवं वाइज़, 2002)। अतः, बच्चों का पालन पोषण करने की सार्वभौमिक भूमिका के साथ महिलाओं का तादात्म्य दुलार प्रेम, देखभाल, अवलम्ब के मूर्त रूप में उनके व्यक्तिपरक अनुभव, और अवैयक्तिक एवं व्यावसायिक प्रकृति द्वारा विशेषित सार्वजनिक क्षेत्र के साथ पुरुषों की समीपता, स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व के सामाजिक–सांस्कृतिक संदर्भों के उत्पाद हैं। इसके अतिरिक्त, संस्थाएं और सामाजिक प्रथाएं जैसे परिवार और माँ/बेटी सम्बन्धों का समरूप के रूप में आन्तरीकरण, जेंडर की भिन्न दुनियाओं से लोगों के बीच पृथक्कता की धारणा उत्पन्न करता है। स्वाभाविक माँ, पत्नी, बेटी और गृहनिर्माता के रूप में महिलाओं से सामाजिक प्रत्याशाएं पितृसत्तात्मक रचनाओं में मौजूद नहीं होती हैं, परन्तु समाज के भौतिक वातावरण में प्रचालित भी होती हैं। कुछ नारीवादी भूगोलवेत्ताओं ने तर्क दिया है कि स्थान और जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और महिलाओं की देह, उनकी गतिविधियां, और गतिशीलता कुछ भौतिक क्षेत्रों और संरचनाओं तक सीमित हैं। उदाहरण के लिये, ऐसा सोचा जाता है कि घर, स्त्रियों की जेंडर भूमिकाओं और साथ ही स्वतन्त्रता तक स्त्रियों की गम्यता को प्रतिबंधित करने के जरिये निर्मित होता है। पटेल (2010) के अनुसार, स्त्रीपन की जेंडर धारणा और स्थान (place) दोनों प्रतीक द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, इसलिए; स्थान, समय, और जेंडर की पहचान के बीच अन्योन्य क्रिया महिलाओं के नकारात्मक चित्रण की ओर अग्रसर करती है। इसलिए, मध्यम–वर्ग की महिलाएं जो घर से बाहर काम करती हैं और कॉल सेंट्रस में काम करने के लिये रात्रि को सफर करती है अक्सर यौन सम्बन्धी छेड़छाड़, बलात्कार और हत्या का सामना करती हैं। पटेल ने श्रम के स्त्रीकरण के सिद्धान्त की भिन्न चर्चा पेश की जो कि कॉल सेंट्रस उद्योगों के समय–स्थान दोनों के भूगोल को स्वरूप में जेंडर और पूंजीवाद के उत्पाद के रूप में देखता है। इसके दूसरी ओर, सैक्स व्यक्ति को अपने लिंग श्रेणीकरण के साथ जोड़ता है और अन्तता व्यक्ति को स्त्रीत्व और पुरुषत्व की सामाजिक धारणा के साथ प्रतिबंधित करता है। जेंडर समाजीकरण की प्रक्रिया, व्यक्ति को अपने लिंग (सैक्स) श्रेणीकरण को कायम/बनाए रखने में समर्थ बनाती है; और इसलिये इस इकाई में अहम् समझ की आवश्यकता है।

t:Mj dh lkLdfrd jpuk

जेंडर जटिल परिघटना का परिणाम है और यह सामाजिक रूप से निर्मित और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। संस्कृति को सम्बन्धों के जाल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो संस्थाओं का अर्थ, रहन सहन का पैटर्न और मूल्यों को व्यक्त करता है। संस्कृति जीवन के लगभग प्रत्येक पहलु, उत्पादन के संगठन से लेकर, परिवार और संस्थाओं की संरचना, समाज की विचारधाराओं और नियामक पैटर्न और अंतर्क्रियाओं या सम्बन्धों के रूपों, को अंतर्वेष्टित करती है। जेंडर की सांस्कृतिक रचना समाजीकरण के संदर्भ में पुरुषत्व और स्त्रीत्व के निर्माण के बारे में बात करती है, यानि कि, व्यक्ति, सामाजिक विकास के सामान्य क्रम में स्त्रियोचित या पुरुषोचित होने की जेंडर देह अर्जित करता है। स्त्रीलिंगी और पुरुषलिंगी का निर्माण परिवार, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक संगठनों की संस्थाओं को रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। समाज के सम्बन्ध में जेंडर की समझ, पदनुक्रम की संरचना और विभेद, महिलाओं और पुरुषों के बीच मौजूदा सत्ता सम्बन्ध, और स्वीकृत भूमिकाओं और व्यवहारों को अर्जित करने की प्रक्रिया

को प्रकट करता है। संस्कृति के सम्बन्ध में जेंडर की रचना को निम्नलिखित तथ्यों के जरिये स्पष्ट किया जा सकता हैः (देखिये कल्पना कन्नाबिरन, 7)।

t:Mj fuek.k i:HkkRo dh 0;oLFkk dk voyEc nrk g

जेंडर श्रेणियां कभी तटस्थ नहीं होती हैं न ही वो समान होती हैं। जेंडर की यह रचना पूरे समाज में प्रभुत्व की व्यवस्था को बनाये रखती है। असमान सम्बन्धों की व्यवस्था के रूप में जेंडर, महिलाओं और पुरुषों को कार्य, उत्पादन प्रक्रियाओं, संसाधनों और सत्ता की गम्यता, विशिष्ट जेंडर भूमिकाओं का स्वीकारना, और कार्य एवं श्रम बाजार में लिंग पृथक्कता के क्षेत्र में बहुत से विकल्प प्रदान करता है।

t:Mj fuek.k cuke t:Mj dh 0;fDrxr vfHk0;fDr

(कन्नाबिरन, 9 को देखें) नारीवादी मनोविश्लेषकों ने आंकलन किया है कि जेंडर पर अलग से सांस्कृतिक, भाषाई और राजनीतिक निर्माण के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है। अतः, हमें जेंडर के निर्देशात्मक निर्माण और इन निर्मितियों/निर्माणों या रचनाओं के वैयक्तिक प्रतिबिम्बन के बीच भेद करना चाहिए। जेंडर की निर्देशात्मक रचना उन छवियों से सम्बन्धित है जो सामाजिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होती हैं। उदाहरण के लिये, कन्या को भविष्य में गृहनिर्माता बनाने के लिये उसका समाजीकरण करना समाज में गहन रूप से बद्धमूल है और सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, जैसे पोशाक संहिता से लेकर देखभाल और पोषित करने तक, के जरिये प्रकट होता है। इसके अतिरिक्त, सैक्स पहचान के अनुसार, जेंडर व्यवहार की सामाजिक–सांस्कृतिक रचना के अतिरिक्त, जेंडर व्यवहार को व्यक्त करने की वैयक्तिक धारणा भी होती है। वैयक्तिक उतार–चढ़ाव, सामाजिक–राजनीतिक या सांस्कृतिक या ऐतिहासिक मानदंडों के साथ वैयक्तिक मानस की अंतःक्रिया द्वारा होते हैं। उदाहरण के लिये, यदि किसी लड़का/लड़की को सैक्स या लिंग बदलवाना है, तो कुछ प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये जैसे कि समाज जेंडर पहचान की, व्यक्ति की अभिव्यक्ति में परिवर्तन के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं? विभिन्न जेंडर भूमिकाओं और व्यवहारों को समाजों के सदस्य किस सीमा तक आंतरीकृत करते हैं? यह विचार हमें जेंडर की सामाजिक रचना के अन्दर अवधारणा के रूप में ''सक्रिय जेंडर'' (doing gender) की चर्चा पर ले आता है। सक्रिय जेंडर सामाजिक रूप से शासित चिरस्थायी, अंतः क्रियात्मक और व्यशिष्ट–राजनीतिक गतिविधियों के जटिल समुच्च से सम्बन्धित है। जो विशेष कृतय को पुरुषवत या स्त्रियोचित प्रकृति की अभिव्यक्ति के रूप में ढालता है (वेस्ट एवं जिम्मरमैन 1991)। जेंडर आरोपित प्रस्थिति या दर्जा हैं जो विशेष सामाजिक स्थिति में अवस्थित सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार के जरिये बनाये या कायम रखा जाता है। अतः यह सामाजिक स्थितियों मे अंतर्निहित होता है, यानि कि, जेंडर सामाजिक व्यवस्थापन ''का उत्पाद'' और उसके ''द्वारा उत्पादित'' दोनों है। उदाहरण के लिये, नवजात केवल लिंग पहचान लिये रहता है जो समाज द्वारा व्यक्ति पर आरोपित होती है। आहिस्ता–आहिस्ता, अभिभावकों या प्राथमिक रख वाल के साथ निरन्तर अंतःक्रिया के जरिये, शिशु जेंडर पहचान सिद्ध करता है। प्रायः लड़कों बनाम लड़कियों के प्रति माता–पिता का असमान व्यवहार जेंडर भेद उत्पन्न करता है और इसे जेंडर भेदभाव में बदल देता है। सक्रिय जेंडर एक प्रक्रिया है जो समाज के मूलभूत विभाजन को वैध बनाती है।

ckDl 3-1 ,xul dk ekeyk % fyx ifjofrr yMdk

वेस्ट एवं जिम्मरमैन सक्रिय जेंडर की धारणा को समझने के लिये तीन विश्लेषिक वर्गों–सैक्स, सैक्स वर्ग, और जेंडर की चर्चा करता है। गारफिंकल द्वारा एगनेस लिंग परिवर्तित कड़के का केस स्ट्डी, जेंडर रचना को समझने का उपयुक्त उदाहरण होगा। एगनेस ने सत्रह वर्ष की आयु में स्त्री पहचान को अपनाया था और कुछ वर्षों के बाद जेंडर रचना को समझने के लिये लिंग पुनर्हस्तांतरण/सर्जरी करवाई। उसके पुरुष जननांग थे और उसे अपने को स्त्री के रूप में प्रक्षेपित करना था। उसे स्त्रियोचित विशेषताएं सीखनी पड़ी और सामाजिक रूप से संरचित स्थिति के अन्दर स्त्रीवत्ता की अवधारणा का विश्लेषण करना पड़ा। उसके पास जैविक वर्ग के सामाजिक रूप से स्वीकृत गुण नहीं थे जिससे कि उसे स्त्रीलिंगी के रूप में वर्गीकृत किया जाता। इस तर्क से जुड़ी ज्यादा मुख्य बात केसर तथा मैक्कना की स्थिति है, अर्थात्, जैविक कसौटी (लिंग) लोगों के प्रत्यक्ष ज्ञान से छिपी है और व्यक्ति अभी भी पुरुष या महिला की सामाजिक रूप से स्वीकृत कसौटी के अनुसार व्यवहार कर रहा है। पुरुष या स्त्री जेंडर आरोपण प्रक्रिया के उत्पाद हैं और जेंडर गतिविधियों/संस्कारिता का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उदाहरण के लिये, यदि बच्चा सूट एवं टाई के साथ चित्र को देखता है, तो वो तुरन्त आदमी की छवि को चित्र के व्यक्ति के साथ जोड़ता है। लिंग का वर्ग सामाजिक रूप से अवस्थित होता है और व्यक्ति द्वारा प्रतिदिन की अंतर्क्रिया द्वारा अर्जित किया जाता है। लोग व्यक्ति की गतिविधि का अनुभव करते हैं और लिंग के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं। इस संदर्भ में, जेंडर को संस्कृति और समाज का उत्पाद समझा जाता है (वेस्ट और जिम्मरमैन, 2002)।

बॉक्स 3.1 में उदाहरण दर्शाता है कि पुरुषवत्ता और स्त्रीवत्ता के वर्ग सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और केवल जैविक पहचान के अनुरूप ही जेंडर पहचान स्थापित की जा सकती है। स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व, सामाजिक रूप से स्वीकृत जेंडर व्यवहारों और भूमिकाओं के साथ अनुरूपता दर्शाने और उसे स्वीकारने के सिवाय और कुछ नहीं है। जैसा कि आपको समझ आ गया होगा कि, जेंडर पहचान व्यक्तिपरक प्रकृति की है। अतः, यह वर्ग समाज के इतिहास और संस्कृति में स्थैतिक नहीं रहते हैं।

lekthdj.k

समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा, सामाजिक मूल्यों, मानकों और सामाजिक रूप से वांछित व्यवहार का पालन करते हुए सामाजिक जीव, के रूप में रूपान्तरित होता है। बहुत से नारीवादी, समाजीकरण की प्रक्रिया को स्व–के साथ व्यवस्था के रूप में देखते हैं और लिंग भूमिका के समाजीकरण के पहलुओं में अपना सरोकार दर्शाते हैं। लिंग भूमिका lekthdj.k, व्यापक संदर्भ में, महिलाओं के उत्पीड़न का साधन है। स्टेनले एवं वाईज तर्क करते हैं कि लिंग भूमिका को प्रायः जेंडर भूमिका के अर्थ में लिया जाता है, अर्थात्, स्त्रीजाति या पुरुष जाति के गुण व्यक्त करना। जिस क्षण ही हम समाजीकरण को एक व्यवस्था समझने लगते हैं, हम प्रक्रिया को पितृसत्ता की प्रणाली के रूप में समझने लगते हैं, जो अपेक्षित मूल्यों और मानदंडों को सिर्फ स्थायी बनाती है। एक संस्था के रूप में परिवार दो अवधारणाओं, यानि कि समाजीकरण और जेंडर भूमिकाओं, का आंतरीकरण करने में सहायता करती है। माँ या प्राथमिक रखवाल, लिंग वर्गीकरण के आधार पर बच्चे के प्रति भिन्न तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। विभेदीय विचारभाव, स्पर्श करना, देखभाल करना, और लड़कों की स्वायत्तता के बारे में विचार और लड़कियों की स्वायत्ता की अनुपस्थिति समाविष्ट करते हैं। अभिभावक जन जितना

ज्यादा विभेदीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिसे कि बच्चों को विशेष प्रकार के खिलौनों के साथ रूबरू कराना विभिन्न पुस्तकों से रूबरू कराना, जिनमें चित्र रसोई में माँ की भूमिका, जेंडर भूमिकाओं और व्यवहार का टेलीविज़न पर प्रदर्शन, तो बच्चा उतना ही ज्यादा दैनिक जीवन में जेंडर की रूढ़िबद्ध धारणाओं को अभिव्यक्त करेगा। अभिभावकों को चैनल के रूप में देखा जाता है जिनके जरिये रूढ़िबद्ध धारणाएं बच्चों को प्रेषित होती हैं और बाद में बच्चे बहुरूपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को आंतरीकृत कर लेते हैं (स्टेनले एवं स्यु वाइज़)।

ckèk iz'u 2

ukV: i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. जेंडर की सांस्कृतिक रचना क्या है?

....

....

....

....

3-5 dU;k dk fuekZ.k ¼fufeZÙk½

भारत में पितृवंशीय और पितृतंत्रीय समाजों में कन्या की रचना लड़की का स्त्री में विकसित होने की प्रक्रियाओं की चर्चा करता है। यह प्रतिबंधों के मुद्दें पर विचार करेगा जिनका कि एक लड़की एक स्त्री के रूप में अपना समाजीकरण करने की प्रक्रिया के दौरान सामना करती है, और पुरुष बनाम स्त्री के साथ जुड़े विभदीय मूल्यों का पालन करते हुए, किस प्रकार से वह अपनी जेंडर पहचान के उपयुक्त भूमिकाएं अर्जित करती है, और उसे सांस्कृतिक मूल्यों का आंतरीकरण करने में और अपने भविष्य की छवियों की कल्पना या मानस दर्शन करने में कौन सी क्रियाविधि सहायता करती हैं, पर भी विचार करेगा। दुबे (2001) ने जेंडर समाजीकरण के रूप में समाजीकरण की प्रक्रिया का जिक्र किया है जिसमें महिलाएं और पुरुष जेंडर विषयों के रूप में पेश किये गये हैं। वह आगे जेंडर विषयों को भाषा, धर्मानुष्ठानों और प्रथाओं के माध्यम से सृजित करने की प्रक्रिया की चर्चा करती है। जेंडर विषय की रचना, अर्थात् स्त्रीत्व या पुरुषत्व की पहचान बनाये रखना, सामाजिक रूप और सांस्कृतिक रूप दोनों से उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिये, प्रत्येक संस्कृति में जेंडर भेद की धारणा जीव विज्ञान या पूर्वाविहित प्रकृति में बद्धमूल समझी जाती है। भारतीय हिन्दू परिवारों में, जेंडर भेद की धारणा प्रजनन के अस्तित्व क्षेत्र के साथ प्रारम्भ हो जाती है हिन्दू माता और पिता दोनों प्रजनन के सम्बन्ध में भिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। सांस्कृतिक रूप से यह समझा जाता है कि पिता बीज का प्रदायक है और माता बीज को प्राप्त करने के लिये आदान–प्रदान करती है और उन्हें आगे पोषित करती है। भूमिका के इस भेद की सांस्कृतिक रूप से कल्पना की गई है और यह अन्य सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, और नातेदारी में प्रकट हो जाता है। जेंडर की सामाजिक रचना, पुरुष और स्त्री की असमान भूमिकाएं निर्दिष्ट करने, और किस प्रकार अन्य जेंडर भूमिकाएं सम्बन्धों एवं संस्थाओं के पेचीदे जाल के अन्दर सीखी जाती हैं, यह विश्लेषण करने के पूर्वकल्पित विचार पर प्रश्न उठाती है। यह सुस्पष्ट है कि जेंडर पहचान जेंडर भूमिकाएं सीखने के जरिये सृजित होती है और इसलिये, परिवार और

नातेदारी के व्यापक संदर्भ में जेंडर की रचना की प्रक्रिया को समझना अनिवार्य बन जाता है। समाजीकरण को समझने में परिवार और नातेदारी मुख्य होते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया में, परिवार दो मुख्य भूमिकाएं निभाता है जैसे कि (1) परिवार में सदस्यों की भर्ती के नियम; और (2) जेंडर और आयु खंडों के आधार पर भूमिकाओं का संरूपण और भावी भूमिकाओं के अर्जन में प्रशिक्षण प्रदान करना। परिवार की यह भूमिकाएं, भारतीय समाज में बड़ी हो रही स्त्री के विशेषताएं प्रदान करने की ऐजंसियां बन जाती हैं।

dU;k vkj tUedkyhu ?kj

स्त्रीत्व की रचना या निर्माण एक सतत् तथा जटिल प्रक्रिया है और भाषा, कहावतों तथा अनुष्ठानों के जरिये प्रेषित होती है। दोनों, विवाहित और अविवाहित पुत्रियों के लिये जन्मकालीन घर के संदर्भ को, समाजीकरण की प्रक्रिया में कहावतों या लोकोक्तियों के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पुत्र के लिये इच्छा, ''कथावार्ता'' ''कथन'' के रूपों में दिन–प्रतिदिन बातचीत में सुव्यक्त होती है। उदाहरण के लिये, जिन अभिभावकों की केवल बेटियां हैं उन्हें प्रायः ऐसी स्थिति में समझा जाता है जहां भविष्य काला है क्योंकि उनके पास सहारा नहीं है, (दुबे 2001 : 90)। इसी प्रकार से, महाराष्ट्र जैसे प्रदेशों में, लड़कियों को उपलब्धियों के साथ सम्मानित किया जाता है क्योंकि लड़कियां सदैव घर और घरेलु कार्यों के साथ सम्बन्धित होती हैं। स्त्रीत्व अर्जित करने की प्रक्रिया में, पैतृक घर को हमेशा अस्थायी आश्रय समझा जाता है। अतः लड़कियां भविष्य में अपने खुद का घर होने की धारणा के साथ बड़ी होती हैं। लड़कियां अपना खुद का घर होने की इच्छा के साथ बड़ी होती है और वो सामाजिक रूप से उपयुक्त व्यवहार सीखने के लिये अपने जीवन को अभिमुख एवं अनुदेशित करती हैं। कहावतें और धर्मानुष्ठान, अपने जन्मकालीन घर से लड़की की सदस्यता पति के घर में हस्तांतरित करने के अपरिहार्य तथ्य का बोध कराते हैं। दुबे ने अपनी पुस्तक में, भारत के विभिन्न भागों में बोली जाने वाली कुछ कहावतें प्रलेखित की है, जिसका अनुवर्ती परिच्छेदों में वर्णन किया जायेगा। ओड़िसा में, एक कहावत है जो ''बेटी की घी के साथ'' तुलना करती है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि दोनों मूल्यवान हैं; तथापि यदि उनका समय पर निबटारा न कर दिया जाये तो दोनों बदबू देने लगते हैं। इसी प्रकार, कुछ उत्सव हैं जैसे कि दुर्गा पूजा और गौरी पूजा जो देवियों के सम्बन्ध में 'घर वापस आने (Home coming) के विचार को बार–बार कहती है। यह त्योहार कर्मकाण्डों से पूर्ण होते हैं जो युवा लड़कियों को इस वास्तविकता का संदेश देते हैं कि उन्हें अपनी माँ का घर छोड़ कर जाना है और उन्हें इन त्योहारों पर अपने जन्मकालीन घर में आमन्त्रित किया जायेगा। इस संदर्भ में, लड़कियों का समाजीकरण धर्मानुष्ठानों, कहावतों और समारोहों के जरिये होता है जो आज्ञापालन, विनम्रता, निभाने वाली या समंजनकारी के पर्याप्त स्त्रीवत् व्यवहार सीखने की जरूरत पर ज़ोर देते हैं। कन्या की निर्मित जन्मस्थान पर अस्थायी सदस्यता पाने की भावना और कुछ आदर्श स्त्रीयोचित व्यवहार सीखने की अपरिहार्यता के साथ प्रारम्भ हो जाती है।

कन्या के समाजीकरण की प्रक्रिया, यौवनारम्भ पूर्व और उत्तर–यौवनारम्भ चरणों पर स्त्रीत्व के निर्माण के अंतर्निहित उत्तर–यौवनारम्भ सोपानों से जुड़ी है। यौवनारम्भपूर्व चरण में, पुत्रों बनाम पुत्रियों के साथ विभेदीय मूल्य जुड़ा है। वंश को चलाने के लिये पुत्रों को वरीयता दी जाती है और समाज में यौवनारम्भपूर्व पवित्रता का भाव बनाये रखने के लिये पुत्रियों को महत्व दिया जाता है। लड़कियों में यौवनारम्भपूर्व की पवित्रता के महत्व को भारत के विभिन्न प्रदेशों के धर्मानुष्ठानों में विशेष मान्यता दी जाती है जैसे कि महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटका और भारत के उत्तरी राज्यों में। इन प्रदेशों में, छोटी लड़की के साथ जुड़े अनुष्ठान–विवाह के दौरान, नाम देने के अनुष्ठान के समय, मासिक

धर्म के दौरान पृथक रहना और यौवनारम्भपूर्व की लड़कियों को भोजन खिला कर नवरात्रों के समय पर पालन किया जाता है । यह अनुष्ठान अव्यक्त रूप से कन्या या कुमारी की पवित्रता और सुभता पर बल देता है।

ckDl 3-2 % o'r fo'y"k.k

नवरात्रों में, समूचे भारत में कुआंरी लड़कियों को पूजने एवं भोजन खिलाने के रीति–रिवाजों का पालन किया जाता है। त्योहार के आठवें दिन, यौवनारम्भपूर्व की लड़कियों को पूजन तथा भोजन हेतु आमन्त्रित किया जाता है। लड़कियां देवी माँ का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें अन्य उपहारों जो धर्मानुष्ठान का हिस्सा होते हैं, के साथ–साथ भोजन खिलाया जाता है एवं पूजन किया जाता है।

इस विश्लेषण से दो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, (1) इस त्योहार में लड़कियों को जो रूप निर्दिष्ट किये जाते है वे अनिवार्य रूप से स्त्रीयोचित होते हैं, (2) स्त्रीत्व की चेतना का निर्माण पोशाक पहनने के ढंग और उन्हें दिये जाने वाले उपहारों से होता है, और (3) यौवनारम्भपूर्व और उत्तर यौनारम्भ के चरणों के बीच तीव्र भेद किया जा सकता है, और परिणामस्वरूप, स्त्रियों के जीवन के यौवनारम्भपूर्व के चरण के साथ पवित्रता और पुण्यता का भाव जुड़ा रहता है। इन धर्मानुष्ठानों में स्त्रीत्व के निर्माण का संकेत दिया जाता है और कन्या के दिमाग में स्त्रीयोचित विशेषताओं का भाव व्यवस्थित रूप से निर्मित किया जाता हैं।

यौवनारम्भचरण का प्रारम्भ स्त्री के जीवन में कई बदलाव और रूपान्तर लाता है। यह चरण बहुत से यौवनारम्भपूर्व के धर्मानुष्ठानों, आहारीय नियम तथा कुछ दिनों के लिये लड़कियों का अलग से रहने से जुड़ा है और पूरे भारत में इन धर्मानुष्ठानों का विभिन्न रूपों में व्यापक प्रचलन पाया जाता है। यह यौवनारम्भ पूर्व धर्मानुष्ठान कन्या के लिये लैंगिकता (sexuality) और मातृत्व का महत्व अभिव्यक्त कर रहे हैं और स्त्रियों की संवेदनशीलता एवं प्रौढ़पन के चरण में नियन्त्रित कामुकता (sexuality) की धारणा अभिव्यक्त करते हैं। इस आयु समूह की लड़कियों के लिये विवाह और मातृत्व दो लक्ष्य हैं जिन्हें बहुत महत्व दिया जाता है। और प्रायः उन्हें बहुत स्पष्ट कर दिया जाता हैं मातृत्व युवा लड़कियों को कुछ विशिष्ट भूमिकाएं देकर, पूर्णतया पृथक रहना और मासिक धर्म के दौरान भोजन सम्बन्धी प्रतिबंध, इत्यादि। हिन्दू परिवार में लड़की का निर्माण स्त्रीयोचित व्यवहार सीखने के तथ्य और काल्पनिक पत्नी एवं माँ की संरचित भूमिका को अपनाना समाजीकरण के तथ्य का सूचक है।

3-6 fyx i'FkDdj.k

आर्थिक संरचना और लिंग पृथक्करण के बीच रेखीय सम्बन्ध है। औद्योगिकीकरण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की उन्नति के साथ लिंग पृथक्करण की धारणा सुस्पष्ट हो गई है। व्यावसायिक एवं आर्थिक संरचनाओं के अन्दर लिंग पृथक्करण का अधिकांश रूप से प्रचलन है और उसका अध्ययन भी किया जाता है, जो महिलाओं का किसी आर्थिक सुधार के दौरान विशेष प्रकार के व्यवसाय में प्रवेश करना प्रकट करता है। पर्दा अथवा स्त्री पृथक्कता की प्रथा का देशों और समुदायों में व्यापक रूप से प्रचलन है और यह ग्रामीण कामों और गतिविधियों में स्पष्ट जेंडर पृथक्करण विहित करता है। बंगलादेश में, स्त्री पृथक्कीकरण की प्रथा आन्तरिक/बाहरी विभाजन के अनुसार प्रचलित थी (कबीर 1990)। लेखक का कहना है कि बंगलादेश में महिलाओं की दोरूपी प्रक्रिया की रूढ़िबद्धता के लिये बाध्य किया जाता है। एक तरफ, गरीब स्त्रियों को निष्क्रिय और

दुर्बल व संवेदनशील समझा जाता है, दूसरी और उन्हें नीति निर्माताओं और विकासवेताओं का लक्ष्य समूह समझा जाता है। स्त्रियों की यह छवियां सांस्कृतिक रचनाओं जैसे ''स्त्रियों को अपनी उत्तरजीविता के लिये सदैव पुरुष के संरक्षण की ज़रूरत होती है'' द्वारा पुनर्बलित हुई हैं। सामाजिक मानदण्डों और प्रथाओं ने स्त्रियों को, समाज के ज्यादा बड़े संदर्भ में, निष्क्रिय एवं आश्रित होने के रूप में प्रदर्शित किया है। उदाहरण के लिये, आन्तरिक/बाहरी विभाजन की धारणा ने स्त्रियों की घर की सीमा से बाहर जाने की स्वतन्त्रता को कम कर दिया है। इसलिये, वे लोग पारिवारिक व्यवस्था के दायरे के अन्दर क्रियाएं करती हैं। कृषिगत प्रक्रिया में, आवास स्थान के समीप अवस्थित गतिविधियों का निष्पादन एवं नियन्त्रण अकेले महिलाओं द्वारा किया जाता है। विशिष्ट प्रकार की गतिविधियों के साथ महिलाओं का जुड़ाव सामान्यत्या संस्कृति एवं समाज के द्वारा गढ़ा जाता है।

श्रम बाजार में, भिन्न मजदूरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (MGNREGA) जॉब कार्ड की गम्यता, कार्य की प्रकृति और कार्य की मात्रा के सम्बन्ध में पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यापक विभाजन है। पारम्परिक रूप से, जहां तक रोजगार की बात है, महिलाओं को आश्रित समझा जाता है। उदाहरण के लिये, परिवार के अन्दर, महिलाओं को अपने पुरुष प्रतिपक्षी के जरिये संसाधनों की गम्यता मिलती है; इसी तरह से, श्रम बाजार में स्त्रियों को मजदूरी तथा अन्य काम के अवसरों की गम्यता प्राप्त करने हेतु पुरुष के चैनल के जरिये जाना पड़ता है। जनगणना 1991 के रोजगार आंकड़े उपलब्ध अवसरों की गम्यता में पुरुष–महिलाओं के बीच गम्भीर विषमताएं दर्शाते हैं। श्रम बाजार में, बहुतायत संख्या में महिलाएं गैर–कार्मिक हैं जो सीमान्त पदों पर होती हैं। इसके अतिरिक्त पुरुष कार्य बल की तुलना में महिलाओं का बहुसंख्यक वर्ग असंगठित क्षेत्र में केन्द्रित है। असंगठित क्षेत्रों में पुरुष कार्मिकों में महिलाओं का अनुपात उनके प्रतिकूल प्रतीत होता हैं। असंगठित क्षेत्र के मामले में, पुरुष कार्मिकों के 89.77 प्रतिशत की तुलना में महिलाओं का 95.79 प्रतिशत केन्द्रित है। संगठित क्षेत्र में, ज्यादा महिलाएं निजी क्षेत्र की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र में केन्द्रित हैं। श्रम बाजार में जेंडर के आधार पर पृथक्करण है और इस विभाजन ने, असंगठित और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं के लिये सामाजिक–आर्थिक असुरक्षा को बढ़ावा दिया है (सेठ, 2001)। लेखक ने इंगित किया है कि जिन राज्यों में महिलाओं की निम्न प्रस्थिति है वे महिलाएं निम्न वेतनिक काम और रोजगार में होती है। केन्द्रीय सरकार सेवाओं में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का अनुपात अत्यन्त निम्न है। श्रम बाजार के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद, यह बलपूर्वक कहा जा सकता है कि महिलाएं अधिकतर निम्न वेतनिक कामों में केन्द्रित हैं और वे प्रस्थिति (दर्जा) के सोपानक्रम में भी निचले स्थान पर है। इसी प्रकार से, राजनीतिक तथा तकनीकी रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता बहुत कम है। कृषि क्षेत्र में, महिलाओं का योगदान काफी होता है; तथापि, वे लोग अधिकतर सीमान्त कार्मिकों के रूप में नियोजित की जाती हैं। कृषिगत कार्य में, महिलाओं और पुरुषों को दिये जाने वाले कार्य की प्रकृति के सम्बन्ध में लिंग पृथक्करण की प्रथा का चलन है। भारत में बहुत से राज्यों में, पुरुषों को हल चलाने तथा सिंचाई से जुड़ी गतिविधियों के लिये रखा जाता है और महिलाओं को सिर्फ बुआई, पौधों की देखरेख एवं फसल की कटाई जैसे कामों के लिये रखा जाता है। यह देखने में आया है कि पुरुष अधिकतर कृषि उत्पादों के विपणन सम्बन्धित क्रियाओं से जुड़े होते हैं, संसाधन और अतिरेक उत्पाद के नियन्त्रण को पुरुष क्षेत्र का समझा जाता है। अतः नूतन सरकार की योजनाओं और खेती की नई तत्काल तैयार की गई तकनीकों के लाभ महिलाओं तक नहीं पहुँचते हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की प्राथमिक रखवाल की भूमिका के कारण उन्हें नम्य एवं अस्थायी कामों के साथ समझौता करना पड़ता है।

यह ठीक ही कहा गया है कि विवाहित स्त्रियों को सदैव ''आरक्षित सेना'' (रिज़र्वड आर्मी) समझा जाता है जिसे श्रम संकट के समय उपयोग के लिये श्रम बाज़ार के बाहर रखा जा सकेगा। अलगाव की प्रथा के जरिये निजी क्षेत्र के पितृ तन्त्र का ढ़ाचा सार्वजनिक क्षेत्र के ढ़ाचों में प्रकट हो जाता है। जेंडर की सामाजिक या रचना निर्मित, परिवार, कार्य और रोजगार के क्षेत्र में मौजूद भेदभाव और असमानता को व्यक्त करती है।

पिछले 20 वर्षों से, वैश्वीकरण ने भारत जैसे देशों में निर्यात–अभिमुखी अर्थव्यवस्था की ओर प्रवृत किया है, जिसने बदले में बहुत से विनिर्माण के काम सृजित किये हैं और बहुसंख्यक महिलाओं को वेतनिक या वेतन प्रदत्त कार्यबल में ले आया है। विनिर्माण कामों में कार्यरत महिलाओं को अपने जीवन की गुणवत्ता को कुछ सीमा तक बढ़ाना पड़ता है और धन कमा कर ज्यादा उच्च प्राधिकार प्राप्त करना पड़ता है। तथापि, भारत जैसे विकासशील देशों में, श्रम बाजार के अन्दर लिंग पृथक्करण, महिलाओं के निर्णयन तथा मजदूरी के समझोते की प्रक्रिया में एक मात्र निर्धारक बना हुआ है। विकासशील देशों में, पुरुषों की तुलना में महिलाएं कम शिक्षित हैं। इसलिये, महिलाओं ने हमेशा बगैर श्रम एवं स्वास्थ्य सुविधा/लाभों के अस्थायी, अंशकालिक, जोखिम–प्रवण कामों के विकल्प को चुना है। असंगठित क्षेत्र के अन्दर, महिलाएं ऐसे काम करने लगी हैं जो पदक्रम में पुरुषों की अपेक्षा में निम्न हैं। उदाहरण के लिये, बंगलादेश और कम्बोड़िया में, फैक्टरी में काम का क्रमशः 85 प्रतिशत और 90 प्रतिशत महिलाओं के पास होता है, विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में कंबोड़िया और जिंबाव में, कट फ्लावर उद्योग में क्रमशः 65 प्रतिशत और 87 प्रतिशत काम महिलाओं के हाथ में है। दक्षिण अफ्रीकी के फल उद्योग में, अस्थायी एवं मौसमी कार्मिकों का 69 प्रतिशत महिलाएं हैं (यह सब आंकड़े hltp://www.siyanda.org/docs/ core-labout-standard-gender.pdf से 19/2/2011 को गम्य किये गये। आंकड़े दर्शाते हैं कि असंगठित कार्यबल में काफी महिलाएं केन्द्रित है। तथापि, उनका कर्मचारी के रूप में कोई औपचारिक ठेका नहीं हुआ है और वे निम्न सुरक्षा स्थितियों तथा अन्य दुर्बलताओं से प्रभावित हो सकती हैं। कार्यबल में महिलाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिये प्राथमिक महत्व की होती है और साथ ही वे स्वास्थ्य और श्रम सुरक्षा से वंचित होती हैं।

ckèk i'u 3

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. लिंग पृथक्करण किस प्रकार जेंडर निर्माण (निर्मित) को समझने में सहायता करता है?

....

....

....

....

3-7 Je dk foHkktu vkj dk;l dk {k=

जेंडर सम्बन्ध, श्रम के जेंडर विभाजन के अन्दर स्थित होते हैं और प्रायः संघर्ष उत्पन्न करते हैं। अफ्रीकी कृषि को प्रायः खेती की महिला व्यवस्था समझा जाता है। अफ्रीकी महिलाएं कृषिगत कार्य अपने घर और परिवार से स्वतन्त्र होकर करती हैं। कृषि के अन्दर, कार्य का क्षेत्र जेंडर की रेखाओं के साथ–साथ विभाजित होता है। महिलाओं और पुरुषों

का कार्य श्रम के जेंडर विभाजन के अन्दर स्थित होता हैं जो कि मौजूदा घरेलु और नातेदारी की व्यवस्थाओं के उत्पाद होते हैं। अफ्रीका में, महिलाओं और पुरुषों के बीच कार्य के क्षेत्र के अलगाव का तात्पर्य महिलाओं और पुरुषों के बीच श्रम का सामाजिक विनिमय है। तथापि, महिलाओं के कार्य का क्षेत्र दावों तथा दायित्वों के जटिल समूह से, घिरा होता है। जैसा कि व्हाइटहैड तर्क करते हैं कि, अफ्रीका में महिलाओं की आर्थिक गतिविधि को दो भिन्न प्रकार का सामाजिक वातावरण शासित करता है। कार्य के महिलाओं के क्षेत्र में, उन्हें संसाधनों जैसे कि भूमि की गम्यता प्राप्त होती है और उत्पादों का उसके बच्चों, पति और अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ साझा किया जाता है। इसके विपरीत, महिलाओं का दायित्व होता है कि वे अपने पति और परिवार के अन्य सदस्यों के लिये कार्य करे, परन्तु महिलाओं के श्रम के लिये कोई सीधे प्रतिफल उन्हें नहीं मिलता है। अपने पति के खेत में महिला के काम को पारिवारिक सदस्य के रूप में कल्याण और भरण–पोषण के उसके सामान्य अधिकारों के अन्तर्गत विचारा गया है। खेती की अफ्रीकी महिला व्यवस्था में, महिलाओं को खेती में योगदान करने में स्वायतता प्राप्त है। तथापि, उत्पादन से जुड़ी अन्य गतिविधियां जैसे खाद्य फसलों का निबटान और भूगम्यता सामाजिक वातावरण और संरचनात्मक व्यवस्थाओं में अंतः स्थापित होती हैं।

आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका पर बोसरप की पुस्तक की महिलाओं के कार्यक्षेत्र में व्यापक रूप से सराहना की गई थी।

बोसरप ने खेती की दो प्रणालियों की चर्चा की है जैसे 'स्त्री प्रणाली' बनाम 'पुरुष प्रणाली' जो कि क्रमशः अफ्रीकी और ऐशिया में प्रचलित है। अफ्रीकी खेती कार्य, खेती की स्त्री प्रणाली की दिशा में प्रवृति प्रदर्शित करती है जिसकी विशेषताएं हैं– स्त्री श्रमबल प्रतिभागिता के उच्च प्रतिशत के साथ पारिवारिक श्रम, महिलाओं द्वारा स्वतन्त्रता और गतिशीलता गम्य करना, दुल्हन की उच्च कीमत, पुत्र वरीयता कम होना और संतुलित लिंग अनुपात की प्रवृति को दर्शाना। इसके विपरीत, ऐशियाई खेती की हल संस्कृति खेती की पुरुष प्रणाली की दिशा में प्रवृति प्रदर्शित करती है जहां पुरुष मजदूरी प्रदत्त श्रम की उच्च प्रतिभागिता रहती है और जो महिलाओं का खेती से बाहर होना सूचित करता है। कृषि से महिलाओं के अलगाव की यह प्रथा, सामाजिक मानदण्डों जैसे कि महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकार का अभाव, दहेज, पुत्र वरीयता की प्रणाली, स्त्री मृत्यु संख्या की वर्द्धमान दर के जरिये पुनः उत्पत्ति हुई। इसका परिणाम जनसंख्या में प्रतिकूल लिंग अनुपात का हुआ (देखें कबीर, 2010)।

यह मॉडल सुव्यक्त रूप से कृषि के संदर्भ में श्रम के लिंगीय विभाजन की धारणा की चर्चा करता है। शुरूआत के लिये, लेखक अफ्रीकी खेती को 'खेती की स्त्री प्रणाली' के रूप में वर्णन करता है। जो कि आर्थिक विकास और आधुनिकीकरण के फलस्वरूप स्पष्ट रूप से परिधि की ओर कर दी गई है। जैसा कि व्हाइटहैड तर्क करते हैं कि, द्विविभाजन का यह ढंग, जेंडर के आधार पर अफ्रीकी कृषि में द्वैतवाद के रूपों की सही व्याख्या कर सकता है। यानि कि, नकद/रोकड़ फसल को पुरुष लोग संचालित करते हैं और खाद्य फसल क्षेत्र महिलाओं के श्रम तथा खेती की उनके पारम्परिक पद्धतियों के जरिये व्यवस्थित होता है। यह मॉडल जीविका खेती के स्त्रीयोचित प्रकृति और अफ्रीकी संदर्भ में आधुनिक खेती क्षेत्र में प्रतिभागिता करने में महिलाओं की अक्षमता पर ज़ोर देता है। यद्यपि इस मॉडल ने कृषि क्षेत्र में विद्यमान श्रम का बहुत स्पष्ट लिंगीय विभाजन दर्शाया है। इसकी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि इसने आधुनिक खाद्य उत्पादन में महिलाओं के योगदान की पूर्णत्या उपेक्षा की है। व्हाइटहैड तर्क करते हैं कि अफ्रीकी परिवारों की बढ़ती हुई नकद की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये, महिलाओं ने रोकड़ फसल लेने या वर्द्धित कारोबारी के लिये पारिवारिक श्रम में काफी योगदान दिया है।

नकद फसल क्षेत्र में महिलाओं के योगदान का भी पारिवारिक व्यवस्थाओं के अनुसार विचार किया गया है। उदाहरण के लिये, अफ्रीका में मान्यता यह है कि महिलाओं का योगक्षेम परिवार के योगक्षेम पर निर्भर करता है। इसलिये, इसके बावजूद कि महिलाओं के कार्य का क्षेत्र स्वतन्त्र है, उनकी गतिविधियां, दावे, और दायित्व संरचनात्मक व्यवस्थाओं के साथ जोड़ दिये गये हैं।

कार्य को प्रायः शारीरिक और मानसिक श्रम समझा जाता है। हॉशीलड (रैडफर्न और ऑन 2010 द्वारा उद्दृत) ने शब्द 'संवेगात्मक श्रम' प्रतिपादित किया जो देखरेख तथा पालन–पोषण से जुड़ा विशेष प्रकार का कार्य प्रकट करता है। संवेगात्मक श्रम परिवार के क्षेत्र और कार्यक्षेत्र में स्त्री व्यवसाय से जुड़ा है। अतः, इसके लिये विशेष प्रकार के कौशल स्वीकारने की ज़रूरत है जिसके लिये भविष्य में भुगतान किया जाएगा। परिवार के अन्दर महिलाओं के अप्रदत्त कार्य को प्रेम के श्रम के रूप में वर्णन किया गया है जिसे पारितोषिक नहीं मिलता है, तथापि, यह पितृसत्ता के अन्तर्गत यह जवाबदेय होता है।

THE PEOPLE'S UNIVERSITY

ckDl 3-3 % i;e dk Je

- क्या आपके बहुत से बच्चे हैं? डॉक्टर ने पूछा।
- प्रभु मेरे प्रति दयालु नहीं रहे। पन्द्रह जन्मे बच्चों में से, सिर्फ नौ जिन्दा हैं।
- क्या आपकी पत्नी कार्य करती है?
- नहीं, वो घर पर रहती है।
- अच्छा, वो किस प्रकार अपना दिन बिताती है? डाक्टर ने पूछा।
- ठीक है, वो सुबह चार बजे उठती है, और इंधन, जल, लाती है और अंगीठी जला कर नाश्ता पकाती है। फिर वो नदी पर जाती है और कपड़े धोती है उसके बाद वो बाजार जाती है और मक्का पिसवाती है और जो चीजें बाजार से चाहिए उन्हें खरीदती हैं। फिर वो दोपहर का भोजन पकाती है।
- क्या आप दोपहर को घर आते हैं।
- नहीं नहीं, वो मेरा भोजन खेतों में लेकर आती है।
- घर से लगभग तीन किलामीटर है।
- और उसके बाद?
- वो मुर्गीयों, सुअरों की देखभाल करती है, और निश्चय ही वो बच्चों की सारा दिन देखभाल करती है.... फिर वो रात का भोजन पकाती है और इसलिए जब मैं घर आता हूँ तो वह तैयार होता है।
- क्या वो रात के भोजन के बाद सोने चली जाती है।
- नहीं, मैं जाता हूँ। उसे घर पर करीब रात्रि नौ बजे तक कुछ काम करने होते हैं।
- परन्तु निश्चय ही, आप कहते हैं कि पत्नी काम नहीं करती है?
- निश्चय ही वो काम नहीं करती है। मैंने आपसे कहा है, वो घर पर रहती है।

(स्रोत : आई.एल.ओ., 1977, मिट्र द्वारा उद्धृत, 2002)

यह ऊपर उल्लिखित उद्धरण स्त्रियों के साथ जुड़ी श्रम की प्रकृति का वर्णन करता है और उसे न सिर्फ स्त्रीवत् बल्कि उसे अदृश्य और पारिश्रमिक अप्रदत्त समझा जाता है। व्यंगात्मक रूप से, महिलाओं का अदृश्य श्रम जो महिलाओं की देह के साथ आता है,

समाज के उत्पादक क्षेत्र में महिलाओं को 'कर्मकार' नहीं मानता है। अतः, विश्व अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, महिलाओं का निम्न प्रदत्त मजदूरी वाले काम में काम करना जारी है और वो आकस्मिक या अस्थायी मजदूर की छवि बनाती है। परिधीय या आकस्मिक कर्मकारों की छवि महिलाओं के लिये काम की असुरक्षा और किसी अन्य प्रकार के लाभों, केरियर/पेशे के उचित क्रम, प्रतिरोध और संगठित संघर्ष की महिलाओं की अनाभिगम्यता की धारणा प्रकट करती है।

3-8 fu"d"k

यह इकाई जैविक लिंग और सामाजिक जेंडर के बीच अन्तर करते हुए जेंडर की अवधारणा की चर्चा करती है। यह इकाई जेंडर के सामाजिक और सांस्कृतिक निर्माण/रचनाओं दोनों के रूप में ज्ञान या समझ में योगदान करती है। सामाजिक प्रभाग के रूप में जेंडर ने, समाजीकरण, कार्य, लिंग पृथक्करण और श्रम विभाजन के संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों पर भिन्न–भिन्न प्रभाव डाला है।

THE PEOPLE'S UNIVERSITY

3-9 'kCnkoyh

Ukkrsnkjh ¼**kinship**½% नातेदारी उन व्यक्तियों जिनका वंशावलिक मूल साझा है के बीच जैविक, सांस्कृतिक, या एतिहासिक वंशज के जरिये सम्बन्ध होता है।

Ikfr"Bk oèk ¼**honour killing**½% प्रतिष्ठा वध परिवार या अन्य समूह के सदस्य का अन्य सदस्यों द्वारा वध है, इसका कारण अपराधकर्त्ताओं (और संभावित रूप से ज्यादा व्यापक समुदाय) का यह विश्वास है कि पीड़ित व्यक्ति ने परिवार अथवा समुदाय का अपमान कराया है। प्रतिष्ठा वध अधिकतर महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध होते हैं।

3-10 ckèk i'uk d mÙkj

Ckkèk i'u 1

1. सामाजिक निर्माण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमे वैयक्तिक तथा अन्य सामाजिक प्रक्रियाएं दोनों ही तात्विक रूप से सम्बन्धित होती है। विश्व का प्रत्येक निर्माण (रचना) या छवि, समाज के व्यक्ति के अनुभव और विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ उसकी अंतः क्रियाओं द्वारा प्रभावित होता है। अतः, बहुधा यह तर्क किया जाता है कि सामाजिक निर्माण स्वयं ही व्यक्तिपरक पूर्वाग्रह धारण किये रहता है क्योंकि वह व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा आकार ग्रहण करता है। सामाजिक निर्माण/रचना लोगों के एक विशेष समूह या वर्ग के हितों द्वारा भी प्रभावित होता है और अधिकार में रखा जाता है।

ckèk i'u 2

1. जेंडर, जटिल परिघटना होने के कारण, सामाजिक रूप से निर्मित और सांस्कृतिक रूप से निर्धारित होता है। संस्कृति की सम्बन्धों के जाल के रूप में व्याख्या की जाती है जो संस्थाओं का अर्थ, रहन–सहन का नमूना (या पैटर्न) और मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। संस्कृति जीवन के लगभग प्रत्येक पहलु –उत्पादन के संगठन से लेकर, परिवार और संस्थाओं की संरचना, समाज की विचारधाराएं और आदर्शवादी पैटर्न और अंतः क्रियाओं या सम्बन्धों के रूपों तक– को समाविष्ट करती है। जेंडर की सांस्कृतिक निर्मित्ति समाजीकरण के संदर्भ में पुरुषत्व और स्त्रीत्व की निर्मित्ति के बारे में बतलाती है।

1. आर्थिक संरचना तथा लिंग पृथक्करण के बीच रेखीय सम्बन्ध होता है। औद्योगिकीकरण और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरक्की के साथ लिंग पृथक्करण की धारणा सुस्पष्ट बन गई है। लिंग पृथक्करण को, अधिकतर पेशेवर/ व्यावसायिक तथा आर्थिक ढांचे के अन्दर अवलोकन किया जाता है और उसकी जांच की जाती है जो कि किसी भी आर्थिक सुधार होने की स्थिति में, महिलाओं के विशेष प्रकार के व्यवसाय में प्रवेश को प्रकट करता है। पर्दा या महिलाओं का एकान्तवास विभिन्न देशों और समुदायों में व्यापक रूप से प्रचलित है और यह ग्रामीण कामों और गतिविधियों में सुस्पष्ट जेंडर अलगाव विहित करता है।

3-11 mi;ksxh iqLrdsa

Stanley, L. and Wise, S. (2002) 'What's wrong with socialisation', In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender: A Sociological Reader, London: Routledge.

Jackson, S. and Scott, S. (2002) Introduction: The gendering of sociology, In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender: A Sociological Reader, London: Routledge.

Dube, L. (2001) *Anthropological Explorations in Gender: Intersecting Fields*. India: Sage Publication Pvt. Ltd.

Kabeer, N. (1990) 'Poverty, Purdha and Women's Survival Strategies in Rural Bangladesh, In Bernstein, H., Crow, B., Mackintosh, M., and Martine, C. (Eds.) *The Food Question: Profile Versus People?*, London: Earthscan Publications Ltd.

Kabeer, N. (2010) *Gender and Social Protection Strategies in the Informal Economy*, London: Routledge.

Seth, M. (2001) *Women and Development: The Indian Experience*. New Delhi: Sage Publications.

Whitehead, A. (1990) 'Food Crises and Gender Conflict in the African Countryside', In Bernstein, H., Crow, B., Mackintosh, M., and Martine, C. (Eds.) *The Food Question: Profile Versus People?*, London: Earthscan Publications Ltd.

Redfern, C. and Kristin Aune (2010). *Reclaiming the F Word: The New Feminist Movement*. Bangalore: Books for Change.

West, C. and Zimmerman, D.H. (2002), 'Doing gender', In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender: A Sociological Reader, London: Routledge, pp-31-42.

Mitter, S. (2002) 'Women Working World Wide', In Jackson, S. and Scott, S. (Eds.) Gender: A Sociological Reader, London: Routledge, pp-112-116.

Patel, R. (2010) Working the Night Shift: Women in India's Call Center Industry, New Delhi: Orient Black Swan.

Kabeer, N. (2000) *The Power to Choose*, London: Verso.

Kalpana Kawwaviraw, 'Social Construction of Gender', Foundation Course in Women's Empowerment and Development, IGNOU, New Delhi, 5-10 (FWE-01).

3-12 ckèk iz'u ¼vH;kl ,oa euu gsrq½

1. क्या, जेंडर सामाजिक रूप से निर्मित होता है?
2. समाज और संस्कृति के उत्पाद के रूप में जेंडर की व्याख्या करें।
3. स्त्रीत्व तथा पुरुषत्व की धारणा को श्रम विभाजन और लिंग पृथक्करण के पहलु किस प्रकार स्पष्ट करते हैं?

bdkbl 4 fodkl e ukjhokn % tMj vkj fodkl dk lnHk

bdkbl dh l jpuk

4.1 प्रस्तावना

4.2 उद्देश्य

4.3 विकास वार्तालाप में नारीवाद

4.4 उभरती वास्तविकताएं और प्रत्ययात्मक चौखटा

4.5 निष्कर्ष

4.6 शब्दावली

4.7 बोध प्रश्नों के उत्तर

4.8 उपयोगी पुस्तकें

4.9 बोध प्रश्न (मनन एवं अभ्यास हेतु)

4-1 iLrkouk

यह इकाई इस प्रसंग से सम्बन्धित है कि नारीवाद ने, जेंडर और विकास के सन्दर्भ में विकास वार्तालाप और उसके अहम् सरोकारों को किस प्रकार से प्रभावित किया है और किस प्रकार से उसमें समामेलित हुआ। जेंडर और विकास (गैड) के लिये नारीवाद और उसकी प्रासंगिकता की चर्चा इस इकाई में की गई है। गैड परिप्रेक्ष्य से नीतिगत विश्लेषण पर वृत अध्ययन (केस स्ट्डी) के साथ–साथ कुछ गैड विचारकों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी का भी इस इकाई में जिक्र किया गया है।

4-2 mnn'';

इस को पढ़ने के बाद आप सक्षम होंगे :

- विकास वार्तालाप पर नारीवाद के प्रभाव की व्याख्या करने में;
- जेंडर और विकास के सन्दर्भ में नारीवाद के महत्व का विश्लेषण करने में; और
- गैड उपागम का समर्थन करने वाले विचारकों के योगदान की जाँच करने में।

4-3 fodkl okrkyki e ukjhokn

नारीवादियों ने विकास संलाप को किस प्रकार से प्रभावित किया है? नारीवादी संलाप सिर्फ युक्तिपरक नहीं होते हैं, परन्तु वो हमारे अपने लिये और साथ ही दूसरों के लिये व्याख्या के शक्तिशाली रूप हैं। वो नारीवादियों को कार्रवाई करने में समर्थ बनाते हैं। सबसे बढ़कर, यह नारीवादी वार्तालाप और नारीवादी कार्रवाईयां, विविध, अन्तर प्रकट करने वाली और स्वयं ही विवाद का स्थल होती हैं। जब नारीवाद विकास के साथ सम्बन्धित होता है, तो हमें इकट्ठा होने, बहुदलीय संगठन का उद्भव दिखाई देता है। हम अब इन वार्तालापो के संघों (हेजर, 1995) की खोज करेंगे या जेंडर एवं विकास संदर्भ में विभिन्न अन्तरों के परे दलीय निर्माण प्रोत्साहित करेंगे।

बॉक्स 4.1 जेंडर और विकास संदर्भ में कुछ मुख्य सरोकारों की व्याख्या करता है।

ckDl 4-1 % tsMj] lkekftd lEcU/k vkSj laLFkk,a

1. महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखने के लिये, जेंडर सम्बन्ध अन्य सामाजिक/सत्ता सम्बन्धों के साथ अंतर्ग्रथित होते हैं।
2. भारतीय संदर्भ में अन्य सामाजिक सम्बन्धों में जाति, वर्ग, धार्मिक पहचान, नृजातीयता, आयु, लैंगिक अभिमुखता, विभेदीय योग्यता, व्यवसाय और स्वास्थ्य प्रस्थिति की श्रेणियों पर आधारित सम्बन्ध समाविष्ट हैं।
3. बदले में जेंडर/सामाजिक सम्बन्ध समाज की संस्थाओं द्वारा गढ़े जाते हैं– परिवार, बाजार (वस्तुएं श्रम, वित्त स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरों तक सेवाएं) समुदाय, राज्य (कार्यकारी, विधिक और न्यायिक), अधि–राज्य संस्थाएं।
4. यह संस्थाएं भिन्न संगठनात्मक रूप ग्रहण करती हैं।
5. राज्य कई विभागों, मन्त्रालयों, स्थानीय सरकार संगठनों (ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएं), न्यायिक संगठन (सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, महिला न्यायालय, पुलिस स्टेशन या थाना इत्यादि) के लिये ज्यादा बड़ा सांस्थानिक ढांचा है।
6. बाजार, खेती सम्बन्धी व्यवस्थाओं, छोटे पैमाने के उद्यमों प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, बहु–राष्ट्रीय कंपनियों और प्राइवेट मीडिया जैसे संगठनों के लिये रूपरेखा है।
7. समुदाय भिन्न संगठनों से बनता है जैसे कि धार्मिक संगठन, ग्राम पारम्परिक पंचायतें, राजनीतिक गुटबन्दी, सामुदायिक समूह और एन.जी.ओ.।
8. घर न्युक्लियर या विस्तरित परिवारों का हो सकता हैं।
9. अतः संस्था, नियम, विचारधारा, कुछ सामाजिक या आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की संरचनाओं की रूपरेखा है, और संगठन, विशिष्ट संरचनात्मक रूपों को संकेत करता है जो कि संस्थाएं ग्रहण करती हैं।
10. प्रत्येक संस्था और साथ ही साथ संगठन कुछ सदस्यों को समाविष्ट करती है और कुछ सदस्यों को बाहर रखती है, उसके नियम या मानदंड होते हैं, संसाधनों को असमान रूप से वितरित करती है, निर्णयन शक्तियों को विभेदीय ढ़ंग से वितरित करता है और उसका कुछ जीवनदर्शन होता है।
11. महिलाएं, लड़कियां और वृद्धजन, विशेष रूप से दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक समूह, भूमिहीन परिवारों से, और सामाजिक रूप से वर्जित अन्य समूहों से (यानि सैक्स वर्करस, एच.आई.वी./एड्स से प्रभावित लोग) सांस्थानिक नियमों, सदस्यता, संसाधन और शक्ति/सत्ता आवंटन के जरिये विशेष रूप से नुकसान उठाते हैं। यह उन लोगों पर भी लागु होता है जो लैंगिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और भिन्न विशेषता रखते हैं।

   –संस्थाओं की अधिकारिक विचारधारा वास्तविकता में यथार्थ से दूर होती है।

   –परिवार/या घर 'परार्थोन्मुख' (altruistic) नहीं होते हैं परन्तु वे सहकारी संघर्षों के स्थल होते हैं।

12. बाजार तटस्थ नहीं होते हैं परन्तु 'धनी' की ओर पूर्वाग्रह रखते हैं।

13. अधिकांश पारम्परिक सामुदायिक संगठन नैतिक समाज नहीं बनाए रखते हैं परन्तु 'जेंडर और सामाजिक पदानुक्रम' बनाएं रखते हैं।

14 राज्य नागरिकों के कल्याण को प्रोन्नत नहीं करता है या उनकी सुरक्षा नहीं करता है, परन्तु कभी–कभी महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के प्रति अंधा बन जाता है।

14. अधि–राज्य संस्थाएं 'वैश्विक नागरिक' के योगक्षेम की सुरक्षा और उसे प्रौन्नत शायद न करे परन्तु इसके बजाय वह वैश्विक पूँजी और विकसित देशों के हित में कार्य कर सकता है।

स्रोत : रजनी के मूर्ति एवं मेर्सी कैप्पन (2007), 'इस्टीटयूशनलाइजिंग जेंडर विद इन ऑर्गनाइजेशन्स एण्ड प्रोग्राम्स : ए ट्रनरस मैन्युअल, विस्थार बेंगलौर

कुछ मुख्य तर्क और वाद–विवादों को तालिका : 4.1 में संक्षिप्त रूप में पेश किया गया है। कैथी मैकइलवेन एवं कविता दत्ता ने ''फौमिनाइजिंग टू इनजेंडरिंग डेवलेपमेंट पर'' अपने लेख में तीन दशकों के समय में गैड का पुनः प्रत्ययीकरण करने की चेष्ट का विस्तार से वर्णन किया है।

rkfydk % 4-1 xM d iu% iR;;hdj.k e e[; rd

rd@cgl	Pk;hur lnHk
1. नारीवाद अब पश्चिम–प्रभावित, नायकीय समूह के विचारों का संकेत नहीं करता है, परन्तु इसके बजाय, भिन्न रूप धारण करके, भिन्न पैमानों, चाहे स्थानीय, प्रादेशिक या परा–राष्ट्रीय, पर प्रचालित होता है।	स्टब्स, 2000; वरगास, 2002
2. अंतः स्थापित स्थानीय प्रथाओं और स्थानीय जेंडर सम्बन्धों और विचारधाराओं के कोरछादन (imbrications) को स्थान और समय के अनुसार करने की जरूरत है।	अफशर, 2000 ईरान पर; कैस्बी, 1999 जिंबाबवे पर; रॉबसन, 2000 नाईजीरिया पर
3. महिलाओं (और पुरुषों) के बीच स्थानीय समझ को अत्यन्त महत्वपूर्ण साधारण बातों के साथ सम्बन्धित करना महत्वपूर्ण है जिससे कि परिवर्तन हो सके।	राजू, 2002

4.	उत्तरी और दक्षिणी नारावादी भिन्न समय और स्थान में उन संघों को बनाने की जरूरत की मांग करते हैं जो साधारण बातों की ओर ध्यान खींचे।	पीके एवं ट्रॅट्ज़ 2002 वालबाइ, 2002
5.	गैड की व्यापक रूपरेखा के अन्दर समानता को उपागम का उद्‌गम हुआ है जो महिलाओं और पुरुषों के बीच मानवाधिकार के रूप में सत्ता साझा करने को बढ़ावा देता है और यह आवश्यकता–आधारित उपागमों से दूर होने का संकेत करता है।	चांट एवं गटमैन, 2000; सेनगुप्ता, 2000; और हॉलैंड, 2001
6.	तथापि, पश्चिम, व्यक्तिवादी सम्बन्ध में अधिकारों का प्रत्ययीकरण, दक्षिण में बहुत सी संस्कृतियों के साथ बेमेल हो सकता है जहां साम्प्रदायिक या समूह अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं।	रैडक्लिफ, 2002
7.	ऐसी योजनाएं चाहिए जो अधिकारों को विकल्पों में बदल सके और यह महिलाओं के जीवन में ठोस सुधार होगा।	कोर्नवॉल एवं वैलबूर्न, 2002; हरकोर्ट, 2002;

स्रोत : उदृत, कैथीमैकवैन एवं कविता दत्ता (2003) :

'फ्रोम फैमिनाइजिंग टू एनजेंडरिंग डेवलेपमेंट : जेंडर, प्लेस एण्ड कल्चर', 10:4, 369–382

कॉर्नवॉल, हैरीसन और व्हाइट हैड (2007) ने ''विकास संस्थाओं के अन्दर जेंडर और विकास की पैरवी करने वाले वृतान्तों पर फोकस किया है।'' इन वृतान्तों ने पेशेवरों के संगठन के सृजन को प्रोत्साहन देने में सहायता की है और विभिन्न प्रकारों के संगठनों जिनका कार्य जेंडर के मुद्‌दों से सम्बन्धित है के निकाय (body) को भी प्रोत्साहन देने में सहायता की है। यह लेखक इस पर जोर देते हैं कि संलाप संघ, विकास संवाद में विशेष नारीवादी अंतर्दृष्टियों के चारों ओर निर्मित किये गये हैं। यह अंतर्दृष्टियां क्या हैं? दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टियां हैं:

– घर/परिवार संघर्ष तथा सहयोग के स्थल हैं; और

– महिलाएं उत्पादक तथा प्रजनन कार्य का दोहरा भार वहन करती हैं (अब हम सामुदायिक प्रबन्धन कार्य समेत तीन गुना भार की बात करेंगे)।

लेखकों के अनुसार, 'विश्व की निराधार भू–राजनीतिक वास्तविकताओं को छोड़कर, अन्तर या भेद के आर–पार एकता के उपयुक्त रूपों को गढ़ना कभी भी इतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। उनका कहना है कि विकास हस्तक्षेप को पुनः परिभाषित और पुनः आकार देने की कोशिशें, विकास प्रक्रिया में आयोजत करने वाले सिद्धान्त के रूप में 'वास्तव में' ''जेंडर'' पर आधारित होनी चाहिये। 'जेंडर' अपने आप में हमारे समाजों में अन्तर की

अहम् कुठार है। उदाहरण के लिये, हम सभी महिलाओं के एकीकरणीय अनुभवों, उनकी एकता के बारे में बोल सकते हैं। परन्तु, आगे छानबीन करने पर, हमें समझ आया कि महिलाओं के अनुभव वास्तव में अन्तर के अन्य कुठारों के प्रभाव के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यह क्या हैं? हां, आप सही हैं। भेद के कुठार जैसे कि जाति, वर्ग, धर्म और प्रजाति का मजबूत, शक्तिशाली प्रभाव पड़ सकता है और वो यह परिभाषित करने के लिये एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर सकते हैं कि किस प्रकार व्यक्ति का समाज में और समाज द्वारा जेंडरिंग होता है? अन्तर के यह कुठार इकट्ठे या विरोध में क्रिया करते हैं; कुछ मामलों में, वो ऐसे अन्तर के प्रभाव को बढ़ा देते हैं, अन्य मामलों में, वो प्रभाव को सिकोड़ देते हैं। तथापि, नारीवादी इस बात की पैरवी करते हैं कि भिन्न संदर्भों में महिलाओं के सुशक्तिकरण के काम को आगे बढ़ाने हेतु काम हैं, या अन्तर का पहचानने और अन्तर कम करने की जरूरत हैं जैसे कि कॉर्नवॉल, हैरीसन एवं व्हाइट कहते हैं, 'एकता' के या एकरूपता के उपयुक्त रूपों को गढ़ा जाए।

क्या आप अपेक्षा करते हैं कि विकास के साथ कार्यरत नारीवादीयों को व्यापक रूप से भिन्न अनुभव हों? हमें स्वीकार करना चाहिये कि भिन्न क्षेत्रों तथा भिन्न राष्ट्रों में अनुभव की सम्पदा है। क्यों? यह इसलिए सम्भव हुआ है क्योंकि विभिन्न संदर्भों से भिन्न भौतिक, राजनीतिक और बुद्धिपरक स्थितियां उभरी हैं। जेंडर को विकास कार्यसूची में सम्मिलित करना, वास्तव में, उसके मूल आधारों और लक्ष्यों से हट जाने से सम्बन्ध रखता है। इसी कारण हमें विकास प्रक्रिया को भी सशक्त बनाने के अहम् सरोकारों पर फोकस करना चाहिये।

ckèk iz'u 1

ukV : i) प्रश्नों के उत्तर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए।

ii) अपने उत्तर की तुलना इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से कीजिए।

1. पिछले तीन दशकों के दौरान उद्विकसित गैड के तर्कों को सूचीबद्ध करें।

....

....

....

....

हम विकास हस्तक्षेप में संघटित सिद्धान्त के रूप में जेंडर की हमारी चर्चा पर वापस आते हैं, यह छानबीन करना दिलचस्प है कि किस प्रकार जेंडर व्यवसायिकीकरण और सांस्थानिकीकरण की क्रियाविधियों और रूपरेखाओं के अन्दर उपागमों, उपकरणों द्वारा निरूपित होने लगा है। हमें समझ लेना चाहिये कि उपागम, उपकरण, रूपरेखाएं और क्रियाविधियां, व्यवहारिक अनुप्रयुक्तियों में आवश्यक घटक हैं। तथापि, उन्हें मात्र ''तकनीकी स्थिरण'' नहीं समझ लेना चाहिये। बल्कि, हमें, उनको महिलाओं के सशक्तिकरण के लिये वाहन के रूप में विनियोजित करना चाहिए। कुछ विद्वानों ने चिन्ता व्यक्त की है कि संस्थाओं, संगठनों और अधिकारी तन्त्र में अंतःस्थापित पूर्वाग्रह व्यवसायीकरण और सांस्थानिकीकरण की प्रक्रियाओं का निश्चित रूप से हिस्सा होते हैं। वे टिप्पणी करते हैं कि यह नारीवाद के साथ जुड़ाव को ढ़ीला कर सकता है जबकि इसके साथ ही यह नारीवादियों को जीविकाएं, कार्य और सचमुच में, पहचान प्रदान करता है (कॉर्नवाल, हैरीसन और व्हाइट हैड, 2007)।

विकास प्रक्रिया के लिये इन प्रवृतियों के फलितार्थ क्या हैं? क्या हम परिवर्तनकारी कार्यसूची को प्रभावित कर सकते हैं? इसका उत्तर हाँ है। हम ज्यादा जेंडर–न्यायोचित समाज के लिये चेष्टा कर सकते हैं और महिलाओं और पुरुषों के बीच असमान शक्ति सम्बन्धों को बदलने की चेष्टा कर सकते हैं। इस रूपान्तरकारी प्रक्रिया को साध्य बनाने के लिये, नारीवादियों को विकास संस्थाओं के साथ, नवीन, महत्वपूर्ण ढंगों से, भेद का सम्मान करते हुए और भेद को कम करते हुए सम्बन्धित रहना होगा। कार्यरत रहने के लिये हमे नवीन तरीकों की जरूरत क्यों है? यह, वस्तुतः, एक विशेष समय तथा चरण जो 'समय की राजनीति में अंतः स्थापित है' में जेंडर और विकास (गैड) उपागम के मूल से व्युतपन्न करना हैं बदलते समय के साथ, कार्यरतता के नवीन शब्द और रूपरेखाओं को विकसित किया जाना चाहिये।

नारीवादी विनियोजन विकास के साथ क्या अंतर्ग्रस्त करता है? नीति निर्माण में सामरिक गठबंधन यथेष्ट प्रगति के रूप में एक प्राथमिक आयाम पर ज़ोर दिया गया है। गैड जैसे उपागमों को एकांगी सम्बन्ध में समझने से, नीतियां बनाने और क्रियान्वित करने, जिस प्रकार से संस्थाएं परिणामों को प्रभावित करती है उस की भिन्न समझ प्रदान करने, और साथ ही राजनीतिक विनियोजन के समझोतों के खतरों के भिन्न दृष्टिकोण प्रदान करने के साथ अर्थपूर्ण ढंग से सीमित विनियोजन की ओर प्रवृत किया है। जब गठबधंन किये जाते हैं, उस समय हमें ऐसे गठबंधन करने की लागत पर विचार करना चाहिए। उन संगठनों और संस्थाओं के साथ सम्बन्ध स्थापित करना आवश्यक है जो सशक्तिकरण और विकास के अहम् लक्ष्यों को साझा करते हैं। अन्यथा, हम सशक्तिकरण की कार्य सूची के नष्ट होने का जोखिम उठाते हैं और परिवर्तनकर्त्ता की हमारी भूमिका में प्रतिबंधित बने रहते हैं।

जब हम विकास कार्यसूची के साथ नारीवादी संलाप के इंटरफेस (interface) की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र पर वर्द्धमान फोकस रहा है। इस फोकस का श्रेय इस मान्यता को दिया जा सकता है कि यही वो क्षेत्र है जिसमें हम बहुत से परिवर्तनों को देखते हैं जो कि 'एजेन्सी को संरचना से मुक्त कराने के साथ जुड़े हैं (एडकिन्स, 2007) – या जिसे प्रायः वैयक्तिकीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है उससे जुड़े हैं। वैयक्तिकीकरण जबकि रूपान्तरणीय हो सकता है, एडकिन्स (1998) तर्क करते हैं कि वैयक्तिकीकरण का संगठन, वस्तुतः, जेंडर उत्पीड़न के संगठन के लिये केन्द्रीय हो सकता है। मजदूरी उपार्जित करने की रूपान्तरणीय सामर्थ्य हो सकती है, परन्तु क्या यह वास्तविकता में सशक्त करती है? इसका वैयक्तिकीकरण में अपना आधार और अपना संगठन होगा। कार्यस्थल में आगमन महिला के कार्यभार को वास्तव में बढ़ा सकता है और अपनी उपार्जित आय पर नियन्त्रण की असल गम्यता दिये बगैर यह उसके समय संचय को कम करता है। क्या आप हमारे देश से किसी उदाहरण का जिक्र कर सकते हैं जहां ऐसी स्थिति विद्यमान हो? हमारे देश और अन्य विकासशील देशों में अनौपचारिक श्रम बाजार पर नजर डाले। क्या अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं 'शालीन प्रकार का कार्य' (जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा परिभाषित किया गया है) पाती है जिसे वे लोग पाने की चेष्टा करती हैं? क्या उन्हें उचित कार्य–घंटों के साथ न्यायोचित मजदूरी दी जाती हैं? क्या कार्य करने की स्थितियां संरक्षित होती हैं? क्या उनका शोषण किया जाता है?

इस तर्क के जो हमने अभी पढ़ा है फीलतार्थ क्या हैं? वैयक्तिकीकरण को, यथापूर्व स्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है। वास्तव में, आर्थिक क्षेत्र की जेंडरड निर्मित्त विद्यमान जेंडर–आधारित श्रम विभाजन का विस्थिरीकरण नहीं कर सकती है। वैयक्तिकीकरण वास्तव में जेंडर के पारम्परीकरण के संग चल सकता है और, विशेष रूप से, प्रखर

पारम्परिक श्रम विभाजन के साथ इवेन्स (2003) 21वी. शताब्दी में घर की तुलना में कार्यस्थल के प्राथमिकीकरण की दिशा में परिवर्तन, पुरुषों और महिलाओं दोनों के मामले में प्रचलित प्राथमिकताओं के पुनर्गठन की बात करते हैं। कार्य अपने साथ नैत्यक (नेमीकृत) कार्यभार लाता है परन्तु प्रायः तुरन्त एवं सम्मानित पारितोषिक प्रदान करता है। आप इसे घर और परिवार की दुनिया में मिलने वाले पारितोषिकों के साथ तुलना करें। यहां, पारितोषिक कम निश्चित होते हैं, सर्वसामान्य अवबोधन में कम स्थूल होते हैं। क्या हम दीर्घकालीन सम्बन्धों को वही महत्व दिया जाना अवलोकन करते हैं? जैसा कि हम इच्छा करते हैं। शायद हम अवलोकन न करें। ऐसे सम्बन्धों से जुड़ें स्पष्ट और यथेष्ट पारितोषिकों के अभाव से यह सीधे जा सकता है और इसलिये घर और परिवार की इमारत और व्यक्तिगत नेटवर्क का टूटना स्पष्ट कर सकता है इवेन्स तर्क करते हैं कि प्रदत्त काम की दुनिया आर्थिक और संवेदात्मक पारितोषिक के लिये फोकस बन गया है।

पियरसन (2003) ने कारगर कथन कहाः ''पूंजी द्वारा शोषित होना आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में वस्तुतः सभी स्त्रियों का भाग्य है।'' यह बहस करते हुए कि मजदूरी में वृद्धियां अपने आप से महिलाओं को कम गरीब या ज्यादा शक्तिशाली नहीं बनाएंगी, पियरसन राज्यों से मुख्य नारीवादी अपेक्षाओं के रूप में न्यूनतम आय, श्रम विनियमन और उचित सामाजिक नीति का आग्रह करते हैं, जिसे सेवाओं की सामूहिक व्यवस्था को सम्पन्न करना चाहिये और महिलाओं के प्रतिनिधित्व को मान्यता देनी चाहिये''। तथापि, वर्तमान संदर्भ में, क्या हम अकेले राज्यों को अधिकार सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार और जवाबदेय ठहरा सकते हैं? ट्सीकाता (2007) का मानना है कि आज की दुनिया में, आर्थिक निर्णय ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र–राज्य के प्रभावी नियन्त्रण से बाहर लिये जाने लगे हैं। ऐसे संदर्भों में, राज्य को जवाबदेयता के प्राथमिक स्थल, जो अधिकार दे सकता है, के रूप में पहचानना सामरिक त्रुटि होगी। श्रम बाजार का वर्द्धित औपचारिकीकरण राजकीय प्रदाय व्यवस्था को समस्याजनक बनाता है। पियरसन (2003) तर्क देते हैं कि 'उसके वर्द्धित समेकन', आर्थिक वैश्वीकरण के पैटर्न से समीर्थत एवं चालित दोनों को, सूचित करने के लिये काफी सांख्यिकीय, आनुभविक और वैश्लेषिक प्रमाण हैं।

अतः, ट्सीकाता जैसे विद्वान यह प्रत्याशा नहीं करते हैं कि पूर्ववर्ती ऊपर–से–नीचे उपागमों की तुलना में नवीन ऊपर–से–नीचे अधिकार आधारित उपागम जेंडर न्याय उपलब्ध कराएंगे। इसके दूसरी ओर, कुछ विद्वान जैसे मुखोपाध्याय (2007) अधिकार–आधारित उपागमों के पक्ष में तर्क देते हैं। उनका कथन है कि अधिकारों के बारे में बातचीत महिलाओं को नागरिकों के रूप में पहचान का विशेषधिकार देती है (मुखोपाध्याय, 2007), बजाय माँ, पत्नी और बेटियों के रूप में पहचान को पुनर्बलित करने के (लिस्टर, 2003; मियर एवं सेवर, 2003)।

4-4 mHkjrh okLrfodrk,¡ vkSj iR;;kRed :Ikjs[kk,¡

अहम् सैद्धान्तिक अंतर्दृष्टियों पर विस्तार से व्याख्या करने के पश्चात्, आइये हम भारतीय संदर्भ में व्यवहारिक वास्तविकताओं की जाँच करें। बीजिंग सम्मेलन से लेकर पिछले पच्चीस वर्षों में, महिलाओं के विकास पर शासकीय (सरकार, दाता और एन.जी.ओ.) संलाप में यथेष्ट प्रगति देखने को मिली है। रंजनी के मूर्ति एवं मेर्सी केप्पन (2007) ने परिवर्तन की इस प्रक्रिया का पता लगाया है। 1980 के और 1990 के दशक में संलाप में विकास में महिलाओं को एकीकृत करने पर ज़ोर डाला गया। वर्ष 2001 की राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति ने बदलाव प्रदर्शित किया, जब संलाप में महिलाओं और पुरुषों के बीच सामाजिक रूप से निर्मित (जेंडर) सत्ता सम्बन्धों को चुनौती देने के लिये महिलाओं के सशक्तिकरण की जरूरत पर बल दिया जाने लगा। जैसा कि लेखकों ने

गौर किया, यह नीति पुरुष एवं लड़के बनाम भारतीय महिला एवं लड़कियों की स्थिति को मजबूत करने के बारे में ही विशेष रूप से विचार व्यक्त करती है (भारत सरकार, 2001)। बहुत से सामाजिक क्षेत्रीय विभागों में जेंडर केन्द्रीय बिन्दु स्थापित किये गये हैं। कई मन्त्रालयों की जेंडर नीति है। जेंडर को नियोजन में एकीकृत करने के लिये जेंडर–विशिष्ट दिशानिर्देश विकसित किये गये हैं और निगरानी (मॉनीटिरिंग) के लिये जेंडर सूचक विकसित किये गये हैं और वे प्रचालनात्मक सम्बन्ध में मौजूद हैं। संयुक्त राष्ट्र निकायों की सहायता से भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर जेंडर बजटन के प्रयोग किये गये हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना और कार्यस्थल पर यौन सम्बन्धी छेड़छाड़ का प्रचार और घरेलु हिंसा अधिनियम पर विधिनिर्माण अति महत्वपूर्ण हस्तक्षेप हैं।

हमने जेंडर समानता को प्रौन्नत करने की चुनौती के प्रति सरकार की अनुक्रिया की संक्षेप में जांच की है। आइये अब हम देखेंगे कि भारतीय एन.जी.ओ. ने इस चुनौती के प्रति किस प्रकार से प्रतिक्रिया की है। क्या हम एन.जी.ओ. की कुछ प्रतिक्रियाओं को पहचान सकते हैं? मूर्ति और केप्पन (2007) ने दो प्रकार की प्रतिक्रियाओं के बीच भेद किया है :

1. नीति और कार्यक्रमों में जेंडर का सांस्थानिकीकरण करने के लिये मूलभूत बुनियादी ढांचा स्थापित करना (वे मुख्यधारीकरण के बजाय शब्द 'सांस्थानिकीकरण' का उपयोग करना ज्यादा पसन्द करते हैं क्योंकि मुख्यधारा शब्द अपने आप में जेंडर के प्रति पूर्वाग्रह रख सकता है)।
2. संगठनात्मक परिवर्तन के उपागमों को अपनाना।

इन दो प्रतिक्रियाओं के बीच क्या अन्तर है? रॉय और केल्लेहर (2003) ने व्यवस्थाओं और क्रियाविधियों का संकेत करने के लिये 'बुनियादी ढांचा' (इंफ्रास्टक्चर) शब्द का इस्तेमाल किया है। उन्होंने एन.जी.ओ. की आमतौर पर 'पुरुषवत' निर्णयन प्रक्रिया और संगठनात्मक संस्कृति में ज्यादा मूलभूत परिवर्तनों के लिये शब्द, 'संगठनात्मक परिवर्तन' उपागम बताया है। इस बिन्दु पर, आइये संस्थाओं और संगठनों के बीच अन्तर को समझने का भी प्रयत्न करते हैं। संस्था, कुछ 'सामाजिक अथवा आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये नियमों की रूपरेखा' है। इसके दूसरी ओर, संगठन उस 'विशिष्ट संरचनात्मक रूप' का संकेत करते हैं जो कि संस्थाएं धारण करती हैं। क्या आप समाज की मुख्य संस्थाओं को जानते हैं? हाँ, आप सही हैं। संस्थाएं घर, समुदाय, बाजार, राज्य (कबीर, 1994) और अंतःराज्य संस्थाओं को समाविष्ट करती हैं (मूर्ति एवं रॉय, 1997)। जेंडर और सत्ता सम्बन्ध समाज की भिन्न संस्थाओं के जरिये पुनःउत्पादित होते हैं। इसने, जेंडर सम्बन्धों को, जाति, वर्ग, प्रजाति, आयु धर्म, नृजातीयता इत्यादि के सत्ता सम्बन्धों के साथ अंतर्ग्रथित करके उसके पूर्व प्रत्ययीकरण को विस्तृत किया है जिससे महिलाओं को अधीनस्थ स्थिति में रखा जा सके (व्हाइटहैड, 1979)।

मूर्ति और केम्पन ने, एंड्रिया कॉर्नवॉल (1998) द्वारा सामुदायिक स्तर पर परिचालित जेंडर के प्रलेखीकरण की विस्तार से व्याख्या की है। कॉर्नवॉल ने इस धारणा को चूनौती दी कि जेंडर सत्ता सम्बन्ध सिर्फ महिलाओं और पुरुषों के बीच सम्बन्ध में समाप्त हो गये थे। उसके अनुसार जेंडर की सामाजिक निर्मित्त को, महिलाओं के 'बीच' और पुरुषों के बीच कुछ सत्ता सम्बन्धों में सुदृढ़ भूमिका अदा करनी होती है। यह सत्ता सम्बन्ध बदले में, महिलाओं और लड़कियों, साथ ही पुरुष जो लैंगिक अल्पसंक्ष्यक हैं, दलितों, मजदूर वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक और भिन्न रूप से सक्षम लोगों, को अधीनस्थ स्थिति में रखते हैं। इस दक्षिण एशियाई संदर्भ का विस्तार करते हुए, मूर्ति ओर केप्पन, माँओं और किशोर बेटियों के, सास और बहुओं के बीच, पतियों के साथ महिलाएं और एकल महिलाओं के

बीच, जिनके पुत्र और जिन महिलाओं के पुत्र नहीं हैं के बीच, उच्च जाति की महिलाओं और दलित महिला के बीच, सामाजिक निर्माण सम्बन्धों की बात दक्षिण एशियाई महिलाओं के बीच सत्ता सम्बन्धों के मामलों के रूप में करते हैं। वे पुरुषों, जैसे कि उनके बीच जो लैंगिक रूप से बहु संख्यक हैं और लैंगिक रूप से अल्पसंख्यक है, पिता और पुत्र, उच्च जाति के पुरुष और दलित पुरुष/मुस्लिम पुरुष इत्यादि, के बीच सत्ता सम्बन्धों, का उदाहरण भी देते हैं। लेखक तर्क देते हैं कि महिलाओं के बीच और पुरुषों के बीच सत्ता सम्बन्धों को उतनी ही भूमिका निभानी है जितनी कि जेंडर असमानता के बने रहने की स्थिति में महिलाओं और पुरुषों के बीच सत्ता सम्बन्धों को।

मूर्ति एवं केप्पन ने बताया है कि संगठनात्मक परिवर्तनों में निम्नलिखित समाविष्ट है जैसे संगठनों को ज्यादा लोकतांत्रिक बनाना नम्य कार्य समय और स्थान को बढ़ावा देना, महिला कर्मचारियों की प्रजनन भूमिकाओं की गुंजाइश रखना, महिला कर्मियों को निर्णयन प्रक्रिया में बोलने का ज्यादा से ज्यादा अधिकार देना, बाहर से परिवर्तन को आयोजित करने के लिये, महिला आन्दोलनों के नेताओं के साथ गठबंधन करना और महिला मुवक्किलों को ज्यादा से ज्यादा जवाब देयता उपलब्ध कराना।

जैसा कि मूर्ति एवं केप्पन ने स्पष्ट किया है, जेंडर के सांस्थानिकीकरण (या मुख्यधारीकरण जैसा कि हम आमतौर पर कहते हैं) करने में कई लाभ संभावित हैं इसका कारण है बीजिंग (1995) में चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन, कायरों (1994) में अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या एवं विकास सम्मेलन, और महिला विरूद्ध हिंसा पर वीयाना घोषणा के द्वारा ''अवसरों की खिड़कियां'' की घोषणा की गई और साथ ही साथ भारतीय महिला आन्दोलन, दाताओं, राजनीतिज्ञों और अधिकारी गण और एन.जी.ओ. के जेंडर पक्षघरों के बीच गठबंधन के जरिये, अनौपचारिक लामबंदी या जुटाव की संरचनाएं सम्भव हो पाईं (बर्टन एवं पॉलैक 2002)।

तथापि, हमें इस प्रश्न के उत्तर पर विचार करना है कि : विकास संगठनों के अन्दर जेंडर मुख्यधारीकरण में आगतों (इनपुट्स) ने वास्तव में जेंडर असमानताओं में कमी की ओर क्यों प्रवृत नहीं किया है? इसके लिये संगठनात्मक परिवर्तन पर अपर्याप्त बल देने और दुर्बल प्रत्ययात्मक रूपरेखाओं और योजनाओं को श्रेय दिया जा सकता है। तो फिर, हमें किस प्रकार से विकास संगठनों का जेंडरिंग करना चाहिए? ''जेंडर– अवेयर पॉलिसी एण्ड प्लैनिंग : एसोंशल रिलेशन्स पर्सपक्टिव'' पर अपने निबन्ध में, नेला कबीर (1994), ने संगठनों का जेंडरिंग करने के और अन्य सामाजिक सम्बन्धों को एकीकृत करने के लिये तीन रास्तों पर फोकस किया है।

1. तकनीकी उपागम;
2. संगठनात्मक उपागम; और
3. राजनीतिक उपागम।

इन उपागमों में से प्रत्येक का तात्पर्य क्या है? निम्नांकित चार्ट इन उपागमों की व्याख्या और तुलना करता है।

यदि आपने गौर किया है, तो आप देखेंगे कि जेंडर और विकास संदर्भ पर हमारी चर्चा ने लिंग और जेंडर दोनों में द्विआधारी निर्मित्त पर फोकस किया है। बॉक्स 4.2 हमें कुछ उभरते प्रत्ययात्मक संरचनाओं के (फ्रेम) के बारे में बताता है जो लिंग (पुरुष–स्त्री) और जेंडर (पुरुषत्व–स्त्रीत्व) के दोहरे चौखटे के परे जाता है। हमें पुरुष–स्त्री और

Rkduhdh mikxe	lxBukRed mikxe	jktuhfrd mikxe
जेंडर को, संगठनों के प्रत्येक घटकों के अन्दर, परन्तु संगठन के लक्ष्य की सीमाओं के अन्दर, जेंडर का मुख्यधारीकरण करने के लिये व्यवस्थाओं और दिशानिर्देशों को ठीक से निश्चित करने का प्रयास। दूसरे शब्दों में, यह उपागम जेंडर असमानताओं या असमान शक्ति सम्बन्धों को शायद सम्बोधित न करे।	संगठनों और महिला स्टाफ की जागरूकता बढ़ाने, नेतृत्व और शासन में प्रतिनिधित्व बढ़ाने, और प्रत्येक संगठनात्मक निर्णय का जेंडर परिप्रेक्ष्य से पुनरालोकन को प्रोत्साहित करने और व्यापक महिला आन्दोलनों के साथ संगठन के गठबंधन को मजबूत करने के माध्यम से जेंडर सम्बन्धी सरोकारों को सम्बोधित करने में आंतरिक जवाबदेयता को सुनिश्चित करने का प्रयास।	समाज की संस्थाओं को महिलाओं और अन्य उपान्तीकृत समूहों के पक्ष में बदलने की संगठन की क्षमता को मजबूत करने का प्रयास, बजाय विशिष्ट क्षेत्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने या महिला स्टाफ को वियोजित करने और जेंडर–जागरूक संस्कृति स्थापित करने तक अपने को सीमित करने।

पुरुषत्व–स्त्रीत्व द्विआधारी प्रत्ययात्मक चौखटों के परे सरोकारों को समामेलित करने की चुनौती को सम्बोधित करना होगा। पुरुषत्वों की सीमा की भी छानबीन करने की आवश्यकता है। तथापि, जेंडर और विकास संलाप, अनिवार्यतः 'स्त्रियों, पुरुषों और विकास' पर फोकस करता है और सांस्थानिक परिपाटी में जेंडर का मुख्यधारीकरण करते हुए, जेंडर समानता तथा अपने से सम्बन्धित समता को प्रौन्नत करने की चेष्टा करता है। ऐसा क्यों है?

यह, व्यवहार में, किसी भी देश, प्रदेश या स्थानीय परिवेश में जनसंख्या के बहुसंख्यक समूहों के प्रति गैड की अनुप्रयुक्तियों से उभरता है। जहां संदर्भ अनिवार्य करता है, मुख्यधारीकरण की प्रक्रिया सभी उपान्तीकृत समूहों तक विस्तारित की जानी चाहिये। कुछ भी हो, अधिकांश संदर्भों में, महिलाएं सर्वाधिक उपान्तीकृत और अल्प विशेषाधिकार प्राप्त रहती है।

ckDl 4-2 iq:"kRo : ij[kkvksa dk foLrkj % pqukSfr;ka vkSj izfrjks/k

विकास संगठनों और संस्थाओं के अन्दर, प्रभुत्वों की विचारधारा को पुरुषों/लड़कों और महिलाएं/लड़कियों द्वारा वहन किया जाता है और वंचित पुरुषों जो इन प्रबल मानदण्डों का पालन नहीं करते हैं के उपान्तीकरण की ओर अग्रसर करती है। आई.डी.एस. बुलेटिन (2000) ने पुरुष एवं लड़के होने के तरीकों के रूप में पुरुषत्वों की बात की है, और महिलाओं और लड़कियों के ऊपर पुरुषों और लड़कों को विशेषाधिकृत करने की विचारधारा के रूप में पुरुषत्व की बात की है। यह न केवल महिलाओं और लड़कियों की अधीनस्थता की ओर प्रतृत करता है, परन्तु वंचित पुरुषों जो इन मानदंडों का अनुपालन नहीं करते हैं के अधीनस्थता की ओर प्रवृत करता है। भारत के संदर्भ में, जहां जेंडर, जाति, वर्ग, आयु, धर्म, लैंगिक अभिमुखता और अन्य पदानुक्रम ज्यादा मजबूत हैं, वहां महिलाओं और पुरुषों जो अपने लैंगिक/लिंगीय, जेंडर एवं अन्य पहचानों द्वारा उपान्तीकृत हो गये हैं के सरोकारों को भी हमें सम्बोधित करना चाहिये।

कुछ नारीवादी गैड में पुरुषों को सम्मिलित करने के सम्बन्ध में गहरी बद्धमूल शंकाएं रखते हैं (मैकेवेन और दत्ता, 2003) क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनमें यह विचार प्रेषित हो सकता है कि महिलाओं को सहायता बिल्कुल नही चाहिये और कि पुरुष ज्यादा अधिक जरूरतमंद लाभार्थी होंगे (पियरसन 2000 - चान्ट एवं गट मैन, 2002)। मैकवेन और दत्ता इस बहस को संक्षिप्त करते है : चरम सीमा तक ले जाने पर, इस प्रकार का विचार उस ओर प्रवृत कर सकता है जिसका

व्हाइट (2000) महिलाओं के 'पुनः अपवर्जन' के रूप में जिक्र करते हैं क्योंकि दुर्लभ संसाधन महिलाओं के कार्यक्रमों से दूर हटा दिये गये हैं (हर्न, 1996; स्वीटमैन, 1997)। कार्यक्रम सम्बन्धी स्तर पर, सिर्फ–महिलाएं कार्यक्रमों में, पुरुषों का समावेशन व्यवहारिक कठिनाइयों से भी भरा है (भसीन, 2001; चान्ट एवं गटमैन, 2002; दत्ता 2004)।

जैसा कि मैकवेन और दत्ता (2003) ने बताया है कि, गैड में पुरुषों का समावेशन विवादास्पद रूप से जेंडर न्याय के लिये लड़ाई को सुदृढ़ कर सकता है। जेंडर न्याय जो सभी जेंडर– आधारित भेदभावों के विरूद्ध खड़ा हो सकता है, और इसलिये महिलाओं और पुरुषों के लिये संभावित रूप से एकरूपीकरणीय बल भी हो सकता है।

स्रोत : कैथी मैकवेन एवं कविता दत्ता रंजनी के मूर्ति एवं मेर्सी केम्पन

विकास एजेन्सियों ने (दाता, प्रशिक्षण एन.जी.ओस. केन्द्रीय बिन्दु) किस प्रकार जेंडर का विकास संगठनों के साथ मुख्यधारीकरण किया है? यह मध्यस्थ एजेन्सियां, वास्तव में, 'इंफ्रास्ट्रक्चर' (बुनियादी ढांचा) उपागम द्वारा दिशानिर्देशित होती हैं बजाय 'संगठनात्मक परिवर्तन' उपागम के। कुछ दाताओं ने एन.जी.ओ. कार्मिकों और मध्यम स्तर के स्टाफ को अर्द्ध–सरकारी संगठनों में भर्ती करके अर्द्ध–सरकारी संगठनों की संगठनात्मक संस्कृति को बदलने का प्रयास किया है (मूर्ति, 2005) किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा) उपागम व्यवहार में कार्य करता है? यहां, संगठन की कल्पना और लक्ष्य को परिरक्षित कर लिया जाता है और परिवर्तन रोधी बना दिया जाता है। इसके बजाय, जेंडर का, 'आधार रेखा आंकड़ा संग्रह, नियोजन, निगरानी और मूल्यांकन, और मानव संसाधन विकास व्यवस्थाओं, साथ ही संगठनात्मक संरचना, में सांस्थानिकीकरण करके' परिवर्तन किये जाते हैं। सरकारी कर्मचारी विभागों के मामले में, उनका लक्ष्य प्रायः क्षेत्रीय रूप से चालित होता है (कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि)। इसके दूसरी ओर, एन.जी.ओ. लक्ष्य या तो क्षेत्रीय रूप से चालित या मुद्दा चालित होते हैं (गरीबी में कमी, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा में कमी, प्रजनन अधिकारों को आगे बढ़ाना, इत्यादि)।

तो फिर, विकास संगठनों में जेंडर के मुख्यधारीकरण का अन्तिम लक्ष्य क्या होना चाहिये? हमें, जेंडर भेदमूलक नियमों, प्रथाओं, और संसाधनों के आवंटन और परिवार समुदाय, बाजारों, राज्य और नव–उदार अंतःर्राजकीय संस्थाओं के अन्दर प्रगामी परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने की चेष्टा करनी चाहिये। हमें संगठनों में जेंडर बुनियादी संरचना स्थापित करना चाहिये परन्तु हमें संगठनात्मक संस्कृति में परिवर्तन को भी प्रोत्साहन देना चाहिये। दूसरा कठिन विवादपूर्ण क्षेत्र है और निश्चय से उसे प्राप्त करना आसान नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, संगठनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को पुनः आकार देने या गढ़ने की आवश्यकता है, संगठन में महिला स्टाफ के प्रतिनिधित्व और पदस्थिति को मात्र मजबूत करके नहीं, परन्तु क्षेत्र से नवीन मांगों की जवाबी प्रतिक्रिया से भी गढ़ना चाहिये जो कि जेंडर विभेदात्मक संस्थाओं की चुनौतियों से उभरी है। जैसा कि मूर्ति और केम्पन का कहना है, जेंडर बुनियादी संरचना और संगठनात्मक परिवर्तन की प्रक्रियाओं को, महिलाओं के सामरिक जेंडर हितों और उपान्तीकृत पुरुषों के हितों को जवाबदेय होने चाहिये। वे जो कुछ बताते है वह जेंडर मुख्यधारीकरण के प्रति सांस्थानिक, संगठनात्मक और बुनियादी संरचना सम्बन्धी उपागमों का मिश्रण है। स्मरण करें, हमने महिलाओं और उपान्तीकृत पुरुषों के पक्ष में सांस्थानिक परिवर्तन का समर्थन करने वाले संगठनात्मक और बुनियादी संरचना के बदलाव पर जोर दिया है।

बॉक्स 4.3 शीघ्र प्रसंगार्थता के लिये जेंड.र और विकास उपागम को संक्षिप्त करता है।

ckDl 4-3 % tMj vkj fodkl ¼xM½

गैड या जेंडर और विकास का उपागम का महिलाएं और विकास (विड) महिलाएं और विकास (वेड) और विकास में जेंडर (गिड) के वैकल्पिक उपागम के रूप में उभरा है। इसकी सैद्धांन्तिक जड़ें समाजवादी नारीवाद में बद्धमूल है और इसने, उत्पादन सम्बन्ध को प्रजनन के सम्बन्ध के साथ जोड़ कर और महिलाओं के जीवन के समस्त पहलुओं का ध्यान रखते हुए, आधुनिकीकरण सिद्धान्तवेताओं द्वारा छोड़े अंतराल को भर दिया था। समाजवादी नारीवादियों ने यह पहचाना कि उत्पादन और प्रजनन का समाजीकरण महिलाओं के उत्पीड़न का मुख्य तर्काधार है। अतः, गैड उपागम सामाजिक सम्बन्धों पर फोकस करता है और भिन्न समाजों में पुरुषों और महिलाओं को जो मौजूदा भूमिकाएं दी गई हैं उन पर सवाल उठाता है। गैड उपागम के अनुसार, भिन्न समाजों में जो भूमिकाएं पुरुषों और महिलाओं को निर्दिष्ट की गई है समाजीकरण प्रक्रिया के कारण से की गई हैं और यहीं से उत्पीड़न प्रारम्भ होता है और यह परिवर्तनशील हो सकता है। यद्यपि, गैड उपागम, समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में महिलाओं की प्रतिभागिता के महत्व ज्यादा वृहद पर प्रश्न नहीं उठाता है, गैड उपागम का प्राथमिक सरोकार यह है कि महिलाओं का उत्पीड़न क्यों होता है और महिलाओं को क्यों नियमित रूप से समाज में गौण भूमिकाएं दी जाती हैं। समाजवादी नारीवादीयों ने अपने विश्लेषण को पितृसत्ता पर मार्क्सवादी नारीवादीयों के विश्लेषण के साथ संयोजित कर लिया और उन्होंने महिलाओं के सरोकारों को सम्बोधित करने का प्रयत्न किया।

केट यंग ने गैड उपागम के कुछ मुख्य पहलुओं को पहचाना है। शायद सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि गैड उपागम, "समाज के विशेष पहलुओं के आकार लेने की प्रक्रिया को समझने के लिये सामाजिक संगठन, आर्थिक और राजनीतिक जीवन की सम्पूर्णता को देखते हुए समग्र परिप्रेक्ष्य से प्रारम्भ होता है। गैड महिलाओं पर अलग से विचार नहीं करता है परन्तु वह जेंडर की सामाजिक निर्मिती को, और पुरुषों और महिलाओं को विशिष्ट भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों के आबंटन, और पुरुषों और महिलाओं से समाज को जो प्रत्याशा है उसको ध्यान में रखता है। परन्तु उग्र नारीवादी महिला एकता पर विचार करते हैं और महिला के अपवर्जन पर ज़ोर देते है। उग्र नारीवादीयों के विपरीत, गैड उपागम उन पुरुषों और महिलाओं जो समता और सामाजिक न्याय के सरोकारों को साझा करते हैं के संभाव्य योगदान का स्वागत करता है।

गैड उपागम महिलाओं के और पुरुषों के उत्पादक तथा प्रजनन गतिविधियों पर विचार नहीं करता है और दूसरे को छोड़ कर कायम रहता है। यह महिलाओं के कार्य की प्रकृति और घर के अन्दर और बाहर उनके योगदान का विश्लेषण करता है जिसमें गैर–वस्तु उत्पादन समाविष्ट रहता है। गैड विद्वानों के अनुसार, तृतीय विश्व की महिलाएं तीन भूमिकाएं निष्पन्न करती है– उत्पादक, प्रजनन और सामुदायिक प्रबन्धन कार्य। प्रजनन कार्य बच्चे को जन्म देना, बच्चे का पालन पोषण और देखरेख कार्य को समाविष्ट करता है। उत्पादक कार्य में गौण आय उपार्जनकारी गतिविधियां और में सामूहिक उपभोग के लिये दुर्लभ संसाधनों जैसे कि जल, ईंधन, सर्वसामान्य सम्पति संसाधनों की प्रदानगी एवं रखरखाव से सम्बन्धित समुदाय प्रबन्धन कार्य समाविष्ट हैं। गैड उपागम सार्वजनिक/निजी

द्विभाजन को अस्वीकार करता है यह आमतौर पर घर में महिलाओं के योगदान का उपयोग करता है और उसे कम महत्व देता है। इसके अलावा, परिवार को निजी क्षेत्र समझा जाता है और पारिवारिक क्षेत्र में राज्य के हस्तक्षेप का सामान्यतौर पर विरोध किया जाता है। समाजवादी और मार्क्सवादी नारीवादी दोनों ही निजी क्षेत्र में महिलाओं के दर्जे को महत्व देते हैं और परिवार में अत्याचार का सामना कर रही महिलाओं पर ध्यान देते हैं जिससे की उस संदर्भ का विश्लेषण कर सके जिसमें दाम्पत्य सम्बन्ध आधारित है। गैड ने राज्य की भूमिका पर भी बल दिया है और इस बात पर जोर दिया है कि राज्य को महिलाओं के विकास को प्रोन्नत करने में भी सहभागिता करनी चाहिये। गैड उपागम स्पष्ट रूप से बताता है कि महिलाएं विकास प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी हैं बजाय राज्य एवं अन्य एजेन्सी के कल्याणकारी प्रयासों के निष्क्रिय प्रापक होने के। यह उन महिलाओं को महत्व देता है जो आगे आ रही हैं और अपनी आवाज उठाने के लिये सामूहिक रूप से संगठित हो रही है। यह वर्ग एकताओं और वर्ग भेदों दोनों को जानता है, परन्तु यह तर्क करता है कि महिलाओं पर अत्याचार करने के लिये वर्गों के भीतर और वर्गों के बीच पितृसत्ता का विचार दर्शन परिचालित रहता है। समाजवादी नारीवादी और शोधकर्त्ता जो गैड परिप्रेक्ष्य के अन्दर कार्य कर रहे हैं जेंडर, वर्ग, प्रजाति और विकास के अन्दर विरोध और उनके बीच सम्बन्धों दोनों की छानबीन कर रहे हैं। गैड उपागम महिलाओं के कानूनी अधिकार, राज्य द्वारा किये जाने वाले उपायों, यानि कि, जेंडर मुद्दों को नीतियों तथा कार्यक्रमों में समामेलित करने के लिये तैयार किये जाने वाली सकारात्मक कार्रवाई और उपकरणों पर फोकस करता है। यह सभी विधायी निकायों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के महत्व पर बल देता है। गैड सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं की पुनः जाँच करना चाहता है और सभी संरचनाओं और संस्थाओं में सभी स्तरों पर जेंडर न्याय उपलब्ध कराने के लिये मौजूदा संरचनाओं और संस्थाओं में जो परिवर्तन लाने चाहिए उनकी पुनः जाँच करना चाहता है इससे अंततः सत्ता सम्बन्धों में परिवर्तन आऐगा। गैड, सभी स्तरों पर संरचात्मक परिवर्तन लाने के लिये राज्यों तथा अन्य एजेन्सियों की प्रतिबद्धता के बारे में भी विचार व्यक्त करता है। गैड उपागम का अनुपालन करने वाले राज्य और एजेन्सियों ने, उसे अपनी नीतियों और कार्यक्रमों में समामेलित करने के लिये उपकरण विकसित किये हैं जैसे कि जेंडर बजटन, जेंडर मुख्यधारीकरण और सकारात्मक कार्रवाई तथा जेंडर विश्लेषण। जेंडर मुख्यधारीकरण जेंडर को, सूत्रीकरण से लेकर क्रियान्वयन तक, सभी नीतियों और प्रोग्राम बनाने में मुख्यधारा में लाने के बारे में बात करता है। जेंडर विश्लेषण इस पर गौर करता है कि परिवार के अन्दर सत्ता (या शक्ति) सम्बन्ध किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय, राज्य बाजार, और सामुदायिक स्तर पर सत्ता सम्बन्धों के साथ अंतःसम्बन्ध स्थापित करते हैं। जेंडर विश्लेषण गैड उपागम पर आधारित है। इसमें पुरुषों तथा महिलाओं के बीच समानता को प्रोन्नत करने की बात जुड़ी है। इसका मूल सिद्धान्त उन मुद्दों का महत्व निर्धारित करना है, जो महिलाएं कहती है कि उनसे विशेष सरोकार रखते हैं और उन संस्थाओं जो महिलाओं और पुरुषों के जीवन को गढ़ती है की मुख्य कार्यसूची का महत्व निर्धारित करना है (राज्य, गैर–सरकारी संस्थाएं, इत्यादि)। उक्त कथित उपकरणों के समान, राज्य अपने आप को प्रतिबद्ध कर रहे हैं और मौजूदा सामाजिक संरचनाओं और संस्थाओं में परिवर्तन लाने के लिये सकारात्मक कार्रवाई कर रहे हैं।

स्रोत : 1 से 4

बॉक्स 4.4 में हमने उन दो विचारकों एवं विद्वानों का जिक्र किया है जिन्होंने गैड (GAD) के उद्भव और उद्विकास में योगदान दिया है।

ckDl 4-4 % tsMj vkSj fodkl dk i{k ysus okys fopkjd

उनमें एक विचारक कैरोलिन मोज़र है जिसने जेंडर और विकास की रूपरेखा विकसित करने में योगदान दिया है। जैसा कि इस इकाई में पहले चर्चा की गई है, विड (WID) उपागम महिलाओं को अप्रयुक्त (या अछेदित) संसाधन समझता है और जो विकास के लिये आर्थिक योगदान प्रदान कर सकता है। जेंडर और विकास की रूपरेखा (framework), विकास की प्रक्रिया में महिलाओं को एजेन्ट के रूप में सक्रिय रूप से प्रतिभागिता करने में सहायता करने के लिये उपायों का खाका तैयार करते समय जेंडर सम्बन्धों पर ध्यान केन्द्रित करता है। मोज़र पहली व्यक्ति थी जिसने यह पहचाना कि जेंडर नियोजन, विकास में महिलाओं के लिये नियोजन से मूलभूत रूप से भिन्न है। मोज़र ने विकास प्रक्रिया को त्वरित करने के लिये जेंडर नियोजन और कार्यपद्धति के लिये प्रत्ययात्मक ढांचा भी प्रदान किया है। विकास पर उनका फोकस विशेष रूप से तृतीय विश्व की महिलाओं के लिये है। उन्होंने समष्टि आर्थिक विकास के भिन्न मॉडलों और तृतीय विश्व की महिलाओं के लिये नीतिगत उपागमों के बीच स्पष्ट रूप से अंतर्सम्बन्ध की सीमा निश्चित की है। उन्होंने स्पष्ट रूप से वो सीमा बताई है जिस तक जेंडर पर विशेष महत्व देने भिन्न महिला और विकास नीतियां निर्धारित की गई हैं, उन्होंने नीतिगत उपागम में 'कल्याण' से 'समता' तक और फिर 'गरीबी विरोधी' से 'क्षमता' तक और अन्तता सशक्तिकरण तक परिवर्तन को पहचानते हुए यह निर्धारित की है। इन उपागमों पर अगली इकाइयों में विस्तार से चर्चा की गई हैं। यह बदलाव, अलगाव में नही हुआ, परन्तु यह तृतीय विश्व विकास नीति में सामान्य प्रवृतियों को प्रतिबिम्बित करते हैं, त्वरित संवृद्धि की आधुनिकीकरण की नीतियों से लेकर, पुर्वितरण से जुड़ी मूलभूत आवश्यकताओं की योजनाओं से होते हुए, ज्यादा हाल ही की संरचनात्मक समायोजन नीतियों में प्रवृतियों तक। उनके अनुसार, महिलाएं और जेंडर नियोजन सिद्धान्त एवं व्यवहार में उपान्तीकृत रहते हैं; और तब तक ऐसे ही रहेंगे जब तक कि सैद्धान्तिक नारीवादी सरोकार नीति तथा नियोजन के ढांचे में पर्याप्त रूप से एकीकृत नहीं हो जाते हैं, इसे अपनी खुद के नियोजन कार्यपद्धति के साथ, नियोजन परम्परा माना जाता है। अतः, उन्होंने नवीन नियोजन परम्परा और नियोजन कार्यपद्धति की संकल्पना पर ज़ोर दिया है।

नवीन नियोजन परम्परा के रूप में, विकास हेतु जेंडर नियोजन पर फोकस सुस्पष्ट रूप से जेंडर पर है और यह प्राथमिक रूप से, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता के सामाजिक सम्बन्धों की जांच करता है। इस नियोजन परम्परा का उद्देश्य सामरिक तथा व्यावहारिक जेंडर आवश्यकताओं दोनों को प्राप्त करना है। इन आवश्यकताओं की व्यक्तिगत पाठ्यक्रमों में भी विस्तार से चर्चा की गई है।

गैड रूपरेखा के प्रति नेला कबीर का योगदान निश्चित रूप से कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने जेंडर असमानताओं की गहन रूप से बद्धमूल सांस्थानिकीकृत स्वरूप की, वे एवं जो सत्ता/शक्ति सम्बन्ध व्यक्त करते हैं उसकी और नीतिगत क्षेत्र के लिये उसकी प्रासंगिकता की और इन असमानताओं को सम्बोधित करने के लिये जेंडर पैखी के जो भिन्न रूप उभरे हैं उनकी, समझ को बढ़ाने में वो

सहायता करती है। इसके साथ ही, उन्होंने यह भी बताया है कि नीतिगत क्षेत्र में जेंडर पर काम करने का कोई एक एकल ढंग सही नहीं है। उसके शब्दों में, ''रूपरेखा सिर्फ यही कर सकती है कि वो नीति निर्माताओं को 'वास्तविकता पर झरोखा'' प्रदान करें जो कि अभ्यस्त वाले से भिन्न और आशा करे कि वह जिस प्रकार से भविष्य में नीति को डिजाइन और कार्यान्वित करेगा उसमें परिवर्तन लाऐगा।

आइये अब आपको इसका एक उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार से गैड परिप्रेक्ष्य से योज़ना (या स्कीम) का विश्लेषण करें (बाक्स 4.5)।

ckWDl 4-5 % xSM ifjizs{; ls Ldhe dk fo'ys"k.k dk mnkgj.k

इस संदर्भ में, भारत सरकार की सर्वाधिक अभिनंदित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम द्वारा सृजित प्रभाव का विश्लेषण करना प्रासंगिक बन जाता है (हाल ही में इसका नाम बदल कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम (MGNREGA) कर दिया गया है। यह अद्‌भुत स्कीम जो वर्ष 2005 में चालू की गई थी, इस का लक्ष्य ग्रामीण परिवारों के सदस्यों जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर अदक्ष शारीरिक काम करने के इच्छुक है, प्रति वर्ष 100 दिनों के निश्चित रोजगार के लिये कानूनी गारन्टी प्रदान करना है। इस कारण से, NREGA या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम को, ग्रामीण लोगों की जीविका सुरक्षा को बढ़ा कर और उनकी रोजगार संभावनाओं एवं क्रय शक्ति की वृद्धि कर के उनके लिये एक प्रकार से सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करना चाहिये। यद्यपि महिलाओं का सशक्तिकरण इस स्कीम की मुख्य कार्यसूची नहीं है, निम्नलिखित प्रावधान जैसे कुल कार्मिकों में महिलाओं के एक–तिहाई अनुपात को प्राथमिकता, पुरुषों और महिलाओं के लिये एक समान मजदूरी और महिला कार्मिकों के बच्चों के लिये क्रेच (शिशु पालना गृह) महिलाओं के लिये अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं जिससे कि वे भी किसी ढंग से लाभान्वित हो सकें। सचमुच में, काम के अवसरों और आय तक महिलाओं की स्वतन्त्र गम्यता बढ़ाने के लिये इसे डिजाइन किया गया है। महिलाओं की आय में वृद्धि बच्चों और पूरे परिवार दोनों के स्वास्थ्य एवं शैक्षिक परिणामों को सुधारती है ऐसा व्यापक रूप से सूचित किया जाता है। बिहार, झारखण्ड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश के राज्यों में महिला कर्मकारों पर इस स्कीम (NREGA) के सशक्तिकरण सम्बन्धी प्रभावों का एक अध्ययन किया गया है जो दावा करता है कि महिला कर्मकारों को स्कीम से लाभ मुख्यतः प्रदत्त रोजगार अवसर के कारण से हुआ है, और लाभ, आय–उपभोग प्रभावों, आंतर–परिवार प्रभावों, और विकल्प एवं क्षमता में बढ़ौतरी के जरिये ही चरितार्थ हुए हैं। आय–उपभोग प्रभावों का अर्थ महिला कर्मकार की प्रदत्त आय में वृद्धि और फलस्वरूप उसके उपभोग का चयन करने में उसकी योग्यता में वृद्धि होती है। यह विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। यदि महिला उपार्जन करती है परन्तु अपनी उपार्जित आय को किस प्रकार खर्च करना है इस सम्बन्ध में अपने विकल्प का प्रयोग करने में अक्षम है और इसके बजाय यदि वो अपनी सारी उपार्जित आय परिवार के मुखिया को दे देती है और व्यय के निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं डालती है तो इसका अर्थ सशक्तिकरण के सार से चूकना / या उसे खोना है। महिलाएं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम के अन्तर्गत भी एक समान मजदूरी को चरितार्थ करने में कुछ हद तक लाभान्वित हुई है, जिसके,

भारत में ग्रामीण श्रम बाजार में प्रचलित जेंडर भेदमूलक मजदूरी और विषमता को सही करने के सिलसिले में दीर्घकालिक फलितार्थ हैं।

परन्तु यह अध्ययन यह भी बताता है कि एन.आर.ई.जी.एस. की स्कीम महिलाओं के लिये वर्द्धित काम के घण्टे, उनके आराम के समय का लुप्त होने के सम्बन्ध में कठिनाइयों और रूकावटों भी लाई है और उन्हें यह सब शारीरिक एवं मानसिक कड़े श्रम के साथ सहन करना पड़ता है। यह सूचित किया गया कि कुछ किशोर लड़कियों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी ताकि एन.आर.ई.जी.एस. के अन्तर्गत काम के अवसर का लाभ उठा सकें। इनके अलावा, एन.आर.ई.जी.एस. के कार्यकर्त्ताओं जैसे कि कार्यक्रम अधिकारी, रोजगार सेवक, लोकपाल (या ऑमबड्समैन), चौकसी करने वाले सदस्य और निगरानी समितियां इत्यादि के बीच महिलाओं का प्रतिनिधित्व न्यूनतम है।

स्रोत : अशोक पंकज एवं रूकमाणी तनखा, ''इमपावरमेंट इफैक्टस ऑफ दी एन.आर.ई. जी.एस. ऑन वूमेन वर्करसः ए स्टडी इन फोर स्टेट्स'', इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल वीकली, खंड XLV से 30, जुलाई 24, 2010

4-5 fu"d"kZ

कुछ जेंडर एवं विकास चिन्तकों जैसे कैरोलिन मोज़र और नेला कबीर के योगदान को बतलाने के अतिरिक्त विकास संलाप में नारीवाद की इस इकाई में विस्तार से चर्चा की गई है। इस खंड की इस अन्तिम इकाई ने गैड की रूपरेखा पर व्यापक दृष्टि प्रदान की है जो आपके लिये अनुवर्ती इकाइयों को समझना आसान कर देगा।

4-6 'kCnkoyh

Xkke iapk;r % ग्राम पंचायत भारत में ग्रामीण स्थानीय सरकार की निम्नतम इकाई है। यह नवीन पंचायती राज व्यवस्था की नींव है।

Ukxjikfydk % नगरपालिका भारत में शहरी स्थानीय सरकार है। इसे म्यूनिसिपेलिटी के नाम से भी जाना जाता है।

4-7 ckèk iz'uksa ds mÙkj

Ckkèk iz'u 1

नारीवाद पश्चिम–प्रभावित, प्रभुत्व सम्बन्धी समूह के विचारों से अब बिल्कुल सम्बन्धित नहीं है, परन्तु'', बल्कि इसने भिन्न पैमानों चाहे स्थानीय, राष्ट्रीय, प्रादेशिक अथवा पार राष्ट्रीय पर प्रचालित रूपों की श्रृंखला को धारण किया है।

स्थानीय जेंडर सम्बन्धों और विचारधाराओं के कोर छादनों को बद्धमूल स्थानीय प्रथाओं और स्थान एवं समय के अनुसार आगे लाने की आवश्यकता है।

परिवर्तन लाने के लिये महिलाओं (और पुरुषों) के बीच अति महत्वपूर्ण साधारण लोगों की स्थानीय समझ को जोड़ना आवश्यक है।

उत्तरी और दक्षिणी नारीवादीयों ने, भिन्न स्थानों और समयों पर जनसाधारण के बीच गठबंधन की आवश्यकता की मांग की है।

गैड की व्यापक रूपरेखा के अन्दर समानता के उपागम का उद्‌भव हुआ है, जो मूलभूत मानवाधिकार के रूप में महिलाओं और पुरुषों के बीच शक्ति को साझा करने को प्रौन्नत करता है और आवश्यकता–आधारित उपागमों में बदलाव चिन्हित करता है।

तथापि, पश्चिमी, व्यष्टिपरक शब्दों में संप्रत्ययीकृत अधिकार, दक्षिण में, जहां साम्प्रदायिक अथवा समूह अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, बहुत सी संस्कृतियों के साथ असंगत हो सकते हैं।

ऐसी युक्तियों की आवश्यकता है जो अधिकारों को विकल्पों में और महिलाओं के जीवन में स्थूल सुधारों में बदल डाले।

4-8 dN mi;kxh iLrd

Adkins, Lisa (2007) Feminist theory and economic change, in: Stevi Jackson & Jackie Jones (Eds.) *Contemporary Feminist Theories* (Jaipur: Rawat Publications, Indian Reprint 2011)

Afshar, Haleh (2000) Gendering the millennium: globalizing women, *Development in Practice*, 13, pp. 178-188

Bhasin, Kamala (2001) Gender training with men: experiences and reflections from South Asia, in: Caroline Sweetman (Ed) *Male Involvement in Gender and Development Policy and Practice: beyond rhetoric*, pp. 20-34 (Oxford, Oxfam Working Paper Series)

Burton and Pollack (2002) 'Gender Mainstreaming and Global Governance' *Feminist Legal Studies*, Volume 10, No. 3 and 4

Chant, Sylvia & Gutmann, Mathew (2002) 'Men-streaming' gender? Questions for gender and development policy in the twenty first century, *Progress in Development Studies*, 2, pp. 269-282

Cornwall, Andrea &Welbourn, Alice (Eds.) (2002) *Realizing Rights: transforming approaches to sexual and reproductive well-being* (London: Zed Books)

Cornwall, Andrea (2000) *'Making a difference? Gender and Participatory Development'*, Discussion Paper, Brighton, UK: Institute of Development Studies.

Cornwall, Andrea, Harrison, Elizabeth and Whitehead, Ann (Eds.) (2007) *Feminisms in Development: contradictions, contestations and challenges* (London: Zed Books)

Datta, Kavita (2004) A coming of age? From WID to GAD to 'add-men-and-stir' in Urban Botswana, *Journal of Southern African Studies*, 30(2)

Department of Women and Child Development (2001) *National Policy on Empowerment of Women*, New Delhi: Government of India.

Evans, Mary (2003) *Gender and Social Theory* (Jaipur: Rawat Publications, Indian Reprint 2009)

Goetz, Anne-Marie (1997) *Getting Institutions Right for Women in Development* (London: Zed Books)

Hajer, M. (1995) *The Politics of Environmental Discourse: ecological modernization and the policy process* (Oxford: Clarendon Press)

Harcourt, Wendy (2002) Body Politics: revisiting the population question, in: Kriemild Saunders (Ed.) *Feminist, Post-development Thought: rethinking modernity, post-colonialsim and representation*, pp. 283-297 (London: Zed Books)

Kabeer, Naila (1994) 'Gender Aware Policy and Planning: A Social Relations Perspective' in Macdonald, M (Ed.) *Gender Planning in Development Agencies: Meeting the Challenge,* UK :Oxfam

Kesby, Mike (1999) Locating and dislocating gender in rural Zimbabwe: the making of space and the texturing of bodies, *Gender, Place and Culture*, 6, pp. 27-47

Lister, R. (2003) *Citizenship: Feminist Perspectives* (Basingstoke: Palgrave Macmillan)

McEwan, Cheryl (2001) Postcolonialism, feminism and development:intersections and dilemmas, *Progress in Development Studies*, 1, pp.93-111

McIlwaine, Cathy and Datta, Kavita (2003) From Feminizing to Engendering Development *Gender, Place and Culture* 10:4, 369-382

Meer, S. with Sever, C. (2003) 'Gender and Citizenship: Overview Report', *Gender and Citizenship Cutting Edge Pack* (Brighton: BRIDGE, Institute of Development Studies)

Moghadam, Valentine M. (1998) Feminisms and development, *Gender and History*, 10, pp. 590-597

Mohan, Giles and Holland, Jeremy (2001) Human rights and development in Africa: moral intrusion or empowering opportunity, *Review of African Political Economy*, 88, pp. 177-196

Moser, Caroline O.N. (1993) Gender Planning and Development: theory, practice and training (London: Routledge)

Mukhopadhayay, Maitrayee (2007) Mainstreaming gender or 'streaming' gender away: feminists marooned in the development business, in: Cornwall, Andrea, Harrison, Elizabeth and Whitehead, Ann (Eds.) *Feminisms in Development: contradictions, contestations and challenges* (London: Zed Books)

Mukhopadhyay Swapna (2003) Status of women under economic reforms: the Indian case, in: Swapna Mukhopadhyay & Ratna M. Sudarshan (Eds.) Tracking gender equity under economic reforms: continuity and change in South Asia, Kali for Women and IDRC (New Delhi: Kali for Women)

Murthy, R.K. and Rao, N. (1997) *Addressing Poverty: Indian NGOs and their Capacity Enhancement in the 1990s*, New Delhi: Friedrich Ebert Stiftung (India Office)

Murthy, Ranjani K. and Kappen, Mercy (2006) Gender, Poverty and Rights, Visthar, Bangalore

Parpart, Jane & Marchand, Marianne (1995) Exploding the canon: an introduction/ conclusion, in: Marianne Marchand & Jane Parpart (Eds.) *Feminism/ Postmodernism/ Development*, pp. 1-22 (London: Routledge)

Peake, Linda and Trotz, D. Alissa (2002) Feminism and feminist issues in the South, in: Vandana Desai & Robert B. Potter (Eds.) *The Companion to Development Studies*, pp. 334-338 (London: Arnold)

Pearson, Ruth (2000) Rethinking gender matters in development, in: Tim Allen & Alan Thomas (Eds.) *Poverty and Development into the 21st Century*, pp 383-402 (Oxford, Open University in association with Oxford University Press)

Pearson, Ruth (2003) Feminist responses to economic globalization: some examples of past and future practice, *Gender and Development*, 11, pp. 25-34

Radcliffe, Sarah (2002) Indigenous women, rights and the nation-state in the Andes, in: Nikki Craske & Maxine Molyneux (Eds.) *Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America*, pp. 149-161 (Basingstoke: Palgrave)

Raju, Saraswati (2002) We are different, but can we talk? *Gender, Place and Culture*, 9, pp. 173-177

Ranjani K. Murthy and Mercy Kappen (2007) *Institutionalizing Gender Within Organizations and Programmes: A Trainer's Manual*, Visthar, Bangalore

Rao and Kelleher (2003) 'Institutions, Organisations and Gender Equality in an Era of Globalization' *Gender and Development*, Volume 11, No. 1

Robson, Elsbeth (2000) Wife seclusion and the spatial praxis of gender ideology in Nigeria Hausaland, *Gender, Place and Culture*, 7, pp. 179-199

Sengupta, Arjun (2000) Realizing the right to development, *Development and Change*, 31, pp.553-578

Stubbs, Josefina (2000) Gender in development: a long haul – but we're getting there! *Development in Practice*, 10, pp.535-542

Sudarshan, Ratna M. (2003) Towards integration? Gender and economic policy, in: Swapna Mukhopadhyay & Ratna M. Sudarshan (Eds.) Tracking gender equity under economic reforms: continuity and change in South Asia, Kali for Women and IDRC (New Delhi: Kali for Women)

Sweetman, Caroline (1997) Editorial, in: Caroline Sweetman (Ed.) *Men and Masculinity*, pp. 2-7 (Oxford, Oxfam)

Tsikata, Dzodzi (2007) Announcing a new dawn prematurely? Human rights feminists and the rights-based approaches to development, in: Cornwall, Andrea, Harrison, Elizabeth and Whitehead, Ann (Eds.) *Feminisms in Development: contradictions, contestations and challenges* (London: Zed Books)

Vargas, Virginia (2002) The struggle by Latin American feminism for rights and autonomy, in: Nikki Craske & Maxine Molyneux (Eds.) *Gender and the Politics of Rights and Democracy in Latin America*, pp.199-224 (Basingstoke: Palgrave)

Walby, Sylvia (2002) Feminism in a Global Era, *Economy and Society*, 31, pp. 533-557

Whitehead, Ann (1979) 'Some Preliminary Notes on Subordination of Women' *IDS Bulletin*, No. 3

Young, Kate (2002) WID, GAD and WAD, in: Vandana Desai & Robert B. Potter.

4-9 ckèk iz'u ¼euu ,oa vH;kl gsrq½

1. क्या आप सोचते हैं कि शब्द 'संलाप गठबंधन' को विकास में नारीवादों के संदर्भ में उपयोग किया जा सकता है?

2. विकास हस्तक्षेप में महिलाओं के सशक्तिकरण की कार्यसूची पर ध्यान केन्द्रित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

3. संगठनों का जेंडरिंग करने के क्या रास्ते हैं? सामान्यतः किस रास्ते को अपनाया जाता है? अपने खुद के विचार बताइये।

4. क्या आप मानते हैं कि अधिकार–आधारित उपागमों को ऊपर–से–नीचे प्रकार का होना चाहिये? उन विद्वानों के विचारों की, जो विद्वान अधिकार–आधारित उपागम में विश्वास करते है की उन विद्वानों जो नहीं मानते हैं कि ऐसे उपागम यथेष्ट परिवर्तन प्राप्त कर सकते है के विचारों के साथ तुलना करें।

ignou THE PEOPLE'S UNIVERSITY

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY